

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2009-2010

Total Business  
**Rs. 4 Lakh Crore**

Net Profit  
**Rs. 3000 Crore**

Branches  
**3000**

3 Major Milestones  
Crossed



कनारा बँक  Canara Bank  
Together We Can



# वार्षिक रिपोर्ट

## 2009-2010



# **ANNUAL REPORT**

## **2009-2010**

## वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010

### विषयवस्तु

1. नोटिस .....	1
2. प्रगति की एक झलक .....	28
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2009-2010 .....	29
• प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण .....	30
• केनरा बैंक 2009-2010 में .....	34
• निदेशक मंडल में परिवर्तन .....	67
• निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य .....	67
• धन्यवाद .....	68
4. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट .....	69
5. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र .....	90
6. स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरण .....	91
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट .....	92
• तुलन पत्र .....	94
• लाभ व हानि खाता .....	95
• तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ .....	96
• लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ .....	104
• लेखा नीतियाँ .....	106
• लेखा पर नोट .....	112
• पिलर 3 (बासेल II) प्रकटन .....	150
• नकद प्रवाह विवरण .....	183
7. समेकित वित्तीय विवरण .....	185
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट .....	186
• समेकित तुलन पत्र .....	188
• समेकित लाभ व हानि खाता .....	189
• समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ .....	190
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ .....	197
• लेखा नीतियाँ .....	199
• समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ .....	203
• समेकित नकद प्रवाह विवरण .....	213
8. नामांकन पत्र .....	215
9. घोषणा .....	217
10. प्रत्याशी के जीवनवृत्त का प्रारूप .....	219
11. उपरिथिति पर्ची - सह - प्रवेश पास .....	223
12. प्रॉक्सी फार्म .....	225

## ANNUAL REPORT 2009-2010

### CONTENTS

1. NOTICE .....	1
2. PROGRESS AT A GLANCE .....	28
3. DIRECTORS' REPORT 2009-2010 .....	29
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ....	30
• CANARA BANK IN 2009-2010 .....	34
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS .....	67
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT .....	67
• ACKNOWLEDGMENT .....	68
4. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE .....	69
5. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE .....	90
6. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS .....	91
• AUDITORS' REPORT .....	92
• BALANCE SHEET .....	94
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT .....	95
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET .....	96
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT .....	104
• ACCOUNTING POLICIES .....	106
• NOTES ON ACCOUNTS .....	112
• PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES .....	150
• CASH FLOW STATEMENT .....	183
7. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS .....	185
• AUDITORS' REPORT .....	186
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET .....	188
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT ...	189
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET .....	190
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT ...	197
• ACCOUNTING POLICIES .....	199
• NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS .....	203
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT .....	213
8. NOMINATION FORM .....	216
9. DECLARATION .....	218
10. FORMAT FOR BIO-DATA OF THE CANDIDATE .....	220
11. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS .....	224
12. PROXY FORM .....	226

## नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक **सोमवार, 19 जुलाई 2010 को प्रातः 10 बजे ज्ञानज्योति सभागृह, सेन्ट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बैंगलूर - 560 001 में** आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. "यथा 31 मार्च 2010 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षिकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना"।
2. वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना :

**"संकल्प किया जाता है कि"** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अोक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) / दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद **"निदेशक मंडल"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है)

## NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Monday, the 19th July 2010 at 10.00 a.m. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore – 560 001**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2010, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2010, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2009-10.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)

को दी जाती है कि ( इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित ) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए ( भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निवंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए ) एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वैचर कैपिटल फंड, विदेशी वैचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमे से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमीयम सहित, भारत में या विदेश में प्रत्येक रु 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी/अधिमान शेयर (संचयी / गैर-संचयी / प्रतिभूतियां उतनी ही संख्या में प्रस्तावित, जारी और आबंटित करें जो किसी भी हालत में रु. 259 करोड (दो सौ और उनसठ करोड रुपये मात्र) से ज्यादा न हो और समग्र रूप से रु 2590 करोड (रुपये दो हजार पाँच सौ और नब्बे करोड ) से अधिक न होते हो जो रु 410 करोड की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के साथ रु 3000 करोड होते हों जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूँजी की उच्चतम सीमा है या संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूँजी की सीमा तक जो भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार जोड़ी जा सके कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूँजी का 51% से कम धारित नहीं किया जाए ।"

**"आगे संकल्प किया जाता है कि** ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, अधिमानी इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 ("आई सी डी आर विनियमावली")

to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI , specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such preference shares ,whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 259 Crores ( Two Hundred and Fifty Nine crores Only) and aggregating to not more than Rs. 2590 Crores (Rupees Two Thousand and Five Hundred Ninety Crores) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 410 crores amounts to Rs 3000 crores, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act ,1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any ), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank , whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations")

एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे । ”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हासीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो । ”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई ), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी ) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी " कहा जाएगा ) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति , अनुमति और या/ मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन , सहमति , अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद " अपेक्षित अनुमोदन " कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि क्यों आई बी आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो बर्ताएं कि इस प्रकार जारी ईक्विटी शेयरों की किस्त को शामिल करते हुए मूल्य

and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

**"RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI) ,Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion ,Ministry of Commerce (DIPP ) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date ,in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR

आई सी डी आर विनियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्णित मूल्य से कम न हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (व्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में ने परिभाषित है) की तुलना में केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूँजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो। ”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** क्यू आई पी के निर्गमन के मामले में प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी।”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / बैंक के शेयर सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेश को नए इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैंकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जाने वाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

**“आगे संकल्प किया जाता है कि** किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर

Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FII's and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares/securities , the Board ,be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each

किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और चीज़ें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वाइचित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

**“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/बैंकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेन्सियों जो इस प्रकार के ईक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेन्सियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।”**

**“आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि / प्रतिभूतियों के स्मांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/ प्रतिभूतियों का शोधन, व्याज दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, व्याज दर, रूपांतरण अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत होता है ।”**

**“आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है ।”**

tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees, or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेर्यों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है। और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने तथा ऐसे सभी प्रतेखों एवं लिखितों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बौगर उनके विवेकाधिकार के तहत जरूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”


“आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/कों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

4. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक {प्रबंधन और विविध प्रावधानज योजना, 1970 (इससे आगे "योजना" कहा गया) और अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डी बी ओ डी संख्या बी.सी संख्या 46/29. 39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 (इससे आगे "भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसरण में किये गये केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इससे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 (इससे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से 2 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए:-

“संकल्प किया जाता है कि तन्निहित योजना, विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित धारा 9(3) (i) के अनुसरण में केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशक चुने गये और 27 जुलाई 2010 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (यानि 26 जुलाई 2013 तक) कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें।”

निदेशक मंडल के आदेशों से

स्थान : बैंगलूरु  
दिनांक : 03.06.2010



ए सी महाजन  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

**"RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".


**"RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

4. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions} Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and notification No. DBOD. NO. BC. NO. 46/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India (herein after referred to as "RBI Notification") and to pass the following resolution:-

**"RESOLVED THAT** two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and RBI Notification made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2010 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2013)"

By Order of the Board of Directors

Place : Bangalore  
Date : 03.06.2010



A C MAHAJAN  
Chairman And Managing Director

## टिप्पणियाँ

### 1. व्याख्यात्मक वक्तव्य :

प्रदत्त पूँजी जुटाने और निदेशाकों के चुनाव के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 और 4 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है ।

### 2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 14 जुलाई 2010 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज किया जाए ।

### 3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कार्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वहा संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 14 जुलाई 2010 को या उस दिन के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है ।

### 4. पंजीकरण :

बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान में सोमवार, 19 जुलाई 2010 को प्रातः 8.30 से शुरू होगी । शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण औपचारिकतां पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें ।

### 5. उपस्थिति पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है । शेयरधारकों /प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें । शेयरधारक/प्रेक्षिधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन/जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी

## NOTES

### 1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 & 4 of the Notice regarding Raising of paid up capital and Election of Directors are annexed below.

### 2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 14th July 2010.

### 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 14th July 2010.

### 4. REGISTRATION :

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.30 a.m. Monday, the 19th July 2010 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

### 5. ATTENDANCE SLIP :

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry**

जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन - मतदाता पहचान कार्ड/नियोक्ता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची - सह - प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।

## 6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें :

**मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड**

**यूनिट : केनरा बैंक**

**"कार्वी हाऊस",**

**नं. 46, अवेन्यू IV, स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स**

**हैदराबाद - 500 034**

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तन केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

## 7. बहियों को बंद करना :

बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु बुधवार 16 जून 2010 से शुक्रवार 25 जून (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रखा जाएगा।

## 8. चुनाव में भाग लेना :

पिछले दिन के बही के समाप्त होने की तारीख यानि मंगलवार 15 जून 2010 (इसके आगे आंतरिक निर्दिष्ट तिथि/ रिकार्ड तारीख कहा गया) को कारोबार समय के समाप्त होने तक एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा प्रस्तुत जिन शेयरधाराकों के नाम सदस्य/हितार्थी मालिकों के रजिस्टरों में दिखाई देते हों वे केंद्र सरकार से अन्य शेयरधारकों में से निवेशकों के चुनाव में भाग लेने यानि नामित, चुनाव लड़ने व वोट देने के लिए पात्र होंगे।

## 9. लाभांश का भुगतान :

बैंक ने वर्ष 2009-10 के लिए 100% का लाभांश घोषित किया है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम मंगलवार 15 जून 2010 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्यों लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में हैं और यह लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर भेजा जाएगा।

valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

## 6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd

Unit : Canara Bank

"Karvy House",

No.46, Avenue IV, Street No.1, Banjara Hills

HYDERABAD – 500 034

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

## 7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Wednesday, the 16th June 2010 to Friday, the 25th June 2010 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the election and receive the dividend, declared by the Bank.

## 8. PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholder whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as at the close of business hours on the previous day of Book Closure date i.e Tuesday, the 15th June 2010 (herein after referred to as the internal cut off date / Record Date) ,shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than Central Government.

## 9. PAYMENT OF DIVIDEND :

The Board has recommended a dividend of 100% for the year 2009-10 .It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Tuesday, the 15th June 2010 and the same shall be mailed within 30days from the date of the Annual General Meeting.

## 10. फोलियों का समेकन :

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समस्ती क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि वे हमारे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारणों का एक खाते में समेकन किया जा सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे।

## 11. अदावी लाभांश, यदि कोई हो :

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन/डब्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपकरमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये स्तर से अंतर्विष्ट धारा 10 बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205री के अंतर्गत स्थापित निवेशक रिक्षा एवं रक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता।

## 12. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रॉक्सीधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ।

## 13. शेयरधारकों के मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपकरमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमावली 2000 के विनियम 68(i) के अनुसार प्रत्येक शेयर धारक को, जो वार्षिक सामान्य बैठक के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख को शेयरधारक के स्तर में पंजीकृत है, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रति शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।

## 10. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

## 11. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY :

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

As per the newly inserted Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

## 12. ANNUAL REPORT :

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.

## 13. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS :

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Cl. 68(i) of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2000, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

## निदेशकों का चुनाव:

### 14. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित योग्यता:

अधिनियम की धारा **9(3-ए)** के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने वाला प्रत्याशी जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने को इच्छुक है को:

क) निम्न विषयों में से एक या अधिक के मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभाव होना चाहिए:-

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकरिता
- आर्थिक शास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के विचार में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ख) जमकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो या

ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

**(3-एए)** उपधारा (3 ए) के प्रावधानों की पूर्वधारणा के बिना और इस अधिनियम या संप्रति प्रवर्तन में रहने वाली किसी अन्य विधि में निहित किसी विषय के विस्तृद्वारा वाले से कोई तालूकात नहीं रखते हुए पूर्व अभिलेख, अखंडता और इस दिशा में समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित अनुसार कोई अन्यमानकों के आधार पर कोई व्यक्ति योग्य और उचित हैसियत वाला न हो तो उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा। आगे चुने गये निदेशक को प्रसंविदा विलेख निसपादित करना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में निर्धारित वार्षिक घोषणाएं करनी होंगी।

**(3-एबी)** भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तौर तरीके, ऐसे निर्धारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसके लिए आवश्यक या प्रासंगिक माने जाने वाले मामलों के बारे में भी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सकता है।

## ELECTION OF DIRECTORS:

### 14. QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section **9(3-A)** of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall-

A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small-scale industry
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

B) represents the interest of depositors; or

C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

**(3-AA)** Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard. Further the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

**(3-AB)** The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the 'fit and proper status', the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

## 15. बैंक के निदेशक के स्वर्ग में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना:

क. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार

व्यक्ति विशेष को निम्न कारणों से निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहराया जाएगा:

क) यदि उसे कभी दिवालिया निर्णित किया गया हो या उसके लेनदारों को चुकता नहीं किया हो या

ख) उसे विक्षुद्धमना पाया गया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो

ग) यदि उसे नैतिक उल्लंघन अंतर्गत किसी अपराध के तहत अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

घ) बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नमित निदेशकों और प्रबंध निदेशक शामिल करके पूर्णकालिक निदेशक का पद धरने को छोड़कर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम (अनुषंगी बैंक) की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी अनुषंगी बैंक में किसी प्रकार का लाभदायक अधिकार में हो और

ख. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी सं बीसी सं 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01.11.2007 के अनुसार उसे योग्य और उचित नहीं पाया गया तो

## 16. निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के परिणाम स्वरूप चुना गया निदेशक तीन वर्षों के लिए पद का धारण करेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते है कि ऐसा निदेशक निरंतर 6 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण नहीं करता हो।

**कथित अधिनियम की धारा 9(3 ए) और (3 ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले, कथित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत ऐसे चुने गये निदेशक को हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार पर अधिनियम की धारा 9(3 बी) की ओर शेयरधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

## 17. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए प्रत्याशी का नामांकन तभी वैध होगा,

## 15. DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors ; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude

d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank. and

B. If he is not found to be "fit and proper" person in terms of Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC.No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01.11.2007.

## 16. TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

**Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.**

## 17. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,

- क. अभिलेख तारीख होकर /चुनाव में भाग लेने के लिए मंगलवार 15 जून 2010 को शेयरधारक केनरा बैंक के कम से कम 100 शेयर रखता हो।
- ख. उसे अधिनियम या योजना के तहत नामांकन प्राप्त करने की आखिरी तारीख शनिवार 3 जुलाई 2010 को निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।
- ग. बुलावे के लिए नियत आखिरी तारीख या उसके पहले एकल या अन्योग के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा धरे गये बैंक के शेयरों से संबंधित सारे बुलावों का भुगतान किया हो।
- घ. निदेशकों को चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके विधिवत गठित मुख्यालय द्वारा लिखित रूप में नामांकन हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो। बशर्त है कि कंपनी होने वाले शेयर धारक द्वारा नामांकन कथित कंपनी के निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा किया जाये और ऐसे किये जाने पर इस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सही सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति उप महा प्रबंधक, केनरा बैंक, सी एम डी सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड़, बैंगलूर-560002 को संबोधित करके केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाये और ऐसी प्रति को कंपनी की तरफ से किया गया नामांकन समझा जायेगा।
- ङ. नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट या ऐसॉरेसेस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या कोई अन्य राजप्रतित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीकृत बैंक के अधिकारी के सामने प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा होगी की वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है और वह निदेशक बनने के लिए अधिनियम या योजना या इन विनियमों द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया। विधिवत हस्ताक्षरित और इस बात को पुष्ट करने वाले उसके व्यक्तिगत व्यौरे, उसकी जानकारी और विश्वास के हद तक सही है और घोषणा के बाद सूचना से संबंधित कोई घटना घटी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बारे में बैंक को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता है।
- च. उसे बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 और डी बी ओ डी (शेयरव बैठकें) विनियम 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना सं डीबीओडी सं बीसी सं 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के अधीन उसे अयोग्य नहीं किया गया तो तभी निदेशक के रूप में प्रत्याशी का नामांकन विधिमान्य होगा।

- he/she is a shareholder holding not less than 100 shares in Canara Bank as on Tuesday, the 15th June 2010, being the record date/date of reckoning for participating in the election ;
- he/she is as on Saturday, the 3rd July 2010, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
- he/she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
- the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of Canara Bank addressed to the Deputy General Manager, Canara Bank ,CMD's Secretariat, Head Office,112, J C Road, Bangalore – 560002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director. His/her personal details (bio-data) duly signed and affirming that details furnished are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- he/she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949, or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and Notification No. DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 dated 01 11 2007 of Reserve Bank of India, from being a director.

## 18. नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण:

सिवाए केंद्र सरकार के अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के रूप में चुनाव लड़ने को इच्छुक शेयरधारकों को अपने नामांकन पत्र (न्यूनतम 100) घोषणा और बायूडाटा, प्रमाणपत्र आदि के साथ

### उप महा प्रबंधक

केनरा बैंक

सचिवीय विभाग

सी एम डी सचिवालय

प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड

बैंगलूरु-560002

को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख के पहले कम से कम 14 दिनों के पहले यानि 3 जुलाई 2010 को अप 2.00 बजे बैंक समय के समाप्त होने के पहले किसी कार्यदिवस को प्रस्तुत करना चाहिये। कथित नामांकन पत्र सारे पहलुओं से पूरे होने चाहिए और इस नोटिस से संलग्न प्राप्त में न्यूनतम 100 शेयरधारकों द्वारा विधिवत भरे जाने चाहिए अन्यथा नामांकन अस्वीकार कर दिये जाएंगे।

## 19. शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता:

चुनाव लड़ने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में बतायी गयी शेयरधारकों की सूची सोमवार, 28 जून 2010 से लेकर बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जायेगी ताकि बैंगलूरु में संदेय केनरा बैंक के पक्ष में माँगड़ाफ्ट द्वारा 50000 रु [रु पचास हजार मात्र] अदा करके उन्हें खरीदा जा सके।

## 20. नामांकनों की संवीक्षा:

- नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तारीख के परवर्ती कार्यदिवस सोमवार, 5 जुलाई 2010 को उनकी संवीक्षा की जाएगी और किसी नामांकन को विधिन्मान्य नहीं पाया गया है तो उसके कारण उल्लिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संवीक्षा के योग्य व उचित मार्गनिर्देशों के अनुसार नामांकनों की समीक्षा बोर्ड नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।
- चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए दो ही नामांकन हैं तो ऐसे नामांकित प्रत्याशियों को तत्काल चुना गया समझा जाएगा और तदनुसार उनके नाम और पते प्रकाशित किये जाएंगे। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा।

## 18. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit their nomination forms [a minimum of 100] along with a declaration and the connected documents such as testimonials viz., Bio-data, certificates to

**Deputy General Manager**

**Canara Bank**

**Secretarial Department**

**C&MD's Secretariat**

**Head Office, 112, J C Road**

**Bangalore -560002**

on a working day not less than fourteen days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before closing hours of the Bank i.e., 2.00 p.m. on 3rd July ,2010. The said nomination forms should be complete in all respects and should be duly filled in by a minimum of 100 Shareholders in the format annexed to this notice failing which, the nominations are liable to be rejected.

## 19. AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Monday, the 28th June 2010 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/-[Rupees Fifty Thousand Only] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bangalore.

## 20. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- Nominations shall be scrutinized on Monday, the 5th July 2010 the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 01st November, 2007 issued by the Reserve Bank of India.
- If there is only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting.

- घ) चुनाव आयोजित की जानी वाली स्थिति में चुने जाने वाले निदेशों की संख्या की तुलना में विधिमान्य नामांकन अधिक हैं तो बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना गया समझा जायेगा और उनके नाम समाचार पत्रमें प्रकाशित किये जायेंगे।
- ङ) ऐसे चुने गये निदेशकों के बारे में समझा जायेगा कि उन्होंने 27 जुलाई 2010 को कार्यग्रहण कर लिया है।
- च) कोई विवाद है तो उसे केनरा बैंक विनियम, 2000 के विनियम के 67 के अनुसार निपटा दिया जायेगा।

## 21. नामांकनों का वापस लिया जाना:

कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेना चाहता है तो वह शनिवार, 17 जुलाई 2010 को अ.प 2.00 बजे बैंक के कार्यसमय के समाप्त होने के पहले ऐसा कर सकता है।

## नोटिस की मद सं. 3 के प्रति उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. नवंबर 2002 में बैंक ने अपने आईपीओ को सफलतापूर्वक संपन्न किया और प्रति शेयर रु 25/- के प्रीमियम के साथ रु 10/- के 11 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके रु 385 करोड़ जुटाया, मुख्यतया दीर्घकालीन संपदाओं में वृद्धि लाने और पूँजी पर्याप्तता अनुपात का रखरखाव लगभग 12 प्रतिशत रखने।
2. यथा 31 03 2010 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 13.43 % है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% की तुलना में काफी ऊँचा है। तथापि विस्तार करने की बैंक की कुछ योजनाओं और बासल ॥ मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूँजी प्रभार के आलोक में पूँजी पर्याप्तता अनुपात को और भी बढ़ाने की जरूरत है।
3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (बी) (सी) के अनुसार चुकता पूँजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्र सरकार हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी।
4. सूचीकरण करारनामे (बैंक एवं स्टॉक एक्सचेंज के बीच) की धारा 23 की उप धारा (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा आगे जब कभी कोई प्रस्ताव या निर्गम किया जाता है, यदि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न लें तो उसे यथानुपात मौजूदा शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाए। उक्त संकल्प यदि पारित हो जाता है तो बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर निर्गम के अलावा भी प्रतिभूति जारी और आवंटित करने दिया जाएगा।

d) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

- e) The directors so elected shall be deemed to have assumed office from 27th July, 2010.
- f) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

## 21. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank 2.00 p.m. on Saturday, the 17th July 2010.

## EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 3 OF THE NOTICE:

1. In November 2002, the Bank successfully completed its IPO and raised Rs. 385 crores by the issue of 11 crore equity shares of Rs. 10/- each at a premium of Rs. 2.50 per share, primarily to augment long term resources and maintain a capital adequacy ratio of around 12 percent.
2. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2010 is 13.43 %, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL II norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.
4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchange) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. यह संकल्प, सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, अधिमानी इश्यू और/या निजी प्लेसमेन्ट द्वारा ईविचटी शेयर/अधिमान शेयर/प्रतिभूतियाँ प्रदान करने, जारी करने एवं आवंटित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाएगा। इश्यू की आगम राशि से बैंक समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएगा।

6. यह संकल्प, आई सी डी आर विनियमावली में पारिभाषित अनुसार अर्ह संस्थागत खरीदारों के यहाँ अर्ह संस्थागत प्लेसमेन्ट करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार के अधीन शेयरधारकों से नये अनुमोदन प्राप्त किये बगैर बैंक के लिए निधियाँ जुटाने हेतु आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में निर्धारित तंत्र को भी अपना सकता है।

आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार क्यू आई पी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन "संबंद्ध तिथि" के पूर्ववर्ती दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेन्ज में कोट किये गये शहरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न औसत दरों से कम नहीं होने वाली दर पर किया जा सकता है।

"संबंद्ध तिथि" का अर्थ उस बैठक की तरीख से होगा जिसमें बैंक के बोर्ड या समिति क्यू आई पी निर्गम जारी करने का निर्णय लेती है।

7. अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") के साथ अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) सहित विभिन्न विकल्पों के तहत पूँजी जुटाने के लिए बैंक की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा का अनुमोदन प्राप्त किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे अर्ह संस्थागत नियोजकों (क्यूआईपी) के लिए संकल्पों की वैधता एक वर्ष तक सीमित रहेगी। चूँकि बैंक ने यह निर्गम पिछले वर्ष के दौरान जारी किया है, सामान्य बैठक का अनुमोदन दुबारा मांगा जाता है।

8. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को सलाहकार, लीड प्रबंधक और हामीदार एवं ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियमक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

9. चूँकि प्रस्ताव का मूल्यनिर्धारण बाद में कभी भी किया जा सकता है, जारी किये जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। किंतु वह, समय समय पर यथा सशोधित आई सी डी आर विनियमावली, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 अथवा अन्य किसी दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमति के प्रावधानों के अनुसार होगा जो लागू अथवा अपेक्षित हो।

5. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date"

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The approval of the General Body at the 7th Annual General Meeting of the bank for raising capital under various options including Qualified Institutional placement (QIPs) with Qualified Institutional Buyers (QIBs) was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such QIPs. Since Bank has not made the issue during last year the approval of the General Body is sought once again.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations/consents as may be applicable or required.

10. उक्त कारणों से, इश्यू की शर्तों को अंतिम सम्भाल के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं निर्णयाधिकार प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।
11. जारी किये गये ईकिवटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईकिवटी शेयरों के समतुल्य होंगे।

इसके लिए बैंक को विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करनी होती है। अतः उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में कथित अनुसार प्रस्तावों को पारित करने के लिए सिफारिश करता है।

बैंक में उनके शेयरधारण की हद के परे बैंक का कोई भी निदेशक उपर्युक्त प्रस्तावों में हित नहीं रखता।

#### **नोटिस की मद सं 4 के प्रति सूचित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्ताव्य:**

अधिनियम की धारा 3 (2बी), (सी) के प्रावधानों के परिणामस्वरूप बैंक ने नवम्बर 2002 के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जारी करके भारत सरकार के धारण को 73.17% तक कम कर दिया।


वर्ष 2004 के दौरान 4 शेयरधारक निदेशक चुने गये, उनमें से दो निदेशक अधिनियम के आशोधन के परिणामस्वरूप 19.02.2007 को कार्यनिवृत्त हुए। शेष दो निदेशक 08.06.2007 को अपना कार्यकाल समाप्त करके कार्यनिवृत्त हुए। तदनुसार, बैंक ने 26.07.2007 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान निदेशकों का चुनाव आयोजित किया और दो प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के खंड 66 के अनुसार कथित निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल 26.07.2010 तक है।

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुस्त बैंक ने बैंक के शेयरधारकों के 8वें वार्षिक सामान्य बैठक के अंश के सम्म में केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों के लिए चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया।

समझा जायेगा कि ऐसा निर्वाचित निदेशक ने 27 जुलाई 2010 को कार्यग्रहण कर लिया है और ऐसे कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक अधिकार में रहेगा।

समझा जाये कि वे चुनाव लड़गे तो बैंक के निदेशक उपर्युक्त कारोबारी मदों में हित रखेंगे।

निदेशक मंडल के आदेशों से



ए सी महाजन  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बैंगलूरु  
दिनांक : 03.06.2010

10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

#### **EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 4 OF THE NOTICE:**

Pursuant to the provisions of Section 3 (2B) (c ) of the Act , the Bank made an initial Public Offer (IPO) during November 2002, thereby reducing the Government of India holding to 73.17%.

Four Shareholder Directors were elected during the year 2004. Out of the 4 directors, 2 directors retired on 19.02.2007, consequent upon the Amendment to the Act. The remaining two directors retired on Completion of their term on 08.06.2007. Accordingly, the bank has conducted the election of Directors during the course of 5th Annual General Meeting held on 26 07 2007 and two candidates were declared elected. In terms of Clause 66 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000, the term of the said elected directors is upto 26.07.2010.

In line with Section 9 (3) (i) of the Act, the Bank has, as part of the Eighth Annual General Meeting of shareholders of the Bank, decided to conduct the election for two Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government.

A Director so elected shall be deemed to have assumed Office from 27th July, 2010 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business in case they contest the election.

By Order of the Board of Directors



A C MAHAJAN  
Chairman and Managing Director

## निदेशकों का निर्वाचन-संबंध अधिनियमों, योजना और विनियम आदि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुस्तु धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड़ (सी) के तहत जारी की गई पूँजी की व्याप्ति के आधार पर शेयरधारक निदेशकों को नियुक्त किया जाना है। बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 की संबंध धाराओं और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 की संबंध विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

### बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

#### सामान्य निदेशकों पर निषेध: धारा 16 (1)

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

### ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध

#### धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के विरुद्ध होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी -

क) अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी।

ख) निम्नों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी:

i) उनके किसी निदेशक

ii) कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में उसका कोई निदेशक हित रखता हो या

iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, या गारंटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या

iv) कोई व्यष्टि जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।

## ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and relevant regulations of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

### THE BANKING REGULATION ACT, 1949

#### Prohibition of Common Directors: Section 16 (1)

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

#### Restrictions on loans and advances:

#### Section 20:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall—

- a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
- b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
  - i) any of its directors
  - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
  - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
  - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor

2. जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूरे जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादे के अनुसरण में ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय अनुबद्ध अवधि के अंदर या ऐसी अवधि अनुबद्ध नहीं की गई है तो कथित धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे।

बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो कथित धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

बशर्ते और कि संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा बैंकिंग कंपनी के निदेशक के पद को रिक्त कर देता है तो यह उपधारा लागू नहीं होगी।

3. उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषित शून्य और निष्प्रभावी होगा।
4. किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति कथित अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने कथित तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

## स्पष्टीकरण - इस धारा में

क) “ऋण या अग्रिम” में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंद्ध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के स्वरूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.

Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

## Explanation – In this Section

- a) “**Loan or advance**” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.

ख) “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।

5. इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण होता है या अग्रिम इस बारे में कोई प्रश्न पूछता है तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित करना है उस पर जिनका निर्णय अंतिम होगा।

### बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970

#### मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध:

धारा 3 (2ई)- सिवाए केंद्र सरकार के नये बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धरे गये शेयरों के मामले में नये बैंक के सारे शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत के परे मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

#### निदेशक मंडल का गठन

धारा 9 (3)(i): जहाँ धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खंड (सी) में निर्गत पूँजी:

- (i) कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक न हो तो एक निदेशक।
- (ii) कुल प्रदत्त पूँजी के 16% से अधिक लेकिन 32% से अधिक न हो तो दो निदेशक।
- (iii) कुल प्रदत्त पूँजी के 32% से अधिक हो तो तीन निदेशकों को अपने में से सिवाए केंद्र सरकार के शेयरधारकों को चुना जाना है।

बशर्ते कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के सम संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

#### विश्वस्तता और गोपनीयता के सम में दायित्व:

धारा 13 (2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानिक बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी सूची में स्मायित पत्र में विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करें।

#### राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970

#### खंड 11: निदेशक का पद रिक्त करना आदि

i) कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अयोग्यता के दौर से गुजरता हो या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित

b) “Director” includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

### THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

#### Restriction on Voting Rights :

Section 3 (2E) – No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

#### Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

- (I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.
- (II) More than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid up capital, two Directors.
- (III) More than thirty two percent of the total paid-up capital, three Directors. to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

#### Obligation as a Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

### NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

#### Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

i) If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the

होता हो तो समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

- ii) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
- iii) उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोड़कर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।
- iv) निर्वाचित निदेशक से अन्य जहाँ निदेशक के पद में रिक्ती उद्भुत होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

### खंड 11 ए: निर्वाचित निदेशक को पद से हटा देना:

सिवाएं केंद्र सरकार के ऐसे शेयरधारकों द्वारा भरी गई शेयर पूँजी के एक/आधे से कम नहीं होने वाली शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ती को भरने के लिए उसके बदले में अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

### खंड 11 बी: निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ती को भरना:

1. निर्वाचित निदेशक के पद का कार्याकाल समाप्त हो जाने के पहले कोई रिक्त उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा: वशर्त कि रिक्ती अवधि छ महीनों से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाये।
2. जैसी भी स्थिति हो उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

### निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकट किया जाना:

**खंड 12(8):** राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

- ii) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government
- .iii) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- iv) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

### Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

### Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election; Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
2. A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

### Disclosure of Interest by Directors:

**Clause 12 (8):** A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement

हित रखने वाला निदेशक संबद्ध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होना अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन, या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

**बशर्ते कि वह:**

- (i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी की दो प्रतिशतता से अनधिक धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक से अन्य) या भारत में संप्रति प्रवर्तन में रही किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन, या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या प्रस्ताव करता हो।
- (ii) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो तो राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो तो ऐसे निदेशक पर ऐसे उपखंड में निहित कोई तथ्य लागू नहीं होगा।

## केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) अधिनियम, 2000

### अध्याय II

#### (शेयर व शेयर रजिस्टर)

##### 10. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

कोई शेयर एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध कोई और मामलों में एकल शेयरधारक है।

### अध्याय IV

#### शेयरधारकों की बैठक

##### 61. सामान्य बैठक में मतदान

- (i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा सामान्य बैठक के सामने प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

or proposal entered into or proposed to be entered by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- (i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act , 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

## CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000

### CHAPTER II

#### (SHARES AND SHARE REGISTER)

##### 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

### CHAPTER IV

#### MEETING OF SHAREHOLDERS

##### 61. Voting at General Meeting.

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.

- (iii) उप विनियम (1) के तहत मतदान अपेक्षित नहीं होता तो बैठक के अध्यक्ष के इस आशय की घोषणा कि हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प विशेष को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विस्तृद्व प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्रवाही का कार्यवृत्त रहने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।
- (iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित और बैंक में संकल्प पर मतदान का अधिकार देने वाले शेयरों जो संकल्प के संदर्भ में कुल मतदान अधिकार के पाँचवें हिस्से से कम न हों का धारण करने वाले किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से की गई माँग पर मतदान प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा।
- (v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी भी वापस ली जा सकती है।
- (vi) बैठक के आस्थगान या बैठक के अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर माँगा गया चुनाव तत्काल होगा।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये जाने के 48 घंटों के अन्दर होगा।
- (viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

## अध्याय V

### निदेशकों का निर्वाचन

- 63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक:**
- i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत सिवाए केंद्र सरकार के रजिस्टर पर रहने वाले शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।
  - ii) किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना निर्वाचित किये जाने वाले निदेशकों की संख्या और जिन रिक्तियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उनका ब्यौरा भी विनिर्दिष्ट करें।

(iii) Unless a poll is demanded under sub regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

## CHAPTER V

### ELECTION OF DIRECTORS

#### 63. Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

## 64. शेयरधारकों की सूची:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (1) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धरे गये शेयरों की संख्या और विशिष्ट संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी। और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी।

## 67. निर्वाचन संबंधी विवादः

- i) निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्ययी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और कि कथित सूचना में जिन बातों के आधारपर निर्वाचन की विधिमान्यता पर वह संदेह कर रहा है या विवाद खड़ा कर रहा है।
- ii) उप विनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यालय निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।
- iii) उप विनियम 2 में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछ- ताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव विधिमान्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को विधिमान्य नहीं महसूस करता है तो वह जाँच-पड़ताल के शुरूके 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगाने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।

## 64. List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

## 67. Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) इस विनियम के परिणामतः ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

## अध्याय VI

### शेयरधारकों के मतदान अधिकार

#### 68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

- i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के स्थान में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धरे गये प्रत्येक शेयर के लिए एकमत होगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिशः या प्रौक्षी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रौक्षी द्वारा उपस्थित हो को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धरे गये प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। जैसे उपर्युक्त उपविनियम (1) में बताया गया है

**स्पष्टीकरण-इस अध्याय के लिए "कंपनी" का अर्थ किसी भी नैगम निकाय से है।**

- iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रौक्षी के स्थान में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रौक्षी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

#### 69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- i) केंद्र सरकार या कंपनी होने वाला शेयरधारक जैसी भी स्थिति हो प्रस्ताव द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के स्थान में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया)। केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों का उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यष्टि शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।

- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

## CHAPTER VI

### VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

#### 68. Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

**Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.**

- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

#### 69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a ‘duly authorized representative’ in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

ii) कोई भी व्यक्ति उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के स्वरूप में विधिवत नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रति पर जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अध्यक्ष द्वारा उसके सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत तारीख के सात दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा या मत देगा।

## 70. प्रॉक्सी:

- i) व्यष्टी शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक के स्वरूप में नाम लिखे गये शेयरधारक या उसके विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो कोई भी प्रॉक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा।  
बशर्ते कि कोई प्रौक्षी पत्र किसी शेयरधारक, जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त हस्ताक्षरित होगा, यदि उसका चिन्ह उस पर अकित होकर किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, एश्युरेन्स के रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता हो।
- ii) विधिवत स्टैम्प होकर उसकी प्रति बैठक के लिए नियत तारीख से चार दिन पहले ऐसा मुख्तार नामा या अन्य प्राधिकार पहले ही केनरा बैंक में जमा और पंजीकृत नहीं किया गया है तो जिसे के तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं उस मुख्तार नामे या प्राधिकार की प्रति जिसे सत्य प्रतिलिपि होने के आशय से नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया हो के साथ केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो कोई भी प्रौक्सी विधिमान्य नहीं होगी।
- iii) फॉर्म 'बी' में न हो तो कोई भी प्रौक्सी पत्र विधिमान्य नहीं होगा।
- iv) केनरा बैंक में जमा किया गया प्रौक्सी पत्र वापस नहीं होगा और अंतिम होगा।
- v) विकल्प: दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किया गया है तो एक से अधिक पत्र निषादित नहीं होंगे।
- vi) इस विनियम के तहत प्रौक्सी पत्र देने वाला वह पत्र जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिशः मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

## 70. Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing:

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Canara Bank.
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Canara Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

vii) केनरा बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

**भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी सं 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवम्बर 2007:**

भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नवत अधिसूचित किया है:

इसके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा योग्य और उचित हैसियत नहीं दी जाती तो कोई भी नामांकन विधिमान्य नहीं होगा। नामंकनों के साथ शिक्षा योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता क्षेत्र और प्रत्याशियों की विश्वसनीयता के मामले में योग्य और उचित हैसियत निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को समर्थ बनाने के लिए प्रत्याशियों के बारे में अतिरिक्त सूचना होनी चाहिए। किसी प्राधिकार या नियंत्रक एजेंसी के प्रतीप अवलोकन या किसी बैंक या वित्त संस्था के ऋण की चूक या दिवालिया संबंधित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के सम्म में चुने जाने के लिए अयोग्य और अनुचित बनायेगा।

vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

**Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08, dated 01st November, 2007 :**

The Reserve Bank of India has notified as under :

No nomination shall be valid unless "Fit and Proper" status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.

## प्रगति की एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि रु करोड़ों में / Amount in Rs. Crore)

	2007-08	2008-09	2009-10
<b>शाखाओं की संख्या / Number of Branches</b>	2678	2733	3046
चुक्ता पूँजी / Paid-up Capital	410	410	410
आरक्षितीयाँ / Reserves	10091	11798	14262
<b>कुल जमा / Aggregate Deposits</b>	154072	186893	234651
वृद्धि (%) / Growth (%)	8.21	21.30	25.55
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	12874	14043	13567
विदेश कारोबार पण्यावर्त / Foreign Business Turnover	136757	142301	127614
<b>अग्रिम (निवल) / Advances (Net)</b>	107238	138219	169335
वृद्धि (%) / Growth (%)	8.86	28.89	22.51
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	17665	19798	23902
वृद्धि (%) / Growth (%)	1.03	12.07	20.73
<b>प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances</b>	43203	48763	59310
वृद्धि (%) / Growth (%)	14.16	12.87	21.63
कृषि / Agriculture	17996	20144	25051
वृद्धि (%) / Growth (%)	15.95	11.94	24.36
कृषि (संवितरण) / Agriculture(Disbursal)	11443	14704	18130
<b>सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम / Micro, Small and Medium Enterprises</b>	18600	23823	31074
वृद्धि (%) / Growth (%)	30.57	28.08	30.44
डीआरआई योजन के अधीन अग्रिम / Advances under DRI Scheme	40	48	50
अजा/अजजा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	2055	2863	3905
स्वयं सहायता समूह (सं) / Self Help Group (Nos.)	210441	275100	320000
<b>निर्यात साख / Export Credit</b>	9162	8967	8966
<b>ग्राहकर्व (मिलियन में) / Clientele (In Million)</b>	32.35	34.80	37.34
कुल कर्मचारी / Total Number of Staff	45260	44090	43380
कुल आय / Total Income	16414	19430	21610
कुल व्यय / Total Expenditure	13454	15467	16549
परिचालन लाभ / Operating Profit	2959	3964	5061
<b>निवल लाभ / Net Profit</b>	1565	2072	3021
<b>मुख्य कार्यनिष्ठादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)</b>			
पूँजी- पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	13.25	14.10	13.43
प्रति शेयर अर्जन (रु) / Earnings Per Share (Rs.)	38.17	50.55	73.69
बही मूल्य (रु) / Book Value (Rs.)	202.33	244.87	305.83
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ रु) / Business Per Employee (Rs. Crore)	6.10	7.80	9.83
प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रु) / Profit Per Employee (Rs. Lakh)	3.65	4.97	7.36
औसत आस्तियाँ पर प्रतिलाभ / Return on Average Assets	0.92	1.06	1.30
लागत-आय अनुपात / Cost-Income Ratio	48.54	43.61	40.73
सकल एन पी ए अनुपात / Gross NPA Ratio	1.18	1.56	1.52
निवल एन पी ए अनुपात / Net NPA Ratio	0.84	1.09	1.06
साख-निक्षेप अनुपात / Credit - Deposits Ratio	69.60	73.96	72.16
समंजित निवल बैंक साख को प्राथमिकता साख / Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	44.15	46.02	43.92



निदेशकों की रिपोर्ट  
2009-2010  
**DIRECTORS' REPORT**

## निदेशकों की रिपोर्ट: 2009-10

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 41वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

## प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

### I. वित्तीय परिवेश

वैश्विक आर्थिक संकट तथा उसके बाद आयी आर्थिक मंदी के पश्चात् वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2009-10, सुधार व प्रगति की राह पर फिर से अग्रसर होने का वर्ष था। वैश्विक दृष्टिकोण में पर्याप्त सुधार दर्ज होते हुए वैश्विक प्रगति पूर्वानुमान के मुकाबले बेहतर रही। उभरती अर्थव्यवस्थाओं जिनको देशी वृद्धिपरक कारकों से काफी अधिक बढ़ावा मिला है, ने वैश्विक सुधार को बढ़ावा देना जारी रखा है।

अपनी देशी माँग व स्वास्थ्यकर वित्तीय क्षेत्र की वजह से भारत वैश्विक संकट से उभरने वाले सर्वप्रथम देशों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2010 की प्रथम तीन तिमाहियों में जीडीपी में 6.7% की औसतन वृद्धि रही और इस बात की अपेक्षा है कि मजबूत वृद्धि की गति चौथी तिमाही में भी जारी रहे। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वित्तीय वर्ष की 6.7% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2009-10 में 7.2% की वृद्धि दर्ज होने की प्रत्याशा है। कृषि क्षेत्र में 0.2% की कमी और सेवा क्षेत्र में सामान्य वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है।

भारत के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) ने एक वर्ष पूर्व दर्ज 2.8% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 10.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र में जारी मजबूत वृद्धि जो भारत के औद्योगिक उत्पादन के करीब 80% है, देशी माँग के लचीलेपन को दर्शाती है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए प्राथमिक चिंता का विषय रही। एक वर्ष पूर्व की 1.2% वृद्धि की तुलना में मार्च 2010 में मासिक थोक मूल्य मुद्रास्फीति में 9.9% की पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई जिसका कारण मूल वस्तुओं विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि रहा।

भारत के निर्यात जो अक्टूबर 2009 तक कम होते नज़र आये, आखिरकार नवंबर 2009 में सकारात्मक बने और यह प्रवृत्ति लगातार पाँचवें महीने के लिए जारी रही। वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआईवएस) द्वारा जारी अनंतिम डाटा के अनुसार, अप्रैल-मार्च 2009-10 के दौरान भारत के पण्य-निर्यात वृद्धि दर्ज होते हुए 177 बिलियन अमरीकी डालर तक

## DIRECTORS' REPORT: 2009-10

The Board of Directors have pleasure in presenting the 41st Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2010 and Profit and Loss Account for the financial year ended March 31, 2010.

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### I. ECONOMIC ENVIRONMENT

2009-10 was a year of recuperation and recovery for the global economy post global financial crisis and the economic recession that followed. The global outlook improved significantly and global recovery has progressed better than previously anticipated. The emerging economies, which are increasingly driven by domestic growth factors, continue to drive global recovery.

India was one of the first countries to recover from the global crisis on account of its strong domestic demand and healthy financial sector. Growth in GDP averaged 6.7% in the first three quarters of FY10 and it is expected that the strong growth momentum will continue in the fourth quarter as well. As per the advance estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), the Indian economy is expected to grow by 7.2% in 2009-10 vis-à-vis a 6.7% growth in the previous fiscal. Agriculture sector is estimated to contract by 0.2% and services to record a moderate growth.

India's industrial production (IIP) registered an impressive 10.4% growth for the financial year 2009-10 as against a growth of 2.8% a year ago. The continued strong growth in manufacturing, which accounts for nearly 80% of India's industrial production, indicates the resilience of domestic demand.

During 2009-10, the primary concern among the policy makers was inflation. Monthly wholesale price inflation rose significantly to 9.9% in March 2010, primarily due to rising prices of primary articles, especially food items as against an increase of 1.2% a year ago.

India's exports, which had been contracting upto October 2009, have finally turned positive in November 2009 and the uptrend has been continuing for the fifth consecutive month. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S),

पहुँचे जिसके फलस्वरूप 4.7% की प्रतिकूल वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल-मार्च 2009-10 के दौरान आयातों का संचित मूल्य बढ़कर 279 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचा जिसके कारण 8.2% की कमी दर्ज हुई। अप्रैल-मार्च 2009-10 के लिए व्यापारिक कमी 102 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित की गई जो अप्रैल-मार्च 2008-09 के दौरान अनुमानित 118 बिलियन अमरीकी डॉलर की व्यापारिक कमी से कम है।

भारत में वित्तीय बाजार सुव्यवस्थित बना रहा और अर्थव्यवस्था में ठोस सुधार दर्ज करने की समग्र प्रत्याशाओं को प्रतिबिंधित किया।

आर्थिक सुधार के संबंध में गंभीर चिंता व दुबई संकट से संबंधित अनिश्चितता के चलते यद्यपि स्टॉक बाजार अस्थिर बना रहा, तथापि वृद्धि को कायम रखने में सफल रहा। सेबी द्वारा किये गये नये संशोधनों के बाजार संबंधी विकास के पक्ष में होने के नाते बाजार को सक्रिय बने रहने में मदद मिली। निम्नतर कार्पोरेट उपार्जन और बढ़ती मुद्रास्फिति संबंधी आकड़े, निवेशकों के आशावाद के प्रति प्रमुख जोखिम हैं। आगे, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, निरंतर उच्चतर पूँजी प्रवाह, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में ठोस वृद्धि और आर्थिक वृद्धि में प्रत्याशित शीघ्र सुधार की घोषणा के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में तेज वित्तीय बाजार सुनिश्चित होगा।

विदेशी मुद्रा बाजार में, प्राथमिकतया उच्चतर पूँजी प्रवाहों के सहारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के प्रति खाये के मूल्य में वृद्धि दर्ज हुई। विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में पूँजी के ठोस प्रवाह लाने के फलस्वरूप खाये पर ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ेगा।

## कर्नाटक में आर्थिक परिवेश

कर्नाटक भारत में सर्वाधिक विकासशील राज्यों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सूचना व जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए विख्यात यह राज्य विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों, प्रख्यात अनुसंधान व विकासशील संस्थाओं व कुशल मानवशक्ति का केन्द्र है। कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार, वर्ष 2009-10 के दौरान, अनुमान लगाया गया है कि सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) में वास्तविक वृद्धि करीब 5.5% होगी। केनरा बैंक का उद्गम कर्नाटक राज्य में होने के नाते उसने इस राज्य में अपना नेतृत्व स्थान बनाये रखा। बैंक, राज्य में आपनी 600 से भी अधिक शाखाओं के जरिए पर्याप्त संख्या में लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख भूमिका अदा करता आ रहा है। यथा मार्च 2010 को बैंक के कुल कारोबार में राज्य का हिस्सा 16% से भी अधिक है। यथा मार्च 2010 को राज्य में बैंक का कुल कारोबार रु. 63412 करोड़ रहा जिसमें जमाराशियाँ रु. 35732 करोड़ रहीं और अग्रिम रु. 27680 करोड़ रहा।

during April-March 2009-10 merchandise exports of India aggregated to US \$177 billion, recording a negative growth of 4.7%. Cumulative value of imports during April-March 2009-10 amounted to US\$279 billion, registering a decline of 8.2%. The trade deficit for April-March 2009-10 was estimated at US \$ 102 billion, lower than the deficit of US \$ 118 billion during April-March 2008-09.

Financial markets in India remained orderly and reflected the overall expectations of stronger recovery in the economy.

The stock market, though volatile, amid the concerns regarding economic recovery and the Dubai Crisis related uncertainty, managed to sustain growth. The new amendments from SEBI in favour of market developments helped to keep the market active. The lower corporate earnings and increasing inflation figures are the major risks to investors' optimism. Going forward, the announcement to take forward the financial sector reforms, continuous higher capital inflows, robust growth in the index of industrial production and expected fast recovery in economic growth will ensure buoyant financial markets in FY11.

In the foreign exchange market, the rupee appreciated against major international currencies primarily backed by higher capital inflows. The strong flow of capital to Indian markets, particularly from foreign institutional investors, would put upward pressure on the rupee.

## Economic Environment in Karnataka

Karnataka is one of the fastest growing States in India. Widely acclaimed for its internationally reputed Information and Bio-technology companies, the State is home to varied industrial activities, leading research and development institutions and a pool of skilled manpower. As per the Economic Survey of Karnataka 2009-10, the real growth in Gross State Domestic Product (GSDP) is anticipated to be around 5.5% during 2009-10. Canara Bank, owing its origin to the State, is continuing its leadership position in the State. The Bank has been playing a leading role in extending financial services to large number of people through its over 600 branches spread across the State. The State contributes over 16% of total domestic business of the Bank as at March 2010. The total business of the Bank in the State stood at Rs. 63412 crore comprising Rs. 35732 crore under deposits and Rs. 27680 crore under advances as at March 2010.

## II. मौद्रिक व बैंकिंग विकास

वर्ष 2009-10 में प्रमुख मौद्रिक समग्रों और नकद आपूर्ति में हुई वृद्धि ने देशी व वैश्विक वित्तीय परिवेश व मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होनेवाली परिवर्तनशील नकदी परिस्थितियों को प्रतिविवित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी नीति संबंधी पहल पर्याप्त नकदी मुहैया कराने और बाजार परिवेश को कायम रखने की ओर लक्षित थीं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को नकद प्रवाह जारी रखने के लिए अनुकूल है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, मौद्रिक व ऋण समग्रों में वृद्धि व्यापक तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूर्वानुमानों के अनुरूप रही। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में मुद्रा आपूर्ति (एम3) की वृद्धि 20% से घटकर मार्च 2010 तक 16.7% रही जो भारतीय रिजर्व बैंक के 16.5% के सांकेतिक पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। वर्ष 2008-09 में दर्ज 19.9% की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 17% की वृद्धि दर्ज हुई। बैंक ऋण में एक वर्ष पूर्व के 17.5% की तुलना में यथा 26 मार्च, 2010 को वर्षानुवर्ष वृद्धि 16.7% रही। खाद्यतर ऋण में वृद्धि 16%. के सांकेतिक पूर्वानुमान से अधिक रही।

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में बैंकिंग क्षेत्र स्वरथ, लचीला, लाभप्रद बना रहा और उसका निष्पादन अच्छा रहा। बाजार हिस्से को अर्जित करने व अधिक लाभ दर्ज करने के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन निजी क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित नीति संबंधी उपायों की घोषणा की गयी :

- अप्रैल 2009 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की निवल मांग व सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के तीन चरणों में सीआरआर को 100 आधार अंकों से बढ़ाया है और पुनःखरीद दर व विपरीत पुनःखरीद दर प्रत्येक को दो चरणों में 50 आधार अंकों से बढ़ाया है।
- 7 नवंबर, 2009 से प्रारंभ होनेवाले पक्ष से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सावधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) को उनके एनडीटीएल के 25% तक बढ़ाया गया है।
- 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को दिये जानेवाले अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा को 0.4% से बढ़ाकर 1%. कर दिया गया है।
- अवसंरचनात्मक क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से बैंक के अप्रतिभूत अवसंरचनात्मक ऋण जोखिम को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है वे अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रति विशिष्ट प्रावधान व अस्थायी प्रावधान शामिल प्रावधानीकरण अनुग्रह राशियों को बढ़ायें ताकि अस्थायी प्रावधान सहित उनके कुल प्रावधानीकरण प्रावरण का अनुपात सितंबर 2010 तक बढ़कर 70% तक पहुँच जाये।

## II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Growth in key monetary aggregates and money supply in 2009-10 reflected the changing liquidity conditions arising from domestic and global financial environment and the monetary policy response. Policy initiatives by the RBI were aimed at providing ample liquidity and maintaining a market environment conducive for the continued flow of credit to productive sectors of the economy.

Growth in monetary and credit aggregates during 2009-10 remained broadly in line with the projections set out by the RBI. Money supply (M3) growth decelerated from over 20% at the beginning of the financial year to 16.7% by March 2010, slightly above the Reserve Bank's indicative projection of 16.5%. Aggregate deposits of scheduled commercial banks increased by 17% during 2009-10 as against 19.9% recorded in 2008-09. The growth in bank credit was 16.7% y-o-y, as on March 26, 2010 compared to 17.5% a year ago. Non-food credit growth was above the indicative projection of 16%.

The banking sector in India remains healthy, resilient, profitable and performed well during 2009-10. Public sector banks have performed relatively better than their private sector counterparts in terms of gaining ground in market share and reporting strong bottom-lines.

The year 2009-10 saw the following key policy measures announced by the RBI:

- Since April 2009, RBI has increased the CRR by 100 basis points in three phases of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) of banks and also raised the repo rate and reverse repo rate by 50 basis points each in two phases.
- The statutory liquidity ratio (SLR) for scheduled commercial banks has been increased to 25% of their NDTL from the fortnight beginning November 7, 2009.
- The provisioning requirement for advances to the commercial real estate sector classified as 'standard assets' increased from 0.4% to 1%.
- In order to meet the increasing financing needs of the infrastructure sector, the provisioning requirement for banks' unsecured infrastructure exposures has been reduced from 20% to 15%.
- RBI advised banks to augment their provisioning cushions consisting of specific provisions against Non Performing Assets (NPAs) as well as floating provisions, so that their total provisioning coverage ratio, including floating provisions, reaches 70% by September 2010.

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उनके निवेशों को अवसंरचनात्मक क्रियाकलापों में लगी कंपनियों द्वारा 'परिपक्वता अवधि' (एचटीएम) तक धारित' श्रेणी के तहत सात वर्षों की 'न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि' के लिए जारी गैर-एसएलआर बैंडों में वर्गीकृत करने की अनुमति दी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति को उदारीकृत किया है।
- वित्तीय बाजारों को व्यापक स्तर प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों से युक्त 5 वर्ष तथा 2 वर्ष वाले आनुमानिक कूपन और तत्काल अमरीकी डालर/स्प्रिंग विनिमय दर पर विनिमय व्यापारिक मुद्रा विकल्पों के आधार पर व्याज दर भावी सौदे (आईएआरएफ) की शुरूआत की।
- 1 अप्रैल, 2010 से बैंकों ने दैनिक आधार पर बचत बैंक जमाराशियों पर व्याज परिवर्तित करना शुरू किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निदेश दिया है कि वे 1 जुलाई, 2010 से मौजूदा बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) के स्थान पर आधार दर की नयी पद्धति में परिवर्तित हों।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग (आईएफआरएस) अभिमुखित भारतीय लेखा मानक (आईएस) का अनुपालन करते हुए यथा 1 अप्रैल 2013 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अपना प्रारंभिक तुलनपत्र परिवर्तित किये जायेंगे।

## वर्ष 2010-11 के लिए दृष्टिकोण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएम) ने अपने वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक, अप्रैल 2010 के अंक में अनुमान लगाया कि वर्ष 2009 में आयी 0.6% की कमी के मुकाबले 2010 में अर्थिक वृद्धि 4.2% होगी। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएम) ने अनुमान लगाया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएँ 2010 के बीच तक वैश्विक मंदी से बाहर नहीं आ पायेंगे और देशी वृद्धिपरक कारकों से अधिक समर्थन प्राप्त उभरती अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक सुधार को बढ़ावा मिलता रहेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 की शुरूआत सकारात्मक रही जहां प्रमुख स्थूल आर्थिक मानदंडों के तहत निष्पादन संतोषजनक रहा। औद्योगिक वृद्धि और निर्यात स्थिर वृद्धि दर्शाते आये हैं और विनिर्माण के क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देशी मांग में लचीलेपन को दर्शाती है। ठोस बचत व निवेश दर, अनुकूल पूँजी बाजार की स्थिति और वर्धित पूँजी प्रवाह और सकारात्मक कारोबार दृष्टिकोण के फलस्वरूप त्वरित गति से अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान संभव हो पायेगा। आगे, मजबूत देशी मांग और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि से त्वरित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी। समाहित वृद्धि पर जोर देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने के ज़रिए अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आनेवाले दिनों में और भी तेज़ गति मिलेगी।

- RBI allowed banks to classify their investments in non-SLR bonds issued by companies engaged in infrastructure activities and having a minimum residual maturity of seven years under the held to maturity (HTM) category.
- RBI liberalized the extant branch authorisation policy for domestic scheduled commercial banks, other than RRBs.
- In order to broaden the financial markets, RBI introduced Interest Rate Futures (IRF) based on the 5-year and 2-year notional coupon bearing Government Securities, and Exchange traded currency options on spot US Dollar / Rupee exchange rate.
- Banks are moving to calculation of interest on Savings Bank deposits on a daily product basis from April 1, 2010.
- The Reserve Bank has directed scheduled commercial banks to switch over to the new system of base rate in place of the existing benchmark prime lending rate (BPLR) system from July 1, 2010.
- All scheduled commercial banks will convert their opening balance sheet as at April 1, 2013 in compliance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs) converged Indian Accounting Standards (IASs).

## OUTLOOK FOR 2010-11

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook, April 2010 raised its forecast for world economic growth in 2010 to 4.2% as against a 0.6% contraction in 2009. However, IMF forecasted that advanced economies would not exit the global recession until the middle of 2010 and emerging economies, which are increasingly driven by domestic growth factors will continue to drive global recovery.

Financial year 2010-11 started on a positive note for Indian economy with major macro economic parameters performing well. Industrial growth and exports have been showing steady increase and the continued strong growth in manufacturing indicates the resilience of domestic demand. A strong saving and investment rate, favourable capital market conditions and improved capital flows and positive business outlook will also help the economy towards a faster revival. Going forward, the strong domestic demand and sustained increase in per capita income will ensure faster economic growth. Thrust on inclusive growth and focus on the rural economy would propel the growth engine of the economy further.

कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन में अपेक्षित सुधार दर्ज होने, उच्चतर नियर्यातों की माँग और वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के फलस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सर्वाधिक वृद्धि हासिल करनेवाली अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण 2010-11 में वर्ष 2010-11 के लिए ऊर्ध्वमुखी रख के साथ वार्षिक जीडीपी की वृद्धि 8% पर दर्शाई है। भारतीय रिजर्व बैंक विकास व मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से मुद्रा आपूर्ति (एम3) को 17% के कारोबार से रखने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित अनुसार, जहाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) की कुल जमाराशियों के 18% की दर से बढ़ने का पूर्वानुमान है, वर्ष 2010-11 के दौरान, समायोजित खाद्येतर ऋणों में 20% की वृद्धि दर्ज होने का पूर्वानुमान है। वार्षिक नीति में 3% मध्यावधि लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति का स्तर 5.5% तक नियंत्रित करने का भी प्रयास किया जायेगा।

### III. केनरा बैंक 2009-10 में

#### वित्तीय निष्पादन

केनरा बैंक ने 2009-10 के दौरान तीन मील पथर पार किए। प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की। पहला, उसके कुल कारोबार ने 24.3% महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करते हुए 400000 करोड़ रु को पार कर दिया। दूसरा, निवल लाभ 3021 करोड़ रु तक पहुँचकर 3000 करोड़ रु. पार कर गया जो 45.8% ज्यादा है। तीसरा, वर्ष के दौरान 314 शाखाओं के जुड़ जाने से शाखा तंत्र 3000 अंक पार करके 3046 तक पहुँच गया।

केनरा बैंक के लिए 2009-10 उपलब्धियाँ हासिल करने व मील पथर पार करने का वर्ष रहा। कारोबार के मोर्चे पर निष्पादन बेहतरीन रहा जहाँ लाभ व लाभप्रदता दोनों में से भूतपूर्व मुनाफा अर्जित हुआ। मूल कारोबार परिचालनों में जारी उछाल और लागत नियंत्रण के फलस्वरूप बैंक को कारोबार अर्जित करने के साथ-साथ बेहतर लाभ कायम रख पाने में भी सहायता मिली।

निवल लाभ ने हर समय से उच्च स्तर प्राप्त किया जो रु. 3021 करोड़ है, जो वर्षानुवर्ष विकास में 45.8% है और यह उपलब्धि पिछले वर्ष की उपलब्धि रु. 2072 करोड़ से पर्याप्तः अधिक है। परिचालन लाभ ने 27.7% का विकास दर्ज किया है जो रु. 5061 करोड़ स्तर तक पहुँच गया है।

इस वर्ष के लिए औसत परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ 1.30% रहा जो अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्क 1% से भी अधिक है। आय लागत अनुपात 288 आधार अंक से घटकर रु. 40.73% हो गया। प्रति कर्मचारी लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 4.97 लाख की तुलना में रु. 7.36 तक बढ़ा।


Indian economy will remain one of the fastest growing economies in the world in view of the expected recovery in agricultural production, industrial output, demand for higher exports and the revival of global economy. The RBI in its Annual Monetary Policy Statement for 2010-11 placed real GDP growth for 2010-11 at 8%, with an upward bias. The RBI envisages containing money supply (M3) at around 17% in consonance with the outlook on growth and inflation. While aggregate deposits of SCBs are projected to grow at 18%, adjusted non-food credit is likely to record a growth of 20% during 2010-11, as indicated by the RBI. The annual policy also endeavors to contain inflation at a benign level of 5.5%, with a medium term goal of 3%.

### III. CANARA BANK IN 2009-10

#### FINANCIAL PERFORMANCE

Canara Bank crossed three major milestones during 2009-10. First, its total business crossed the Rs.400000 crore mark, signifying a growth of 24.3%. Second, Net profit crossed Rs.3000 crore to reach Rs.3021 crore, up by 45.8%. Third, the Bank's branch network crossed the 3000 mark to reach 3046, with an addition of 314 branches during the year.

For Canara Bank, 2009-10 was a year of reckoning and crossing of milestones. It was a year of robust performance on the business front coupled with unprecedented gains in profits and profitability. Continued buoyancy in core business operations and costs containment helped the Bank to sustain and enhance the topline earnings while maintaining a stronger bottomline.



Net profit reached an all time high of Rs. 3021 crore, signifying a strong 45.8% growth y-o-y and substantially higher than Rs. 2072 crore recorded during the preceding year. Operating profit recorded a 27.7% growth to reach a level of Rs. 5061 crore.

Return on average assets (RoAA) for the year stood at 1.30%, well above the international benchmark of 1%. Cost to Income ratio declined by 288 basis points to 40.73%. Profit per employee, moved up to Rs.7.36 lakh compared to Rs.4.97 lakh in the previous financial year.

## 2009-10 के लिए 100% लाभांश

### शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि:

शेयरधारकों के लिए मूल्य वर्धन करने की प्रतिबद्धता की पुस्ति में बैंक ने प्रति शेयर अर्जन में तथा वही मूल्य में स्थिर वृद्धि दर्शाई है। जहाँ वही मूल्य यथा मार्च 2010 को रु. 305.83 तक बढ़ा जो पिछले वर्ष रु. 244.87 रहा, प्रति शेयर अर्जन एक वर्ष से पहले के रु. 50.55 की तुलना में मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 73.69 बढ़ा है। वर्ष 2009-10 के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा 100% लाभांश जो रु. 410 करोड़ है प्रदान करने हेतु सिफारिश की गई है।



## Dividend of 100% for 2009-10

### Enhancing Shareholder Value:

In conformity with its commitment to enhance value for shareholders, the Bank showed steady improvement in Earnings Per Share (EPS) and Book Value. While Book Value increased to Rs.305.83 as at March 2010 as compared to Rs.244.87 for the previous financial, EPS rose to Rs.73.69 for the year ended March 2010 compared to Rs.50.55 a year ago. A dividend of 100%, amounting to Rs.410 crore, was recommended by the Board of Directors of the Bank for 2009-10.

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2009	मार्च 2010
निधि लागत	6.32	5.65
निधि से प्रतिफल	8.72	8.10
जमाराशियों की लागत	6.87	6.12
अग्रिम का प्रतिफल	10.79	9.81
निवेश का प्रतिफल	7.94	7.52
औसत कार्य निधि के लिए स्प्रेड % के रूप में (एडब्ल्यूएफ)	2.40	2.45
निवलब्याज मार्जिन	2.78	2.80
औसत कार्य निधि के लिए परिचालन व्यय	1.56	1.50
औसत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आर ओओए)	1.06	1.30
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	22.61	26.76
प्रति कर्मचारी कारोबार (रुकरोड़ों में)	7.80	9.83
प्रति कर्मचारी लाभ (रुलाखों में)	4.97	7.36
बही मूल्य (रु)	244.87	305.83
प्रति शेयर अर्जन (रु)	50.55	73.69

ए एडब्ल्यूएफ - औसत कार्यशील निधि

Key Financial Ratios (%)	March 2009	March 2010
Cost of Funds	6.32	5.65
Yield on Funds	8.72	8.10
Cost of Deposits	6.87	6.12
Yield on Advances	10.79	9.81
Yield on Investments	7.94	7.52
Spread as a % to AWF	2.40	2.45
Net Interest Margin (NIM)	2.78	2.80
Operating Expenses to AWF	1.56	1.50
Return on Avg. Assets (RoAA)	1.06	1.30
Return on Avg. Networth	22.61	26.76
Business per Employee (Rs. in Crore)	7.80	9.83
Profit per Employee (Rs. in Lakh)	4.97	7.36
Book Value (Rs.)	244.87	305.83
Earnings Per Share (Rs.)	50.55	73.69

AWF - Average Working Funds

## आय - व्यय विश्लेषण

बैंक की ब्याज आय पिछले वित्तीय वर्ष के रु 17119 करोड़ की तुलना में वर्षान्वर्ष 9.5% वृद्धि करते हुए रु. 18752 करोड़ की वृद्धि दर्ज। व्याजेतर आय ने रु. 2858 करोड़ से 23.7% बढ़ते हुए महत्तर वृद्धि दर्ज किया है।


कम लागत जमाराशियों के संग्रहण पर निरंतर ध्यान और उच्च लागत अधिमान्यता दर जमाराशियों को बलात रोकने से मार्च 2009 के 6.87% स्तर से जमा लागत को 6.12% तक कम करने में मदद मिली। अग्रिमों पर प्रतिफल मार्च 2009 के 10.79% से 98 बेसिस पाइंट यानि 9.81% कम हुआ है। ब्याज स्प्रेड 2.40% से यथा मार्च 2009 को 2.45% बढ़ा।

जहाँ ब्याज व्यय छोटे पैमाने पर रु. 13071 करोड़ बढ़ा है, बैंक ने अपनी व्याजेतर आय को 13.5% तक रोके रखा है। यह ध्यान देने की बात है कि बैंक की निवल ब्याज आय में 20.4% अच्छी वृद्धि हुई है जो 5681 करोड़ तक पहुँची और निवल ब्याज मार्जिन (निम) यथा मार्च 2009 की 2.78% की तुलना में 2.80% वृद्धि हुई है।


## पूँजी तथा आरक्षितियाँ

यथा मार्च 2009 की निवल मालियत रु. 10040 करोड़ की तुलना में यथा मार्च 2010 की निवल मालियत रु. 12949 करोड़ बनी है। प्रदत्त पूँजी रु. 410 करोड़ के साथ आरक्षितियाँ और अधिशेष रु. 14262 करोड़ बढ़े हैं। पूँजी स्रोतों को जुटाने के लिए बैंक ने नवोन्मेषी शशवत टायर। बाँड़ों के जरिए वर्ष के दौरान रु. 600 करोड़ जुटाये।

### Composition of Income (2009-10)



### Composition of Expenditure (2009-10)



## Income and Expenditure Analysis

The Bank's interest income recorded a y-o-y growth of 9.5% to reach Rs.18752 crore compared to Rs.17119 crore recorded during the previous financial year. Non-interest income increased to Rs. 2858 crore, recording a robust growth of 23.7%.

Concerted focus on mobilization of low cost deposits and strong resistance to high cost preferential rate deposits helped the Bank to reduce the cost of deposits to 6.12% from March 2009 level of 6.87%. Yield on advances decreased by 98 basis points to 9.81% as against 10.79% in March 2009 due to low interest rates. Interest spread increased to 2.45% from 2.40% as at March 2009.

While interest expenditure marginally increased to Rs.13071 crore, the Bank reasonably contained its rise in non-interest expenditure at 13.5%. Notably, the net interest income of the Bank registered a good 20.4% growth to reach Rs. 5681 crore and Net Interest Margin (NIM) improved to 2.80% compared to 2.78% as at March 2009.

## Capital and Reserves

Networth of the Bank, as at March 2010, stood at Rs.12949 crore compared to Rs.10040 crore as at March 2009. With the paid-up capital at Rs.410 crore, reserves and surplus increased to Rs.14262 crore. To augment the capital resources, the Bank raised Rs. 600 crore through the Innovative Perpetual Tier I Bonds during the year.

(Amt. in Rs. Crore)

पूँजी का सम्पत्ति	मार्च 2009 बेसल II	मार्च 2010 बेसल II
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	125111	150623
टायर। पूँजी	10023	12870
सीआरएआर (%) (टायर।)	8.01	8.54
टायर॥ पूँजी	7623	7362
सी आर ए आर % (टायर    )	6.09	4.89
कुल पूँजी	17646	20232
सीआरएआर (%)	14.10	13.43

Composition of Capital	March 2009 Basle II	March 2010 Basle II
Risk Weighted Assets	125111	150623
Tier I Capital	10023	12870
CRAR %(Tier I)	8.01	8.54
Tier II Capital	7623	7362
CRAR %(Tier II)	6.09	4.89
Total Capital	17646	20232
CRAR (%)	14.10	13.43

यथा मार्च 2010 को बैंक का पूँजी से जोखिम भरित परिसंपत्तियों का अनुपात (सी आर ए आर) बेसल II के तहत 13.43% रहा, जो नियामक मानक के 9% से अधिक रहा प्रमुख रूप से, बैंक ने टायर। पूँजी अनुपात 8.54% हासिल किया है। बैंक का मध्यम आवधि उद्देश्य सी आर ए आर अनुपात को 12% रखना है भारत सरकार का शेयर धारण जो अभी भी 73.17% है बैंक के पास टायर। और टायर। दोनों विकल्पों के तहत पूँजी को बढ़ाने के लिए और कारोबार वृद्धि की गतिविधियों को बल देने के लिए इसमें और भी मौका है।

## कारोबार संवृद्धि

### कारोबार मात्रा 4 लाख करोड़ पार कर गई

#### जमा



बैंक के कुल जमाएं यथा मार्च 2010 में रु. 234651 करोड़ पहुंचते हुए 25.6% की वृद्धि दर्ज की। अनुकूल रणनीति के अनुसार, बैंक की स्थायी जमाओं ने 32.3% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें बचत जमाओं की 19.3% वृद्धि योगदान है।

कम लागत के स्रोतों में बढ़ावे के निरंतर प्रयासों ने बैंक को अच्छे परिणाम दिये। बैंक के विशाल जमा अभियान (सेविंग उत्सव) के परिणामस्वरूप वर्ष 2009 की रु. 6544

करोड़ की तुलना में वर्ष 2010 में रु. 8064 करोड़ की अतिरिक्त बचत जमाओं का संबद्धधन हुआ। चालू व बचत जमाओं का अंश कुल जमाओं का 29.85% है। चालू व बचत जमाएं प्रति शाखा रु. 22.4 करोड़ के साथ, बैंक ने समकक्ष बैंकों के बीच श्रेष्ठता बनायी रखी है। जमा ग्राहकवर्ग के आधार को बढ़ाई जाने वाली नीति का अनुवर्तन करते हुए, सभी शाखाओं ने कुल 2.35 मिलियन लाख जमा खातों को जोड़ा, जिससे कुल जमा खातों की संख्या 32.85 मिलियन तक पहुंच गयी।

#### अग्रिम (निवल)

बैंक का अग्रिम(निवल) वर्ष 2009-10 में 22.5% की विशाल वृद्धि के साथ रु 169335 करोड़ पर पहुंचा। मात्रा के संदर्भ में, ऋण में बढ़ोत्तरी रु. 31000 करोड़ से अधिक की हुई। बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक घटकों जैसे कृषि, सुक्ष्म, मध्यम व लघु उद्यमों, कार्पोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में ऋण को बढ़ाया है। यथा मार्च 2010 तक उधार खातों की संख्या 4.49 मिलियन हो गयी।



As at March 2010, Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank under Basle II stood at 13.43%, well above the 9% regulatory benchmark. Significantly, the Bank has attained a Tier I capital ratio of 8.54%. The medium term objective of the Bank is to maintain the CRAR ratio above 12%. With the still undiluted 73.17% Government of India shareholding, the Bank has large headroom available under both Tier I and Tier II options to raise capital and support business growth momentum.

## BUSINESS GROWTH

### Business Volumes Cross Rs.4 Lakh Crore

#### Deposits

Total Deposits of the Bank registered a growth of 25.6% to reach Rs. 2,34,651 crore as at March 2010. In accordance with the strategic focus, the Bank's core deposits recorded a growth of 32.3%, supported by 19.3% growth in savings deposits.

Unrelenting focus on augmenting of low cost resources yielded good results. While saving deposits during FY09 grew by Rs.6544 crore, in FY10, aided by the Bank's mega savings bank deposit campaign, it surged by Rs.8064 crore. The share of CASA Deposits (Current and Savings Bank) in domestic deposits stood at 29.85%. With a CASA per branch at Rs. 22.4 crore, the Bank continues to be one of the best among the peers. Pursuing a strategy of broad basing deposit clientele, all the branches together added nearly 2.35 million deposit accounts, taking the total tally under deposit accounts to 32.85 million.


#### Advances (Net)

The Bank's Advances (net) witnessed a robust 22.5% growth in 2009-10 to reach Rs. 1,69,335 crore. In quantum terms, credit increased by over Rs.31000 crore. The Bank stepped up credit to all productive segments of the economy like agriculture, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), exposure to corporate and infrastructure segments. The number of borrowing accounts, as at March 2010, rose to 4.49 million.

## ग्राहक आधार 37 मिलियन के पार, 2.54 मिलियन खाते जुड़े

बैंक का कुल व्यवसाय 24.3% वृद्धि के साथ पूर्व वर्ष के रु. 325112 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010 में रु. 403986 करोड़ पहुंचा। उत्पादकता जिसे प्रति कर्मचारी कारोबार से मापा जाता है, में पिछले साल के रु. 7.80 करोड़ की तुलना में रु. 9.83 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। विभिन्न उद्यम - फैलाव की पहल एवं उपायों से, बैंक ने इस वर्ष 2.54 मिलियन ग्राहक जोड़े।


Total Business (Rs. in Crore)



### खुदरा उधार परिचालन

बैंक ने खुदरा ऋण परिचालन में पुनः वापसी करते हुए इस वर्ष वृद्धि दर्ज की है। खुदरा ऋण के अंतर्गत रु. 8653 करोड़ का वितरण किया, वितरित अग्रिम रु. 23902 करोड़ तक बढ़ा जो कि घरेलू ऋण का तकरीबन 15% है।

Composition of Retail Lending (2009-10)



(राशि करोड़ों में)

खुदरा उधार	मार्च 2009	मार्च 2010	वृद्धि %
खुदरा उधार	19798	23902	20.7
आवास (प्रत्यक्ष)	7896	10116	28.1
खुदरा ट्रेड	4451	5383	20.9
अन्य व्यवितरण (शैक्षिक ऋण सहित)	7451	8403	12.8

बैंक ने खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय अपनाये हैं, जिसमें गृह व वाहन ऋण को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज भी सम्मिलित है। केनरा मोबाइल ऋण के अंतर्गत बैंक ने 24000 खातों को मंजूरी प्रदान की जो रु. 803 करोड़ है। प्रस्तावों के शीघ्र निपटान एवं ऋण त्वरित गति से प्रदान करने के लिए, कुल 25 केंद्रिय प्रोसरीकरण इकाइयां/आर ए एच एच देश के बड़े केंद्रों में गृह व वैयक्तिक ऋणों के लिए कार्यरत थे।

(Amt. in Rs. Crore)

Retail Lending	March 2009	March 2010	Growth (%)
Retail Lending	19798	23902	20.7
Housing (Direct)	7896	10116	28.1
Retail Trade	4451	5383	20.9
Other Personal (Including Education Loan)	7451	8403	12.8

The Bank took several measures during the year to expand retail credit, including special packages for housing and auto loans. Under Canara Mobile loan, the Bank sanctioned 24,000 accounts, amounting to Rs. 803 crore. To facilitate speedy disposal of proposals and credit flow, a total of 25 Centralized Processing Units (CPU)/ Retail Assets Hubs (RAH) for housing and other retail loans were functioning at major centres across the country.

## राजकोषीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

बैंक का सकल निवेश यथा मार्च 2010, रु 69677 करोड़ का था। पोर्टफॉलियो संशोधित अवधि (वर्ष) यथा मार्च 2010 में 4.08 से 4.97 वृद्धि लघु अवधि की प्रतिभूतियों तथा टी-बिलों व लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में निवेश के कारण हुई है। बिकवाली के लिए उपलब्ध पोर्टफॉलियो की संशोधित अवधि पूर्व वर्ष के 1.87 की तुलना में इस वर्ष मार्च 2010 में 1.93 रहने का कारण दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने तथा राजकोष बिलों में निवेश को घटाया जाना है। पिछले साल के रु. 675 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 872 करोड़ का व्यापारिक लाभ रहा। मार्च 2010 में निवेश पर आय 7.52% रही।

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की निलामी में भाग लेते हुए प्रतिभूति बाजार का सक्रिय भागीदार बना हुआ है। इस वर्ष जोखिम अंकन की प्रतिबद्धता के लिए कुल रु. 32026 करोड़ की राशि थी। वर्ष के दौरान, प्राथमिक डीलर के लिए आवश्यक 40% की तुलना में 44% का सफलता अनुपात प्राप्त किया गया है।

बैंक वित्तपोषण व विदेशी व्यापार देश में स्थित अपने 16 विदेश अनुभाग व 128 निर्दिष्ट शाखाओं के जरिए कर रहा है।

बैंक का कुल विदेश कारोबार, 31 मार्च 2010 तक, निर्यात के अधीन रु. 45,777 करोड़, आयात के अधीन रु. 37,235 करोड़ तथा धन-प्रेषण के अधीन रु. 44,602 की तुलना में रु. 127614 रहा। बैंक का बकाया निर्यात ऋण 8966 करोड़ था।

मार्च 2010 तक सीमा पार, बैंक ने लंदन, हांगकांग, शांघाई स्थित शाखाओं से उपस्थिति दर्ज की। 12 अप्रैल 2010, बैंक ने विदेश में अपनी चौथी शाखा लिसेस्टर (यूके) में खोली। इस से विदेशी शाखाओं की संख्या 4 हुई। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के साथ कॉमार्शियल बैंक आफ इंडिया के नाम से मास्को में संयुक्त उद्यम बैंक भी परिचालन में है।

यथा 31.03.2010 को विदेशी शाखाओं का कारोबारी कार्यनिष्ठादान

विदेशी शाखा	जमा	अग्रिम	प्रचालन लाभ	शुद्ध लाभ
लंदन (जी बी पी मिलियन)	992.69	771.08	8.88	0.30
हाँग काँग (युएस डी मिलि.)	61.85	363.25	5.50	2.48
शांघाई	परिचालन का प्रथम वर्ष			

मध्यम अवधि में वैश्विक विरक्तार हेतु चुने गए 20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से जोहानिसबर्ग, फ्रैंकफर्ट, मसकट, मनामा, क्युएफ सी-कर्तर, न्युयॉर्क, साओ पॉउलो, दार-एस-सलाम, टोकियो और शारजाह में 10 शाखाएँ / कार्यालय खोलने की अनुमति पहले ही प्राप्त कर ली है।

## TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

**Aggregate investments** of the Bank, as at March 2010, moved up to Rs.69,677 crore. Portfolio modified duration (years) increased from 4.08 to 4.97 as at March 2010 due to redemption of short dated securities and T-Bills and fresh investments made in long dated securities. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio increased to 1.93 as at March 2010 from 1.87 a year ago on account of investments made in dated securities and reduction of investments in treasury bills. The trading profit during the year was higher at Rs.872 crore as against Rs.675 crore in the previous year. The yield on investments stood at 7.52% as at March 2010.

The Bank continues to be an active player in securities market by participating in Government Securities auctions. The total amount of underwriting commitment for the year was Rs. 32026 crore. During the year, the Bank achieved 44% success ratio as against mandatory 40% of its obligation as a Primary Dealer.

The Bank is engaged in financing and facilitating foreign trade through its 16 foreign departments and 128 designated branches across the country.

**Foreign Business Turnover** of the Bank, as at 31st March 2010, aggregated to Rs. 1,27,614 crore, comprising Rs.45,777 crore under exports, Rs.37,235 crore under imports and Rs.44,602 crore under remittances. Outstanding export credit of the Bank was at Rs.8966 crore.

Across the borders, the Bank's presence covered three branches at London, Hong Kong and Shanghai as at March 2010. On April 12, 2010 the Bank opened its fourth overseas branch at Leicester (UK), taking the number of foreign branches to 4. Besides, a joint venture bank, namely, Commercial Bank of India LLC in association with State Bank of India is also operational in Moscow.

Business performance of overseas branches as on 31.03.2010.

Overseas Branch	Deposits	Advances	Gross Profit	Net Profit
London (GBP Mn)	992.69	771.08	8.88	0.30
Hong Kong (USD Mn)	61.85	363.25	5.50	2.48
Shanghai	In first year of operation			

The Bank has already obtained approval from the RBI to open 10 branches/offices in Johannesburg, Frankfurt, Muscat, Manama, QFC-Qatar, New York, Sao Paulo, Dar-er-Salam, Tokyo and Sharjah, out of the 20 international financial centres identified for global expansion in the medium term.

बैंक का अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन 395 प्रतिनिधि बैंकों के विस्तृत नेटवर्क समर्थन के साथ 80 देशों में फैला है। बैंक ने अस्थाई अनिवासियों के सहज धनप्रेषण हेतु मध्य पूर्व के 22 विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों सहित 18 बैंकों से रूपया आहरण की व्यवस्था की है। बैंक क्रमशः अन्यत्र अस्थाई विशेष नियुक्ति एवं प्रबंधन करार के अधीन दो विदेशी मुद्रा विनिमय गृहों, यानि अल रजौकी इंटरनेशनल एक्सचेंज कम्पनी, दुबई और ईस्टर्न एक्सचेंज इस्टैचेलिशमेंट, कतर का प्रबंधन कर रहा है। बैंक ने इस वर्ष मुद्रा विप्रेषण के अधीन वेब आधारित उत्पाद का विस्तार 17 एक्सचेंज कम्पनियों/ बैंकों तथा 4 विदेश शाखाओं में किया है।

## अन्य सेवाएं

वर्ष 2009 - 10 में, **मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग** ने प्रबंधक के रूप में रु. 3.45 करोड़ का बाइ-बैंक इशु संभाला तथा सलाहकार के रूप में रु. 1.66 करोड़ रुपए का राइट इशु संभाला प्रभाग ने नेशनल हाइवे ऑथारिटि ऑफ इंडिया (एन एच ए आइ) से संबंधित रु. 4000 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेसमेंट इशु तथा अरेजर्स के रूप में ऑन टैप आधारित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आर इसी) को संभाला बैंक का रु. 600 करोड़ का टायर। बॉन्ड्स इशु (आइ पी डी आइ) भी सेबी के मार्गनिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रकटन प्रलेख तैयार / समेकित कर प्रभाग द्वारा संभाला गया। इस अवधि में प्रभाग ने एक विशेषज्ञतायुक्त कार्य "फेयर वैल्युएशन ऑफ इविविटि" का काम संभालते हुए कॉमर्शियल पेपर प्लेसमेंट्स टु सलिमेंट फी बेस्ड इनकम के लिए जारीकर्ता तथा भुगतानकर्ता एजेंट की भूमिका निभाई। इस प्रभाग ने "एक इशु के 6 बैंकरों" को संभालते हुए कुल रु. 1627 करोड़ की अस्थायी निधि के एस्क्रो बैंकर / संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में कार्य किया।

**समूहन समूह** ने कुल रु. 14498 करोड़ के कुल ऋण का समूहन/व्यवस्था की, जिसकी परियोजना लागत रु. 3969 करोड़ है। वर्तमान परियोजनाओं के अधीन रु. 1148 करोड़ का ऋण है समूह के पास समूहन के विभिन्न चरणों की परियोजनाओं में रु. 1881 करोड़ का ऋण है समूह ने शुल्क आधारित आय में पर्याप्त वृद्धि की है तथा विभिन्न परियोजनाओं जैसे - उत्पादन, इस्पात, एयरक्राफ्ट, होटल, पोर्ट टर्मिनल, रोड एवं रेलवे क्षेत्र के लिए निधियों की व्यवस्था की।

बैंक ने जीवन तथा गैर-जीवन बीमा क्षेत्रों में "बैंकएश्यरेन्श" के अधीन गठजोड़ किया है बैंक ने केनरा एच एस बी सी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इनशुअरेंस कम्पनी लि. से रु. 53.41 करोड़ का कमीशन लाभ प्राप्त किया है। अविवा लाइफ इन्शुरेंश से कमीशन लाभ रु. 2.63 करोड़ रहा। बैंक ने मे. युनाइटेड इंडिया इन्शुरेंश कम्पनी लि. से जेनरल इन्शुरेंश व्यवसाय हेतु गठजोड़ किया और परिणामस्वरूप इस वर्ष रु. 8.2 करोड़ कमीशन का लाभ कमाया।

The Bank's international operations are supported by a wide network of 395 correspondent banks, spread across 80 countries. The Bank has rupee drawing arrangements with 22 exchange houses and 18 banks in the Middle East for channelising the remittances of expatriates. The Bank has been managing two exchange houses viz., Al Razouki International Exchange Company, Dubai and Eastern Exchange Est., Qatar, under secondment and management agreement respectively. The Bank, during the year, expanded its arrangement under 'Remit Money', a web-based product by extending to 17 Exchange Companies/Banks and 4 branches abroad.

## OTHER SERVICES

During 2009-10, **Merchant Banking Division** handled one Buy Back Issue amounting to Rs.3.45 crore as Manager and one Rights Issue as Advisor with issue size amounting to Rs.1.66 crore. The Division also handled Private Placement Issues in respect of National Highways Authority of India (NHAI), with an issue size of Rs.4000 crore and Rural Electrification Corporation Ltd., (REC) 'ON TAP BASIS' during the period as Arrangers. The Bank's Tier I Bonds Issue (IPDI) amounting to Rs.600 crore was also dealt by the Division in Preparing/ Compiling the Disclosure Document in terms of SEBI guidelines. During the period, it handled one specialised assignment of "Fair Valuation of Equity" and also acted as Issuing and Paying agents for Commercial paper placements to supplement fee based income. The Division has handled 6 "Bankers to an Issue" assignments as Escrow Bankers / Collecting Bankers with total float funds amounting to Rs.1627 crore.

The **Syndication Group** has syndicated projects costing Rs.14498 crore and arranged for total debt to the tune of Rs.3969 crore. The debt component of the current projects under placement is to the tune of Rs.1148 crore. The Group is also having projects to the extent of debt component of Rs. 1881 crore under various stages of syndication. The Group generated a substantial increase in the fee-based income and syndicated/ arranged funds for diverse projects from manufacturing, steel, aircrafts, hotels, port terminals, roads and railways sectors.

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its '**bancassurance**' arm. The Bank earned a commission income of Rs. 53.41 crore from Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. The commission income received from Aviva life insurance was Rs. 2.63 crore. The Bank's tie-up arrangement with M/s United India Insurance Company Ltd (UIICL) for general insurance business has resulted in a commission income of Rs 8.2 crore during the year.

बैंक ने पूरे देश में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से निर्यात नीतियों के विपणन हेतु मे. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से कारपोरेट एजेंसी करार किया है।

**बैंक के कारपोरेट नकद प्रबंधन सेवा (सीसीएमएस) का विस्तार**  
94 प्रचालन केंद्रों तथा 595 एकत्रीकरण शाखाओं तक है, जो स्थानीय तथा सुदूर के चेकों का संग्रहण, अधिक संख्या के चेकों का संग्रहण तथा निशेष खाता की सुविधा से संबंधित सेवा देता है। इस सेवा का इस वर्ष सकल पर्यावर्त रु. 1459 करोड़ रहा।

बैंक ने **कार्ड व्यवसाय** के अधीन क्रेडिट और डेबिट-कम-एटीएम कार्ड का आधार बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है। इस वर्ष कार्ड व्यवसाय में रु. 38.81 करोड़ का लाभ हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 20.85 करोड़ था।

बैंक **54 निक्षेपागार सेवा केंद्रों** के साथ देश के 36 शहरों में निक्षेपागार सेवाएँ दे रहा है।

मूल्यवर्धन करते हुए, बैंक दलाली अनुषंगी मे. केनरा बैंक सिक्युरिटिज लिमिटेड, मुंबई से गठजोड़ कर निक्षेपागार ग्राहकों को ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा दे रहा है। ऑन लाइन ट्रेडिंग ग्राहकों की संख्या बढ़कर 12,000 हो चुकी है।

**निष्पादक, न्यासी और कराधान** जैसी बैंक की इकाइयाँ डिवेंचर / प्रतिभूति न्यासिता, वर्सीयतनामा एवं निष्पादक, न्यासिता, व्यक्तिगत कर सहायक तथा मुख्तारनामा सेवाएँ दे रही हैं। इस समीक्षा वर्ष में इसने 8026 करोड़ रुपए के 12 नए डिवेंचर / प्रतिभूति न्यासिता इश्यु प्राप्त कर रु. 1.85 करोड़ शुल्क आधारित आय अर्जित की।

**सरकारी व्यवसाय** के अधीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, विभिन्न विभागों को पेंशन का भुगतान, मंत्रालय के खातों का संचालन, डाक लेन-देन तथा ट्रेजरी, वरिष्ठ नागरिकों का जमा संग्रहण, लोक भविष्य निधि योजना तथा भारि बैंक एवं सरकारी बॉन्ड की बिक्री से बैंक ने रु. 48.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

बैंक को मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार के अधीन शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा मामला एवं खेल-कूद विभागों का खाता प्रचालित करने को प्राधिकृत किया गया है। बैंक ने मानव संसाधन विकास विभाग के लिए वेब-पोर्टल विकसित किया है जिसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान योजना की निधियों का ई-ट्रैकिंग किया जा रहा है। इस वेब-पोर्टल के संतोषप्रद कार्य तथा दी जा रही सेवाओं को देखते हुए मंत्रालय ने इसके कार्यनिष्ठादन समीक्षा की अवधि 3 माह से बढ़ा कर 1 वर्ष कर दी है।

बैंक ने बैंगलूर में बनाए जा रहे सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे पूरे भारत के केंद्रीय, सिविल तथा रक्षा विभाग के पेंशनभोगियों के पेंशन की सही गणना, संवितरण तथा प्रतिपूर्ति आसानी से की जा सके।

The Bank has Corporate Agency Agreement with M/s Export Credit Guarantee Corporation of India for marketing Export policies through all branches across the country.

**Corporate Cash Management Services (CCMS)** network of the Bank, covering 94 Operating Centres and 595 Pooling Branches, provides services related to local and upcountry cheque collection, bulk cheques collection and zero balance account facility. The aggregate turnover under CCMS amounted to Rs.1459 crore during the year.

Under **Card Business**, the Bank took several initiatives to expand its credit and debit-cum-ATM card base. The Bank launched its non-personalised debit card during the year. Profit under card business during 2009-10 was at Rs. 38.81 crore compared to Rs. 20.85 crore in the preceding year.

The Bank is extending depository services from **54 DP Service Centres** spread across 36 cities in the country.

As a value addition, the Bank is extending Online Trading Facility to DP clients under a tie-up with broking subsidiary M/s. Canara Bank Securities Limited, Mumbai. Online Trading client base has increased to 12,000.

**Executor, Trustee and Taxation Services** outfit of the Bank provides services like Debenture/Security Trusteeship, Will and Executorship, Trusteeship, Personal Tax Assistance and Power of Attorney Services. During the year under review, it secured 12 new debenture/security trusteeship issues, amounting to Rs.8026 crore and generated fee-based income of Rs. 1.85 crore.

Under **Government Business**, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of pensions to various departments, handling Ministry Accounts, Postal Transactions and Treasury, collection of Senior Citizen's Deposit, Public Provident Fund Scheme and sale of RBI and Government bonds, the Bank earned an income of Rs. 48.57 crore.

The Bank has been authorized to handle accounts of Department of Education, Department of Culture, Department of Arts, Department of Youth Affairs and Sports under Ministry of Human Resources Development (HRD), Government of India. The Bank has developed a Web-Portal for Ministry of HRD for e-tracking the funds under the Sarva Shiksha Abhiyan Scheme. On satisfactory working of the web portal and service extended by the Bank, the Ministry has revised the performance review period to 1 year instead of 3 months.

The Bank has developed the software for formation of Central Pension Processing Centre (CPPC) at Bangalore for easier calculation, disbursement and reimbursement of pension payments of Central, Civil and Defence pensioners all over India.

बैंक को **युनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटि ऑफ इंडिया (युआइडीआईए)**, नई दिल्ली, जिसे फरवरी 2010 में स्थापित किया गया है, का अधिकृत बैंकर प्राधिकृत किया गया है। यह भारत सरकार की एजेंसी है जिसे भारत में बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र या युनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (युआइडी कार्ड) योजना लागू करने का दायित्व दिया गया है।

बैंक ने बैंगलूर नगर की 5 शाखाओं में **ई-स्टाम्पिंग परियोजना** शुरू की है और इसे कर्नाटक राज्य के 27 जिला मुख्यालय स्थित शाखाओं में लागू किया जा रहा है। ई-स्टाम्पिंग अति सुरक्षित तथा हेर-फेर से मुक्त स्टाम्प पेपर की जगह लेता है।

**कृषि परामर्शी सेवाएँ (एसीएस)** इस बैंक की वह इकाई है जिसने इस समीक्षा वर्ष में करीब 315 करोड़ रुपए के 200 प्रोजेक्ट को अपनी सेवाएँ दीं। दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का मूल्यांकन / व्यवहार्यता का अध्ययन, सृण इकाइयों का पुनर्वास पैकेज, कृषि क्षेत्र में अनुवर्ती परामर्श, कृषि क्षेत्र में बैंक की उधारी सेवाओं को समर्थन देने हेतु नमूना/पायलट प्रोजेक्ट तैयार करना, जिससे गुणवत्तापूर्ण अग्रिम सुनिश्चित हो।

## आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंधन

**अब तक की सर्वाधिक नकद वसूली - 1575 करोड़ रुपए**

### आस्ति गुणवत्ता

उद्योग और आर्थिक स्थिति के अनुरूप बैंक का एन पी ए रु. 2590 करोड़ पहुँच गया। इसके बावजूद, बैंक ने गत वर्ष के अपने सकल एन पी ए अनुपात 1.56% को इस वर्ष 1.52% पर रोका। बैंक का एन पी ए अनुपात अन्य समकक्ष बैंकों से कम रहा। रु. 1800 करोड़ निवल एन पी ए स्तर के साथ, गत वर्ष की 1.09% की तुलना में मार्च 2010 में इसका अनुपात 1.06% रहा।

गत वर्ष के रु. 1289 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में इस वर्ष सर्वाधिक रु. 1575 करोड़ की नकद वसूली हुई।

The Bank has been authorized as the accredited Bankers for **Unique Identification Authority of India (UIDAI)**, New Delhi, which was established in February 2010, as an agency of Government of India responsible for implementing the Multipurpose National Identity Card or Unique Identification Card (UID Card) project in India.

The Bank has introduced **e-stamping project** in 5 branches in Bangalore City and is being extended to other 27 branches situated in District Head Quarters in Karnataka. E-stamping is highly secure and tamper proof and replaces the stamp paper.

**Agricultural Consultancy Services (ACS)** outfit of the Bank handled about 200 assignments during the year under review. ACS appraised projects to the tune of Rs. 315 crore. Important assignments handled during the year included appraisal/viability studies in agriculture and allied activities, rehabilitation packages for sick units, follow-up consultancy in agricultural sector, preparation of model/pilot projects to support the Bank's lending activities towards agricultural sector and ensuring quality advances.

## ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT

**All Time High Cash Recovery at Rs.1575 crore**

### Asset Quality

In tune with the industry and economic conditions, the gross NPA level of the Bank rose to Rs. 2590 crore during the year. Notwithstanding the above, the Bank could contain its gross NPA ratio. With a gross NPA ratio of 1.52% compared to 1.56% in the previous year, the Bank's NPA ratio continues to be one of the lowest among the peers. With a net NPA level of Rs.1800 crore, net NPA ratio stood at 1.06% as at March 2010 compared to 1.09% in the preceding year.

Cash recovery during the year aggregated to an all-time high of Rs. 1575 crore, well exceeding the preceding year's cash recovery of Rs. 1289 crore.

## जोखिम प्रबंधन

### बासेल II मानदंडों को अपनाना तथा भावी रणनीतियाँ

#### जोखिम प्रबंधन उपाय

बैंक ने बासेल II संरचना और भा रि बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये विश्वस्तरीय सर्वोत्तम व्यवहार को प्राप्त करने के लिये एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। निदेशक मण्डल बैंक के जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रेरित करता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति गठित है और वह परिचालनरत है। साथ जोखिम, परिचालन जोखिम और बाजार जोखिम प्रबंधन की शीर्ष कार्यपालक समितियाँ संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का पर्यवेक्षण करती हैं और उन पर निगरानी रखती हैं। बैंक में प्रभावी और सक्रियोन्मुखी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु आस्ति देयता समिति आवधिक अंतरालों में बैठक करती है।

प्रधान कार्यालय में विशेष जोखिम प्रबंधन विभाग पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समूचे कार्यान्वयन के लिये समन्वय केंद्र के रूप में कार्यरत है। निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय कार्यकलापों में बाजार जोखिम पर प्रभावी और स्वतंत्र पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु देशी और विदेशी दोनों विनिमय खजानों के एकीकृत मध्य कार्यालय जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। कार्पोरेट कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के विस्तृत सहायक अंग के रूप में बैंक के 34 अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अनुभाग कार्यरत हैं।

बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियाँ लागू की हैं जिन में साथ जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, आस्ति देयता, तरलत जोखिम, देश विशेष जोखिम, प्रति पक्षीय बैंक जोखिम, कार्पोरेट प्रशासन, प्रकटीकरण, समर्थक प्रबंधन, दबाव परीक्षण, अनुपालन क्रियाकलाप, घोर आपत्ति उद्धार और कारोबार निरंतरता आयोजना, कारोबार प्रकार, आउट्सोर्सिंग, समूह जोखिम, विधिक जोखिम आदि संबंधी प्रबंधन नीति शामिल हैं। बैंक ने अपनी समूद्र पारीय शाखाओं के लिये भी जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं। इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है और उन में अपेक्षित सुधार भी लाया जाता है।

#### Risk Management

### Migration to Basel II norms and Future Strategies

#### Risk Management Initiatives

The Bank has put in place a unified risk management architecture to attain global best practices for effective implementation of risk management initiatives in consistence with the Basle II framework and RBI guidelines. The Board of Directors drives the Risk Management initiatives in the Bank. The Risk Management Committee of the Board is operational. Top Executive Committees for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk Management oversee and monitor the respective risk management processes and procedures. Asset Liability Committee (ALCO) meets periodically for effective and pro-active ALM in the Bank.

An exclusive Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives across the Bank. Integrated Mid-office of both domestic and Forex Treasury are functioning under the Risk Management Wing for effective and independent supervision and monitoring of Market Risk in investment and Forex functions. Risk Management Sections are functioning at all the 34 Circle Offices of the Bank as an extended arm of the Risk Management Wing at the Corporate Office.

The Bank has put in place various risk management policies, which include policy for management of Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Asset Liability, Liquidity Risk, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing, Group Risk, Legal Risk etc. The Bank has also framed risk management policies for its overseas branches. These policies are being reviewed and fine tuned annually.

## बेसल II मानदण्डों को अंतरण

बैंक ने अबाध गति से यथा 31.03.2008 बेसल मानदण्डों को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नयी पूँजी पर्याप्तता के संरचनात्मक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुये बेसल II मानदण्डों की स्तम्भ। अपेक्षा के अनुसार पूँजी जोखिम भारिता आस्तियाँ अनुपात का परिकलन किया जाता रहा है।

बेसल II मानदण्डों के स्तम्भ II के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की अपनी नीति रूपायित की है। बैंक की पूँजी अपेक्षा का आंकलन करने, पूँजी जोखिम भारिता आस्तियाँ अनुपात के उपयुक्त स्तर बनाये रखे जाने को सुनिश्चित करने और पूँजी एकत्रित करने के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिये कार्पोरेट कार्यालय में पूँजी आयोजना समिति कार्यरत है जो आवधिक अंतरालों में बैठक करती है।

बैंक बेसल मानदण्डों के स्तम्भ 3 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण मानदण्डों का अनुपालन करता है। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गयी है। नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु शीर्ष कार्यपालकों की सदस्यतावाली एक प्रकटीकरण समिति भी कार्यरत है।

## साख जोखिम प्रबंधन

नयी पूँजी पर्याप्तता संरचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित है वर्ष 2007-08 से पूँजी जोखिम भारिता आस्तियाँ अनुपात के परिकलन हेतु साख जोखिम भारित आस्तियों का अनुमान हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में आंकड़े शाखाओं से एकत्रित किये जाते हैं और उनका वैधीकरण आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है। जोखिम भारित आस्तियों के परिकलन की अपेक्षाओं के लिये सिस्टम समर्थन प्राप्त करने, विभिन्न साख संबंधी विवरण निकालने, साख संविभाग के विभिन्न विश्लेषण करने में मदद देने और निरंतर निगरानी में सुविधा देने हेतु बैंक ने एक साप्टवेयर समाधान रूपायित किया है अर्थात् सी डी सी आर एम (साख जोखिम प्रबंधन के लिये केंद्रीकृत आंकड़े आधार और सिस्टम संरचना)।

साख जोखिम प्रबंधन हेतु बैंक की प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली है। बैंक द्वारा उठाये गये विभिन्न कदम निम्नांकित हैं:

- नियामक दिशानिर्देशों और उद्योग विशेष के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप समेकित साख जोखिम प्रबंधन नीति जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।
- समुद्रपारीय शाखाओं की साख जोखिम प्रबंधन नीतियाँ भी समुचित समीक्षाओं के अधीन हैं।

## Migration to Basle II Norms

The Bank has smoothly transited to Basle II Norms as on 31.03.2008. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is being computed as per Pillar 1 requirement of Basle II Norms, adhering to the New Capital Adequacy Framework guidelines stipulated by the RBI.

The Bank has framed its Policy on ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) consistent with the RBI guidelines under Pillar 2 of Basle II Norms. A Capital Planning Committee is in place at the Corporate Office which meets periodically to assess capital requirement of the Bank, ensure maintenance of appropriate level of CRAR and evaluate various options for raising Capital.

The Bank adheres to the Disclosure norms as per the RBI guidelines under Pillar 3 of Basle II Norms. A Board approved Disclosure Policy is in place. A Disclosure Committee comprising Top Executives has been constituted to ensure adherence to the policy guidelines.

## Credit Risk Management

The Bank has adopted a 'Standardized Approach' to estimate Credit Risk Weighted Assets (RWA) for computing CRAR from the year 2007-08 onwards as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF). The data in this regard is collected from the branches and validated by internal/external auditors. The Bank has embarked upon a software solution, viz., 'CDCRM' (Centralized Database and System Architecture for Credit Risk Management), to get the system support for requirements to compute RWA, generate various credit related statements, help conducting various analysis of credit portfolio and to facilitate continuous monitoring.

The Bank has an effective risk management system for managing credit risk. The various initiatives taken by the Bank are as follows:

- A comprehensive Credit Risk Management Policy in tune with the regulatory guidelines and best practices in the industry, which is being reviewed annually.
- Credit risk management policies for overseas branches are also subjected to comprehensive reviews.

- ऋण संवितरण सीमाओं के आधार पर उधारकर्ता खातों के मूल्यांकन के लिये आंतरिक रूप से विकसित चार जोखिम मूल्यांकन पद्धतियाँ लागू हैं। मंजूरी पूर्व अभ्यास के तौर पर अर्ह खातों का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है। मूल्यांकित खातों का अंतरण विश्लेषण आवधिक आधार पर किया गया है।
  - मूल्यांकन आधारित मूल्यन प्रक्रिया शुरू की गयी है।
  - जोखिम मूल्यांकन के आधार पर प्रवेश अवरोधक निर्धारित हैं।
  - प्रभावी साख मूल्यांकन और मूल्यांकन नातेदारी कार्यकलापों के पृथकीकरण के लिये सभी प्रमुख अंचलों में मूल साख समूह कार्यरत हैं।
  - संकेद्रीकरण जोखिम से बचाने हेतु यथा एकल व समूह उधारकर्ता, काफी अधिक ऋण मात्रायें सावधि ऋण अप्रतिभूत अग्रिम विभिन्न उद्योगों को ऋण वितरण गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें भू संपदा क्षेत्र और पूँजी बाजार, विभिन्न ऋण संवितरण की उच्चतम सीमायें / विवेकपूर्ण मानदंडों का निर्धारण
  - मूल्यांकन/मंजूरी/सीमाओं के नवीकरण के लिये वित्तीय प्रसंविदाओं/मानकों/निर्देशन चिन्हों का निर्धारण
  - ऋण समीक्षा तंत्र को मजबूत करने हेतु साख अनुप्रवर्तन विभाग का गठन किया गया है। विभिन्न साख निगरानी साधन, यथा साख निगरानी प्रपत्र, मध्यमावधि समीक्षायें, स्टाक लेखा परीक्षायें, तिमाही सूचना प्रणाली/अर्ध वार्षिक परिचालन प्रणालियाँ, विशेष निगरानी सूची खाते, त्वरित अलपावधि खातों पर गहन निगरानी और उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा मंजूरियों की समीक्षा आदि के द्वारा ऋण समीक्षा तंत्र को शामिल करते हुये विशेष साख निगरानी नीति स्थायित की गई है।
  - रु. 1 करोड़ और उससे अधिक राशि के अधिक मूल्य के ऋण वितरण मात्राओं पर संकेन्द्रित/निष्ठापूर्ण निगरानी के लिये शाखाओं में, प्रशिक्षित साख अनुप्रवर्तन अधिकारियों का नामांकन।
  - एक करोड़ रु और उससे अधिक राशियों के समस्त उधार खातों का बाहरी / आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऋण लेखा परीक्षा पद्धति का आरंभ।
- मानकीकृत पहुँच के तहत आशान्वित पूँजी संबंधित उधारकर्ताओं के ऋण को बैंक मान्यता प्राप्त बाह्य ऋण रेटिंग एंजेंसी द्वारा निर्देशित रेटिंग का उपयोग/मैपिंग करता है। बैंक ने उधारकर्ताओं को चुनिन्दा सुविधाएं देने की दिशा में भी पहल की है।

- Four credit risk rating models are in place, developed internally, for rating borrowing accounts based on the exposure limits. Rating of eligible account has been made mandatory as a pre-sanction exercise. Migration analysis of rated accounts is done periodically.
- Pricing based on rating has been initiated.
- Entry barriers are fixed based on risk rating.
- Core credit group in all major circles in place for effective credit evaluation and segregation of appraisal and relationship functions.
- Fixation of various exposure ceiling / prudential norms to avert concentration risk, such as, single and group borrowers, substantial exposures, term loans, unsecured advances, exposure to various industries, NBFCs, real estate sector and capital market.
- Stipulating financial covenants / standards / benchmarks for appraisal / sanction / renewal of limits.
- Credit Monitoring Wing has been formed for strengthening the loan review mechanism. An exclusive Credit Monitoring Policy has been framed incorporating the loan review mechanism through various credit monitoring tools, such as, credit monitoring formats, mid-term reviews, stock audits, quarterly information system / half yearly operating systems, special watch list accounts, intense monitoring of quick mortality accounts and review of sanctions by higher authorities.
- Nomination of trained Credit Monitoring Officers (CMOs) at branches for focused/dedicated monitoring of high value exposures of Rs. 1 crore and above.
- Introduction of Credit Audit system by external / internal auditors of all borrowing accounts of Rs.1 crore and above.

The Bank is using / mapping the ratings assigned by recognized external credit rating agencies to the exposures of the concerned borrowers to optimize capital under standardized approach. The Bank has initiated steps to encourage the borrowers to get the facilities rated.

## परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुबंध "बेसिक इंडिकेटर एप्रोच" को अपनाते हुए परिचालन जोखिम हेतु पूँजी प्रभार की गणना की है।

बैंक की परिचालन जोखिम पहल के मार्गदर्शन एवं निगरानी हेतु एक उचित संगठनात्मक संरचना मौजूद है। आधुनिक पहुँच की दिशा में आगे बढ़ते हुए परिचालन जोखिम माप के लिए बैंक के निम्नलिखित दिशा निर्देश हैं:-

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति जो उद्देश्य, पहचान, मूल्यांकन, निगरानी एवं परिचालन जोखिम घाटे को संरक्षित एवं नियंत्रित करता है।
- कर्मचारियों में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधित जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
- बैंक ने व्यापक सर्वोत्तम आचार संहिता (अनुदेश पुस्तिका) एवं शाखाओं द्वारा की जानेवाली सभी गतिविधियों पर उनके मार्गदर्शन के लिए डेस्क कार्ड तैयार किया है।

## बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक 'मानकीकृत आशोधित अवधि' पहुँच को अपनाते हुए निवेश के तहत 'बिक्री हेतु मौजूद' एवं 'व्यापर हेतु धारित' संविभाग में बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करता आ रहा है।

एकीकृत मध्य कार्यालय, जोखिम प्रबंधन विभाग घरेलू एवं विदेशी राजकोष का ऑन लाइन जोखिम निगरानी कर रहा है। ऋण सीमा जैसे ट्रेडिंग बहियों में स्टॉप लॉस सीमा, व्यापारीवार सीमाएं, नकदी बाजार परिचालन, एएफएस वर्ग के लिए मध्यावधि सीमाएं, अंतर सीमा, विभिन्न मुद्रा स्थगन के समग्र अंतः दिवस एवं एक दिन से अधिक की सीमा जोखिम सीमा को कम करने की कार्रवाई एवं निगरानी करने हेतु तय किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन को प्रभावी करने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को और मजबूत किया गया है।

बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना के लिए आंतरिक मॉडल आधारित पहुँच के कार्यान्वयन की दिशा में बैंक ने सामान्य बाजार जोखिम के आकलन के लिए वीएआर आधारित मॉडल को प्रस्तुत किया है। मॉडल द्वारा दिए गये परिणाम की जाँच की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। दिशानिर्देशानुसार तनाव जाँचने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है।

## Operational Risk Management

The Bank has computed capital charge for operational risk by adopting 'Basic Indicator Approach' as stipulated by the RBI.

A proper organizational structure is in place to oversee and guide the operational risk initiatives of the Bank. To move towards advanced approaches for operational risk measurement, the Bank has put in place the following:

- Operational Risk Management Policy which covers the objectives, identification, assessment, monitoring and control of operational risk loss incidents.
- Training is imparted to staff to create awareness on operational risk management system.
- The Bank has compiled comprehensive Best Practices Codes (Manual of Instructions) and Desk Cards on all the activities carried out at branches for their guidance.

## Market Risk Management

The Bank has been computing capital charge for market risk on 'Available For Sale' (AFS) and 'Held For Trading' portfolio under investments, by adopting 'Standardised Modified Duration' approach.

Integrated Mid-office at Risk Management Wing is monitoring market risk through on-line connectivity with the domestic and Forex treasury. Exposure limits, such as, Stop Loss limits on trading books, Dealer-wise limits, limits on Money Market Operations, M-duration limits for AFS category, Aggregate Gap limit, Intra day and overnight limit for various currency positions are fixed to act as risk mitigants and are monitored. Reporting system has been strengthened for effective market risk management.

Towards implementation of internal models based approach for calculation of capital charge for market risk, the Bank has put in place a VaR based model for estimating General Market Risk. The process of back testing of the results given by the model has been completed. Stress testing exercise as per the guidelines is envisaged.

## आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक ने प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है जो नकदी एवं व्याज दर जोखिम संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। बैंक के निदेशक मंडल ने एएलएम कार्य, आस्ति एवं देयता, इसकी संरचना, परिपक्वता एवं अवधि के विभिन्न घटकों पर व्याजदर नियत करने के साथ-साथ अन्य कार्य को देखने के लिए आस्ति देयता समिति (अलको) का गठन किया है। आस्ति एवं देयता की व्याज दर अंतर की अवधि एवं संवेदना, परिपक्वता अंतर के आकलन एवं जोखिम के निर्धारित करने के लिए व्यापक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है।

सक्रियता के आधार पर नकदी का आकलन आस्ति एवं देयता के विभिन्न घटकों के आचरण स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए आवर्तिक रूप से अध्ययन किया जा रहा है। बैंक के अर्जन पर व्याज दर में बदलाव के असर को अँकने के लिए, निरंतर आधार पर सकल व्याज आय (एनाआईआई) एवं जोखिम के आकलन के असर पर विश्लेषण किया जा रहा है। ईविवटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) के साथ साथ तनाव लागत के आकलन हेतु व्याज दर एवं अनुकरणीय परिप्रेक्ष्य नकदी द्वारा तनाव परीक्षण करता है। पारम्परिक अंतर पद्धति (टीएजी) के साथ साथ अवधि अंतर पद्धति (डीजीए) द्वारा भी आस्ति एवं देयता के अवशिष्ट परिपक्वता तथा संरचना में बदलाव का मूल्यांकन किया गया।

बैंक की नकदी स्थिति की जानकारी आस्ति एवं देयता की अवशिष्ट परिपक्वता के माध्यम से दैनिक आधार पर पता लगाया गया है।

बैंक के व्यसाय कार्य पर इन सभी तथ्यों के असर पर ध्यान देना एवं बैंकिंग उद्योग पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भार जिसमें वित्तीय मापदण्ड एवं आर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए चर्चा करना, सक्रिय व्याज परिप्रेक्ष्य स्टॉक को लेना, विभिन्न आस्ति एवं देयता के अवशिष्ट परिपक्वता कार्य पर विचार करने के लिए एवं नकदी स्थिति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से एएलसीओ बैठक में चर्चा की जाती है।

## बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक में बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति पहले से ही मौजूद है जो बैंक के जोखिम प्रबंधन पहलू को लागू करने नियमित रूप से मार्गदर्शन एवं निर्देश देती है।

## Asset Liability Management

The Bank has put in place an effective Asset Liability Management system that addresses issues related to liquidity and interest rate risks. The Board of Directors of the Bank has constituted an Asset Liability Committee (ALCO) to oversee ALM functions, including fixation of interest rates for various components of assets and liabilities, its composition, maturity and duration. A comprehensive software solution has been installed for quantifying risks and to analyze Maturity Gap, Duration and Sensitivity of Assets and Liabilities to interest rate variations.

Periodical studies are being undertaken to analyze the behavioral patterns of various components of assets and liabilities to estimate the liquidity on a dynamic basis. To evaluate the impact of changes in interest rate on Bank's earnings, an analysis of Earnings at Risk (EAR) and its impact on Net Interest Income (NII) are being done on an ongoing basis. Stress testing exercises by simulating scenarios of liquidity and interest rates are undertaken to estimate the stress cost as also the Economic Value of Equity (EVE). The change in the composition and residual maturity of assets and liabilities is evaluated by the Traditional Gap Method (TGA) as also by the Duration Gap Method (DGA).

The liquidity position of the Bank is tracked on a daily basis by means of residual maturity of assets and liabilities.

The ALCO meets regularly to discuss various issues pertaining to the liquidity position by considering the residual maturity profile of various assets and liabilities, takes stock of the dynamic interest rate scenario, discusses at length the changes evolving in economic and financial parameters, which have a direct or indirect bearing on the banking industry and focuses on the impact of all these factors on the business profile of the Bank.

## Risk Management Committee of the Board:

Board level Risk Management Committee is already in place in the Bank which meets regularly to provide guidance and direction in implementing the risk management initiatives of the Bank.

## राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ

### प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

घरेलू बैंकिंग उद्योग में अग्रणी बैंक होने के नाते बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में जो लक्ष्य प्राप्त किया है उसकी खबूल प्रशंसा की गई है। वर्ष 2009-10 के उल्लेखनीय कार्यनिष्ठादन से अर्थव्यवस्था के संबुद्धीशील उत्पाद क्षेत्रों के प्रति बैंक की वचनवृद्धता को और भी बढ़ा दिया है जिसमें कृषि, लघु उद्यम, शिक्षा, सूक्ष्म ऋण, कमज़ोर वर्ग, अजाए एवं अल्पसंख्यक है।


बैंक ने सहज मार्जिन के साथ कुल प्राथमिकता कुल कृषि और कमज़ोर वर्गों के अग्रिमों के अधीन निर्धारित अधिदेशी लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। बैंक के **प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम** यथा मार्च 2010 को रुपये 10547 करोड़ की वृद्धि करके रु 59310 करोड़ पर पहुंच गये हैं, 38 लाख उधारकर्ताओं को प्रावरित करते हुए वर्षानुवर्ष दर वर्ष 21.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण का 43.92% हो गया जो निर्धारित मानदंड 40% से अधिक है।

[राशि रु करोड़ में]				
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	यथा मार्च		वृद्धि	
	2009	2010	राशि	%
कृषि	20144	25051	4907	24.36
सूक्ष्म व लघु उद्यम	16316	24180	7864	48.20

कृषि को साख प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि के अधीन बैंक का अग्रिम रु. 4907 करोड़ की वृद्धि करते हुए 29 लाख किसानों को प्रावरित कर रुपये 25051 करोड़ पर पहुंच गया है। ए एन बी री के हिस्से के स्बरूप में कृषि ऋण 18.55% हो गया जो 18% के अधिदेशी लक्ष्य के स्तर को पार कर गया है। कृषि (प्रत्यक्ष) अग्रिम 23% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ रु. 19069 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया और ए एन बी री का 14.12% परिकलित किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अधीन बैंक ने रु. 2432 करोड़ का ऋण प्रावरित करते हुए वर्ष के दौरान 3.02 लाख कार्ड जारी किये। यथा मार्च 2010 को रु. 14507 करोड़ के ऋण प्रावरण को अन्तर्निहित करते हुए किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी संख्या 30 लाख हो गयी है।

वर्षों से बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए लाखों प्रतिबद्ध छात्रों की सहायता की है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिक्षा ऋण संविभाग में मुख्य स्थान को बनाये रखते हुए शिक्षा ऋण योजना के अधीन बैंक का अग्रिम 25.9% की वृद्धि दर्ज करके रु. 2896 करोड़ हो गया है।



## NATIONAL PRIORITIES

### Priority Sector Advances

As one of the leading players in the domestic banking industry, the Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities. The remarkable performance during 2009-10 has further reinforced the Bank's commitment to the large and growing productive segments of the economy, including agriculture, small enterprises, education, micro-credit, weaker sections, SC/STs and minorities.

The Bank has achieved stipulated mandatory targets under Total Priority, Total Agriculture and Weaker Sections Advances with comfortable margin. **Priority Sector Advances** of the Bank as at March 2010 increased by Rs.10547 crore to reach Rs.59310 crore, recording a y-o-y growth of 21.6% covering 38 lakh borrowers. Priority Sector Advances formed 43.92% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit (ANBC), well above the 40% stipulated norm.

[Amt. in Rs. Crore]

Priority Sector Advances	As at March		Growth	
	2009	2010	Amount	%
Agriculture	20144	25051	4907	24.36
Micro & Small Enterprises	16316	24180	7864	48.20

With a focus on credit delivery to **agriculture**, the Bank's advances under agriculture rose by Rs. 4907 crore to reach Rs. 25051 crore, covering 29 lakh farmers. Agriculture credit as a proportion of ANBC rose to 18.55%, surpassing the mandatory targeted level of 18%. Advances to agriculture (direct) reached a level of Rs. 19069 crore, with a 23% y-o-y growth and accounting for 14.12% of ANBC.

Under **Kisan Credit Card Scheme**, the Bank issued 3.02 lakh cards during the year with credit coverage of Rs.2432 crore. As at March 2010, the cumulative number of Kisan Credit Cards reached 30 lakhs, involving credit coverage of Rs.14507 crore.

Over the years, the Bank has supported lakhs of promising students to pursue higher education in India and abroad. In doing so, the Bank has built up a sizable education loan portfolio and has been sustaining the premier position among nationalized banks in India.

The Bank's advances under **Education Loan Scheme** recorded a growth of 25.9% to reach Rs.2896 crore.

बैंक ने यथा मार्च 2010 तक 1.71 लाख से अधिक विद्यार्थियों को वित्त प्रदान किया है। बैंक ने अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे रिटेल ट्रेडर्स, आवासीय और सूक्ष्म साख को भी वित्तीय मदद विस्तारित की है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे पी एम आर वाई, एस जे एस वाई, एसजी एस वाई एस एल आर एस और डी आर आई में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। यथा 31 मार्च 2010 को 1.40 लाख लाभार्थियों को प्रावरित करते हुए इन योजनाओं के अधीन कुल बकाया अग्रिम रु 556 करोड़ हो गया।

## सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन निष्पादन

योजना का नाम	खातों की संख्या	राशि रु करोड़ में
पी एम आर वाई	61980	295.81
एस जी एस वाई	16071	50.11
एस जे एस आर वाई	33734	158.48
एस एल आर एस	1164	2.50
डी आर आई	27188	49.50
<b>कुल</b>	<b>140137</b>	<b>556.40</b>

- समाज के शोषित वर्गों की मदद में यथा मार्च 2010 को अजा / अज जा लाभार्थियों को बैंक का अग्रिम रु. 3905 करोड़ पहुंच गया। अजा / अज जा का अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम का 6.58% के स्तर पर पहुंच गया और अजा / अज जा अग्रिम के अधीन कुल खाते कुल प्राथमिकता क्षेत्र के खातों के 17% थे।
- 25 लाख उधारकर्ताओं के साथ कमज़ोर वर्गों का कुल अग्रिम रु. 14631 करोड़ है। कमज़ोर वर्गों को अग्रिम 10% मानदंड के प्रति एएन बी सी (ANBC) का 10.83% हो गया।
- यथा मार्च 2010 को अत्यसंख्यक समुदायों को बैंक द्वारा अग्रिम कुल रु 9348 करोड़ रहा और 15.76% पर पहुंचकर कुल प्राथमिकता का 15% निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया।

वर्ष के दौरान बैंक ने 44890 स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया और यथा मार्च 2010 को स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 3.20 लाख हो गयी। वर्ष के दौरान 50701 स्वयं सहायता समूह ऋण संबद्धता के साथ प्रारम्भ से ऋण संबद्धता के अधीन संचयी संख्या 2.75 लाख पहुंच गयी।

स्वयं सहायता समूह वित्त के अधीन 97,498 स्वयं सहायता समूहों के बीच बैंक का कुल निवेश रु 926 करोड़ रहा।

The Bank has financed more than 1.71 lakh students as at March 2010. The Bank also extended financial assistance to other priority sectors, such as, retail traders, housing and micro credit.

During the year, the Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, PMRY, SGSY, SJSRY, SLRS and DRI. As at 31st March 2010, the outstanding advances under these schemes aggregated to Rs.556 crore, involving 1.40 lakh beneficiaries.

## Performance under various Government sponsored schemes

Name of the Scheme	No. of Accounts	Amt. in Rs. Crore
PMRY	61980	295.81
SGSY	16071	50.11
SJSRY	33734	158.48
SLRS	1164	2.50
DRI	27188	49.50
<b>Total</b>	<b>140137</b>	<b>556.40</b>

- In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SC/ST beneficiaries reached Rs.3905 crore as at March 2010. Advances to SC/ST reached a level of 6.58% of total priority sector advances and total accounts under SC/ST advances were 17% of total priority sector accounts.
- Advances to weaker sections aggregated to Rs.14631 crore, with 25 lakh borrowers. Advances to weaker sections formed 10.83% of ANBC against the norm of 10%.
- As at March 2010, advances by the Bank to minority communities aggregated to Rs. 9348 crore and crossed the stipulated target of 15% of total priority by reaching 15.76%.

During the year, the Bank has formed 44890 Self-Help Groups (SHGs), taking the cumulative number of SHGs formed to 3.20 lakhs as at March 2010. With 50,701 SHGs credit linked during the year, the cumulative tally undercredit linking reached 2.75 lakhs since inception.


The total exposure of the Bank under SHG finance rose to Rs. 926 crore, spreading over 97,498 SHGs.

30% से अधिक वर्षानुवर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को अग्रिम रु 31074 करोड़ पर पहुंच गया जो 20% की अधिदेशी वर्षानुवर्ष वृद्धि से बहुत ज्यादा है। बैंक ने सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी के अधीन यथा मार्च 2010 को रु. 948 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 37,608 खातों को प्रावरित किया है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सूल म उ क्षेत्र के महत्व के मद्देनजर पर विचार करने पर बैंक ने इस विशेष खंड में उद्यमियों की विविध आवश्यकतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट ऋण उत्पाद विकसित किए हैं। समूह आधारित ऋण औद्योगिक समूहों में यूनिटों को प्रदान करने के लिए अपनायी गई है। क्षेत्र / समूह विशिष्ट ऋण उत्पादों को खास आवश्यतों को पूरा करने के लिए आरम्भ किया गया है।

आर्थिक मंदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एम एस एम ई क्षेत्र को समर्थ करने के लिए बैंक ने तुरन्त कार्रवाई की और दिसम्बर 2008 के दौरान एम एस एम ई को सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष पैकेज बनाया गया। विशेष पैकेज वर्ष 2009-10 के दौरान भी जारी रहा। व्यापक पैकेज में अन्य सुविधाओं के साथ अतिरिक्त / तदर्थ कार्यशील पूँजी, प्रायों के लिए विस्तारित तर्क संगति, व्याज में छूट, और ऋण पुनर्संरचना शामिल हैं। एम एस एम ई की समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में एम एस एम ई केयर सेंटरों की स्थापना की गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एम एस एम ई क्षेत्र को तुरन्त साख देने के लिए एस एम ई सुलभ नये कारोबार मॉडल की शुरूआत की है। एस एम ई सुलभ एम एस एम ई को तुरन्त साख संसाधित/तुरन्त सुपुर्द करने के उद्देश्य से स्वतंत्र केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केन्द्र हैं। ये विशेषीकृत विपणन, साख मूल्यांकन, निगरानी टीम से सुसज्जित हैं। आगरा, अहमदाबाद, बैंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतुर, दिल्ली, हुबली हैदराबाद, कोलकता, लखनऊ, मदुरै, मुम्बई, पुणे और तिरुन्नत्पुरम में 15 एस एम ई सुलभ स्थापित किये गये हैं। बैंक इस मॉडल के माध्यम से देश में मुख्य केन्द्रों पर एम एस एम ई के बड़े वर्ग तक पहुंचना आरम्भ किया है। 2009-10 के दौरान बैंक के एम एस एम ई साख की वृद्धि में सुलभों का योगदान वर्ष के एम एस एम ई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रहा है।



Advances to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) reached Rs.31074 crore, with a y-o-y growth of over 30%, far above the mandatory y-o-y growth of 20%. The Bank has covered 37,608 accounts with an exposure of over Rs. 948 crore as at March 2010 under Credit Guarantee for Micro and Small Enterprises (CGMSE).

Considering the importance of MSME sector in the national economy, the Bank has developed specific loan products to meet the diverse requirements of entrepreneurs in this particular segment. Cluster based lending is adopted to cater to the units in industrial clusters. Area/ cluster specific loan products have been introduced to meet specific requirements.

To enable the MSME sector to face the challenges of economic slowdown, the Bank acted swiftly and rolled out a Special Package to provide relief to MSMEs during December 2008. The special package continued during the year 2009-10 also. The comprehensive package includes, among other facilities, additional/adhoc working capital, extended tenability for receivables, concession in interest and debt restructuring. MSME Care Centers were established across the country to resolve the grievances of MSMEs.

During the year, the Bank has launched "SME SULABH", a new business model for speedy credit delivery to the MSME Sector. The SME Sulabhs are independent centralized loan processing centres aimed at fast processing/quick delivery of credit to MSMEs. They are equipped with specialized marketing, credit appraisal and monitoring teams. 15 SME Sulabhs have been established at Agra, Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Delhi, Hubli, Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Pune and Trivandrum. The Bank has embarked upon reaching out to a large section of MSMEs at major centres in the country through this model. The contributions of Sulabhs in the growth of MSME credit of the Bank during 2009-10 has been substantial, resulting in the Bank achieving MSME targets for the year.

## वित्तीय समावेशन

### वित्तीय समावेशन के माध्यम से पहुंच

100% वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सक्रिय समर्थन देते हुए बैंक देशभर में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। बैंक द्वितीय चरण के अधीन वित्तीय व्यापकता के लिए "केनरा नई दिशा" के नाम से सभी वित्तीय समावेशन उत्पादों को एक स्थान पर लाया है। विशेषरूप से बैंक ने पांच राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, विहार, और उत्तर प्रदेश में फैले सभी 26 अग्रणी जिलों में समग्र वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है।

बैंक ने 2009-10 के दौरान 4.50 लाख सरल खातों का संग्रहण किया और आरम्भ से 21.80 लाख संचयी स्तर पर पहुंचा। सरल खातों में कुल बचत 382.50 करोड़ के स्तर पर पहुंची। बैंक ने आगे वित्तीय समावेशन प्रक्रिया जैसे बहुभाषी बॉयोमैट्रिक एटीएम, ध्वनि समर्थ मोबाइल बायो मैट्रिक एटीएम और स्मार्ट कार्ड प्रोजेक्ट शुरूकरके अनेक तकनीकी कार्यों का सूत्रपात किया है। सरकारी लाभों जैसे एनआरईजीपी के अधीन वेतन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संवितरित करने के लिए इलेक्ट्रानिक लाभ अन्तरण योजना बैंगलूर में 22-03-2010 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी। बैंक कर्नाटक के तीन जिलों अर्थात् चित्रदुर्गा, बेल्लारी और गुलबर्गा में सहभागिता कर रहा है।

बैंकिंग सुविधाओं से उपेक्षितों तक वित्तीय उत्पाद ले जाने के उपाय के रूप में, बैंक ने शुरुआत से अब तक 1,88,762 सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) जारी किए हैं और मार्च 2010 के अंत में सामान्य क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कुल ऋण जोखिम रु 269.64 करोड़ रहा, जो 1,34,386 सामान्य क्रेडिट कार्ड खातों (जीसीसी) में फैला हुआ है।

शहरों में वसे गरीबों की सहायता के लिए, बैंक ने नौ शहरी केन्द्रों यथा बैंगलूर, मदुरै, चेन्नई, कोयम्बत्तुर, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर, मुंबई में विशिष्ट सूक्ष्म वित्त शाखाएँ खोली हैं। ये शाखाएँ गंदी बस्तियों में रहने वालों और शहरी गरीबों को समूह की कार्यपद्धति के संबंध में शिक्षित करती हैं और उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

### अग्रणी बैंक योजना

देश भर में केनरा बैंक 26 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निभा रहा है जिनमें से आठ कर्नाटक में, सात तमिलनाडु में, पांच केरल में, पांच उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में हैं। बैंक केरल राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजन कार्य भी कर रहा है।

### Financial Inclusion

### Reaching Out Through Financial Inclusion

Actively supporting the national agenda of 100% financial inclusion, the Bank has been playing an important role across the country. The Bank has come out with a scheme by bringing all financial inclusion products under one umbrella called "Canara Nayee Disha" for financial deepening under the second phase. Notably, the Bank achieved Total Financial Inclusion in all the 26 Lead Districts spread over five States, namely, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Bihar and Uttar Pradesh.

The Bank mobilized 4.50 lakhs no-frill accounts (CanSaral) during 2009-10 and reached a cumulative level of 21.80 lakhs since inception. The total savings in the no-frill accounts reached a level of Rs. 382.50 crore. The Bank undertook several technology initiatives to further the financial inclusion process like multi-lingual bio-metric ATMs, voice-enabled mobile bio-metric ATM and launching of Smart Card project. Electronic Benefit Transfer (EBT) scheme for disbursement of Government benefits like wages under NREGP and Social Security Pension was launched by RBI on 22.03.2010 at Bangalore. The Bank is participating in three districts, viz., Chitradurga, Bellary and Gulbarga in Karnataka.

As a measure of taking the financial products to the excluded, the Bank also sanctioned 1,88,762 General Credit Cards (GCCs) since inception and the total exposure under GCC as at March 2010 stood at Rs. 269.64 crore spread over 1,34,386 GCC accounts.

In order to help the urban poor, the Bank opened Exclusive Microfinance branches in nine urban centres, viz., Bangalore, Madurai, Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Lucknow, Chandigarh, Amritsar and Mumbai. These branches will educate the slum dwellers and urban poor about the group mechanism and provide the credit facilities.

### Lead Bank Scheme

Canara Bank has lead bank responsibilities in 26 districts in the country, viz., eight in Karnataka, seven in Tamil Nadu, five in Kerala, five in Uttar Pradesh and one in Bihar. The Bank also works as the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the State of Kerala.

## महिलाओं में उद्यम विकास

प्रधान कार्यालय, बैंगलूरु और 34 अंचल कार्यालयों में महिला उद्यम विकास केन्द्र स्थापित हैं, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इन सभी केन्द्रों ने वर्ष 2009-10 में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें सामान्य उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उद्यम जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, रोजगार मार्गदर्शी कार्यक्रम, विभिन्न उद्यमों में कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं तथा महिला उद्यमियों को विपणन सहायता प्रदान करने हेतु केनउत्सव / केनबाजार आदि का आयोजन किया गया। महिला उद्यम विकास केन्द्रों ने स्वयं सहायता समूह के गठन में और उन्हें ऋण सुविधाएँ प्रदान करवाने में भी सहयोग दिया। बैंगलूरु, चेन्नई और त्रिवेंद्रम में विशिष्ट महिला शाखाएँ कार्य कर रही हैं जो विशेष रूप से महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों अनुसार एनबीसी का 5% महिला लाभार्थियों को दिया जाना है। बैंक ने दिसम्बर 2009 में ही 12.99% लक्ष्य से अधिक दिया। लगभग 10.87 लाख महिलाओं को रु 17546 करोड़ रुपए की सहायता दी गई।
- महिला लाभार्थियों के मामले में भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

## कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

### कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों में उदाहरण बनना

बैंक आरंभ से ही एक जिम्मेवार कार्पोरेट सामाजिक नागरिक के नाते विविध कार्पोरेट सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान देता आ रहा है। सामाजिक बैंकिंग की पहल के साथ वाणिज्यिक रूप से दृढ़ बैंकिंग को आचरण में लाने के अपने विवेकपूर्ण निर्णय से केनरा बैंक ने अनेक समाज उन्मुख गतिविधियों को करते हुए स्वयं को विशिष्ट बनाया है। बैंक ने वर्षों से उपेक्षितों विशेषतः ग्रामीण इलाकों में सामाजिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए विभिन्न कदम उठाए हैं। बैंक ने ग्रामीण युवकों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण -चिकित्सालय (स्कॉल क्लिनिक), पीने के पानी की सुविधा देने और गाँवों में ग्राम स्वयं सेवकों को समुदाय की भलाई के कार्यों में लगाया है।

### ग्रामीण विकास

बैंक ने अपने केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के बीच में उद्यमिता का विकास हो और उन्हें स्व रोजगार जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और एटा जिलों में, बिहार के शेखपुरा जिला में, केरल में कालिकट और पालककड़ जिलों में, तमிலनாடு में नीलगिरि

### Entrepreneurship Development among Women

Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at Head Office, Bangalore, and Centres at 34 Circle Offices are working towards economic empowerment of women. All these Centres have conducted several training programmes during the year 2009-10 which include General Entrepreneurship Development Programmes (EDP), Entrepreneurship Awareness Programmes, Seminars, Career Guidance Programmes, Skill EDPs and provided marketing support to women entrepreneurs by organizing CanUtsav /CanBazar. CEDW cells have also assisted in formation of SHGs and credit linkages. Three exclusive Mahila Banking Branches at Bangalore, Chennai and Trivandrum are also operating specifically to cater to women clientele.

- As against the RBI's norm of 5% of ANBC to women beneficiaries, the Bank has achieved 12.99% as at December 2009. Nearly 10.87 lakh women are assisted to the tune of Rs. 17546 crore.
- The Bank is leading among nationalized banks in India in terms of women beneficiaries.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

### Setting Examples in Corporate Social Responsibility Activities

Following the century old tradition and founding principles, the Bank has set fine examples in fulfilling varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. The Bank has been taking numerous initiatives over the years to promote rural development and has set up many self-employment training institutes to counter poverty and unemployment among rural youth. To provide basic amenities in rural areas, the Bank is encouraging setting up of rural clinics, drinking water facilities and engaging rural volunteers for betterment of communities.

### Rural Development

The Bank, through its Canara Bank Centenary Rural Development Trust, has established exclusive training institutes to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. During the year, 9 new training institutes were opened at Aligarh and Etah districts in Uttar Pradesh, Sheikhpura district in Bihar, Calicut and Palakkad districts in Kerala, Nilgiris, Erode, Theni and Dindigul in Tamil Nadu, thus enhancing the

इरोड, तेनी और दिंडिगल जिलों में नौ ऐसे नए प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इस प्रकार इन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इन संस्थानों ने अब तक 94935 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिनमें से 60% महिलाएँ हैं और जिनमें से 70% ने अपना प्रभावी रोजगार शुरू किया है। न्यास शैक्षिक और आर्थिक विकास समाज (एसईडी) को भी विभिन्न गतिविधियों में सहयोग दे रहा है। यह श्रीपरेम्बदूर, तमिलनाडु स्थित स्वैच्छिक संस्था है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

बैंक 23 ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसई टीआई) का सह-प्रायोजक है जो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर स्व-रोजगार कार्यक्रमों के लिए तैयार करते हैं। इन 23 ग्रामीण विकास और स्व रोजगार संस्थानों ने 2,38,000 से भी अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 70% ने रोजगार प्राप्त किया।

बैंक डी-रड्सेटी (डी-आरयूडीएसईटीआई) हलियाल, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (एपीबीआईआरईडी) का भी सह-प्रायोजक है। ये दोनों संस्थान ग्रामीण बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता विकास का उन्नयन करने में संलग्न हैं।

इसी वर्ष के दौरान माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम द्वारा कराईकुड़ी में केनरा बैंक कारीगर संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया।

## ग्रामीण भारत में बेरोजगार युवाओं के लिये उदाहरण

हजारों युवकों ने बैंक द्वारा प्रायोजित/सहप्रायोजित ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण की सहायता से अच्छा जीवन जीने का मार्ग पाया है। गरीब बढ़ी परिवार में जन्मे श्री एम.एस. नागराज का मामला ऐसा ही एक उदाहरण है। जीवन की कठिनाइयों के कारण श्री नागराज ने अपने परिवार कि आय को पूरा करने के लिये 12 वर्ष की आयु में अपनी पढ़ायी छोड़ दी। जब तक वह बैंक द्वारा प्रायोजित केनरा बैंक कारीगर संस्थान, मंगलूर, कर्नाटक, से नहीं जुड़ा था तब तक वह नहीं जानता था कि जीवन में क्या करना है और उसे विश्वास नहीं था कि उसका पारंपरिक बढ़ी का काम उसे अच्छा जीवन दे सकता है। उसके प्रशिक्षण ने उसे उसकी कारीगरी को निखारने और मूर्ति शिल्प की नई तकनीकों को सीखने का उद्देश्य दिया। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी वह पूरी तरह से मूर्तिकार है और बड़ी परियोजनायें संभाल रहा है। विश्वासी और गर्वित नागराज अभी भी उस दिन को याद करता है जब उसने मूर्ति शिल्प को चुना था और जीवन में प्राप्त उपलब्धियों के लिये संस्थान को हार्दिक धन्यवाद देता है। आज वह औसतन रु.15,000 से रु.20,000 प्रति माह कमाता है और अपने माता-पिता का सहायक पुत्र और अपनी बहनों का सहायक भाई बनकर खुश है।

number of such training institutes to 26. These institutes have so far trained 94935 unemployed youth, comprising 60% women with an impressive settlement rate of 70%. The Trust is also supporting the activities of Society for Educational and Economic Development (SEED), a voluntary organization based in Sriperambudur, Tamil Nadu, working for the welfare of the socially marginalized children.

The Bank has co-sponsored 23 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) engaged in the training of rural youth for taking up self-employment programmes. 23 RUDSETIs have trained more than 2,38,000 unemployed youth, with a settlement rate of 70%.

The Bank is also co-sponsoring Deshpande-RUDSETI at Haliyal in Karnataka and Andhra Pradesh Bankers Institute of Rural Development (APBIRED) at Hyderabad in Andhra Pradesh. These two institutes are also engaged in promoting entrepreneurship development among rural unemployed youth.

The new campus for Canara Bank Institute for Artisans, Karaikudi was inaugurated by Hon'ble Union Home Minister, Shri P Chidambaran, during the year.

## An Example for many unemployed youth in Rural India

Thousands of youth have found their ways to decent living with the aid of training imparted by the Bank sponsored/co-sponsored rural training institutes. One such worthy example is the case of Shri M S Nagaraj, born to a poor traditional carpenter family. Bowed down by the hardships of life, Shri Nagaraj had to leave his formal schooling halfway at the age of 12 to supplement his family income. He did not know what to do in life and was not sure whether his traditional carpentry job could provide a decent living until he joined Canara Bank Institute for Artisans, Mangalore, Karnataka, sponsored by the Bank. His training at the institute has given him the objective to finesse his skills and learn new techniques of sculpting. After successfully completing the training, he has never looked back. Now he is a full-fledged sculptor and is successfully handling large projects. A confident and proud Nagaraj still remembers the day of opting for sculpting and sincerely thanks the Institute for all that he has achieved in life. Today he earns an average Rs.15,000 to Rs.20,000 per month and is happy to be a supportive son to his parents and brother to his sisters.

केनरा बैंक की ग्रामीण चिकित्सालय सेवा योजना (रुरल विलनिक सर्विस स्कीम) दूर-दराज के क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, वहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत, बैंक डाक्टरों को पहचान किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में विलनिक (चिकित्सालय) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मार्च 2010 में ऐसे चिकित्सालयों की संख्या 518 तक हो चुकी है। 'जलयोग' के नाम से बैंक एक योजना चलाता है, जिसके अंतर्गत पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाता है। अब तक ऐसी 35 परियोजनाएँ, उन जिलों में कार्यान्वित हैं जहाँ बैंक अग्रणी है।

बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए हाई-टैक सुविधाओं यथा कस्टम बिल्ट, सौर-ऊर्जा से युक्त मोबाइल सेल्स वैन (घुमंतु बिक्री बस) दान में दी हैं।

## संसदीय समितियों के दौरे

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हमारी खजुराहो, गाजियाबाद, रायपुर शाखाओं और अंचल कार्यालय मैसूर का निरीक्षण किया था और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की।

## संगठन व समर्थन सेवाएँ

### शाखा तंत्र

#### भारत भर में विस्तृत उपस्थिति

देश भर में अपने अंतर्देशीय परिचालनों को विस्तृत करने की दृष्टि से बैंक के लिये यह वर्ष महत्वपूर्ण रहा। अपने अस्तित्व के 104वें वर्षगांठ के सुअवसर के अनुरूप अपने संस्थापक दिवस अर्थात नवम्बर 19, 2009 को बैंक ने देश भर में 104 शाखायें खोलीं जिनका उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 314 शाखायें खोलीं जिस से शाखा तंत्र के अंतर्गत बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 3046 तक पहुंची है।

### अंतर्देशीय शाखा तंत्र की संरचना

श्रेणी	शाखाओं की संख्या	
	31.03.2009	31.03.2010
महानगरीय	629	727
शहरी	674	744
अर्धशहरी	691	793
ग्रामीण	735	779
कुल शाखायें	2729	3043

Canara Bank's Rural Clinic Service Scheme provides basic health care services in remote areas lacking basic medical infrastructure facilities. Under the Scheme, the Bank encourages doctors to set up clinics in identified rural areas. As at March 2010, the total number of such clinics rose to 518. The Bank under 'Jalayoga', a scheme to provide safe drinking water, has so far implemented 35 projects in its lead districts.

The Bank donated a hi-tech, custom built, solar powered 'Mobile Sales Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.

#### Visits by Parliamentary Committees

The third Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Languages had inspected our Khajuraho, Ghaziabad, Raipur Branches and CO Mysore and lauded the efforts put in by the Bank in the field of Official Language implementation.

## ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

### Branch Network

#### Expanded Pan India Presence

The year was significant for the Bank in expanding domestic operations across the country. Befitting its 104th year of existence, the Bank on its Founder's Day i.e. 19th November, 2009, opened 104 branches across the country, inaugurated by Hon'ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee. The Bank opened 314 branches during the year, taking the total tally under the branch network to 3046 branches.

### Composition of domestic branch network

Category	No. of Branches	
	31.03.2009	31.03.2010
Metropolitan	629	727
Urban	674	744
Semi-urban	691	793
Rural	735	779
Total Branches	2729	3043

बैंक की 118 विशेषीकृत शाखाएँ विभिन्न ग्राहक संवर्गों की विनिर्दिष्ट वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी कर रही हैं।

विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणियाँ	31.03.2010
1. लघु व मध्यम उद्यम	37
2. समुद्रपारीय	17
3. कृषि वित्त	10
4. सूक्ष्म वित्त शाखाएँ	9
5. बचत	7
6. अनिवासी भारतीय	7
7. आसित वसूली प्रबंधन	7
8. प्राइम कार्पोरेट	7
9. औद्योगिक वित्त	5
10. स्टाक एक्सचेंज	3
11. पूँजी बाजार	3
12. महिला बैंकिंग	3
13. उपभोक्ता वित्त	1
14. आवास वित्त	1
15. शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने वालों के लिये शाखा	1
<b>कुल</b>	<b>118</b>

## सूचना प्रौद्योगिकी प्रगति

बैंक ने वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाये थे। यथा मार्च 2010 के अंत तक एकीकृत आवाज अभिलेखन प्रणाली, इण्टरनेट व मोबाइल बैंकिंग सहित 29 विस्तरण काउण्टरों, 92 मुद्रा तिजोरियों, 80 सेवा इकाइयों (लेखा अनुभाग, समाशोधन अनुभाग/स्थानीय प्रसंसाधन केंद्र/विदेश विभाग) के अलावा कोर बैंकिंग समाधान द्वारा प्रावरित शाखाओं की संख्या 1809 तक विसरूत हुई। कोर बैंकिंग समाधान सहित विभिन्न माड्युल /सुविधायें आईं यथा ग्राहकों के लिये इण्टरनेट द्वारा अनुदेश देने की सुविधा प्रदान करने हेतु स्पीड ई माड्युल, ऑनलाईन व्यापार के प्रयोजनार्थ निधि अंतरण सुविधा, विपणन प्रयोजनों के लिये बिक्री और विपणन माड्युल, खुदरा और कार्पोरेट प्रयोजनार्थ सवितरण स्वचालन प्रसंस्करण प्रणाली, धन शोधन निवारण माड्युल आदि। यथा मार्च 2010 को बैंक के कुल को कारोबार में सी बी एस शाखाओं द्वारा प्रावरित प्रतिशत 90 % था।

यथा मार्च 2010 को 728 केंद्रों में बैंक के 2017 ए टी एम रिस्थित थे जिन में शाखा से पृथक् 745 ए टी एम और रेलवे स्टेशनों में रिस्थित 180 ए टी एम शामिल हैं। बैंक ने रेल टिकटों के आरक्षण के लिये 150 ई कियोस्क की भी स्थापना की है। यथा मार्च 2010 तक बैंक का डेबिट कार्ड आधार और बढ़कर लगभग 50 लाख तक पहुंचा।

बैंक ने सी बी एस संरचना के अंतर्गत 463 शाखाओं में केंद्रीकृत आनलाईन लेखांकन पद्धति (सरकारी कारोबार माड्युल) और 144 शाखाओं में उत्पाद शुल्क और सेवा कर माड्युलों का कार्यान्वयन किया है। दिल्ली और महाराष्ट्र की सभी विनिर्दिष्ट शाखाओं में बिक्री कर माड्युल कार्यान्वित की

The Bank has 118 specialized branches catering to the specific financial needs of different clientele categories.

Categories of Specialized Branches	31.03.2010
1. SMEs	37
2. Overseas	17
3. Agri-Finance	10
4. Micro Finance Branches	9
5. Savings	7
6. NRIs	7
7. Asset Recovery Management	7
8. Prime Corporate	7
9. Industrial Finance	5
10. Stock Exchange	3
11. Capital Market	3
12. Mahila Banking	3
13. Consumer Finance	1
14. Housing Finance	1
15. Branch for Physically Challenged	1
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>

## InfoTech Progress

The Bank took several initiatives in the InfoTech front during the year. As at the end of March 2010, a number of branches were covered under Core Banking Solution (CBS) expanded to 1809, besides 29 Extension Counters, 92 Currency Chests and 80 Service Units (Accounts Sections/Clearing Sections/Local Processing Centres/Foreign Departments) along with Integrated Voice Recording System (IVRS) and Internet and Mobile Banking (IMB). Several modules/facilities come along with CBS like SPEED-e-module for enabling clients to deliver instruction through internet, Funds Transfer Facility for the purpose of online trading, sales and marketing module for marketing purposes, Lending Automation Processing System (LAPS) for Retail and Corporate and Anti-Money Laundering (AML) modules. CBS branches covered 90% of the Bank's total business as at March 2010.

As at March 2010, the Bank had 2017 ATMs spread across 728 centres, including 745 offsite ATMs and 180 ATMs in railway stations. It has also set up 150 e-kiosks for booking railway tickets. Debit card base of the Bank further increased to about 50 lakhs as at March 2010.

The Bank implemented Centralized Online Tax Accounting System (Government Business module) in 463 branches and Excise and Service Tax modules in 144 branches, under CBS setup. Sales Tax module has been implemented in all designated branches of Delhi and Maharashtra.

गयी है। पूरे भारत में 542 शाखाओं को प्रावरित करते हुये 25 केंद्रों में स्थानीय प्रसंसाधन केंद्र स्थापित हैं। केंद्रीकृत पेन्शन प्रसंस्करण कक्ष की शुरूआत की गयी है जिसके अंतर्गत बैंगलूर महानगरीय अंचल कार्यालय की 84 शाखायें प्रावरित हुई हैं। नेटवर्क आधारित सुपुर्दगी माध्यमों को चालित करने के लिये सभी शाखाओं/कार्यालयों को प्रावरित करते हुये सुचारू रूप से अभियानित और सुरक्षित कार्पोरेट नेटवर्क बैंक के पास उपलब्ध है। सभी अंचल कार्यालयों को वीडियो सम्मेलन की सुविधा प्रदान की गयी है।

सुचना प्रौद्योगिकी प्रगति	31.03.2009	31.03.2010
कोर बैंकिंग शाखाएं	1053	1809
एनियर बैंकिंग शाखाएं	2062	2091
इंटरनेट और मोबाइल शाखाएं	1362	1959
एनईएफटी तथा आरटीजीएस	2729	3037

## मानव शक्ति

यथा मार्च 31, 2010 को बैंक में 43380 कर्मचारी कार्यरत हैं।

	मार्च 2009	मार्च 2010
कर्मचारियों की कुल संख्या	44090	43380
अधिकारी	17551	17338
लिपिक	16500	16285
अधीनस्थ कर्मचारी *	10039	9757

\* अंश-कालिक कर्मचारी सहित

बैंक की सूची में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 9649 है जो 22% गढ़ित होती है। वर्ष के दौरान बैंक ने 466 महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया है और 217 महिला कर्मचारियों को पदोन्नत किया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 1181 व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में भर्ती की है जिनमें 177 अनुसूचित जाति के हैं और 129 अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हैं। यथा मार्च 2010 को बैंक के भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1573 है और उनमें से 156 वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों में भर्ती हुए हैं। बैंक के कर्मचारी गण में 845 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी हैं।

## अ.जा. और अ.ज.जा आरक्षण नीति

यथा मार्च 2010 को बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 25.83% है। यथा मार्च 2010 को बैंक में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार थी :

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	3072	1131
लिपिक	2911	867
अधीनस्थ कर्मचारी + अं.का.क	2773	449
कुल	8756	2447

Local Processing Centres (LPC) have been established in 25 centres all over India, covering 542 branches. Centralized Pension Processing cell was introduced and 84 branches of Bangalore Metro Circle Office have been covered. The Bank has a well-designed and secured Corporate Network, covering all the Branches/Offices for rolling out network-based delivery channels. All the Circle Offices have been provided with video conference facility.

Infotech Progress	31.03.2009	31.03.2010
Core Banking Branches	1053	1809
Anywhere Banking Branches	2062	2091
Internet and Mobile Banking Branches	1362	1959
NEFT and RTGS	2729	3037

## Manpower Profile

As at March 31, 2010, the Bank had 43,380 employees on its rolls.

	March 2009	March 2010
Total No. of Employees	44090	43380
Officers	17551	17338
Clerks	16500	16285
Sub-Staff*	10039	9757

\* includes part-time employees (PTEs)

Women employees comprising 9,649 constituted over 22% of the Bank's total staff. The Bank recruited 466 women employees and promoted 217 women employees during the year.

During the year, the Bank recruited 1181 persons in various cadres out of which 177 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 129 to Scheduled Tribes (STs) category. The total number of ex-servicemen as at the end of March 2010 stood at 1,573 and 156 of them were recruited in various cadres during the year. There were 845 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank.

## Reservation Policy in respect of SCs and STs

As at March 2010, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes together constituted 25.83% of total staff strength of the Bank. The composition of SC/ST employees in the Bank as at March 2010 was as under:

Cadre	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Officers	3072	1131
Clerks	2911	867
Sub-staff + PTEs	2773	449
Total	8756	2447

बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में आरक्षण नीति का अनुपालन सख्ती से करता आ रहा है।

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन पद आधारित तालिका तंत्र के द्वारा सभी संवर्गों के लिए किया जाता है।
- भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अ.जा. / अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण / छूट / रियायत दी जाती है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व और पदोन्नत-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। लिपिकीय और अधिकारी श्रेणियों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन में अ.जा. / अ.ज.जा. / भौ.विकलांग / अत्यसंख्यक वर्ग / भूतपूर्व रैनिक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विशिष्ट उल्लेख किया जाता है। भर्तीपूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री, नोट बुक, लेखन सामग्री आदि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ कहीं संभव हो, संबंधित राज्य सरकार भी, सरकारी / पिछड़े वर्ग के छात्रावासों में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।
- बैंक के द्वारा प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालय स्तर पर अ.जा./ अ.ज.जा. कक्ष की स्थापना तालिका का रख-रखाव तथा आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए की गयी है।
- आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी तथा अंचल कार्यालय स्तर पर संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- आगे, अ.जा. / अ.ज.जा. संघों के जरिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से सीधे प्राप्त अभ्यावेदनों पर संपर्क अधिकारी / मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। जहाँ कहीं आवश्यक हो पूछताछ और उचित कार्रवाई की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को रिकार्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा गया है और की गई कार्रवाई भी उस रजिस्टर में दर्ज की जाती है।

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per Govt. of India guidelines

- Reservation Policy is implemented through the mechanism of Post Based Rosters. In terms of the directives of the Ministry of Finance, Government of India, Bank has since switched over to Post Based Rosters for all cadres.
- The Bank has been extending Reservation/ Relaxations/Concessions in Direct Recruitment as well as in promotions to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per Govt. guidelines.
- Pre-recruitment and Pre-promotion training is given to candidates belonging to SC and ST. In the Advertisement inviting applications from eligible candidates for recruitment to Clerical and Officer cadres, a specific reference is made with regard to imparting of pre-recruitment training to candidates belonging to SC / ST / PWD / Minority Communities / Ex-servicemen. Candidates who opt for pre-recruitment training are given training to prepare themselves for written test as well as interview.
- Study materials, note book, stationeries are provided free of cost to all participants. Wherever possible, respective State Governments are providing Lodging Facilities in Government / backward class hostels.
- The Bank has setup SC/ST Cell at the Head Office and at Circle Offices to ensure maintenance of Rosters and implementation of other aspects of Reservation Policy.
- Chief Liaison Officer has been nominated at Head Office and Liaison Officers have been nominated at Circle Offices for ensuring implementation of Reservation Policy.
- Further, representations received from Scheduled Caste / Scheduled Tribe employees, either directly or through the SC/ST Associations, are being looked into by the Liaison Officer/Chief Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted and appropriate action is taken. A separate register is maintained for recording various representations received from Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees and the action taken is also recorded in the register.

- उपर्युक्त के अलावा बहुसंख्यक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को आरक्षण नीति के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में बैंक के मुख्य कार्यपालक के साथ चर्चा करने हेतु तिमाही बैठक में आमंत्रित किया जाता है। अंचल कार्यालयों में भी तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं जहाँ तालिका का रख-रखाव होता है और कोई शिकायत हो तो संपर्क अधिकारी द्वारा उसका निवारण किया जाता है।
- बैंक का निदेशक मंडल भी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में की गयी प्रगति की समीक्षा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक अंतराल पर करता है।

## प्रशिक्षण / मानव संसाधन विकास

बैंकिंग जैसे सेवा उन्मुख उद्योग के लिए मानव संसाधन मौलिक जीवन रेखा होते हैं। बदलते हुए बैंकिंग परिवेश के अनुसृप्त होने के लिए बैंक में मानव संसाधन नीतियों को पुनः खोजा गया है और बारंबार केंद्रित किए गए हैं। प्रथम पंक्ति के कर्मचारियों में व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए "स्पंदन" विभिन्न विशेष क्षेत्रों में आंतरिक प्रतिभाओं को पनपने के लिए "प्रतिभा" और प्रसिद्ध संस्थाओं के माध्यम से कार्यपालकों में गुणवत्ता लाने और क्वालिटी सर्किल, स्टडी सर्किल, कर्मचारी बैठक, मरित्तिक मंथन सत्र आदि जैसे मानव संसाधन साधन कारगर टीम निर्माण और सामूहिक सर्वोत्कृष्टता के लिए कार्यान्वयित किए गए।

आईआई.एम, आई.एस.बी., एक्स.एल.आर.आई., एन.आई.बी.एम., इत्यादि प्रतिष्ठित विभिन्न संस्थाओं में आवश्यकता आधारित और केंद्रित प्रशिक्षणों के जरिए कार्यदल की क्षमता में संवर्धन करने में बैंक की खोज जारी रहेगी। जोखिम प्रबंधन, राजकोष परिचालन, सू.प्रौ., आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञ विकसित करने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आवश्यकता के आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन स्तर / उच्च प्रबंधन स्तर के कार्यपालकों के लिए विशेषाकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस प्रशिक्षण के जरिए बैंक अपने अधिकारियों के ज्ञानवर्धन में और उनको नए जोश तथा उत्साह से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सका।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न कामकाजी क्षेत्रों में 31587 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है जिन में सीबीएस नियंत्रण पहलू, वित्तीय समावेशन, उच्चतर साख प्रबंधन, कांजटर स्टाफ के लिए विपणन कार्यक्रम, सी.बी.एस. हेल्प डेरेक प्रशिक्षण, निरीक्षण अधिकारियों के लिए गुणवत्ता भरा रिपोर्टिंग और ऋण लेखा परीक्षा कार्यक्रम, समूह एम.एस.एम.ई. कार्यक्रम, एच.आर.एम.एस. पैकेज, सी.बी.एस. - एफ.सी.आर. - चैंपियन, सी.बी.एस. - एफ.सी.सी. - चैंपियन और सी.ए.एस.ए. विपणन जैसे प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों में से 7047 महिलाएँ, 6715 अनुसूचित जाति और 1845 अनुसूचित जन जाति के हैं।

- In addition to the above, the representatives of majority Scheduled Caste / Scheduled Tribe Employees' Association are invited for Quarterly Meeting with the Chief Executive of the Bank to discuss on the implementation of guidelines on reservation policy. Quarterly Meetings are also held at Circle Offices, where Rosters are maintained and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officer.
- The Board of Directors of the Bank also reviews the progress made in the implementation of Reservation Policy on a half yearly and yearly basis.

## Training / Human Resource Development (HRD)

Human resources form the basic lifeline for a service-oriented industry like banking. The HR policies of the Bank have been reinvented and refocused time and again to suit to the changing banking scenario. HR interventions like SPANDAN for bringing attitudinal change among front line staff, PRATIBHA for grooming in-house talents in varied specialized areas and executive grooming through reputed institutes and other significant HR tools like Quality Circles, Study Circles, Staff Meetings and Brain Storming Sessions have been implemented for effective team building and collective excellence.

The Bank's quest to enhance the competencies of the workforce will continue through focused and need-based training at various institutes of repute like IIMs, ISB, XLRI, NIBM etc. Customised programmes are also being organised to develop expertise in certain niche areas like Risk Management, Treasury Operations, IT etc.

Specialised training to Senior Management Level / Top Management Level executives are conducted based on the requirement. The Bank has been able to add substantially to the repertoire of knowledge of its officials through this training intervention and motivating them to perform with renewed vigour and enthusiasm.

The Bank has trained 31,587 employees during the year, covering a wide range of functional areas including some of the new training programmes like Control aspects of CBS, Financial Inclusion, Advanced Credit Management, Marketing Programme for Counter Staff, CBS Help Desk Training, Quality reporting for inspecting officials and Programme on Credit Audit, Cluster MSME Programmes, HRMS package, CBS- FCR- Champions, CBS-FCC-Champions and CASA Marketing. Out of the trained staff, 7047 personnel were women employees, 6715 personnel belonged to the Scheduled Caste category and 1845 personnel who received training were under the Scheduled Tribe category.

आगामी वर्ष में उचित प्रतिभा प्रबंधन और पुरस्कार प्रणाली प्रारंभ करने पर बैंक का ध्यान केंद्रित है। सक्षम नेताओं को पहचानने और आनेवाले दिनों में उच्चतर जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए उनको तैयार करने के लिए अदम्य प्रयास किया जाएगा। योग्य कर्मचारियों को उचित अधिकार सौपने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि वे संगठन के उत्तम भावी नेता होंगे।

## संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन :

निर्बाध कार्यप्रणाली और प्रभावशाली परिणामों को सहूलियत देने के लिए बैंक ने अपने संगठनात्मक / परिचालनात्मक संरचना में परिवर्तन किए। संगठनात्मक डीजाइन और आकृति में लगातार समीक्षा की गई और परिचालनात्मक उत्कृष्टता हासिल करने के मार्गों का अध्ययन किया गया।

बैंक की संपूर्ण संरचना 3 चरण की हो गयी जिसमें प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय और शाखाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यालय रद्द करते हुए पुनः संरचना की गई और शीघ्र तथा प्रभावी निर्णयों के जरिए सशक्त ग्राहक संबंध निर्माण करने के द्वारा प्रगति के विशिष्ट अवसर प्रदान किए गए। एन नीति का उत्तम निष्पादन और निर्बाध कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु संगठनात्मक संरचना पुनः कार्यान्वयन की गई।

## ग्राहकोन्मुखता

बैंक हमेशा बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और पहल करते हुए ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करने में तत्पर है। बैंक द्वारा ग्राहकों को वैयक्तिक श्रेणी के विशेषीकृत तथा विविध उत्पाद और गुणवत्ता सेवा प्रदान की जाती है। बैंक ने शाखाओं पर ग्राहकों को 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' की प्रतियाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। साथ ही, ग्राहकों द्वारा बार-बार पूछे जानेवाले सवाल संबंधी सूचना सहित सूचनात्मक पुस्तकें सभी शाखाओं को उपलब्ध कराई गई ताकि बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान किया जा सके। चेक / लिखतों की वसूली, शिकायत निवारण व्यवस्था, क्षतिपूर्ती नीति, मृत्यु संबंधी दावों के निपटान की परिचालनात्मक प्रक्रिया में संशोधन आदि नीति दिशानिर्देश ग्राहकों के लाभार्थ बैंक के वेबसाइट में उपलब्ध कराए गए थे। ग्राहक नातेदारी प्रबंधन पहल के अंश के स्तर में मार्च 2008 के दौरान **कॉल सेंटर** प्रारंभ किया गया। यह कॉल सेंटर ग्राहकों को 6 भाषाओं में अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम में सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष के दौरान प्राप्त कॉल 7.5 लाख से अधिक थे।

## पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएं

वर्ष के दौरान, ऑन साइट आर.बी.आई.ए. के लिए विनिर्दिष्ट सभी 2078 शाखाओं / इकाइयों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) आयोजित की गई। आर.बी.आई.ए. के साथ सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा भी की गयी। 763 शाखाओं / सेवा इकाइयों में संगामी/

Establishing a proper Talent Management and Reward System will be the Bank's focus in the coming years. There will be concerted efforts to identify potential leaders and groom them to take up higher responsibilities in the days to come. An attempt is being continuously made to empower deserving employees so that they will become future leaders of the organisation.

## Changes in the Organizational Setup

The Bank brought out further changes in its organizational/ operational set-up to facilitate smooth functioning and effective results. The Organizational design and structure are continuously revisited and studied to make inroads for functional excellence.

The Bank has completely moved towards a 3 tier structure comprising Head Office, Circle Offices and Branches. The re-structuring was effected by delayering the Regional Office setup and thus providing significant opportunities for growth by building stronger clientele relations through faster and effective decisions. The Organizational Structure has been reworked to enable better execution of strategy and ensure smooth functioning.

## Customer Orientation

The Bank's endeavour has always been to respond to customers by taking conscious initiatives and showing proactive response to changing customer expectations. The Bank offers a personalized range of specialized and diversified products and quality service to customers. The Bank made arrangements for providing copies of the 'Code of Bank's Commitment to Customers' to customers at branches. An informative booklet containing all the relevant information on 'Frequently Asked Questions by Customers' was made available at all branches towards better Customer Service. The Policy guidelines relating to Collection of Cheques/Instruments, Grievance Redressal Mechanism and Compensation Policy were placed on the Bank's website for use of the customers. As part of Customer Relationship Management initiatives, a **Call Centre** was setup during March 2008. The Call Centre caters to the customers in 6 languages viz., English, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam. The number of calls received by the Call Centre during the year was more than 7.5 lakh.

## Systems and Procedures

Risk Based Internal Audit (RBIA) was conducted in all the 2078 branches/ units programmed for on-site RBIA during the year. Information Security Audit was conducted along with RBIA. Concurrent / Continuous Audit was conducted in 763 branches/service units, of which 250 branches and

सतत लेखा परीक्षा आयोजित की गयी जिनमें से 250 शाखाओं और 35 इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षाकों द्वारा संगामी / सतत लेखा परीक्षा की गई और 461 शाखाओं तथा 17 इकाइयों का बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा संगामी लेखा परीक्षा की गयी और 55.01% जमाराशियाँ तथा 87.5% अग्रिम प्रावरित किए गए (यथा 31/03/2009 को, कारोबार की स्थिति के अनुसार)। 357 शाखाओं में आय / राजस्व लेखा परीक्षा की गयी, जिनमें तिमाही आधार पर आय लेखा परीक्षा हेतु चयनित शाखाएँ और मासिक आधार पर संगामी / सतत लेखा परीक्षा के अधीन चयनित 763 शाखाएँ शामिल हैं।

### अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.)

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए और धनशोधन निवारक दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कई उपाय किए गए हैं और सभी शाखाओं में के.वाई.सी. का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

के.वाई.सी. / ए.एम.एल. दिशानिर्देशों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :-

- नए खाताधारकों तथा परिचयकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन करनेवाले पत्रों का मुद्रण और विमोचन अंचल कार्यालय स्तर पर होता है। शुरूआती तौर पर, बैंगलूरु मेट्रो और बैंगलूरु ग्रामीण अंचलों में यह प्रणाली कार्यान्वयन की गयी है।
- शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि सभी खाते के.वाई.सी. के अनुस्र हैं।
- सभी अंचलों में अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारक / सी.एफ.टी. दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा मॉनीटरिंग करने हेतु, एक कार्यालय को नोडल अनुपालन अधिकारी के स्मृति में नामित किया गया है।

### सतर्कता व्यवस्था

बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के सतर्कता विभाग का नेतृत्व महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनका समर्थन सभी अंचलों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, और बैंक की बहुधा अनुबंधियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया जाता है। धोखाधड़ियों की समीक्षा, रिपोर्टिंग व अनुप्रवर्तन पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट किए गए सभी मामलों की समीक्षा विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया की पर्याप्तता के दृष्टिकोण से की गई है और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए आवश्यक निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं। धोखाधड़ियों को रोकने में जागरूकता पैदा करने के लिए धोखाधड़ी जागरूकता परिपत्र जारी किए गए हैं। ग्राहकों और सामान्य जनता को उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराने के अलावा प्रणालियों में सुधार करने और सूचना प्रौद्योगिकी की विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के जरिए भ्रष्टाचार के प्रतिलड़ने का बोध और वर्धित पारदर्शिता लाने हेतु उठाए गए प्रभावी उपायों को उजागर करते हुए वर्ष के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश पत्र जारी किया गया।

35 units were subjected to concurrent/continuous audit by internal auditors and 461 branches and 17 service units were subjected to concurrent audit by external auditors covering 55.01% of deposits and 87.5% of advances (as per the Business position as at 31.3.2009). 357 branches were subjected to income/revenue audit, which included branches identified for income audit on quarterly basis in addition to 763 branches which are under concurrent/continuous audit on monthly basis.

### Know Your Customers (KYC)

The Bank took several measures for the effective implementation of Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) guidelines and ensured 100% KYC compliance by all branches.

To ensure better compliance of guidelines on KYC / AML following steps have been initiated.

- Printing and dispatch of Thanksgiving letters to new account holders and introducers, centrally at Circle Office. On a trial basis the system has been implemented at Bangalore Metro and Rural Circles.
- Branches have been advised to ensure that all the accounts are KYC compliant.
- All Circles have nominated an Executive as Nodal Compliance Officer for monitoring and ensuring compliance of guidelines on Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML)/Combating of Financing of Terrorism (CFT).

### Vigilance Setup

The Bank's Vigilance Wing at its Corporate Office is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) in the rank of General Manager. The CVO is ably aided by Vigilance Officers at all Circles, RRBs and most of the Bank's Subsidiaries. Guidelines on review, reporting and monitoring of frauds have been issued and all the reported cases of frauds were reviewed from adequacy of existing systems and procedures angle and necessary preventive measures taken to prevent frauds. Fraud awareness Circulars were issued to enhance awareness on prevention of frauds. During the year, a leaflet was brought out containing the message of the CVO highlighting the effective measures undertaken through system improvements and leveraging of information technology to create increased transparency and awareness to fight corruption besides providing more efficient service to the customers and general public.



धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनके निवारण हेतु बैंक ने पर्याप्त उपाय किये हैं जैसे पूर्व चेतावनी संकेत की शुरूआत, सुरक्षा जाँच के मानदंडों में संशोधन और उन अंचलों का प्रभावी अनुपर्वतन हेतु जहाँ बड़े पैमाने में धोखाधडी घटित है, महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग का निगरानी लेखा परीक्षा दौरा प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 03 नवंबर 2009 से 07 नवंबर 2009 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया है।

## सुरक्षा प्रबंध

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक में सुरक्षा का माहौल आम तौर पर सामान्य रहा। 52 घटनाएं हुई हैं जिसमें 12.61 लाख रुपये की हानि हुई है। वर्ष के दौरान एक प्रमुख अग्नि संबंधी हानि हुई है जिसमें लगभग रु 21 लाख की हानि हुई। सभी करेन्सी चेस्टों और चुनिंदा शाखाओं में सी.सी.टी.वी. लगवाकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई। कुछ चयनित कार्यालयों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा साधन लगवाये गए। आरित हानि और चोट निवारण तथा जीव हानि कम करने के लिए नियमित अंतरालों पर अग्नि सुरक्षा व्यायाम का प्रारंभ तथा अभ्यास किया गया।

## परिवेश में सुधार

वर्ष के दौरान, प्रमुख स्थानों पर खोली गई सभी नई शाखाओं तथा नए परिसर में स्थानांतरित शाखाओं में ग्राहकों की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु उचित आंतरिक सज्जा की गई। इसके अलावा, कंप्यूटर वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक द्वारा उचित आंतरिक व्यवस्था की जा रही है और सभी शाखाओं के परिवेश भी सुधारने का प्रस्ताव है।

## सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, सूचना देने तथा पारदर्शिता लाने के लिए बैंक ने अनन्य सूचना का अधिकार अधिनियम केंद्र की स्थापना की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने प्राप्त सभी 1666 आवेदनों पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की है।

## राजभाषा का कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के अंतर्गत सराहनीय प्रगति की है। यथा मार्च 2010 को लगभग 95% कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान हासिल किया है और बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन 2290 शाखाओं को, अधिसूचित किया है। हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला ऑफिस में प्रशिक्षित किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों के लिए 179 पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

For preventing and detecting frauds and other irregularities, the Bank took adequate measures, such as introduction of early warning signals, revised norms for security verification and introduction of surveillance audit, visit of General Manager, Inspection Wing for effective monitoring of the Circles, where large scale frauds have occurred. As directed by the Central Vigilance Commission, 'Vigilance Awareness Week' was observed from 3rd to 7th November, 2009.

## Security Arrangements

The security environment in the Bank remained, by and large, normal during 2009-10. There were 52 incidents of crime during the year involving a loss of Rs. 12.61 lakh. There was one major fire incident during the year and loss approximated to Rs. 21 lakh. The security arrangements have been reinforced by installation of CCTV in all Currency Chests and identified branches. Modern fire safety devices have been introduced at select Offices. Fire safety drills have been introduced and practiced at regular intervals in order to minimize damage to property and prevent injury and loss of life.

## Ambience Improvement

All the new branches opened in prime localities and branches shifted to new premises during the year were provided with suitable interiors to meet the present day requirements of the customers. Besides, the Bank is providing better interiors to augment the requirements of the computer environment and also proposes to enhance the ambience at all branches.

## Right to Information

Under the Right to Information Act, 2005, the Bank set up an exclusive Right to Information Act outfit to provide information and bring transparency. During the year under review, the Bank dealt with all the 1666 applications/ appeals received as per the provisions of the Act.

## Implementation of Official Language

The Bank made noteworthy progress under the implementation of Official Language during the year under review. As at March 2010, around 95% of employees have obtained working knowledge in Hindi and the Bank has notified 2290 branches under Rule 10 (4) of OL Rules 1976. All the employees of the Bank possessing working knowledge of Hindi have been trained in Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 179 refresher training programmes for such employees.

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा को अमल करने हेतु बैंक ने शब्द संसाधन के लिए "शब्दरत्न" एवं "आकृति" का प्रयोग, डाटा प्रोसेसिंग के लिए "बैंकस्क्रिप्ट" पैकेज का प्रयोग और बैंक के ए.टी.ए.म. स्क्रीनों में 10 भारतीय भाषाओं में लेनदेन का प्रावधान जारी रखा। टेली बैंकिंग की सुविधा हिन्दी और अंग्रेजी के साथ प्रमुख 6 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान की जा चुकी है। बैंक का कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है।

राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं और पुरस्कार प्रारंभ किये हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

## खेलकूद का प्रवर्तन

केनरा बैंक ने हमेशा खेलकूद को प्रोत्साहन तथा समर्थन दिया है और देशभर की खेलकूद गतिविधियों में उदार अंशदान प्रदान किया है, टूर्नामेंट प्रयोजित किये हैं और प्रतिभायुक्त खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। बैंक द्वारा खिलाड़ियों की भर्ती में विशेष रुचि दिखाई गई और वर्तमान में बैंक में 6 क्षेत्रों अर्थात् क्रिकेट, हॉकी, महिला अथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन व टेबल टेन्निस में 42 खिलाड़ी कार्यरत हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी - श्री बी के वेकटेश प्रसाद, श्री सुनील बी जोषी, सुश्री शांता रंगराजामी, सुश्री कल्पना और सुश्री सुधा शाह (भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच) वर्तमान में बैंक में कार्यरत हैं। प्रसिद्ध शटल खिलाड़ी और भूतपूर्व राष्ट्रीय चैम्पियन और भारतीय बैडमिंटन का पूर्व कोच - श्री यू विमल कुमार, अंतर्राष्ट्रीय धाविका - श्रीमती एम के आशा, श्रीमती सुमा गोपालकृष्णा तथा श्रीमती एच एम ज्योति और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी - श्री भरत छेत्री तथा श्री पीष्मुगम भी बैंक में कार्यरत हैं।

खेलकूद क्षेत्र में केनरा बैंक ने कई श्रेष्ठ उपलब्धियाँ हासिल की हैं और बैंक की क्रिकेट, बॉल बैडमिंटन तथा टेबल टेन्निस टीम कर्नाटक राज्य में प्रथम स्थान पर हैं।

## वित्तीय सुपर बाजार

### अनुषंगियाँ, प्रायोजित संस्थाएं और संयुक्त उद्यम

केनरा बैंक अपने ग्राहकों को "वन स्टॉप बैंकिंग मार्ट" पेश करने के उद्देश्य से गत 1980 दशकों के दौरान अनुषंगियाँ आरंभ करने के द्वारा विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों में पदार्पण किया। आज, विभिन्न क्षेत्रों में नौ अनुषंगियाँ, प्रायोजित संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के साथ वित्तीय सुपर बाजार के रूप में काम कर रहा है।

In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Shabdaratna and Akruti packages for word processing, usage of Bankscript package for Data Processing and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 10 Indian languages. Telebanking facility has also been provided in Hindi and English and other 6 major regional languages. The Bank's corporate website is fully bilingual.

To encourage effective implementation of Official Language, the Bank has introduced various schemes and awards to its employees. Official Language Implementation Committees are constituted in all the branches of the Bank to motivate and guide the employees towards effective implementation of Official Language Policy of the Govt. of India.

## Promotion of Sports

Canara Bank has always been encouraging and supporting sports and contributed generously to sporting activities all over the country by sponsoring tournaments and providing scholarships to talented sports persons. The Bank has shown a keen and abiding interest in recruiting sports persons and has on its rolls 42 sports persons in six disciplines viz., Cricket, Hockey, Women's Athletics, Badminton, Ball Badminton and Table Tennis.

International Cricketers Shri B K Venkatesh Prasad, Shri Sunil Joshi, Ms Shantha Rangaswamy, Ms Kalpana and Ms Sudha Shah (Coach of the Indian Women's Cricket Team) are presently in the Bank's fold. Ace Shuttler and former National Champion and former coach of the Indian Badminton Team, Shri U Vimal Kumar, International Athletes – Smt. M K Asha, Smt. Suma Gopalakrishna and Smt. H M Jyothi and Hockey Internationals – Shri Bharat Chhetri and Shri P Shanmugam are also on the Bank's rolls.

Canara Bank recorded several distinctions in the sporting arena and the Bank's Cricket, Ball Badminton and Table Tennis Teams rank numero uno in the State of Karnataka.

## FINANCIAL SUPERMARKET

### Subsidiaries, Sponsored Entities and Joint Ventures

Canara Bank, with the objective of offering 'One Stop Banking Mart' for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket' with as many as nine subsidiaries/ sponsored entities/joint ventures in diversified areas.

भारत में शक्तिशाली **वित्तीय सुपर बाजार** के रूप में उभरने के लिए इन निकायों की मौलिकताओं को मजबूत करने की दिशा में बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान बैंक की सभी अनुषंगियों, प्रयोजित संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों का कार्यनिष्ठादान संतोषजनक रहा।

### **कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (सीबीआईएल) :**

भारतीय स्टेट बैंक के साथ केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम सीबीआईएल ने अप्रैल 2004 के दौरान मास्को, रस्स में कारोबार की शुरुआत की। कंपनी ने 31 मार्च 2010 को कर के बाद 2.15 मिलियन यू.एस.डॉलर का लाभ अर्जित किया है।

### **केनबैंक वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल)**

केनबैंक वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल) के न्यासी व प्रबंधक सीवीसीएफएल बैंक की पूर्णतया स्वाधिकृत अनुषंगी है। सीवीसीएफएल वर्तमान में समग्र राशि 23.85 करोड़ रुपये सहित 2 निधियों का प्रबंधन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सीवीसीएफएल ने 95 उद्यमों को सहायता प्रदान की है और 108.90 करोड़ रुपये वितरित किया है। कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान कर के बाद 71.02 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। सीवीसीएफएल की 500 करोड़ रुपए की आधारभूत राशि के साथ 5 वें निधि स्थापित करने की तैयारी में है। कंपनी द्वारा निरंतर लाभांश का भुगतान किया जा रहा है।

### **केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)**

सीएफएचएल देश के प्रख्यात वित्तीय निकायों में से एक है, जिसका प्रयोजन केनरा बैंक द्वारा किया जाता है। कंपनी ने 653 करोड़ रुपए और 547 करोड़ रुपए क्रमशः मंजूर और ऋण वितरित किया है, जिसके साथ मार्च 2010 को संचित मंजूरी रुपए 6172 करोड़ और वितरण रुपए 5329 करोड़ रहा है। कंपनी ने यथा मार्च 2010 को कर के बाद 39.18 करोड़ रुपया लाभ दर्ज किया है जो गत वर्ष की समरम्मी अवधि के दौरान 31.52 करोड़ था।

### **केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)**

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की एक प्रमुख फैक्टरिंग संस्था है। यह कंपनी फैक्टर्स चैइन इंटरनैशनल जो विश्व में फैक्टरिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा संगठन है, का सदस्य है। कंपनी ने 31.03.2010 को 3735 करोड़ रुपए का कुल कारोबार टर्नओवर किया है। कंपनी ने यथा मार्च 2010 को कर के बाद 24.37 करोड़ रुपया लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने बैंक को रु. 224 लाख का लाभांश अदा किया है।

### **केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)**

सीसीएसएल, देश में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा प्रयोजित एक ही सॉफ्टवेयर अनुषंगी है। सीसीएसएल मूलतः आईटी और साफ्टवेयर

The Bank has taken significant steps towards strengthening fundamentals of these entities so as to emerge as a strong '**Financial Supermarket**' in India. All the subsidiaries/sponsored entities/ joint ventures of the Bank recorded satisfactory performance during the reporting year.

### **Commercial Bank of India LLC (CBIL)**

CBIL, a joint venture of Canara Bank and State Bank of India, has been operational since April 2004 in Moscow, Russia. The Company earned a profit after tax of USD 2.15 million as at 31st March 2010.

### **Canbank Venture Capital Fund Limited (CVCFL)**

CVCFL, the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund (CVCF), is a wholly owned subsidiary of the Bank. Currently, it manages two Funds with a corpus of Rs. 23.85 crore. During the financial year 2009-10, CVCFL assisted 95 Ventures, involving a sum of Rs. 108.90 crore. The Company recorded a profit after tax of Rs. 71.02 lakh for the year 2009-10. CVCFL is all set to float 5th Fund with a corpus of Rs. 500 crore. The Company has been continuously paying dividend.

### **Can Fin Homes Limited (CFHL)**

CFHL, a sponsored entity of Canara Bank, is one of the premier housing finance entities in the country. The Company sanctioned and disbursed loans amounting to Rs.653 crore and Rs.547 crore respectively, taking cumulative sanctions to Rs.6172 crore and disbursement to Rs.5329 crore as at March 2010. The company posted a profit after tax of Rs.39.18 crore as at March 2010 as against Rs.31.52 crore during the previous year.

### **Canbank Factors Limited (CFL)**

Canbank Factors Limited, which is a factoring subsidiary of the Bank, is a member of Factors Chain International. Factors Chain International is an umbrella organization for factoring companies across the world. The company achieved a total business turnover of Rs. 3735 crore as at 31.03.2010. The Company has earned Profit after Tax of Rs. 24.37 crore as at March 2010. The Company paid a dividend of Rs. 224 lakh to the Bank.

### **Canbank Computer Services Limited (CCSL)**

Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a public sector bank in the country.

विकास सेवाएं, प्रशिक्षण/परामर्श एवं रेजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंसी सर्विसेज में लगा हुआ है। सीसीएसएल "नासकॉम" (NASSCOM) का सदस्य है और विश्व बैंक की परियोजनाओं के लिए साफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करनेवाले के सम्म में पंजीकृत है। यथा 31.03.2010 कंपनी ने कर पश्चात् रु 110.31 लाख रुपया लाभ दर्ज किया है। सीसीएसएल को केनरा बैंक का सी.बी.एस. हेल्प डेस्क प्रबंधन करने का आदेश प्राप्त हुआ है जिसका परिचालन मई 2010 से प्रारंभ होगा। कंपनी द्वारा केनरा बैंक की कॉल सेंटर गतिविधि सफलता से निभायी जा रही है और बाहरी कॉलों पर भी जवाब देना प्रारंभ किया है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रगति ग्रामीण बैंक के निरीक्षण विभाग तथा सू.प्रौ. विभाग के अधिकारियों के लिए सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

### केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (सी बी एस एल)

केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लिमिटेड (पहले गिल्ट सिक्यूरिटीज ट्रैडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) ने प्रधान व्यापारी कारोबार को अपने बैंक को सुपुर्द कर दिया। वर्ष 2007 से कंपनी ने पूँजी बाजार क्रियाकलापों को प्रधानतया स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं का विविधीकरण किया है। कंपनी द्वारा संस्थागत और खुदरा दोनों ग्राहकों के लिए स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। खुदरे ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रैडिंग काउंटर इसका प्रधान उत्पाद है। वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी ने मुद्रा व्युत्पन्न में प्रवेश किया है। कंपनी ने यथा मार्च 2010 को कर-पश्चात् रु 6.51 करोड़ लाभ अंकित किया है। बैंक द्वारा निधि समर्थन में प्रदत्त रु 376.45 करोड़ कंपनी द्वारा पहली बार लाभांश घोषित किया गया और बैंक को रु 4 करोड़ का लाभांश अदा किया गया।

### केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

डिक्रीकृत खातों के अधीन देयों की वसूली और पट्टेदार किराये की वसूली पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेनों से उत्पन्न हुए कानूनी मामलों के क्रियाकलापों तक केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने कार्य को सीमित रखा है। वर्ष के दौरान केनफिना ने कर-पश्चात् रु 2.58 करोड़ लाभ अंकित किया है। बैंक द्वारा निधि समर्थन में प्रदत्त रु 376.45 करोड़ में से, केनफिना ने रु 326.45 करोड़ की चुकौती की है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाकी रु 50 करोड़ की संपूर्ण देयता का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

### केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड

केनबैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए 1993 में मेसर्स केनबैंक इनवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड स्थापित किया गया था। वर्ष 2007 में केनरा बैंक ने आस्ति प्रबंधन कंपनी के 49% भाग को मेसर्स रोबेको ग्रुप के पक्ष में अंतरित कर दिया है कि वे केनबैंक म्यूचुअल फंड की आस्तियों का प्रबंधन करें। अब इस कंपनी का केनरा रोबेको आस्ति

CCSL is primarily engaged in IT and Software development services, training/consultancy and registrar and share transfer agency. The Company is a member of NASSCOM and Registered as a software solution provider for World Bank projects. The Company has posted profit after tax of Rs. 110.31 lakh as on 31.03.2010. CCSL received orders for managing CBS Help Desk of Canara Bank and its operation is likely to commence from May 2010. The Company has been successfully managing the Call Centre activity of Canara Bank and started attending outbound calls also. During the year, the Company also conducted Information System Audit Training for Officials in Inspection Department and IT Department of Pragathi Gramin Bank.

### Canara Bank Securities Limited (CBSL)

Canara Bank Securities Limited (Formerly Gilt Securities Trading Corporation Limited) which was established as Primary dealer, has hived off Primary Dealer business to the parent Bank. The Company has diversified into Capital Market related activities, mainly stock broking since 2007. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Online Trading Counter for retail customers is its flagship product. The Company entered Currency Derivatives during 2009-10. The Company posted a Profit after Tax of Rs. 6.51 crore as at March 2010. The Company declared its maiden dividend and paid dividend of Rs. 4 crore to the Bank.

### Canbank Financial Services Limited (Canfina)

Canbank Financial Services Ltd confined its activities to legal matters arising out of past transactions in securities, besides concentrating on collection of lease rentals and recovery of dues under decreed accounts. During the year, Canfina posted a profit after tax of Rs. 2.58 crore. It repaid Rs. 326.45 crore out of the funding support of Rs. 376.45 crore given by the Bank and proposes to clear the entire liability of Rs. 50 crore outstanding, during the current fiscal year.

### Canara Robeco Asset Management Company Limited (CRAMC)

To manage assets of Canbank Mutual Fund, M/s Canbank Investment Management Services Limited (CIMS) was established in 1993. In the year 2007, Canara Bank divested 49% stake of Asset Management Company in favour of M/s Robeco Groep N V forming a joint venture, for managing the assets of Canbank Mutual Fund (since renamed as Canara Robeco Mutual Fund). The company

प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के स्तर में पुनर्नामकरण किया गया। बैंक के विस्तृत तंत्र के समर्थन के साथ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय आचरणों को लाकर परस्पर निधि उद्योग के एक अच्छे बाजार हिस्से को हथियाना इस संयुक्त उद्यम का लक्ष्य है। 51% का बहुमत हिस्सा बैंक में रहने के साथ कंपनी के असेट अंडर मेनेजमेंट रु. 7632 करोड़ रहा और आधारभूत निधि रु. 5879 करोड़ रहा जिस का मार्च 2010 को 3 लाख निवेशक थे। अब कंपनी 18 योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। फरवरी 2010 के दौरान निधि ने रु. 10,000 करोड़ का मीलपत्थर ए.यू.एम. पार किया है। केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी को सर्वश्रेष्ठ ए.एम.सी. के स्तर में नामित किया गया था - बिजिनेस वर्ल्ड एम.एफ. अवार्ड में उसे द्वितीय सर्वश्रेष्ठ ए.एम.सी. के स्तर में सम्मानित किया गया और लिप्पर फंड अवार्ड 2010 में श्रेष्ठ बांड फंड हाऊस अवार्ड प्रदान किया गया। यथा मार्च 2010 को कंपनी अपना स्थान 32 निधि गृहों में से 26वें स्थान से 37 निधि गृहों में से 16वें स्थान पर पहुँच गई है।

## केनरा एच.एस.बी.सी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉर्मस लाइफ इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड

बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख एच.एस.बी.सी. बीमा (एशिया पेसिफिक) धारण और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉर्मस के साथ बीमा संयुक्त उद्यम रूपायित किया गया है। सितंबर 2007 के दौरान कंपनी को निगमित किया गया। कंपनी में 51% प्रधान शेयर धारण के साथ बैंक ने एक अलग संविभाग में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और अपने खुद के घरेलू पहुंच के सुंदर मेल मिलाप के साथ प्रविष्ट किया। कंपनी ने कई उत्पादों के साथ 16/06/2008 से अपना कारोबार परिचालन प्रारंभ किया अर्थात् चाइल्ड प्लान, सरल बीमा प्लान, स्टे स्मार्ट, रिटायर स्मार्ट तथा सरल बीमा प्लास। इसके अतिरिक्त, अनिवार्यतर ग्रुप क्रेडिट संरक्षण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। यथा 31/03/2010 को कंपनी की प्रबंधन अधीन आस्तियाँ (ए.यू.एम.) रु. 1314 करोड़ रही। कंपनी ने अपने परिचालन के द्वितीय वर्ष में रु. 644 करोड़ का वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (ए.पी.ई.) पंजीकृत किया है। कंपनी ने प्रारंभ से अब तक की कुल प्रमियम रु. 1000 करोड़ पार किया है और 21 महीनों के रिकार्ड समय में यह उपलब्ध अत्यंत तेजी से हासिल की है। भारत में बीमा क्षेत्र में 22 निजी संस्थाओं में से हमारी कंपनी 13वां स्थान प्राप्त कर चुकी है। कंपनी ने अपना मार्केट शेयर वर्ष 2008-09 में 0.9% से वर्ष 2009-10 के दौरान 1.8% के स्तर में दुगुना किया है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.)

केनरा बैंक ने 793 शाखाओं के साथ तीन राज्यों में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है जैसे कर्नाटक राज्य में प्रगति ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश राज्य में श्रेयस ग्रामीण बैंक और केरल राज्य में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक। यथा

has since been renamed as Canara Robeco Asset Management Company Limited. The JV aims to capture a worth while market share of Mutual Fund industry by bringing best international practices and expertise supported by the vast network of the Bank. With a majority share of 51% held by the Bank, Assets Under Management (AUM) of the Company improved to Rs. 7632 crore and Corpus fund increased to Rs. 5879 crore, with investors base of 3 lakh as at March 2010. The Company is currently managing 18 Schemes. The Fund crossed the milestone AUM of Rs. 10000 crore during February 2010. Canara Robeco Asset Management Company was nominated for Best AMC – ranked as the 2nd best AMC at Business world MF Awards and received Best Bond Fund House Award at Lipper Fund Awards 2010. The company has improved its ranking from 26 out of 32 fund houses to 16 out of 37 fund houses as at March 2010.

## Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited

An Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with internationally reputed HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce. The Company was incorporated during September 2007. With a majority shareholding of 51% in the Company, the Bank has ventured into a niche segment, with a fine blend of international expertise and its own domestic outreach. The Company commenced its business operations from 16.06.2008 by offering products viz., Child Plan, Saral Bima Plan, Stay Smart, Retire Smart and Saral Bima Plus. In addition, mandatory and non-mandatory Group Credit protection schemes were also launched. The Company's assets under management (AUM) during the year stood at Rs. 1314 crore as on 31.03.2010. The Company has registered an Annualized Premium Equivalent (APE) of Rs. 644 crore in its second year of operation. The Company has crossed Rs. 1000 crore in terms of total premium since inception and has become the fastest to achieve this milestone in a record time of 21 months. Out of the 22 private players in the insurance field in India, the Company is ranked 13th. The Company has doubled its market share at 1.8% during 2009-10 from 0.9% in 2008-09.

## Regional Rural Banks (RRBs)

Canara Bank sponsored 3 RRBs in three States with a network of 793 branches, viz., Pragathi Gramin Bank in Karnataka, Shreyas Gramin Bank in Uttar Pradesh and

मार्च 2010 को रु165 करोड के समिश्रित परिचालनात्मक लाभ और रु 108 करोड के करोतर लाभ के साथ केनरा बैंक द्वारा प्रयोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समग्र व्यापार रत्तर ने 17000 करोड पार करके 17509 करोड रु तक पहुंच गया जिस में 9444 करोड रु जमाएँ और 8065 करोड रु अग्रिम रहे। यथा मार्च 2010 को हमारे सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल एन.पी.ए अनुपात 2.28% रहा और निवल एन.पी.ए. 1.24% रहा। कृषि क्षेत्र को ऋण दुगानी करने के नीति परक लक्ष्य के अनुसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु 5125 करोड की राशि वितरित की है जो वर्षानुवर्ष 27.9% दर वृद्धि दर्ज करती है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 88.79% होते हैं। यथा मार्च 2010 को कृषि ऋण बकाया रु 5768 करोड़ रहा। इस वित्त वर्ष के दौरान प्रगति ग्रामीण बैंक ने कुल व्यापार के परिपेक्ष्य में कर्नाटक राज्य के साथ-साथ पूरे दक्षिण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साउथ मलबार ग्रामीण बैंक ने केरल राज्य में अपना प्रथम स्थान बनाया रखा। श्रेयस ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मचारी उत्पादकता में प्रथम रहा। इन तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सितंबर 2011 से अपनी सभी शाखाओं में सी.बी.एस. कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

## पुरस्कार / प्रशस्तियाँ

विभिन्न पहलुओं की पहचान के स्वरूप में बैंक को वर्ष के दौरान कई पुरस्कार और प्रशस्तियाँ हासिल हुईं। प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों में से कुछ निम्नवत् हैं:

- के.वी.आई.सी. और पी.एम.ई.जी.पी. योजनाओं के अधीन ऋण प्रदान करने के संबंध में वर्ष 2008-09 के लिए "दक्षिण भारत का श्रेष्ठ बैंक" पुरस्कार प्राप्त हुआ। माननीय प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।
- बैंक ने माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से सी.जी.टी.एम.ई. द्वारा जारी किया गया - साख गारंटी अनुमोदन प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

## बैंक की विभिन्न नीतियाँ

बैंक की सम्यक परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रक अपेक्षाओं, भारत सरकार के निर्देशों और वर्तमान संदर्भ में बैंक की उभरती हुई अपेक्षाओं के आलोक में वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को सुचारू स्तर देने के समरस प्रयास किए गए हैं। तदनुसार, अन्यों के साथ-साथ ऋण जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन, तरलता

South Malabar Gramin Bank in Kerala. All RRBs sponsored by Canara Bank are profit making as at March 2010 with a combined operating profit level at Rs.165 crore and profit after tax of Rs. 108 crore. Aggregate business level of these RRBs crossed the Rs.17000 crore mark to reach Rs.17509 crore, comprising Rs.9444 crore under deposits and Rs.8065 crore under advances as at March 2010. Gross NPA ratio of these RRBs was 2.28% and Net NPA was 1.24% as at March 2010. In tune with policy focus to double the credit flow to agriculture sector, the RRBs disbursed an amount of Rs.5125 crore, recording a y-o-y growth of 27.9% during the year under review. Priority sector advances constituted 88.79%. Agriculture credit outstanding stood at Rs.5768 crore as at March 2010. During this financial, Pragathi Gramin Bank achieved number one position in business in South India, apart from maintaining the number one position in Karnataka. While South Malabar Gramin Bank continues to occupy number one status in Kerala, Shreyas Gramin Bank was number one under Employee productivity in Uttar Pradesh. All the three RRBs are taking necessary steps to implement CBS in all their branches by September 2011.

## AWARDS/ACCOLADES

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with several awards and accolades during the year. Some prominent awards received are as under:

- Best Bank in South Zone Award for the year 2008-09 in respect of lending under KVIC and PMEGP Schemes. The award was handed over by Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Prime Minister of India.
- The Bank received the Credit Guarantee Approval Certificate issued by CGTMSE from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Finance Minister of India.

## VARIOUS POLICIES OF THE BANK

There is a system of well-defined policies and procedures of the Bank. During the year, concerted efforts were made to streamline the policies and procedures of the Bank in the light of regulatory requirements of the RBI, the directions of the Government of India and the emergent requirements of the Bank in the present day context. Accordingly, there has been a sharper focus on policies relating to, among others, Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management,

जोखिम प्रबंधन, देश जोखिम, प्रतिपक्षीय बैंक जोखिम, कार्पोरेट गवर्नेंस, संपादिक प्रबंधन, स्ट्रेस परीक्षण, अनुपालन कार्य, डिजास्टर रिकवरी और व्यापार निरंतरता योजना, व्यापारिक मार्ग, आई री ए ए पी, अपने ग्राहक को जाने, ए एम एल, वसूली और निवेश संबंधी नीतियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया।

Asset Liability Management, Liquidity Risk Management, Country Risk, Counterparty Bank Risk, Corporate Governance, Disclosures, Collateral Management, Stress Testing, Compliance Functions, Disaster Recovery and Business Continuity Planning, Business Lines, Outsourcing and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Know Your Customers (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Recovery and Investments.

## निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2009-10 ने बैंक के निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन देखें:

- निदेशक मंडल में अंशकालिक अनाधिकारिक निदेशक के स्थान में श्री अजय माथुर की अवधि 12/10/2009 को समाप्त हुई।
- निदेशक मंडल के अधिकारी कर्मचारी निदेशक श्री एस के कोहली की अवधि 07/03/2010 को समाप्त हुई।

## निदेशकों का दायित्व वक्तव्य

निदेशक, मार्च 31, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्नों की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों सहित उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने उन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर अनुपयोग किया है और निर्णय लिए हैं तथा अनुमान किए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और अवधि के दौरान बैंक के लाभ या हानि बैंक की स्थिति का सही एवं स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हो सके।
- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और धोखाधड़ी और अन्य विसंगतियों के निवारण के लिए भारत में स्थित बैंकों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुस्म पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।
- कि उन्होंने वार्षिक लेखों की तैयारी लाभकारी कारोबारवाली संरक्षण के आधार पर की है।

## CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

Year 2009-10 saw changes in the composition of the Board of Directors of the Bank.

- The term of Shri Ajay Mathur as Part-time Non-Official Director on the Board ended on 12.10.2009.
- The term of Shri S K Kohli as Officer Employee Director ended on 07.03.2010.

## DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT


The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.

## धन्यवाद

बैंक के लिए वर्ष 2009-10 अत्यंत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसने अपनी विकास गति पुनः प्राप्त की और 3 प्रमुख मीलपत्थर पार किए। शेयरधारक, ग्राहक, निवेशकर्ता, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कर्मचारियों और समूची जनता आदि अपने सभी हितधारकों के लाभार्थ बैंक ने कई पहल की हैं।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु बैंक के सभी निदेशक तथा निदेशक मंडल में अपना कार्यकाल पूरा करनेवाले निदेशकों के प्रति, उनके प्रयास हेतु ग्राहकों के प्रति, उनके प्रश्रय के लिए शेयरधारकों प्रति, उनके अमूल्य मार्गदर्शन व समर्थन हेतु सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति, उनके सहयोग व सद्भावना हेतु देश और विदेश स्थित बैंक के संवाददाताओं के प्रति तथा सर्वोत्कृष्टता की ओर यात्रा में उनके संपूर्ण समर्थन के लिए सभी स्टाफ सदस्यों के प्रति अपनी प्रशंसा अभिलिखित करना चाहता है।



एसी महाजन  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

## ACKNOWLEDGEMENT

2009-10 was an eventful year for the Bank as it regained growth momentum and crossed three major milestones. The Bank made several initiatives to maximize rewards for all its stakeholders, viz., shareholders, customers, investors, Government, RBI, employees and the public at large.

The Board sincerely appreciates the significant contribution made by the Directors on the Bank's Board and the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government and the RBI for their valuable guidance and support, to the Bank's correspondents inland and abroad for their cooperation and goodwill and to all the staff members for their full support in the journey towards excellence.



A C MAHAJAN  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक  
मंडल की रिपोर्ट

2009-2010

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON  
CORPORATE GOVERNANCE**

## कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

### 1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स में बैंक का दर्शन :

"कॉर्पोरेट गवर्नेन्स सारे शेयरधारकों के सुरिधर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभदायकता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभर आना है। इस संकलिपित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधनतंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वार्तालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समरत हितधारक-जमाकर्ताओं, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुरिधर मूल्य उपलब्ध कराना है।

### 2) निदेशक मंडल:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उन की उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" "व" "ख" में दिये गये हैं।

## Report of the Board of Directors on Corporate Governance

### 1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World Class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behaviour.

### 2) Board of Directors:

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970.

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

### 3) लेखापरीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं कार्यसंचालन, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों द्वारा प्रशासित है:

- i) यह समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।
- ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्न कार्य शामिल हैं:
  - क. बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
  - ख. लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना तथा
  - ग. बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
- iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गये मामलों के बारे में स्थिति की समीक्षा की जाती है।
- iv) यह समिति भा.रि.बै. की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये सभी मामलों/टिप्पणियों का अनुवर्तन भी करती है।
- v) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन कक्ष, अंतर शाखा लेखा समाधान अनुभाग आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दिये गये हैं।

### 4) पारिश्रमिक समिति :

निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया जाता है। भारत सरकार के पत्र एफ सं. 20/1/2005-बीओ.आई, दिनांक 09.03.2007 के संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्ठादान का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठकों में उपस्थिति के विवरण अनुबंध "क" तथा "ख" में दिये गये हैं।

### 3) Audit Committee :

The formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB) is governed by the directives of Reserve Bank of India.

- i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total Audit function of the Bank.
- ii) The terms of reference of ACB includes the following:
  - a. To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
  - b. Reviewing with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
  - c. Review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports, review Bank's finance and risk management policies.
- iii) ACB reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- iv) It follows up on all the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI.
- v) ACB also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

### 4) Remuneration Committee:

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of GOI Letter F. No 20/1/2005-BO.I Dt. 09.03.2007 Board of Directors of the Bank had constituted a Remuneration Committee to evaluate the performance as per GOI guidelines. The composition of members of Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A&B.

4.1 वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन (बकाया राशि के साथ) विवरण निम्नवत् हैं :

नाम व पदनाम	राशि (रु)
श्री ए सी महाजन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	21,17,768
श्री जगदीश पौ के एल कार्यपालक निदेशक	12,09,586
श्री एच एस उपेन्द्र कामत कार्यपालक निदेशक	10,87,433
श्री एम बी एन राव अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (30.06.2008 तक)	9,70,326
श्री डी एल रावल कार्यपालक निदेशक (31.12.2008 तक)	8,87,705
श्री जी एस वेदी कार्यपालक निदेशक (15.10.2008 तक)	6,19,690
श्री आलोक कुमार मिश्रा कार्यपालक निदेशक (03.06.2007 तक)	2,86,958
श्री बी विश्वनाथन कार्यपालक निदेशक (31.01.2006 तक)	19,262

4.2 गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है।

## 5(1) शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति:

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, शेयर प्रमाण पत्र/धन वापसी आदेश/लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण का अनुपर्वतन किया जाता है।

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी :	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	956
शेयरधारकों की शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हैं	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से एक भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं थी।

4.1 The details of salary paid (including arrears) to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2009-10 are furnished here under.

Name & Designation	Amount (Rs)
Shri. A C Mahajan Chairman & Managing Director	21,17,768
Shri. Jagdish Pai K L Executive Director	12,09,586
Shri H S Upendra Kamath Executive Director	10,87,433
Shri M B N Rao Chairman & Managing Director (upto 30.06.2008)	9,70,326
Shri D L Rawal Executive Director (upto 31.12. 2008)	8,87,705
Shri G S Vedi Executive Director (upto 15.10.2008)	6,19,690
Shri Alok Kumar Misra Executive Director (upto 03.06.2007)	2,86,958
Shri B Swaminathan Executive Director (upto 31.01.2006)	19,262

4.2 Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fees as fixed by Government of India.

## 5(1) Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Shareholders'/Investors' Grievances Committee has been constituted in terms of Clause 49 of the Listing Agreement. The Committee monitors the redressal of the Shareholders'/Investors' grievances like transfer of shares, non-receipt of shares certificate/refund order/dividend warrants, etc.

Shareholder's Grievances Statistics:	
Complaints Received	956
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending Complaints	Nil

None of the above complaints were pending for more than a month.

सूचीकरण करार के खंड 46 के अनुसार श्री बी नागेश बाबू, कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारक /निवेशकों की शिकायत समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट क एवं ख में दिये गये हैं।

## (2) अन्य समितियाँ:

### (क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता/निपटान, पूँजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट क एवं ख में दिये गये हैं।

### (ख) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुस्र बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति स्मायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूंकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, तीन उच्च स्तरीय समितियां अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

In terms of Clause 46 of the Listing Agreement, Shri B Nagesh Babu, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Composition of members of Shareholders'/ Investors' Grievances Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

### (2) Other Committees:

#### (a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested with the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/ settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

#### (b) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, three high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee and Operational Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The C&MD or ED of the Bank is the Chairman for all the three Committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मिश्रण और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध क और ख में दिये गये हैं।

### (ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है :

- क) तरलता जोखिम प्रबंधन
- ख) बाजार जोखिम प्रबंधन
- ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- घ) निधीयन एवं पूँजी आयोजना
- ड) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल व्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की व्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत स्फ से विचार विमर्श करती है।

### 6) सामान्य बैठकें :

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

दिनांक	समय	स्थान
26.07.2007	10 प्रातः	चौड़या मेमोरियल हाल जी डी पार्क एक्सटेंशन व्यालिकावल,
18.06.2008	4 अप्राह्ण	बैंगलूर - 560 003
21.07.2009	4 अप्राह्ण	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बैंगलूर- 560001

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किये गये और डाक द्वारा मतदान संबंधी प्रक्रिया नहीं रही। सातवीं सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट ख में दिये गये हैं।

### 7) प्रकटन :

बैंक के संबंधित रिपोर्ट से लेनदेन यथा 31.03.2010 के तुलनपत्र के लेखा पर टिप्पणी अनुसूची 17 में प्रकट किये गये हैं।

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

### (c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by C&MD or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- (A) Liquidity risk management
- (B) Management of market risk
- (C) Trading risk management
- (D) Funding and capital planning
- (E) Profit planning & growth planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

### 6) General Body Meetings:

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

Date	Time	Venue
26.07.2007	10 am	Chowdiah Memorial Hall, G D Park Extension, Vyalikaval, Bangalore-560 003
18.06.2008	4 pm	
21.07.2009	4 pm	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore – 560 001

No special resolutions were put through in the last three Annual General Meetings and there were no postal ballot exercise. Details of attendance of Directors at the Seventh Annual General Meeting are given in Appendix B.

### 7) Disclosures:

The related party transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts Schedule 17 of the Balance Sheet as on 31.03.2010.

बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूँजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और नहीं कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सारी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं, जो लागू हैं, का अनुपालन किया है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्न हद तक किया गया है:

Sl.No.	Non Mandatory Requirement	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	<b>बोर्ड</b> गैर कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यालय को संभालने हेतु अर्ह होंगे।	बैंक में पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के अनुसार किया गया है। अतः यह खंड बैंक के लिए लागू नहीं है।
2.	<b>पारिश्रमिक समिति</b>	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिकसमिति बधी समिति गठित की गई है, जिसका व्योरा वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।
3.	<b>शेयर धारक क अधिकार</b>	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है।
4.	<b>लेखा परीक्षा योग्यताएं</b>	बिना शर्त वाले वित्तीय विवरणों के दायरे की ओर जाने के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं।

The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities.

The extent of implementation of non-mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement are as under:

Sl.No.	Non Mandatory Requirement	Status of Implementation
1.	<b>The Board</b> A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office.	The Bank is having a whole time C&MD. Board is Constituted as per Section (9)(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970. Hence this clause is not applicable for the Bank.
2.	<b>Remuneration Committee</b>	Remuneration committee has been constituted as per the guidelines of GOI, as detailed elsewhere in the Annual Report.
3.	<b>Shareholder Rights</b>	The Bank has sent Annual financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders.
4.	<b>Audit qualifications</b>	Efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.

5.	<b>बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण</b>	प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करने के जरिए बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को उनकी जिम्मेदारियाँ और आचार संहिता संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ कारोबार संबंधी नमूने की सम्पूर्ण समग्र समीक्षा भी प्रदान की जाती है।	5. <b>Training of Board Members</b> The Board Members are imparted training, by deputing them for training programmes conducted by Reputed Agencies. A complete overview of Business Model along with the Government Guidelines regarding their responsibilities and code of conduct is given each Member.
6.	<b>गैर-कार्यपालक बोर्ड सदस्यों की मूल्यांकन पद्धति</b>	निदेशक मंडल का सम्मिश्रण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार नियोगित है, अतः यह खंड हमारे लिए लागू नहीं है।	6. <b>Mechanism for evaluating non-executive Board Members</b> Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Hence this clause is not applicable for us.
7.	<b>हिसिल ब्लोअर नीति</b>	हिसिल ब्लोअर नीति का कार्यान्वयन बैंक में भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है और सूचना देने वालों को उचित सुरक्षा प्रदान जाती है।	7. <b>Whistle Blower Policy</b> Bank has implemented Whistle Blower Policy as per extant GOI Guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.

## 8) संप्रेषण का माध्यम :

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के जरिए देता है, जिसमें कार्पोरेट गवर्नर्नस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक कार्यनिष्पादन के बारे में शेयरधारकों को संबोधित अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पत्र के अलावा अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंज को सूचना, प्रेस सूचनाएँ एवं [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com). नामक वेबसाइट आदि के जरिए भी जानकारी दी जाती है। बैंक, कार्यालयीन संबंधी समाचार विज्ञप्तियाँ/प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट में प्रदर्शित करता है।

सूचीकरण करार के खंड 41 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएँ स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

## 8) Means of Communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances, through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and through website at [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com). The Bank also displays official News releases, presentations in its website.

In terms of Clause 41 of the Listing Agreement, Financial Results and other price sensitive information are furnished to Stock Exchanges.

## परिणामों का प्रकाशन:

समाप्त तिथी	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		देशी भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2009	30.04.2009	उदयवाणी	बिजनेस लाईन, बिजनेस स्टैण्डर्ड, फाइनेन्शियल क्रॉनिकल
30.06.2009	23.07.2009	उदयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड
30.09.2009	27.10.2009	प्रजावाणी	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस
31.12.2009	29.01.2010	कन्नड़ प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड

## 9) शेयरधारकों को सामान्य सूचना: वित्तीय कैलेण्डर

वित्तीय वर्ष	2009-2010
बही बंद होने की तारीख (दोनों दिन सहित )	16.06.2010 - 25.06.2010
प्रॉक्रिस फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	14.07.2010
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	19.07.2010
लाभांश भुगतान की तारीख	19.07.2010
लाभांश वारंटों के प्रेषण की संभावित तारीख	26.07.2010

## स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :

निम्नांकित स्टॉक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है।

1 द बैंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड*	CANBANK
2 बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	532483
3 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2009-10 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

\* सेबी (ईक्विटी शेयरों का सूची से निकाला जाना) विनियम 2009 के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों को 26/05/2010 से मेसर्स बैंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सूची से निकाल दिया गया है। तथापि बैंक ने राष्ट्रीय टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई तथा एनएसई में सूची को बनाये रखा है।

## Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2009	30.04.2009	Udayavani	Business Line, Business Standard & Financial Chronicle
30.06.2009	23.07.2009	Udayavani	Business Standard
30.09.2009	27.10.2009	Prajavani	Financial Express
31.12.2009	29.01.2010	Kannada Prabha	Business Standard

## 9) General Shareholders' Information: Financial Calendar

Financial year	2009-2010
Book closure Date (Both days inclusive)	16.06.2010 - 25.06.2010
Last Date for receipt of proxy forms	14.07.2010
Date of Annual General Meeting	19.07.2010
Dividend Payment Date	19.07.2010
Probable date of despatch of dividend warrants	26.07.2010

## Listing on Stock Exchanges :

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1 The Bangalore Stock Exchange Limited*	CANBANK
2 Bombay Stock Exchange Ltd.	532483
3 National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2009-10 has been paid within the prescribed due dates.

\* The equity shares of the Bank have been delisted from M/s Bangalore Stock Exchange Limited w.e.f. 26/05/2010 as per the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009. However, the Bank continues listing on Stock Exchanges having nation wide terminals viz., BSE & NSE.







## बाजार मूल्य आंकड़े:



माह	वर्ष	बांग्ले स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		
		अधिकतम (रु)	न्यून तम (रु)	लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा	अधिकतम (रु)	न्यूनतम (रु)	लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2009	212	158	37,55,169	212	159	1,99,45,807
मई	2009	297	200	46,36,795	298	201	2,27,32,935
जून	2009	295	232	38,44,523	293	232	2,03,49,478
जुलाई	2009	289	235	31,04,236	289	235	1,37,88,242
अगस्त	2009	294	252	18,07,452	300	250	95,43,361
सितंबर	2009	329	270	31,12,493	268	328	1,70,18,801
अक्टूबर	2009	395	313	43,11,592	396	312	2,03,76,611
नवंबर	2009	399	325	25,65,570	399	325	1,55,95,556
दिसंबर	2009	437	362	30,71,803	438	362	1,60,92,519
जनवरी	2010	414	360	17,58,573	413	360	96,81,411
फरवरी	2010	412	369	9,55,750	412	373	59,12,303
मार्च	2010	442	393	13,74,514	442	392	1,05,49,915

## Market Price Data

Month	Year	Bombay Stock Exchange Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (Rs)	Low (Rs)	Volume No.	High (Rs)	Low (Rs)	Volume No.
April	2009	212	158	37,55,169	212	159	1,99,45,807
May	2009	297	200	46,36,795	298	201	2,27,32,935
June	2009	295	232	38,44,523	293	232	2,03,49,478
July	2009	289	235	31,04,236	289	235	1,37,88,242
August	2009	294	252	18,07,452	300	250	95,43,361
September	2009	329	270	31,12,493	268	328	1,70,18,801
October	2009	395	313	43,11,592	396	312	2,03,76,611
November	2009	399	325	25,65,570	399	325	1,55,95,556
December	2009	437	362	30,71,803	438	362	1,60,92,519
January	2010	414	360	17,58,573	413	360	96,81,411
February	2010	412	369	9,55,750	412	373	59,12,303
March	2010	442	393	13,74,514	442	392	1,05,49,915

## व्यापक आधार सूचकांकों के प्रति कार्यनिष्पादन / Performance in comparison to Broad Based Indices





## रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड  
यूनिट : केनरा बैंक  
"कार्वी हाउस"  
नं. 46, अवेन्यू IV  
स्ट्रीट नं. 1, बंजारा हिल्स  
हैदराबाद - 500 034

## शेयर अंतरण प्रणाली

अंतरण विलेख सहित शेयर प्रमाण पत्र को बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजना चाहिए।

## शेयर धारण का संवितर.ण

श्रेणी वार (31.03.2010)

क्र सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	300000000	73.17
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	31485913	7.68
3	स्युच्युअल फंड	8070610	1.97
4	कार्पोरेट निकाय	1983985	0.48
5	एन आर आई / ओ सी बी	252308	0.06
6	निवासी व्यष्टि /एचयूएफ/ न्यास आदि	20625670	5.04
7	विदेशी संस्थागत निवेशक	47581514	11.60
8	कुल	410000000	100

# प्रत्येक शेयर का नाममात्र मूल्य रु10/- है

## Registrar and Transfer Agent

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.  
Unit: Canara Bank  
"Karvy House",  
No.46, Avenue IV  
Street No.1, Banjara Hills  
HYDERABAD – 500 034

## Share Transfer System

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank.

## Distribution of Shareholding

Category wise (31.03.2010)

SI No.	Category	# No. of Shares	% of Shareholding
1	Government of India	300000000	73.17
2	Banks & Financial Institutions	31485913	7.68
3	Mutual Funds	8070610	1.97
4	Corporate Bodies	1983985	0.48
5	NRIs/OCBs	252308	0.06
6	Resident Individuals/HUF /Trust etc.	20625670	5.04
7	Foreign Institutional investors	47581514	11.60
8	T O T A L	410000000	100

# Nominal value of each share is Rs.10/-

मूल्य वार: ( 31 03 2010)

शेयर धारण का नामात्र मूल्य (रु)	शेयर धारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	92703	92.46	13236513	3.23
5001 से 10000	6125	6.11	5150401	1.26
10001 से 20000	763	0.76	1153758	0.28
20001 से 30000	173	0.17	439061	0.11
30001 से 40000	42	0.04	149973	0.03
40001 से 50000	104	0.10	455931	0.11
50001 से 100000	97	0.10	724688	0.18
100001 व उससे अधिक	261	0.26	388689675	94.80
कुल	100268	100	410000000	100

Value wise: (31.03.2010)

Shareholding Nominal value (Rs)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	92703	92.46	13236513	3.23
5001 to 10000	6125	6.11	5150401	1.26
10001 to 20000	763	0.76	1153758	0.28
20001 to 30000	173	0.17	439061	0.11
30001 to 40000	42	0.04	149973	0.03
40001 to 50000	104	0.10	455931	0.11
50001 to 100000	97	0.10	724688	0.18
100001 and above	261	0.26	388689675	94.80
T O T A L	100268	100	410000000	100

## शेयरों का विभौतिकीकरण और तरलता :

बैंक के शेयरों का लेनदेन अनिवार्य सम से विभौतिकीकृत सम में ही किया जाता है। बैंक द्वारा मेसर्स नेशनल सेक्यूरिटीज डिपाजटिरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और मेसर्स सेंट्रल डिपाजटिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) के साथ बैंक के शेयरों का विभौतिकीकरण करने हेतु करार निष्पादित किया गया है। बैंक के शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) संख्या आईएनई (INE) 476A01014 है। शेयरों का विभौतिकीकरण उसकी आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

## विभौतिकीकृत / भौतिक रूप से धारण (31.03.2010)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	34,608	34.52	82,35,287	2.01
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	54,687	54.54	9,86,36,126	24.06
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	10,973	10.94	30,31,28,587	73.93
कुल	1,00,268	100	41,00,00,000	100

जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखते बकाया नहीं है।

## पत्राचार का पता :

केनरा बैंक  
सचिवीय विभाग  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सचिवालय  
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड  
बैंगलूर - 560 002  
ई-मेल आईडी :hosecretarial@canbank.co.in

## Dematerialisation of Shares and Liquidity:

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with M/s National Securities Depository Limited (NSDL) and M/s Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

## Demat /Physical Holding (31.03.2010)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	34,608	34.52	82,35,287	2.01
Electronic-NSDL	54,687	54.54	9,86,36,126	24.06
Electronic-CDSL	10,973	10.94	30,31,28,587	73.93
TOTAL	1,00,268	100	41,00,00,000	100

There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments

## Address for Correspondence :

CANARA BANK  
Secretarial Department  
C & MD's Secretariat  
Head Office, 112, J C Road  
Bangalore - 560 002  
Email ID: hosecretarial@canbank.co.in

## परिशिष्ट / Appendix A

### i. निदेशक मंडल का सम्मिश्रण (31.03.2010)

क्र सं	नाम	प्रकार/	कार्यकाल	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री ए सी महाजन	अ व प्र नि	01.07.2008 - 31.07.2010	6
2.	श्री जगदीश पै के एल	का नि	04.02.2009 - 30.06.2011	2
3.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत	का नि	26.03.2009 - 31.12.2013	5
4.	डॉ के पी कृष्णन	भा स	10.06.2008 को नामित	3
5.	श्रीमती वाणी जे शर्मा	भा रि वै	27.02.2007 को नामित	शून्य
6.	श्री डी डी रुस्तगी	अ नि	15.09.2008- 14.09.2011	शून्य
7.	श्री सुनील गुप्ता	गैर का नि	23.11.2007 - 22.11.2010	4
8.	डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी	गैर का नि	23.11.2007 - 22.11.2010	शून्य
9.	श्री एस शब्बीर पाशा	गैर का नि	20.02.2009 - 19.02.2012	3
10.	श्री पंकज गोपाल जी ठाकर	गैर का नि	20.02.2009 -19.02.2012	1
11.	श्री पी वी मय्या	शो नि	27.07.2007 - 26.07.2010	5

### i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2010)

SI No.	Name	Type	Term Of Office	Membership of other Boards
1.	SHRI. A C MAHAJAN	C&MD	01.07.2008-31.07.2010	6
2.	SHRI. JAGDISH PAI K L	ED	04.02.2009-30.06.2011	2
3.	SHRI. H S UPENDRA KAMATH	ED	26.03.2009-31.12.2013	5
4.	DR. K P KRISHNAN	GOI	Nominated on 10.06.2008	3
5.	SMT. VANIJ SHARMA	RBI	Nominated on 27.02.2007	Nil
6.	SHRI. D D RUSTAGI	WD	15.09.2008-14.09.2011	Nil
7.	SHRI. SUNIL GUPTA	NED	23.11.2007 - 22.11.2010	4
8.	DR. YOGENDRA PATI TRIPATHI	NED	23.11.2007 - 22.11.2010	Nil
9.	SHRI. S SHABBEER PASHA	NED	20.02.2009-19.02.2012	3
10.	SHRI. PANKAJ GOPALJI THACKER	NED	20.02.2009-19.02.2012	1
11.	SHRI. P V MAIYA	SD	27.07.2007 - 26.07.2010	5

## ii. 2009-2010 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का व्योरा

1.	श्री अजय माथुर	गैर का नि	13.10.2006-12.10.2009	ला न
2.	श्री एस के कोहली	अ नि	08.03.2007-07.03.2010	ला न

## ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2009-2010

1.	SHRI AJAY MATHUR	NED	13.10.2006– 12.10.2009	N.A.
2.	SHRI S K KOHLI	OD	08.03.2007-07.03.2010	N.A.

### संकेत / KEY

अ व प्र नि / C&MD	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / Chairman & Managing Director
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार निदेशक / Government of India Director
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक / Reserve Bank of India Director
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर कानि / NED	गैर-कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

### iii. बोर्ड की समितियों का सम्मिश्रण / iii. COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री ए सी महाजन Shri A C Mahajan	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath श्रीमती वाणी जे शर्मा / Smt Vani J. Sharma श्री डी डी रुस्तगी / Shri D D Rustagi श्री एस शब्बीर पाशा / Shri S Shabbeer Pasha श्री पी वी मय्या / Shri P V Maiya
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री ए सी महाजन Shri A C Mahajan	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath श्रीमती वाणी जे शर्मा / Smt Vani J. Sharma डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी / Dr. Yogendra Pati Tripathi श्री पी वी मय्या / Shri P V Maiya
लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	श्री सुनील गुप्ता बैठक की अध्यक्षता करेंगे।  Shri Sunil Gupta chairs the meeting.	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath डॉ के पी कृष्णन / Dr. K P Krishnan श्रीमती वाणी जे. शर्मा / Smt Vani J. Sharma श्री एस शब्बीर पाशा / Shri S Shabbeer Pasha
शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति Shareholders'/ Investors' Grievances Committee	श्री पंकज गोपाल जी थक्कर Shri Pankaj Gopalji Thacker	श्री जगदीश पै के एल / Shri Jagdish Pai K L श्री एच एस उपेन्द्र कामत / Shri H S Upendra Kamath श्री डी डी रुस्तगी / Shri D D Rustagi
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	डॉ के पी कृष्णन Dr. K P Krishnan	श्रीमती वाणी जे शर्मा / Smt. Vani J. Sharma श्री सुनील गुप्ता / Shri Sunil Gupta श्री एस शब्बीर पाशा / Shri S Shabbeer Pasha

## परिशिष्ट ख

निदेशकों की उपस्थिति का व्योरा

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा समिति बैठक	एसआई जीसी * बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	पारिश्रमिक समिति	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थित/आयोजित	उपस्थित/आयोजित	उपस्थित/आयोजित	उपस्थित/आयोजित	उपस्थित/आयोजित	उपस्थित/आयोजित		
1.	श्री ए सी महाजन	16/16	23/23	--	--	8/8	--	✓	शून्य
2.	श्री जगदीश पै के एल	14/16	18/23	11/11	2/2	7/8	--	✓	शून्य
3.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत	16/16	22/23	9/11	2/2	8/8	--	✓	50
4.	डॉ के पी कृष्णन	14/16	--	10/11	--	--	1/1	✓	शून्य
5.	श्रीमती वाणी जे शर्मा	14/16	21/23	9/11	--	7/8	1/1	✓	शून्य
6.	श्री डी डी रुस्तगी	16/16	12/12	--	2/2	--	--	✓	शून्य
7.	श्री सुनील गुप्ता	15/16	7/11	11/11	--	2/2	1/1	✓	500
8.	डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी	16/16	11/11	--	--	6/6	--	✓	शून्य
9.	श्री एस शब्दीर पाशा	14/16	15/19	4/4	--	--	1/1	✓	100
10.	श्री पंकज गोपालजी ठक्कर	10/16	--	--	2/2	--	--	✓	शून्य
11.	श्री पी वी मय्या	10/16	9/12	--	--	5/6	--	✓	200

## वर्ष 2009-2010 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों की उपस्थिति का व्योरा

1.	श्री अजय माथुर	5/7	9/12	5/5	--	--	--	✓	100
2.	श्री एस के कोहली	10/14	6/11	--	--	1/2	--	X	10
		बैठकों की तारीखें							
		28.04.09	11.04.09	11.04.09	06.10.09	28.04.09	04.06.09	21.07.09	
		29.04.09	28.04.09	29.04.09	08.03.10	22.06.09			
		04.06.09	13.05.09	08.07.09		26.08.09			
		22.06.09	04.06.09	22.07.09		13.10.09			
		22.07.09	09.06.09	11.09.09		29.12.09			
		25.08.09	22.06.09	26.10.09		27.01.10			
		06.10.09	08.07.09	20.11.09		08.03.10			
		26.10.09	22.07.09	21.12.09		26.03.10			
		07.11.09	08.08.09	28.01.10					
		20.11.09	26.08.09	23.02.10					
		15.01.10	11.09.09	17.03.10					
		27.01.10	24.09.09						
		28.01.10	13.10.09						
		24.02.10	07.11.09						
		08.03.10	20.11.09						
		26.03.10	11.12.09						
			29.12.09						
			20.01.10						
			27.01.10						
			10.02.10						
			24.02.10						
			08.03.10						
			26.03.10						

संकेत :

एसआईजीसी : शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति की बैठक

ला न: लागू नहीं

## Appendix B

### DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGE MENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SIGC* MEETING	RISK MANAGE MENT COMMITTEE MEETING	REMUNERA TION COMMITTEE	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held
1.	SHRI. A C MAHAJAN	16/16	23/23	--	--	8/8	--	✓	Nil
2.	SHRI. JAGDISH PAI K L	14/16	18/23	11/11	2/2	7/8	--	✓	Nil
3.	SHRI. H S UPENDRA KAMATH	16/16	22/23	9/11	2/2	8/8	--	✓	50
4.	DR. K P KRISHNAN	14/16	--	10/11	--	--	1/1	✓	Nil
5.	SMT VANI J SHARMA	14/16	21/23	9/11	--	7/8	1/1	✓	Nil
6.	SHRI. D D RUSTAGI	16/16	12/12	--	2/2	--	--	✓	Nil
7.	SHRI. SUNIL GUPTA	15/16	7/11	11/11	--	2/2	1/1	✓	500
8.	DR. YOGENDRA PATI TRIPATHI	16/16	11/11	--	--	6/6	--	✓	Nil
9.	SHRI. S SHABBEER PASHA	14/16	15/19	4/4	--	--	1/1	✓	100
10.	SHRI. PANKAJ COPALJI THACKER	10/16	--	--	2/2	--	--	✓	Nil
11.	SHRI. P V MAIYA	10/16	9/12	--	--	5/6	--	✓	200

### DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2009-2010

1.	SHRI. AJAY MATHUR	5/7	9/12	5/5	--	--	--	✓	100
2.	SHRI. S K KOHLI	10/14	6/11	--	--	1/2	--	X	10
		Dates of Meeting							
		28.04.09	11.04.09	11.04.09	06.10.09	28.04.09	04.06.09	21.07.09	
		29.04.09	28.04.09	29.04.09	08.03.10	22.06.09			
		04.06.09	13.05.09	08.07.09		26.08.09			
		22.06.09	04.06.09	22.07.09		13.10.09			
		22.07.09	09.06.09	11.09.09		29.12.09			
		25.08.09	22.06.09	26.10.09		27.01.10			
		06.10.09	08.07.09	20.11.09		08.03.10			
		26.10.09	22.07.09	21.12.09		26.03.10			
		07.11.09	08.08.09	28.01.10					
		20.11.09	26.08.09	23.02.10					
		15.01.10	11.09.09	17.03.10					
		27.01.10	24.09.09						
		28.01.10	13.10.09						
		24.02.10	07.11.09						
		08.03.10	20.11.09						
		26.03.10	11.12.09						
			29.12.09						
			20.01.10						
			27.01.10						
			10.02.10						
			24.02.10						
			08.03.10						
			26.03.10						

KEY : SIGC : Shareholders'/ Investors' Grievances Committee Meeting. NA : Not Applicable



## अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की घोषणा

बैंक के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

स्थान: बैंगलूर  
दिनांक 29.04.2010

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

## DECLARATION BY C & MD

The Board of Directors and the Senior Management Personnel of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2010

Place : Bangalore  
Date : 29.04.2010

D. Somayaji  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

## कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,  
केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट संचालन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के सूचीकरण करार के संबद्ध खंड में निर्धारित है।

कार्पोरेट संचालन की शर्तों का अनुपालन प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट संचालन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारों में निर्धारित कार्पोरेट संचालन की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

हम निवेदन करते हैं कि शेयरधारकों व निदेशक शिकायत निवारण समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी निवेदन करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंध तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

## Auditors' Certificate on Corporate Governance

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended 31st March, 2010 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination is limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders and Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**कृते आर के कुमार एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

**For R.K. Kumar & Co.**  
Chartered Accountants

बैंगलूरु  
दिनांक : 28.04.2010

**बी आर अशोक**  
साझेदार  
म. नं. 23313  
एफ आर एन नं. 0015955

Bangalore  
Date : 28.04.2010

**B R Ashok**  
Partner  
M.No. 23313  
FRN No. 0015955



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा  
तथा नकद प्रवाह विवरण

2009-2010

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT  
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

1. हमने यथा 31 मार्च 2010 को केनरा बैंक के संलग्न तुलन पत्र एवं साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष का संलग्न लाभ -हानि लेखा और तत्संबंधी नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 भारतीय शाखाओं तथा शाखा लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित 2569 अन्य भारतीय शाखाओं तथा विदेशी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं को और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार चुना गया है। तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा में 454 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा न की गयी इन शाखाओं का हिस्सा, अग्रिमों में 0.52 प्रतिशत, जमाओं में 2.75 प्रतिशत, ब्याज आय में 0.45 प्रतिशत और ब्याज व्यय में 2.82 प्रतिशत है। ये वित्तीय विवरणियां बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। ये वित्तीय विवरणियां बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना ही हमारा उत्तरदायित्व है।
2. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की हैं। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा का आयोजन व निष्पादन ऐसे तरीके से करें, जिससे हम उचित आश्वासन प्राप्त कर सकें कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, राशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन का परीक्षण शामिल है। लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा, हमारी राय के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती है।
3. तुलन पत्र और लाभ - हानि लेखा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म "क" और "ख" में तैयार किये गए हैं।
4. उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970, की आवश्यकतानुसार और उसमें वांछित प्रकटन की सीमा के अधीन हम निम्नवत् रिपोर्ट करते हैं :

## Auditors' Report

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Canara Bank as at 31st March 2010 and also the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 Indian Branches audited by us, 2569 other Indian branches audited by Branch Auditors and 3 Foreign Branches audited by the Overseas Auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from 454 Branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.52 per cent of advances, 2.75 per cent of deposits, 0.45 per cent of interest income and 2.82 per cent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949.
4. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- क. हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हे संतोषजनक पाया है।
- ख. बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आये हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।
- ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
- 5. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ व हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण प्रभावी लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
- 6. हमारी राय में और बैंक की बहियों के अनुसार और जहाँ तक हमारी संपूर्ण जानकारी है और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

  - (i) यह तुलन पत्र, तत्संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित, पूर्ण व सही तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिये गये हैं और यह उचित ढंग से तैयार किया गया है, ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च 2010 तक के बैंक के कार्यों की सही और निष्पक्ष रिथित स्पष्ट हो सके।
  - (ii) भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ व हानि लेखा द्वारा प्रावरित वर्ष के लिए, तत्संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित, वर्ष का सही लाभ शेष दर्शाता है।
  - (iii) नकद प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए विवरण द्वारा प्रावरित नकद प्रवाह की सही और निष्पक्ष रिथित दर्शाता है।

**कृते एम आनंदम एण्ड कं**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी. संख्या 000125S

**ए वी सदाशिव**  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 18404

**कृते एस भण्डारी एण्ड कं**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी. संख्या 000560C

**पी डी वेद**  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 72625

**कृते आर के कुमार एण्ड कं**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी. संख्या 001595S

**बी आर अशोक**  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 23313

बैंगलूरु  
अप्रैल 28, 2010

**कृते एन शंकरन एन्ड कं**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी. संख्या 003590S

**बी चन्द्रेशेखर**  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 16616

**कृते मनुभाई एण्ड कं**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी. संख्या 106041W

**क्षितिज एम पटेल**  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 45740

**कृते नन्दी हलदर एण्ड गांगुली**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजी. संख्या 302017E

**अरम हलदर**  
साझेदार  
सदस्यता संख्या 7144

- a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- c. The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- 5. In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.
- 6. In our opinion, as shown by the books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
  - (i) The Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet read together with Accounting Policies and Notes on Accounts containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2010;
  - (ii) The Profit & Loss Account read together with Accounting Policies and Notes on Accounts shows a true balance of Profit for the year ended on that date; and
  - (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year covered by the statement.

**For M Anandam & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.000125S

**A V Sadasiva**  
Partner  
Membership No.18404

**For S Bhandari & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.000560C

**P D Baid**  
Partner  
Membership No. 72625

**For R K Kumar & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.001595S

**B R Ashok**  
Partner  
Membership No.23313

**For N Sankaran & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.003590S

**B Chandrasekhar**  
Partner  
Membership No.16616

**For Manubhai & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.106041W

**Kshitij M Patel**  
Partner  
Membership No. 45740

**For Nandy Halder & Ganguli**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.302017E

**Arup Halder**  
Partner  
Membership No.7144

BANGALORE  
APRIL 28, 2010

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र  
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹/Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹/Rs. '000)
<b>पूँजी और देयताएं/CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
पूँजी / CAPITAL	1	410,00,00	410,00,00
आरक्षितयाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	14261,78,34	11797,76,92
निक्षेप/DEPOSITS	3	234651,44,32	186892,50,73
उधार / BORROWINGS	4	8440,55,73	14000,94,98
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	6977,29,89	6544,57,71
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>264741,08,28</b>	<b>219645,80,34</b>
<b>आस्तियाँ/ ASSETS</b>			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष			
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	15719,46,42	10036,79,22
बैंकों में शेष और माँग तथा अत्य सूचना पर धन			
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	3933,74,58	6622,98,98
निवेश / INVESTMENTS	8	69676,95,22	57776,90,41
अग्रिम / ADVANCES	9	169334,63,06	138219,40,05
स्थिर आस्तियाँ/ FIXED ASSETS	10	2859,37,22	2929,46,10
अन्य आस्तियाँ/ OTHER ASSETS	11	3216,91,78	4060,25,58
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>264741,08,28</b>	<b>219645,80,34</b>
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	124341,91,61	151804,92,21
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION			
लेखांकन नीतियाँ/ ACCOUNTING POLICIES	17	7491,57,53	10522,22,53
लेखा टिप्पणियाँ/ NOTES ON ACCOUNTS	18		

एन सेत्वराजन	के माणिकम	डी एस आनंदमूर्ति	एच एस उपेन्द्र कामत	जगदीश पै के एल
सहायक महा प्रबंधक	उप महा प्रबंधक	महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
ए सी महाजन	डॉ के पी कृष्णन	वाणी जे शर्मा	देवेन्द्र दास रुस्तगी	सुनील गुप्ता
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी	एस शब्दीर पाशा	पी वी मय्या		
निदेशक	निदेशक	निदेशक		

कृते एम आनंदम एण्ड कं	कृते एन शंकरन एन्ड कं	कृते एस भण्डारी एण्ड कं	कृते मनुभाई एण्ड कं	कृते आर के कुमार एन्ड कं	कृते नन्दी हलदर एण्ड गांगुली
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
ए वी सदाशिव	बी चन्द्रेशेखर	पी डी बैद	क्षितिज एम पटेल	बी आर अशोक	अरम हलदर
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
बैंगलूर					
अप्रैल 28,2010					

यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2010 (₹/Rs.'000)	यथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2009 (₹/Rs.'000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	18751,96,23	17119,05,35
अन्य आय / OTHER INCOME	14	2857,90,24	2311,21,31
जोड़ / TOTAL		<b>21609,86,47</b>	<b>19430,26,66</b>
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
द्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	13071,42,84	12401,24,63
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	3477,62,35	3065,24,75
प्रावधान और आकर्सिक व्यय		2039,38,24	1891,35,28
PROVISIONS AND CONTINGENCIES		<b>18588,43,43</b>	<b>17357,84,66</b>
जोड़ / TOTAL		<b>3021,43,04</b>	<b>2072,42,00</b>
III. वर्ष का निवल लाभ / III. NET PROFIT FOR THE YEAR			
IV. विनियोजन / IV. APPROPRIATIONS			
निम्नांकितों को अंतरण / TRANSFERS TO			
साविधिक आरक्षितियाँ / STATUTORY RESERVE		760,00,00	520,00,00
पूँजी आरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVE		70,55,77	588,64,00
निवेश आरक्षिति खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		145,78,76	--
राजस्व आरक्षिति / REVENUE RESERVE		865,08,51	180,03,00
विशेष आरक्षिति / SPECIAL RESERVE		700,00,00	400,00,00
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		410,00,00	328,00,00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		70,00,00	55,75,00
जोड़ / TOTAL		<b>3021,43,04</b>	<b>2072,42,00</b>
लेखांकन नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE		73.69	50.55

N SELVARAJAN  
Assistant General Manager

K MANICKAM  
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY  
General Manager

H S UPENDRA KAMATH  
Executive Director

JAGDISH PAI K L  
Executive Director

A C MAHAJAN  
Chairman & Managing Director

Dr.K P KRISHNAN  
Director

VANI J SHARMA  
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI  
Director

SUNIL GUPTA  
Director

Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI  
Director

S SHABBEER PASHA  
Director

P V MAIYA  
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE  
For M ANANDAM & Co. For N SANKARAN & Co. For S BHANDARI & Co. For MANUBHAI & Co. For R K KUMAR & Co. For NANDY HALDER & GANGULI  
Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants Chartered Accountants

A V SADASIVA  
Partner

B CHANDRASEKHAR  
Partner

P D BAID  
Partner

KSHITIJ M PATEL  
Partner

B R ASHOK  
Partner

ARUP HALDER  
Partner

BANGALORE  
April 28,2010

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 1- पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL</b>		
I. प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL (चालू वर्ष में प्रति शेयर ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर, पिछले वर्ष में प्रति शेयर ₹ 10/- के 150,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH IN CURRENT YEAR, 150,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH IN PREVIOUS YEAR)	3000,00,00  1500,00,00	
II. निर्गमित, अभिदत और प्रदत / II. ISSUED,SUBSCRIBED AND PAID UP: i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹ 10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर ii) 30,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT ii) अन्यों द्वारा धारित प्रति शेयर ₹ 10/- के 11,00,00,000 ईक्विटी शेयर ii) 11,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH HELD BY OTHERS	300,00,00  300,00,00  110,00,00 <hr/> 410,00,00	300,00,00  300,00,00  110,00,00 <hr/> 410,00,00
<b>अनुसूची 2- आरक्षितियाँ तथा अधिशेष</b> <b>SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS</b>		
I. सांविधिक आरक्षितियाँ / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (RESERVE FUND IN TERMS OF SECTION 17 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949)		
अथशेष / OPENING BALANCE	3328,00,00	2808,00,00
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	760,00,00	520,00,00
जोड़ / TOTAL	<hr/> 4088,00,00	<hr/> 3328,00,00
II. पूँजी आरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVE		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ / a. REVALUATION RESERVE अथशेष / OPENING BALANCE	2168,15,82	2204,85,90
जोड़: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / ADD : REVALUATION DURING THE YEAR	--	--
घटायें : लाभ व हानि को अंतरित / LESS : TRANSFERRED TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	2168,15,82	2204,85,90
जोड़ / TOTAL	35,48,01	36,70,08
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति	<hr/> 2132,67,81	<hr/> 2168,15,82
b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE अथशेष / OPENING BALANCE	55,30,77	--
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR	--	55,30,77
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	41,93,61	
जोड़ / TOTAL	<hr/> 13,37,16	<hr/> 55,30,77

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>ग. अन्य / C. OTHERS</b>		
अथशेष /OPENING BALANCE	1104,70,82	516,06,82
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	70,55,77	588,64,00
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>1175,26,59</b>	<b>1104,70,82</b>
<b>III शेयर प्रीमियम / III. SHARE PREMIUM :</b>		
अथशेष / OPENING BALANCE	275,00,00	275,00,00
वर्ष के दौरान प्राप्त / RECEIVED DURING THE YEAR	--	--
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>275,00,00</b>	<b>275,00,00</b>
<b>IV राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / IV. REVENUE AND OTHER RESERVES</b>		
<b>क. राजस्व आरक्षिति / a. REVENUE RESERVE</b>		
अथशेष / OPENING BALANCE	4166,59,51	3986,56,51
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR	865,08,51	180,03,00
जोड़: विशेष आरक्षिति से अंतरित / ADD: TRANSFERRED FROM SPECIAL RESERVE	--	--
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	5031,68,02	4166,59,51
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>5031,68,02</b>	<b>4166,59,51</b>
<b>ख. विशेष आरक्षिति / b. SPECIAL RESERVE</b>		
{आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} / {IN TERMS OF SECTION 36 (1)(VIII) OF THE INCOME TAX ACT, 1961}		
i) अथशेष / OPENING BALANCE	700,00,00	300,00,00
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	700,00,00	400,00,00
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>1400,00,00</b>	<b>700,00,00</b>
<b>ग. निवेश आरक्षिति खाता / c. INVESTMENT RESERVE ACCOUNT</b>		
अथशेष / OPENING BALANCE	--	--
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR	145,78,76	--
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	145,78,76	--
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>145,78,76</b>	<b>--</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>14261,78,34</b>	<b>11797,76,92</b>

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 3- जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>		
<b>क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS</b>		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	540,93,80	80,70,83
ii. अन्यों से / ii. FROM OTHERS	17844,93,95	14276,09,72
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>18385,87,75</b>	<b>14356,80,55</b>
<b>II. बचत बैंक जमा / II. SAVINGS BANK DEPOSITS</b>	<b>49875,42,14</b>	<b>41810,93,91</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>49875,42,14</b>	<b>41810,93,91</b>
<b>III. सावधि जमा / III. TERM DEPOSITS</b>		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	5800,28,67	3736,38,67
ii. अन्यों से / ii. FROM OTHERS	160589,85,76	126988,37,60
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>166390,14,43</b>	<b>130724,76,27</b>
<b>जोड़ (I, II और III) / TOTAL (I, II and III)</b>	<b>234651,44,32</b>	<b>186892,50,73</b>
<b>ख. शाखाओं के जमा / B. DEPOSITS OF BRANCHES</b>		
i. भारत में / i. IN INDIA	228444,64,91	182979,03,47
ii. भारत के बाहर / ii. OUTSIDE INDIA	6206,79,41	3913,47,26
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>234651,44,32</b>	<b>186892,50,73</b>
<b>अनुसूची 4- उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS</b>		
<b>I. भारत में उधार / I. BORROWINGS IN INDIA</b>		
i. भारतीय रिजर्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	3930,00,00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	--
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	666,14,41	3101,25,21
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण / IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	6278,80,00	5678,80,00
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>6944,94,41</b>	<b>12710,05,21</b>
<b>II. भारत के बाहर उधार / II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	374,98,32	25,36,00
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1120,63,00	1265,53,77
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>1495,61,32</b>	<b>1290,89,77</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>8440,55,73</b>	<b>14000,94,98</b>

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1171,80,87	1277,28,15
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	67,73,33	33,02,97
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	65,99,21	73,50,52
IV. आरथगित कर देयताएं / IV. DEFERRED TAX LIABILITY	32,87,00	46,67,00
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	5638,89,48	5114,09,07
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>6977,29,89</b>	<b>6544,57,71</b>
<b>अनुसूची 6-भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
I. रोकड़ शेष / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित / INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	617,59,83	493,19,53
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष / II. BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS	15101,86,59 --	9543,59,69 --
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>15101,86,59</b>	<b>9543,59,69</b>
<b>जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)</b>	<b>15719,46,42</b>	<b>10036,79,22</b>
<b>अनुसूची 7- बैंकों में शेष तथा माँग और अत्यसूचना पर धन</b>		
<b>SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE</b>		
I. भारत में / I. IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	544,18,47 --	344,35,04 --
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>544,18,47</b>	<b>344,35,04</b>
ii. माँग और अत्य सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE क. बैंकों में / a. WITH BANKS ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	600,00,00 350,00,00	200,00,00 --
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>950,00,00</b>	<b>200,00,00</b>
<b>जोड़ (i और ii) / TOTAL (i and ii)</b>	<b>1494,18,47</b>	<b>544,35,04</b>
II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	222,27,18 2217,28,93	3534,30,77 2544,33,17
iii. माँग और अत्य सूचना पर धन / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	--	--
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>2439,56,11</b>	<b>6078,63,94</b>
<b>जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)</b>	<b>3933,74,58</b>	<b>6622,98,98</b>

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 8- निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS</b>		
I. भारत में निवेश : सकल		
I. INVESTMENTS IN INDIA : GROSS:	69227,81,24	57505,89,13
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान	113,59,78	359,43,09
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION	<b>69114,21,46</b>	<b>57146,46,04</b>
<b>भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA</b>		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /	62780,40,29	50831,77,41
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ /	349,77,15	488,41,11
ii. OTHER APPROVED SECURITIES	1184,75,12	820,90,16
iii. शेयर / iii. SHARES	2069,52,73	2197,03,69
iv. डिबेंचर और बाण्ड /	428,22,32	369,47,45
iv. DEBENTURES AND BONDS	2301,53,85	2438,86,22
v. अनुषंगियाँ और/या संयुक्त उद्यम /	<b>69114,21,46</b>	<b>57146,46,04</b>
v. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES		
vi. अन्य / OTHERS		
<b>जोड़ / TOTAL</b>		
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	54516,07,40	41006,69,41
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	14181,81,11	15728,14,61
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	416,32,95	411,62,02
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>69114,21,46</b>	<b>57146,46,04</b>
II. भारत के बाहर निवेश- सकल		
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	671,05,28	812,78,55
घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान		
LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	108,31,52	182,34,18
भारत के बाहर निवल निवेश	<b>562,73,76</b>	<b>630,44,37</b>
<b>NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA</b>		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ /	--	--
i. GOVERNMENT SECURITIES		
(स्थानीय प्राधिकरण सहित /		
INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)		
ii. अनुषंगियाँ और/ या संयुक्त उद्यम	36,57,20	36,57,20
ii. SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	526,16,56	593,87,17
iii. अन्य निवेश / iii. OTHER INVESTMENTS	<b>562,73,76</b>	<b>630,44,37</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>		
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	277,31,87	176,73,20
बिक्री के उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	285,41,89	453,71,17
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	--	--
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>562,73,76</b>	<b>630,44,37</b>
<b>जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)</b>	<b>69676,95,22</b>	<b>57776,90,41</b>

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 9- अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>		
क. i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	6328,90,62	6283,72,96
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	79892,24,26	64141,99,86
iii. मियादी ऋण / iii. TERM LOANS	83113,48,18	67793,67,23
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>169334,63,06</b>	<b>138219,40,05</b>
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋण सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	104661,47,14	100263,10,89
ii. बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK/ GOVT.GUARANTEES	7908,89,67	5427,48,98
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	56764,26,25	32528,80,18
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>169334,63,06</b>	<b>138219,40,05</b>
<b>ग. I. भारत में अग्रिम / C.I. ADVANCES IN INDIA</b>		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	56690,92,90	45991,11,63
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	18462,48,18	20251,75,77
iii. बैंक / iii. BANKS	3014,04,66	38,39,74
iv. अन्य / iv. OTHERS	84189,07,06	68450,87,11
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>162356,52,80</b>	<b>134732,14,25</b>
<b>II. भारत से बाहर / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA</b>		
(बैंकों को छोड़ कर अन्यों से देय) / (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे गये तथा बट्टे पर भुनाए गये बिल / i. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	233,57,34	182,50,98
ii. मियादी और समूहन ऋण / ii. TERM / SYNDICATED LOANS	2661,74,97	2239,65,38
iii. अन्य / iii. OTHERS	4082,77,95	1065,09,44
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>6978,10,26</b>	<b>3487,25,80</b>
<b>जोड़ (I और II) / TOTAL (I and II)</b>	<b>169334,63,06</b>	<b>138219,40,05</b>

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 10-स्थिर आस्तियाँ / SCHEDULE 10-FIXED ASSETS</b>		
<b>I. परिसर / I. PREMISES</b>		
लागत पर/ तथा पिछले तुलन पत्र के अनुसार मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	2816,05,69 19,06,32 <hr/> 2835,12,01	2777,44,87 38,71,68 <hr/> 2816,16,55
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ADDITIONS DURING THE YEAR	--	--
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन / REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	2835,12,01	2816,16,55
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	35,70,53 <hr/> 2799,41,48 <hr/> 282,80,44	10,86 <hr/> 2816,05,69 <hr/> 274,50,82
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	<b>2516,61,04</b>	<b>2541,54,87</b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियाँ / II. OTHER FIXED ASSETS</b> (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	1530,67,35 101,74,54 <hr/> 1632,41,89	1383,53,59 184,65,17 <hr/> 1568,18,76
वर्ष के दौरान परिवर्धन /ADDITIONS DURING THE YEAR	--	--
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	44,81,19 <hr/> 1587,60,70 <hr/> 1247,03,52	37,51,41 <hr/> 1530,67,35 <hr/> 1144,95,12
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	<b>340,57,18</b>	<b>385,72,23</b>
<b>III. पट्टागत आस्तियाँ / III. LEASED ASSETS</b>		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	93,34,38 <hr/> --	93,34,38 <hr/> --
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ ADDITIONS DURING THE YEAR	93,34,38 <hr/> --	93,34,38 <hr/> --
वर्ष के दौरान कटौतियाँ /DEDUCTIONS DURING THE YEAR	93,34,38 <hr/> 82,05,77 <hr/> 11,28,61	93,34,38 <hr/> 80,13,19 <hr/> 13,21,19
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	<b>9,09,61</b>	<b>11,02,19</b>
घटाएँ: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	<b>2,19,00</b>	<b>2,19,00</b>
<b>जोड़ (I, II और III) / TOTAL (I, II and III)</b>	<b>2859,37,22</b>	<b>2929,46,10</b>

यथा 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹/Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹/Rs. '000)
<b>अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ /SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>		
I. निवशों पर व्याज / I. INTEREST ON INVESTMENTS		
- उपचित व देय / ACCRUED AND DUE	12,71,57	28,37,81
- अदेय / NOT DUE	954,62,00	976,81,00
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) II. TAX PAID IN ADVANCE/ TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	967,33,57	1005,18,81
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / III. STATIONERY AND STAMPS	415,64,78	160,73,75
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	6,93,26	3,42,06
V. अन्य / V. OTHERS	33,09	33,09
जोड़ / TOTAL	1826,67,08	2890,57,87
	<b>3216,91,78</b>	<b>4060,25,58</b>
<b>अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं</b>		
<b>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	669,35,28	653,07,51
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	--	--
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	86670,13,77	113058,69,00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ / V. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS	22945,03,59	22826,47,06
क. भारत में / a.IN INDIA	27,72,53	31,18,21
ख. भारत से बाहर / b.OUTSIDE INDIA		
V. रवैकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	22972,76,12	22857,65,27
VI. अन्य मदै जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	13714,89,44	14953,53,43
क. पुनः भुनाए गये विनिमय विल / a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	--	--
ख. अन्य / b. OTHERS	314,77,00	281,97,00
जोड़ / TOTAL	<b>314,77,00</b>	<b>281,97,00</b>
	<b>124341,91,61</b>	<b>151804,92,21</b>

यथा 31 मार्च 2010 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ  
**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2010 (₹/Rs. '000)	यथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2009 (₹/Rs. '000)
<b>अनुसूची 13- अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / I. INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	13946,43,18	12813,14,41
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS	4577,98,98	4100,77,98
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	210,42,18	204,75,18
IV. अन्य / IV. OTHERS	17,11,89	37,78
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>18751,96,23</b>	<b>17119,05,35</b>
<b>अनुसूची 14- अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	723,91,99	603,77,23
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ- निवल / II. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS - NET	872,42,65	674,63,25
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / III. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	(-)142,91,82	(-)115,88,23
IV. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / IV. PROFIT ON SALE OF LAND/ BUILDINGS AND OTHER ASSETS	2,77,79	82,96
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ- निवल / V. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS - NET	215,20,98	173,71,45
VI. विदेश/ भारत में स्थापित अनुबंधियों/कंपनियोंऔर या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय		
VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES/ COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD/IN INDIA	104,28,40	37,90,97
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME	1082,20,25	936,23,68
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>2857,90,24</b>	<b>2311,21,31</b>
<b>अनुसूची 15- व्यय किया गया ब्याज</b>		
<b>SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	12284,97,62	11450,21,54
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/INTERBANK BORROWINGS	173,13,51	387,70,38
III. अन्य / III. OTHERS	613,31,71	563,32,71
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>13071,42,84</b>	<b>12401,24,63</b>

यथा 31 मार्च 2010 को लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 16- परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / I. PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	2193,69,99	1877,15,34
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	323,25,02	301,41,66
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	35,88,75	33,30,60
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	19,85,97	23,82,59
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (पुनर्मूल्यांकन आक्षिति से अंतरण के बाद का निवल) (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	155,13,24	173,64,21
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	75,17	66,78
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	28,75,81	22,89,65
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	18,13,00	13,41,16
IX. डाक, तार टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	30,70,10	30,41,88
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	122,47,20	87,62,96
XI. बीमा / XI. INSURANCE	190,12,56	157,78,42
XII. अन्य व्यय / XII. OTHER EXPENDITURE	358,85,54	343,09,50
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>3477,62,35</b>	<b>3065,24,75</b>

## अनुसूची - 17

### वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

#### [1] लेखांकन की परंपरा

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखा को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर सांविधिक प्रावधान व विद्यमान प्रणालियों के अनुसूच्य हैं।

#### [2] विदेशी मुद्रा अंतरण /विदेशी मुद्रा परिवर्तन

- 2.1 विदेशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुसूच्य एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 'फेडाई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ को, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षित में लिया जाएगा और निवल प्रारक्षितियों में हानि को, यदि कोई हो, तो राजस्व में लिया गया।
- 2.2 देशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुसूच्य और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और बाध्यताओं सहित विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, अंतिम हाजिर दर/संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए वायदा दर पर किया गया है।

लेनदेनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।

बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के ऐसे मूल्यांकन पर लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लिया गया है।

#### [3] निवेश

- 3.1 निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित', 'बिक्री के लिए धारित' और 'व्यापार के लिए धारित', जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय पर निर्धारित किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में शेयरों का अंतरण, यदि कोई है तो ऐसा अंतरण, अति कम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/उस दिन के बाजार मूल्य पर किया जाता है और वैसे अंतरण के लिए मूल्यहास का, यदि हो, संपूर्ण प्रावधान किया गया है।

## SCHEDULE - 17

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ADOPTED IN PREPARING FINANCIAL STATEMENTS

#### [1] Accounting Convention

The accounts are prepared under the Historical cost convention and conform to the statutory provisions and prevailing practices, except as otherwise stated.

#### [2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1. In respect of Foreign Branches, Assets and Liabilities are translated at the closing spot rate of exchange announced by FEDAI and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average closing rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the guidelines of Reserve Bank of India. The resultant exchange gains, if any, are taken to Foreign Currency Translation Reserve and loss, if any, net of reserves, is taken to Profit & Loss Account.

2.2. In respect of Domestic Branches, Assets and Liabilities in foreign currency, Forward Exchange Contracts, Guarantees, Acceptances, Endorsements and Obligations are evaluated at the closing spot rate / forward rate for the residual maturity of the contract in accordance with Accounting Standard 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the guidelines of Reserve Bank of India.

Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

The gain or loss on such evaluation of outstanding Forward Exchange Contracts is taken to Profit & Loss Account.

#### [3] Investments

3.1. Classification of investments is made as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for sale' and 'Held for Trading', which is decided at the time of acquisition of securities. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

निवेशों को छ: संवर्गों में प्रकट किया गया है जैसे  
(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग)  
शेयर (घ) डिबैंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम  
(च) अन्य

3.2 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है जो यथानुसार है :

### क) परिपक्वता के लिए धारित

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाता है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया गया है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में अस्थाई रवभाव वाले को छोड़कर कोई हास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत पर रखा गया है।

इसी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद पूँजी प्रारक्षति लेखा निवल कर और सांविधिक प्रारक्षति में विनियोजित किया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों के लिए कोई परिशोधन नहीं किया गया। विक्रय में हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई।

### ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत प्रत्येक प्रतिभूति को बाजार के लिए अंकित है।

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को निश्चित आय मुद्रा बाजार और भारतीय व्युत्पन्नी (डिरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार मूल्यांकित किया गया है।

राज्य सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार याने समान अवधि समाप्ति वाली केन्द्र सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादों पर 25 आधार अंक से अधिक अंकित करने के जरिए किया गया है।

डिबैंचरों/बांडों (अग्रिम के रूप में रहनेवाले डिबैंचरों/बांडों को छोड़कर) का मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है तो बाजार मूल्य पर किया गया है या एफ आई एम एम डी ए द्वारा निर्धारित वाई टी एम पद्धति के अनुसार अवधि समाप्ति वाली केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के उत्पादों पर साख के आधार पर अतिरिक्त आधार अंक को अंकित करने के जरिए किया गया है।

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

3.2. The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India as under:

#### a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in RRBs and other Trustee Shares are carried at cost.

Profit on sale of Investments in this category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the Capital Reserve Account net of taxes and Statutory Reserve. No amortisation is effected for securities sold during the year. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

#### b) AVAILABLE FOR SALE

The individual securities under 'Available For Sale' category are marked to market.

Central Government Securities are valued at market prices as per prices declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

State Government securities and other approved securities are valued by applying the YTM method by marking it up by 25 basis points above the yields of Central Government securities of equivalent maturity put out by FIMMDA.

Non SLR securities such as Debentures / Bonds (other than Debentures / Bonds which are in the nature of advance) are valued at market prices, if available, and if not, are valued applying YTM method by marking it up by additional basis points based on credit rating above the yields of Central Government Securities of equivalent maturity as put out by FIMMDA and the methodology suggested by FIMMDA.

अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाई टी एम दरों/मोचन मूल्य पर जो भी निम्नतर हो, किया गया है।

निर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है।

अनिर्दिष्ट भाववाले शेयरों का मूल्यांकन अद्यतन तुलनपत्र, जो पिछले एक वर्ष स पुराना न हो, से ज्ञात विश्लेषित मूल्य पर किया गया है, अन्यथा शेयरों का रु 1/- प्रति कंपनी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

राजस्व बिलों और वाणिज्यिक बिलों को रखाव लगात पर मूल्यांकित किया गया है।

स्थुच्युअल फंड इकाइयों का मूल्यांकन क्रमवार बाजार दर या पुनःखरीद मूल्य या निवल परिसंपत्ति मूल्य की उपलब्धता के आधार पर किया गया है।

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रपवार किया गया है और प्रत्येक उप वर्ग के अंतर्गत मूल्य ह्रास/मूल्य वृद्धि का एकत्रीकरण किया गया है।

उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के तहत निवल मूल्य वृद्धि की उपेक्षा कर दी गई है जबकि निवल मूल्य ह्रास के लिए संपूर्ण प्रावधान किया गया है।

## ग) व्यापार हेतु धारित

प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर या एफ आई एम एम डी ए द्वारा घोषित मूल्य पर किया गया है। इस वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में मूल्यह्रास यदि हो तो राजस्व के रूप में उपलब्ध कराया गया है और मूल्यवृद्धि, यदि हो तो उसकी उपेक्षा कर दी गई है।

3.3 क्रय के समय प्रतिभूतियों के संबंध में, दलाली, कमीशन आदि जैसी लागत को राजस्व के रूप में प्रभारित किया गया है।

3.4 अभिग्रहण/निपटान की तारीख तक ऋण प्रपत्रों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना गया है।

3.5 प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं/पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में प्रकं/पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर पर मूल्यांकित किया गया है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर किया गया है और यदि कोई विक्रय/वसूली की गई है तो निवेश में से घटाया गया है और निवल बही मूल्य दर्शाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर एसएलआर निवेशों में निवेश के लिए लागू मूल्य वर्गीकरण और अन्य मानक, प्रकं/पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश के लिए लागू किया गया है।

Preference Shares are valued at YTM rates / redemption values, whichever is lower.

Quoted Shares are valued at market prices.

Unquoted Shares are valued at break up value ascertained from the latest Balance Sheet not earlier than one year or otherwise at Re 1 per Company.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

Units of Mutual Funds are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Securities are valued script wise, and depreciation/appreciation under each sub category is aggregated.

Based on the above valuation, net appreciation if any in each sub category is ignored while the net depreciation is fully provided.

## c) HELD FOR TRADING

The individual securities under Held For Trading category are valued periodically as per RBI guidelines, at market prices as available from the trades/quotes or as per prices declared by FIMMDA. In respect of each classification under this category, net depreciation is provided and net appreciation is ignored.

3.3. Costs such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

3.4. Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.5. Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale/realization if any, is reduced from investment and the net book value is shown.

The valuation, classification and other norms applicable to Investment in Non-SLR securities prescribed by RBI is applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

3.6 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों को (एनपीआई) नीचे उल्लिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है :

[क] प्रतिभूतियों/अधिमानी शेयर, जहाँ ब्याज/निर्धारित लाभांश/किस्त (अवधि समाप्ति प्राप्तियों सहित) देय हैं और 90 दिनों से अधिक अवधि से अप्रदत्त पड़े हैं।

[ख] जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है अथवा कंपनी का निवल मालियत नकारात्मक है वहाँ प्रति कंपनी रु 1/- मूल्य पर ईक्विटी शेयर को मूल्यांकित किया गया है।

[ग] यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से ली गई ऋण सुविधा में कोई अनर्जक अग्रिम है तो उसी जारीकर्ता द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश को भी अनर्जक निवेश माना गया।

## [4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियाँ खाया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर कराते हैं। बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियाँ विकल्प और मुद्रा अदला-बदली हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

क. व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियाँ बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यहास की पहचान की गई है।

ख. प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियाँ इस प्रकार हैं:

- i. बाजार के लिए अंकित की गई हैं, जहाँ आधारभूत आस्तियाँ/ देयताएं बाजार के लिए अंकित की गयी हैं।
- ii. प्रतिरक्षा अदला बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया।

## [5] अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के स्थ में संवर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।

5.2 अग्रिमों को निवल बट्टे खाते में डालना, अनर्जक आस्तियों के प्रावधान, साथ गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे, पुनः छूट और ब्याज उचंत के स्थ में बताया गया है।

5.3 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर है, घाटे को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया है। यदि विक्रय एनबीवी मूल्य से उच्चतर मूल्य पर है, प्रावधान, यदि किसी खाते में रखा है, का प्रतिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि जहाँ भी लागू है, प्रतिभूति रसीद के प्रतिवेद्य होने तक धारण किया गया है।

3.6. Non-Performing Investments (NPI) are identified as stated below, as per the guidelines issued by Reserve Bank of India.

- [a] Securities/Preference Shares where interest / fixed dividend / instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- [b] Equity Shares valued at Re.1 per company, where the latest Balance Sheet is not available or the Net worth of the Company is negative.
- [c] If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a non-performing advance, Investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

## [4] Derivative Contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Based on Reserve Bank of India guidelines:

- a. Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b. Derivatives used for hedging are
  - i. Marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.
  - ii. Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

## [5] Advances

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

5.2 Advances are stated net of write off, provision for non-performing assets, claims received from Credit Guarantee institutions and re-discount.

5.3 In case of financial assets sold to the Securitization / Reconstruction Company, if the sale is at a price below the Net Book Value (NBV), the shortfall is debited to the Profit & Loss Account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision held in the account is not reversed but held till redemption of the Security Receipt, wherever applicable.



## [6] स्थिर परिसंपत्तियाँ

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। भूमि और भवनों का पूँजीकरण वाहन व्यय/आबंटन पत्र/पट्टा करारनामा, दीर्घावधि पट्टेवाली संपत्तियों और/या संपत्ति के भौतिक धारण के आधार पर किया गया है।
- 6.2 जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित' खातों में जमा किया है। बढ़ाए गए मूल्य पर लगाये जानेवाले मूल्यहास का अंतरण पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से लाभ व हानि खाते में मूल्यहास में जमा किया गया।

## [7] मूल्यहास

- 7.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोज्य जीवन पर प्राकक्लित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया गया है।
- 7.2 पट्टेदारी परिसरों पर प्रदत्त प्रीमियम उसकी पूरी पट्टेदारी अवधि के लिए प्रभारित किया गया है।
- 7.3 पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसारी XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास मूल्य पद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।
- 7.4 अचल / पट्टेदारी परिसंपत्ति में जोड़ पर मूल्यहास को अभिग्रहण तारीख की गणना किए बगैर संपूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। बिक्री / निष्ठान वर्ष के दौरान मूल्यहास के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

## [8] आस्तियों का अपक्षयन

स्थिर आस्तियों पर हानियों के अपक्षयन है तो, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक ए.एस. - 28 के अनुसार लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

## [9] राजस्व का परिकलन

- 9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया किया जाता है।
- 9.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनुपोज्य परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण उगायी की हद तक किया जाता है "कालातीत ऋण" खातों के मामलों में वसूलियों को मूलधन में समायोजित किया है।

## [6] Fixed Assets

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. Land and Buildings are capitalised based on conveyance / letters of allotment/ agreement to lease, deposit made on long term leasehold properties and / or physical possession of the property.
- 6.2 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value is transferred from Revaluation Reserve to the credit of Depreciation in the Profit and Loss Account.

## [7] Depreciation

- 7.1 Fixed Assets excluding Computers are depreciated under Written Down Value Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of Reserve Bank of India, depreciation on Computers is charged at 33.33% on Straight-Line Method.
- 7.2 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period.
- 7.3 Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value Method as per Schedule XIV to the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery.
- 7.4 Depreciation on additions to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided in the year of sale/disposal.

## [8] Impairment of Assets:

Impairment losses on Fixed Assets, if any, are recognized in Profit & Loss Account in accordance with Accounting Standard AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

## [9] Revenue Recognition

- 9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis.
- 9.2 In the case of Non-Performing Assets including Investments, income is recognised to the extent of realization, in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. In respect of "Loans Past Due" accounts, recoveries are appropriated first towards principal.

9.3 कमीशन, विनिमय, दलाली, लाभांश तथा लॉकर किराये की उगाही के बाद आय के स्थ में गणना की गई है।

9.4 कर वापसी ब्याज का लेखांकन, पारित निर्धारण ओदशों के आधार पर किया है।

## [10] कर्मचारी लाभ

पेंशन, उपदान, साधिकार छुट्टी तथा स्पृण अवकाश के लिये प्रावधान भारतीय सनदी लेखांकन संस्थान के लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार वर्षात पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। निवल बीमांकक लाभ व हानि को वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

## [11] कराधान

न्यायिक निर्णयों और कानूनी सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद आय कर हेतु प्रावधान किया गया है। अप्रावधानित विवादग्रस्त कर' आकस्मिक देयताओं" के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं।

वर्ष हेतु कर व्यय में, वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। यह आस्थगित कर संपत्तियों, समय भिन्नताओं के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है और यह भिन्नता कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच की भिन्नता है जो किसी एक अवधि में उत्पन्न होती है और तदुपरान्त एक या अधिक अवधि के दौरान प्रतिवर्तन की क्षमता रखती है।

## [12] निवल लाभ

### 12.1 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं और प्रासंगिक आस्तियाँ

बैंक पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के स्थ में वर्तमान में कोई दायित्व हो और उस दायित्व को निभाने के लिए स्रोतों का बहिर प्रवाह हो और जब दायित्व राशि के उचित प्राक्कलन किया जा सकता हो तभी प्रावधानों को मान्यता देता है।

प्रासंगिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी गई क्योंकि उनको मान्यता देने से ऐसी आय को मान्यता देना होगा जो कभी उगाही नहीं जाएगी।

### 12.2 निम्नलिखितों को "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" के लिए लेखांकन करने के बाद निवल लाभ की गणना की गई है।

- निवेशों पर मूल्यहास
- आय कर, संपत्ति कर और अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान
- ऋण हानियों के लिए प्रावधान
- कुछेक अनुप्रयोज्य अग्रिमों को बट्टे खातों में डाला जाना
- मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान
- आकस्मिकताओं में अंतरण

9.3. Commission, Exchange, Brokerage, Dividends and Locker Rent are accounted for as income on receipt basis.

9.4. Interest Income on Tax Refund is accounted based on the assessment orders passed.

## [10] Employee Benefits

Provision for Pension, Gratuity, Privilege Leave and Sick Leave is made based on the actuarial valuation at the year-end as per the Accounting Standard -15(Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Net Actuarial gains and losses are recognized during the year.

## [11] Taxation

Provision for Income Tax is made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion. Disputed taxes, not provided for are included under "Contingent Liabilities".

Tax expenses for the year comprise of current Tax and Deferred Tax. Deferred Tax recognizes, subject to the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets, timing differences being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

## [12] Net Profit

### 12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and when a reasonable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Assets are not recognized since this may result in the recognition of Income that may never be realized.

### 12.2 Net Profit is arrived at after accounting for the following "Provisions and Contingencies":

- Depreciation on Investments.
- Provision for Income Tax and Wealth Tax.
- Provision for loan losses.
- Write-off of certain Non-Performing Advances / Investments.
- Provision for Standard Assets.
- Other usual and necessary provisions.
- Transfer to contingencies.

## अनुसूची 18

### वर्ष 2009-2010 हेतु लेखा टिप्पणियां

#### 1 निवेश:

यथा 31.03.2010 को "अवधिपूर्णता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की मांग और मियादी देयता का 24.14% था (पिछले वर्ष 20.43%), जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के अंदर है।

#### 2 अंतर-शाखा लेनदेन:

31.03.2010 तक शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक प्रविष्टियों को मिलान करने तथा शेष बकाया प्रविष्टि को घटाने के अपने प्रयासों को जारी रख रहा है।

#### 3 परिसर:

परिसर में रु. 193.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु 196.31 करोड़) की कुछ संपत्तियाँ शामिल हैं जिनके संदर्भ में बैंकों के पक्ष में अंतरण विलेखों का निष्पादन लंबित है।

बैंक की कुछ संपत्तियाँ पुनर्मूल्य राशि पर निर्धारित हैं। पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि रु 2310.91 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2310.91 करोड़) तथा निवल मूल्यांकन रु 2132.68 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2168.16 करोड़) है।

#### 4 भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ:

##### 4.1 पूँजी:

	विवरण	31.03.2010 बासेल II	31.03.2009 बासेल II
i.	सीआरएआर (%)	13.43	14.10
ii.	सीआरएआर-टायर I पूँजी (%)	8.54	8.01
iii.	सीआरएआर-टायर II पूँजी (%)	4.89	6.09
iv.	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत (%)	73.17	73.17
v.	आई पी डी आई के जारी के ज़रिए प्राप्त रकम (रुपये करोड़ों में)	600.00	240.30
vi.	टायर II पूँजी के रूप में उगाही की गयी सहायक ऋण की राशि (रुपये करोड़ों में)	6559.12	6704.03

## SCHEDULE 18

### NOTES ON ACCOUNTS FOR 2009-2010

#### 1 Investments:

The percentage of investments under "Held to Maturity" category – SLR as on 31.03.2010 was 24.14% of Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 20.43%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

#### 2 Inter-Branch Transactions:

The initial matching of entries received at Head Office for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions up to 31.03.2010 has been done. Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

#### 3 Premises:

Premises include certain properties of Rs.193.32 Crore (Previous year Rs.196.31 Crore) in respect of which conveyance deeds are pending execution.

Certain properties of the bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation is Rs. 2310.91 Crore (Previous year Rs.2310.91 Crore) and net of depreciation is Rs.2132.68 Crore (Previous year Rs. 2168.16 Crore).

#### 4 Disclosure as per RBI Requirements:

##### 4.1 Capital:

	Particulars	31.03.2010 Basel II	31.03.2009 Basel II
i.	CRAR (%)	13.43	14.10
ii.	CRAR – Tier I Capital (%)	8.54	8.01
iii.	CRAR – Tier II Capital (%)	4.89	6.09
iv.	Percentage of shareholding of the Government of India in the Bank (%)	73.17	73.17
v.	Amount raised by issue of IPDI (Rs. In Crore)	600.00	240.30
vi.	Amount of subordinated debts raised as Tier II Capital (Rs. In Crore)	6559.12	6704.03

वर्ष के दौरान, पूँजी पर्याप्तता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से निजी स्थान नियोजन के द्वारा ₹ 600.00 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 240.30 करोड़) का नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई) जारी की हैं।

## 4.2 निवेश :

### 4.2.1 निवेशों का मूल्य :

[रुपये करोड़ में]

विवरण		31.03.2010	31.03.2009
i.	<b>निवेश का सकल मूल्य</b>	<b>69898.86</b>	<b>58318.67</b>
	क. भारत में	69227.81	57505.89
	ख. भारत से बाहर	671.05	812.78
ii.	<b>मूल्यहास के लिए प्रावधान</b>	<b>221.91</b>	<b>541.77</b>
	क. भारत में	113.60	359.43
	ख. भारत से बाहर	108.31	182.34
iii.	<b>निवेश का निवल मूल्य</b>	<b>69676.95</b>	<b>57776.90</b>
	क. भारत में	69114.21	57146.46
	ख. भारत से बाहर	562.74	630.44

### 4.2.2 निवेश पर मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

[रुपये करोड़ में]

विवरण		31.03.2010	31.03.2009
i.	प्रारंभिक शेष	541.77	180.31
ii.	जोड़ें : वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	49.34	407.35
iii.	घटायें : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकन	369.20	45.89
iv.	इति शेष	221.91	541.77

During the year, the Bank has issued Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of Rs.600.00 Crore (Previous Year Rs.240.30 Crore) by way of private placement to strengthen the Capital Adequacy.

## 4.2 Investments:

### 4.2.1 Value of Investments:

[Rs. in Crore]

Particulars		31.03.2010	31.03.2009
i.	<b>Gross Value of Investments</b>	<b>69898.86</b>	<b>58318.67</b>
	a. In India	69227.81	57505.89
	b. Outside India	671.05	812.78
ii.	<b>Provisions for Depreciation</b>	<b>221.91</b>	<b>541.77</b>
	a. In India	113.60	359.43
	b. Outside India	108.31	182.34
iii.	<b>Net Value of Investments</b>	<b>69676.95</b>	<b>57776.90</b>
	a. In India	69114.21	57146.46
	b. Outside India	562.74	630.44

### 4.2.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments:

[Rs. in Crore]

Particulars		31.03.2010	31.03.2009
i	Opening balance	541.77	180.31
ii	Add: Provisions made during the year	49.34	407.35
iii	Less: Write off/Write back of excess provisions during the year	369.20	45.89
iv	Closing balance	221.91	541.77

### 4.2.3 पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन :

[रुपये करोड में]

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31.03.2010
रेपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	13.91	4512.28	156.47	शूच्य
प्रतिलोम रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	99.99	2345.95	16.56	1359.97

### 4.2.3 Repo Transactions:

[Rs. in Crore]

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2010
Securities sold under repos	13.91	4512.28	156.47	Nil
Securities purchased under reverse repos	99.99	2345.95	16.56	1359.97

### 4.2.4 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग

#### i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की जारीकर्ता सम्मिश्रण

[रुपये करोड में]

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	"कम निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर-रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	615.37	187.36	0.00	8.00	54.04
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	1658.92	1658.92	0.00	188.00	188.00
(iii)	बैंक	2126.14	1015.80	15.00	0.00	5.00
(iv)	निजी कार्पोरेट	1015.12	671.62	50.00	11.05	11.05
(v)	अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम	464.80	446.28	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	208.77	181.29	7.30	0.00	0.00
(vii)	घटाएँ : मूल्यहास के लिए प्रावधान	68.37	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>6020.73</b>	<b>4161.27</b>	<b>72.30</b>	<b>207.05</b>	<b>258.09</b>

#### 4.2.4 Non-SLR Investment Portfolio:

- i) Issuer composition of Non SLR Investments:

[Rs. in Crore]

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	615.37	187.36	0.00	8.00	54.04
(ii)	FIs	1658.92	1658.92	0.00	188.00	188.00
(iii)	Banks	2126.14	1015.80	15.00	0.00	5.00
(iv)	Private Corporate	1015.12	671.62	50.00	11.05	11.05
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	464.80	446.28	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	208.77	181.29	7.30	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation	68.37	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6020.73</b>	<b>4161.27</b>	<b>72.30</b>	<b>207.05</b>	<b>258.09</b>

कॉलम 5 से 7 केवल डिबेंचर व बांड प्रतिबिंबित करते हैं।  
उपर्युक्त आंकड़ों में रु 36.70 करोड़ का भारत से बाहर के निवेश सम्मिलित है।

Columns 5 to 7 represent Debentures & Bonds only.

The above figures include investments outside India amounting to Rs.36.70 Crore.

- ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश :

[रुपये करोड़ में]

व्योरा	31.03.2010	31.03.2009
अथ शेष	125.41	132.81
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	5.47	35.51
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	38.65	42.91
इति शेष	92.23	125.41
धारित कुल प्रावधान	92.23	125.41

- ii) Non-Performing Non SLR Investments:

[Rs. in Crore]

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Opening balance	125.41	132.81
Additions during the year since 1st April	5.47	35.51
Reductions during the above period	38.65	42.91
Closing balance	92.23	125.41
Total Provisions held	92.23	125.41

#### 4.3 व्युत्पन्नी :

##### 4.3.1 वायदा दर करार / व्याज दर विनिमय :

[रुपये करोड़ में]

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
i.	विनिमय करार का कलिपत मूलधन	1524.00	2300.74
ii.	करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	117.00	183.30
iii.	विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्शिक की आवश्यकता		लागू नहीं
iv.	विनिमय से होने वाले साथ जोखिम का संकेन्द्रन		विदेशी बैंक, निजी बैंक तथा पी डी
v.	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	92.47	173.95

### 4.3 Derivatives:

#### 4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

[Rs. in Crore]

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
i.	The notional principal of swap agreements	1524.00	2300.74
ii.	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	117.00	183.30
iii.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NA	
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	Foreign Bank, Private Bank & PDs	
v.	The fair value of the swap book	92.47	173.95

#### 4.3.2 व्युत्पन्नी का परिमाणात्मक प्रकटन:

[रुपये करोड़ में]

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज
1	व्युत्पन्नी (कलिप्त मूलधन)				
	- बचाव व्यवस्था	425.00			1099.00
	- व्यापार	0.00			0.00
2	बाजार के लिए अंकित रिस्ति [1]				
	- आस्तियाँ (+)	0.00			117.00
	- देयताएं (-)	22.00			2.53
3	ऋण जोखिम [2]	64.00			147.50
		राजकोष		लंदन शाखा	
		मुद्रा व्युत्पन्नीयाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नीयाँ	मुद्रा व्युत्पन्नीयाँ	ब्याज दर व्युत्पन्नीयाँ
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव [100* पी वी 1]				
	- बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नी पर	0.00	0.04620	-0.10	59.00
	- व्यापार व्युत्पन्नी पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान अवलोकन किया गया अधिकतम और न्यूनतम 100*पी वी 01				
	- बचाव व्यवस्था	0.00	0.33450/0.04620	68/58	0/-3.00
	- व्यापार पर	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3.2 Quantitative disclosure on derivatives:

[Rs. in Crore]

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
1	Derivatives ( Notional principal amount)				
	- Hedging	425.00		1099.00	
	- Trading	0.00		0.00	
2	Marked to Market positions[1]				
	- Assets (+)	0.00		117.00	
	- Liabilities (-)	22.00		2.53	
3	Credit Exposure [2]	64.00		147.50	
		TREASURY		LONDON BRANCH	
		Currency Derivative	Interest Rate Derivatives	Currency Derivative	Interest Rate Derivatives
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]-				
	- on hedging derivatives	0.00	0.04620	-0.10	59.00
	- on trading derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.				
	- on hedging	0.00	0.33450/0.04620	68/58	0/-3.00
	- on trading	0.00	0.00	0.00	0.00

### 4.3.3 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी

क्र.सं.	विवरण	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य
(ii)	यथा 31 मार्च 2010 को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य
(iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार) क) ख) ग)	शून्य

### 4.3.3 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

S.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2010 (instrument-wise) a) b) c)	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b) c)	Nil

### 4.3.4 व्युत्पन्नी में जोखिम

#### एकीकृत राजकोष - गुणवत्तात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / कारोबार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित राजकोष जोखिम प्रबंधन नीति है।

क) बैंक के निवेश संविभाग में रिथर ब्याज दर, जीरो कूपन और अस्थायी ब्याज दरें जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां निहित हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक के पास टायर || बांड भी हैं और यह पूँजी लागत रिथर दर पर है और इसमें बर्हिंगमन विकल्प नहीं है। यह नीति इस देयता पर ब्याज दर से संबंधित जोखिमों से बचाव की भी अनुमति देती है।

न केवल निवेश संविभाग में बल्कि बाजार निर्माण में भी ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए बैंक को वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली और बिलकुल सादा (प्लेन वनिला) कारोबार का प्रयोग करने की अनुमति है।

विदेशी मुद्रा देयताओं से संबंधित जोखिमों से बचाव से उद्देश्य से बैंक वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली जैसी व्युत्पन्नी का प्रयोग कर रहा है। परस्पर मुद्रा के आधार पर हमारे ग्राहकों की ओर से विकल्प और अदला-बदली का भी प्रयोग किया जा रहा है। बैंक द्वारा बुक रन्निंग विकल्प प्रारंभ करना बाकी है।

### 4.3.4 Risk exposure in derivatives:

#### INTEGRATED TREASURY - Qualitative Disclosures

The Treasury Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge /trade is in place.

a) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has Tier II bonds hedged for interest rate swaps which do not have exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

Bank has been undertaking derivatives trades like IRS, FRAs, etc for the purpose of hedging Foreign Currency liabilities also. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis. Bank is yet to start Option book running.

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टाप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं इन जोखिम सीमाओं की नियमित स्तर से निगरानी और समीक्षा की जाती है जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। बकाया व्युत्पन्नी व्यवहारों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निरंतर आधार पर अंतर्निहित आस्ति /देयता के संबंध में निगरानी की गई है।

## ग) लेखांकन नीति:

### बचाव व्यवस्था की स्थिति:

- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर अदला-बदली पर आय को राजस्व खाते में माना गया है।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की गई है। बैंक एफ आई एम डी ए मूल्यांकन पद्धति अर्थात् जी एसईसी प्रतिफल तथा कार्पोरेट मॉडल को अपनाते हुए अदला-बदली और अंतर्निहित आस्ति/देयता के उचित मूल्य का निर्धारण करता है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होती तो बचाव अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के स्तर में लिया है। यदि परिपक्वता से पूर्व अदला-बदली को समाप्त कर दी जाती है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों को प्रदत्त ब्याज/आई आर एस पर प्राप्ति के अधीन व्यय / आय के रूप में लेखांकन किया है।

### ट्रेडिंग की स्थितियाँ:

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग अदला-बदली को बाजार पर अंकित किया है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर आई आर एस पर आय को व्यय / आय माना गया है।
- रस्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के स्तर में रिकार्ड किया गया है।

b) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on an ongoing basis.

### c) Accounting Policy:

#### Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. Bank has used the FIMMDA pricing method i.e. relevant G SEC yield + Corporate bonds spread for arriving at the fair value of the underlying Assets/Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps are accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss/gain and accruals till such date are accounted as expense/income under Interest Paid/Received on IRS.

#### Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as expense/income.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

## 4.4 आस्ति गुणवत्ता:

### 4.4.1 अनर्जक आस्तियाँ :

[रु करोड़ में]

		विवरण	31.03.2010	31.03.2009
(i)		निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	1.06	1.09
(ii)		एनपीए का उतार -चढ़ाव (सकल)		
	क.	प्रारंभिक शेष	2167.97	1272.62
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	3266.33	2377.74
	ग.	वर्ष के दौरान कमी	2843.99	1482.39
	घ.	इति शेष	2590.31	2167.97
(iii)		निवल एनपीए का उतार चढ़ाव		
	क.	प्रारंभिक शेष	1507.25	899.03
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	3266.33	2377.74
	ग.	वर्ष के दौरान कमी	2973.88	1769.52
	घ.	इति शेष	1799.70	1507.25
(iv)		एनपीए हेतु प्रावधान का उतार चढ़ाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोड़कर)		
	क.	प्रारंभिक शेष	657.79	373.10
	ख.	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1426.17	900.00
	ग.	बट्टे खाते में डालना / अधिक प्रावधान वापस करना	1297.16	615.31
	घ.	इति शेष	786.80	657.79

## 4.4 Asset Quality:

### 4.4.1 Non-Performing Assets:

[Rs. in Crore]

		Particulars	31.03.2010	31.03.2009
(i)		Net NPAs to Net Advances (%)	1.06	1.09
(ii)		Movement of NPAs (Gross)		
	a.	Opening balance	2167.97	1272.62
	b.	Additions during the year	3266.33	2377.74
	c.	Reductions during the year	2843.99	1482.39
	d.	Closing balance	2590.31	2167.97
(iii)		Movement of Net NPAs		
	a.	Opening balance	1507.25	899.03
	b.	Additions during the year	3266.33	2377.74
	c.	Reductions during the year	2973.88	1769.52
	d.	Closing balance	1799.70	1507.25
(iv)		Movement of provisions for NPAs (excluding Provisions on Standard Assets)		
	a.	Opening balance	657.79	373.10
	b.	Provisions made during the year	1426.17	900.00
	c.	Write off /Write back of excess provision	1297.16	615.31
	d.	Closing balance	786.80	657.79

#### 4.4.2 अस्थायी प्रावधान :

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
अस्थायी प्रावधान का प्रारम्भिक शेष	--	100.00
<b>जोड़े :</b> वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधान	70.00	--
<b>घटाएं :</b> चालू वर्ष के दौरान आहरित राशि	--	100.00
अस्थायी प्रावधान में इति शेष	70.00	--

#### 4.4.2 Floating Provision:

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Opening Balance of the Floating Provision	--	100.00
<b>Add:</b> Amount of Floating Provision made in the year	70.00	--
<b>Less:</b> Amount drawn during the current year	--	100.00
<b>Closing Balance of the Floating Provision</b>	70.00	--

#### 4.4.3 पुनः संरचित ऋण आस्तियों के विवरण

		सीडीआर तंत्र	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	63	599	17596
	पुनःसंरचित राशि	1319.43	310.73	3554.55
	बकाया राशि	1405.54	332.48	3734.68
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	40.14	2.52	39.82
पुनःसंरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	42	449
	पुनःसंरचित राशि	234.04	19.50	18.14
	बकाया राशि	240.24	20.92	18.47
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	9.83	0.38	1.20
पुनःसंरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	3	221	2411
	पुनःसंरचित राशि	18.25	16.16	17.93
	बकाया राशि	18.98	16.59	18.47
	घाटा (उचित मूल्य में कमी)	0.33	0.34	0.51
पुनःसंरचित कुल अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	67	862	20456
	पुनःसंरचित राशि	1571.72	346.39	3590.62
	बकाया राशि का घाटा	1664.76	369.99	3771.62
	(उचित मूल्य में कमी)	50.30	3.24	41.53

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार और बैंक प्रबंधन द्वारा संकलित तथा प्रमाणीकृत अनुसार उपर्युक्त प्रकटीकरण में छोड़ दिया गया / प्रावधान सम्मिलित है।

#### 4.4.3 (i) Details of Loan Assets subjected to Restructuring:

[Rs. In Crore]

		CDR	SME Debt Mechanism	Others Restructuring
STANDARD ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	63	599	17596
	Amount restructured	1319.43	310.73	3554.55
	Amount outstanding	1405.54	332.48	3734.68
	Sacrifice (Diminution in Fair Value )	40.14	2.52	39.82
SUB- STANDARD ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	1	42	449
	Amount restructured	234.04	19.50	18.14
	Amount outstanding	240.24	20.92	18.47
	Sacrifice (Diminution in Fair Value )	9.83	0.38	1.20
DOUBTFUL ADVANCES RESTRUCTURED	Number of borrowers	3	221	2411
	Amount restructured	18.25	16.16	17.93
	Amount outstanding	18.98	16.59	18.47
	Sacrifice (Diminution in Fair Value )	0.33	0.34	0.51
TOTAL ADVANCES RESTRUCTURED	<b>Number of borrowers</b>	<b>67</b>	<b>862</b>	<b>20456</b>
	<b>Amount restructured</b>	<b>1571.72</b>	<b>346.39</b>	<b>3590.62</b>
	<b>Amount outstanding</b>	<b>1664.76</b>	<b>369.99</b>	<b>3771.62</b>
	<b>Sacrifice (Diminution in Fair Value )</b>	<b>50.30</b>	<b>3.24</b>	<b>41.53</b>

The above disclosure including sacrifice / provision is as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and is as compiled and certified by the Bank Management.

#### 4.4.4 आस्ति पुनःसंरचना के लिए कंपनी प्रतिभूतिकरण / कंपनी पुनःसंरचना को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण :

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
i.	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii.	एससी/आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	ला न	ला न
iii.	समग्र प्रतिफल	ला न	ला न
iv.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	ला न	ला न
v.	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	ला न	ला न

#### 4.4.5 खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र प्रतिफल	ला न	ला न
2	क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनाकृत खातों की संख्या	ला न	ला न
	ख. समग्र बकाया	ला न	ला न

#### 4.4.4 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
i.	No. of accounts	NIL	NIL
ii.	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NA	NA
iii.	Aggregate consideration	NA	NA
iv.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NA	NA
v.	Aggregate Gain over Net Book Value	NA	NA

#### 4.4.5 Details of non-performing financial assets purchased:

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1	a. No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b. Aggregate consideration	NA	NA
2.	a. Of these, number of accounts restructured during the year	NA	NA
	b. Aggregate outstanding	NA	NA

#### 4.4.6 बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
i.	बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ii.	समग्र बकाया	ला न	ला न
iii.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	ला न	ला न

#### 4.4.7 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान :

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	600.33	508.51

4.4.8 अग्रिमों में कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से की गई दावा रकम रु 547.18 करोड़ (पिछला वर्ष 741.73 करोड़) तथा भा रि बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजित अंतः बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र रु 1000 करोड़ (पिछला वर्ष रु 500 करोड़) सम्मिलित हैं।

#### 4.4.9 जमा, अग्रिम, ऋण जोखिम और एन पी ए का केंद्रीकरण

##### i) जमाओं का केंद्रीकरण:

	[रु करोड़ में]
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	19322
बैंक की कुल जमाराशियों के प्रति बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ की प्रतिशतता	8.23%

##### ii) अग्रिमों का केंद्रीकरण:

	[रु करोड़ में]
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	30375.40
बैंक के कुल अग्रिम के प्रति बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम की प्रतिशतता	17.94%

##### iii) ऋण जोखिमों का केंद्रीकरण:

	[रु करोड़ में]
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल ऋण जोखिम	49022.27
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों के लिए कुल ऋण जोखिम के प्रति बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के ऋण जोखिम की प्रतिशतता	16.36%

#### 4.4.6 Details of non-performing financial assets sold:

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
i.	No. of accounts sold	NIL	NIL
ii.	Aggregate outstanding	NA	NA
iii.	Aggregate consideration received	NA	NA

#### 4.4.7 Provisions on Standard Asset:

[Rs. in Crore]

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
	Provisions towards Standard Assets	600.33	508.51

4.4.8 Advances include an amount of Rs.547.18 Crore (Previous year Rs.741.73 Crore) being balance claim outstanding with Reserve Bank of India as per Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 and Rs.1000.00 Crore (Previous year Rs.500 Crore) of Inter Bank Participation Certificate (IBPC) purchased from sponsored Regional Rural Banks as per RBI guidelines.

#### 4.4.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

##### i) Concentration of Deposits:

[Rs. in Crore]

Total Deposits of twenty largest depositors	19322
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	8.23%

##### ii) Concentration of Advances:

[Rs. in Crore]

Total Advances to twenty largest borrowers	30375.40
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	17.94%

##### iii) Concentration of Exposures:

[Rs. in Crore]

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	49022.27
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	16.36%

iv) एन पी ए का केंद्रीकरण:

[रु करोड़ में]	
उच्च चार एन पी ए खातों में कुल ऋण जोखिम	201.12

v) क्षेत्र-वार एन पी ए

क्रम सं.	क्षेत्र	कुल अग्रिम के प्रति एन पी ए की प्रतिशतता
1	कृषि व संबद्ध क्रियाकलाप	1.84
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़ा)	0.77
3	सेवाएं	0.00
4	व्यक्तिगत ऋण	5.95

vi) एन पी ए का उत्तर-चढ़ाव

विवरण	रकम
यथा 1 अप्रैल 2009 को सकल एन पी ए (प्रारंभिक रूप से)	2167.97
जोड़े - वर्ष के दौरान (नए एन पी ए)	3266.33
उपजोड़ (क)	5434.30
घटाएः	
(i) उन्नयन	866.18
(ii) वसूलियाँ (उन्नयन किये गये खातों से की गई वसूलियाँ छोड़कर)	1094.22
(iii) बट्टे खाते में डाला गया	883.59
उप जोड़ (ख)	2843.99
यथा 31 मार्च 2010 को सकल एन पी ए (इतिशेष) (ए-बी)	2590.31

vii) समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए और राजस्व

विवरण	राशि
कुल आस्तियाँ	9998.44
कुल एन पी ए	85.77
कुल राजस्व	310.15

viii) प्रायोजित ऑफ-तुलन पत्र एस पी वी

(लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकन हेतु अपेक्षित)

प्रायोजित एस पी वी का नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

iv) Concentration of NPAs:

[Rs. in Crore]	
Total Exposure to top four NPA accounts	201.12

v) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	1.84
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	0.77
3	Services	0.00
4	Personal Loans	5.95

vi) Movement of NPAs

Particulars	Amount
Gross NPAs as on 1st April 2009 (Opening Balance)	2167.97
Additions (Fresh NPAs) during the year	3266.33
Sub-total (A)	5434.30
Less:	
(i) Upgradations	866.18
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1094.22
(iii) Write-offs	883.59
Sub-total (B)	2843.99
Gross NPAs as on 31st March 2010 (closing balance) (A-B)	2590.31

vii) Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount
Total Assets	9998.44
Total NPAs	85.77
Total Revenue	310.15

viii) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

## 4.5 कारोबार अनुपात :

विवरण		31.03.2010	31.03.2009
i.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.10	8.73
ii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.23	1.18
iii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.19	2.02
iv.	आस्तियों पर प्रतिफल	1.30	1.06
v.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलकर) [रु लाखों में]	982.58	780.17
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ [रु लाखों में]	7.35	4.97

## 4.6 आस्ति देयता प्रबंधन\* :

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप :

[रु करोड़ में]

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
0-1 दिन	4275.45 (5354.46)	7684.30 (9531.95)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	689.30 (111.34)	650.24 (35.33)
2 से 07 दिन	8894.81 (7229.47)	6563.84 (2931.52)	1626.63 (980.77)	0.00 (2530.00)	1045.95 (1883.82)	780.09 (1799.42)
8 से 14 दिन	4879.68 (3486.36)	8296.41 (2154.75)	599.09 (1164.64)	0.00 (0.00)	1314.09 (5012.78)	1654.70 (3628.35)
15 से 28 दिन	4736.40 (2431.62)	4320.55 (3164.64)	1319.18 (1150.36)	84.55 (1000.00)	279.14 (464.82)	545.45 (502.23)
29 दिनों से 3 महीने तक	24640.19 (8543.64)	21337.66 (17281.99)	3511.73 (2318.48)	144.50 (1400.84)	3612.56 (1265.63)	2144.83 (1542.61)
3 महीने से 6 महीने तक	27863.57 (21769.42)	16226.76 (7634.07)	1550.04 (3317.83)	321.53 (1116.32)	3893.91 (1473.88)	3174.56 (1515.96)
6 महीने से 1 वर्ष तक	49460.92 (39417.97)	24650.96 (21687.52)	552.98 (2151.48)	291.96 (542.78)	3449.49 (580.46)	3480.11 (1564.87)
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	29935.20 (27706.27)	30469.24 (28843.71)	5054.19 (7843.57)	853.09 (778.54)	740.58 (2043.87)	1067.09 (1759.71)
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	34435.35 (35758.80)	17713.03 (14055.60)	6050.31 (8339.30)	857.61 (436.61)	642.61 (525.41)	115.30 (32.19)
5 वर्ष से ऊपर	45529.87 (35194.48)	32071.88 (30933.65)	49412.80 (30510.47)	5887.32 (6195.86)	994.98 (1061.58)	1986.79 (2316.77)
<b>कुल</b>	<b>234651.44 (186892.50)</b>	<b>169334.63 (138219.40)</b>	<b>69676.95 (57776.90)</b>	<b>8440.56 (14000.95)</b>	<b>16662.61 (14423.59)</b>	<b>15599.16 (14697.44)</b>

\* यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा माना गया

## 4.5 Business Ratios:

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
i.	Interest income as a percentage to Working Funds	8.10	8.73
ii.	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.23	1.18
iii.	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.19	2.02
iv.	Return on Assets	1.30	1.06
v.	Business (Deposits plus Advances) per employee [Rs. in lacs]	982.58	780.17
vi.	Profit per employee [Rs. in lacs]	7.35	4.97

## 4.6 Asset Liability Management \*:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

[Rs. in Crore]

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
0-1 day	4275.45 (5354.46)	7684.30 (9531.95)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	689.30 (111.34)	650.24 (35.33)
2 to 7 days	8894.81 (7229.47)	6563.84 (2931.52)	1626.63 (980.77)	0.00 (2530.00)	1045.95 (1883.82)	780.09 (1799.42)
8 to 14 days	4879.68 (3486.36)	8296.41 (2154.75)	599.09 (1164.64)	0.00 (0.00)	1314.09 (5012.78)	1654.70 (3628.35)
15 to 28 days	4736.40 (2431.62)	4320.55 (3164.64)	1319.18 (1150.36)	84.55 (1000.00)	279.14 (464.82)	545.45 (502.23)
29 days to 3 months	24640.19 (8543.64)	21337.66 (17281.99)	3511.73 (2318.48)	144.50 (1400.84)	3612.56 (1265.63)	2144.83 (1542.61)
3 months to 6 months	27863.57 (21769.42)	16226.76 (7634.07)	1550.04 (3317.83)	321.53 (1116.32)	3893.91 (1473.88)	3174.56 (1515.96)
6 months to 1 year	49460.92 (39417.97)	24650.96 (21687.52)	552.98 (2151.48)	291.96 (542.78)	3449.49 (580.46)	3480.11 (1564.87)
1 year to 3 years	29935.20 (27706.27)	30469.24 (28843.71)	5054.19 (7843.57)	853.09 (778.54)	740.58 (2043.87)	1067.09 (1759.71)
3 years to 5 years	34435.35 (35758.80)	17713.03 (14055.60)	6050.31 (8339.30)	857.61 (436.61)	642.61 (525.41)	115.30 (32.19)
Over 5 years	45529.87 (35194.48)	32071.88 (30933.65)	49412.80 (30510.47)	5887.32 (6195.86)	994.98 (1061.58)	1986.79 (2316.77)
Total	234651.44 (186892.50)	169334.63 (138219.40)	69676.95 (57776.90)	8440.56 (14000.95)	16662.61 (14423.59)	15599.16 (14697.44)

\*As compiled by the Management and relied upon by the Auditors

## 4.7 संवेदनशील क्षेत्र को उधार :

\* यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा माना गया

### 4.7.1 रस्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम :

[रु करोड़ में]

	श्रेणी	31.03.2010	31.03.2009
क)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	12062.46	10958.50
(i)	आवासीय बंधक	10116.50	7776.11
	- जिनमें से रु 20 लाख तक व्यष्टि विशेष आवास ऋण	7385.04	5754.32
(ii)	वाणिज्यिक रस्थावर संपदा	1928.88	3157.79
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	17.08	24.60
	क. आवासीय	17.08	24.60
	ख. वाणिज्यिक रस्थावर संपदा	--	--
ख)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	2889.37	5010.36
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	2889.37	5010.36
	<b>रस्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम</b>	<b>14951.83</b>	<b>15968.86</b>

## 4.7 Lending to Sensitive Sector:

(As certified by the Management and relied upon by the Auditors)

### 4.7.1 Exposure to Real Estate Sector:

[Rs. in Crore]

	Category	31.03.2010	31.03.2009
a)	Direct Exposure	12062.46	10958.50
(i)	Residential Mortgages - Of which, individual Housing Loans upto Rs.20 Lakhs	10116.50 7385.04	7776.11 5754.32
(ii)	Commercial Real Estate	1928.88	3157.79
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential b. Commercial Real Estate	17.08 --	24.60 --
b)	Indirect Exposure Fund based and non fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2889.37	5010.36
	<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>14951.83</b>	<b>15968.86</b>

### 4.7.2 पूँजी बाजार में ऋण जोखिम :

[रु करोड़ में]

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
i.	ईकिवटी शेयर में प्रत्यक्ष निवेश	869.64	741.15
ii.	बांड/परिवर्तनीय डिबैंचर में निवेश	--	--
iii.	ईकिवटी उन्मुख म्युचुअल फंड इकाइयों में निवेश	27.47	109.35
iv.	वैंचर पूँजी निविधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) के सभी निवेशों को ईकिवटी का सममूल्य माना जाएगा अतः पूँजी बाजार ऋण जोखिम की उच्चतम सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन के लिए परिकलन किया जाएगा	268.40	250.60
v.	ईकिवटी शेयर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड और डिबैंचर, ईकिवटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में निवेश के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर या शेयरों/बांडों/डिबैंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम	-	0.67*
vi.	अन्य किन्हीं कारणों के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबैंचर या ईकिवटी उन्मुख म्युचुअल फंडों के यूनिटों में लिये गये हों।	11.55	16.23
vii.	शेयर या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबैंचरों या ईकिवटी उन्मुख म्युचुअल फंडों के यूनिटों की संपादिक प्रतिभूतियों अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबैंचरों/ईकिवटी उन्मुख म्युचुअल फंडों के यूनिट को छोड़कर पूरी तरह अग्रिमों को प्रावरित न करते हों द्वारा प्रतिभूत तक किन्हीं अन्य कारणों के प्रति अग्रिम	39.01	27.95
viii.	शेयर दलालों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलालों तथा शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटियाँ	560.94	584.69*
ix.	उक्त (viii) में से मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया कुल वित्तीयन	-	--
x.	संसाधनों को जटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईकिवटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान की पूर्ति करने के लिए बेजमानती आधार पर या शेयरों/बांडों/डिबैंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति कार्पोरेट को मंजूर ऋण	-	--
xi.	प्रत्याशित ईकिवटी प्रवाहों/मामलों के प्रति कंपनियों को पूरक ऋण	-	--
xii.	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबैंचरों या ईकिवटी उन्मुख म्युचुअल फंडों के प्राइमरी इश्यू के संबंध में वैकॉ द्वारा की गयी जोखिम अंकन प्रतिबद्धताएं	-	--
xiii.	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	-	--
	<b>पूँजी बाजार का कुल ऋण जोखिम</b>	<b>1777.01</b>	<b>1730.64</b>

\* पुनर्समूहित

**4.7.2 Exposure to Capital Market:**

[Rs. in Crore]

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
i.	Direct Investment in Equity Shares	869.64	741.15
ii.	Investments in Bonds / Convertible Debentures	--	--
iii.	Investments in units of Equity-oriented Mutual Funds	27.47	109.35
iv.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	268.40	250.60
v.	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares (including IPOs / ESOPs), convertible Bonds and Debentures, units of Equity oriented Mutual Funds	-	0.67*
vi.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	11.55	16.23
vii.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	39.01	27.95
viii	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	560.94	584.69*
ix	Of (viii) above, the total finance extended to stockbrokers for margin trading	-	--
x	Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	-	--
xi	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	-	--
xii	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible -debentures or units of equity oriented mutual funds	-	--
xiii	Financing to stockbrokers for margin trading	-	--
<b>Total Exposure to Capital Market</b>		<b>1777.01</b>	<b>1730.64</b>

\* regrouped

### 4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश ऋण जोखिम :

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश-जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31 मार्च 2010 को किसी भी देश को बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम इसकी कुल आस्तियों के 1% से ज्यादा नहीं हुआ है।

[रु करोड़ में]

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2010 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2010 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2009 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2009 को धारित प्रावधान
नगण्य	3136.50	-	12736.15	4.06
कम	8718.94	-	4118.53	--
सामान्य	1250.42	-	1446.71	--
उच्च	53.57	-	60.50	--
बहुत ज्यादा	0.88	-	1.55	--
प्रतिबंधित	0.37	-	0.29	--
ऑफ-क्रेडिट	2.58	-	2.89	--
<b>कुल</b>	<b>13163.26</b>	<b>-</b>	<b>18366.62</b>	<b>4.06</b>

### 4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

In respect of the Country where Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31st March 2010, the net funded exposure to any country has not exceeded the 1% of the total assets of the Bank.

[Rs. in Crore]

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2010	Provision held as at 31.03.2010	Exposure (net) as at 31.03.2009	Provision held as at 31.03.2009
Insignificant	3136.50	-	12736.15	4.06
Low	8718.94	-	4118.53	--
Moderate	1250.42	-	1446.71	--
High	53.57	-	60.50	--
Very High	0.88	-	1.55	--
Restricted	0.37	-	0.29	--
Off-credit	2.58	-	2.89	--
<b>TOTAL</b>	<b>13163.26</b>	<b>-</b>	<b>18366.62</b>	<b>4.06</b>

#### 4.8 बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) तथा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण :

बैंक ने किसी भी समूह खातों के मामले में विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा को नहीं बढ़ाया है। तथापि निम्न खातों के मामले में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित पूँजी निधि के 15% ऋण जोखिम सीमा को बढ़ाया गया है।

#### 4.8 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 15% of Bank Capital Funds has been exceeded:

[रु करोड़ में]

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई कुल राशि	यथा 31.03.2010 को बकाया
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	3015.00	3015.00	1213.84
2	भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लि.	2984.17	2984.17	2697.86
3	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	2900.00	2900.00	1587.00

[Rs. in Crore]

Sl. No.	Name of the borrower	Exposure limit	Total amount sanctioned	Outstanding as on 31.03.2010
1	Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	3015.00	3015.00	1213.84
2	Bharat Heavy Electricals Ltd.,	2984.17	2984.17	2697.86
3	Steel Authority of India Limited	2900.00	2900.00	1587.00

#### 4.9 अप्रतिभूत अग्रिम

रु 7797.05 करोड़ का अग्रिम जिसके लिए अधिकार, लाईसेंस, प्राधिकृत करना आदि अमूर्त प्रतिभूतियों को प्रभार के स्तर में लिया गया है, को अप्रतिभूत माना जाता है। ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

#### 4.9 Unsecured Advances:

Advances amounting to Rs.7797.05 Crore for which charge has been taken over intangible securities such as rights, licenses, authorization etc have been considered as Unsecured. The estimated value of such intangible securities is not ascertained.

#### 4.10 विविध :

##### 4.10.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधानों की राशि :

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
आयकर हेतु प्रावधान (संपत्ति कर सहित)	800.00	500.00

[रु करोड़ में]

#### 4.10 Miscellaneous:

##### 4.10.1 Amount of Provisions made for Income Tax during the year:

[Rs. in Crore]

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provision for Income Tax (including Wealth Tax)	800.00	500.00

##### 4.10.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण

शून्य

##### 4.10.2 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

NIL

### 4.10.3 बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों एवं कार्यान्वित नहीं किए अधिनिर्णयों का प्रकटीकरण

#### क. ग्राहक शिकायतें

क्रमांक	विवरण	
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	173
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3479
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	3409
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	243

#### ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी किए गए अधिनिर्णय

क्रमांक	विवरण	
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त अधिनिर्णयों की संख्या	6
(ग)	वर्ष के दौरान किए गए निवारणों की संख्या	8
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए लंबित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य

### 5 लेखांकन मानदंडः

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

#### 5.1 लेखांकन मानदंड 5 - निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मद्दें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन : इसके पहले की अवधि की कोई मद्दें नहीं हैं।

#### 5.2 लेखांकन मानदंड 15 - कर्मचारी लाभ

देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं

### 4.10.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

#### A. Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	173
(b)	Number of complaints received during the year	3479
(c)	Number of complaints redressed during the year	3409
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	243

#### B. Awards passed by the Banking Ombudsmen

Sl. No.	Particulars	
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b)	Number of Awards received during the year	6
(c)	Number of Awards redressed during the year	8
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	Nil

### 5. Accounting Standards:

In compliance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the following information is disclosed:

#### 5.1 Accounting Standard 5 – Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items.

#### 5.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension, sick leave and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) में अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोतरी की गयी है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.

## I. मूलधन बीमांकिक अनुमान [ ढमारित औसतों के सम में व्यक्त ]

विवरण	उपदान	पेंशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
रियायती दर	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%
वेतन में बढ़ोतरी की दर	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
हास दर	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%

## I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Discount Rate	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%
Salary escalation rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
Attrition rate	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
Expected rate of return on Plan Assets	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%

## II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पी वी ओ ) में परिवर्तन - प्रारंभिक एवं इति शेषों का मिलान

[रु करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
अवधि की शुरूआत में पी वी ओ	776.45	2994.40	118.35	550.63
ब्याज लागत	55.41	231.73	8.76	40.51
मौजूदा सेवा लागत	42.70	71.26	4.94	21.67
विगत सेवा लागत - (गैर निहित हितलाभ)	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - (निहित हितलाभ)	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(55.41)	(195.50)	-	(6.28)
दायित्व पर बीमांकिक हानि /(लाभ) ( संतुलनकारी आंकड़ा )	24.54	258.39	35.42	(25.43)
वर्ष के अंत में पी वी ओ	843.69	3360.28	167.47	581.10

## II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) – RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:

[Rs. In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
<b>PVO as at the beginning of the period</b>	<b>776.45</b>	<b>2994.40</b>	<b>118.35</b>	<b>550.63</b>
Interest Cost	55.41	231.73	8.76	40.51
Current service cost	42.70	71.26	4.94	21.67
Past service cost – (non vested benefits)	-	-	-	-
Past service cost – (vested benefits)	-	-	-	-
Benefits paid	(55.41)	(195.50)	-	(6.28)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	24.54	258.39	35.42	(25.43)
<b>PVO as at the end of the period</b>	<b>843.69</b>	<b>3360.28</b>	<b>167.47</b>	<b>581.10</b>

## III. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन - प्रारंभिक एवं इति शेष का मिलान :

[रु करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	738.95	2762.27	-	-
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	58.39	223.79	-	-
अंशदान	37.50	265.60	-	6.28
प्रदत्त हितलाभ	(55.41)	(195.50)	-	(6.28)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) (संतुलनकारी आंकड़ा )	1.68	41.22	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	781.11	3097.38	-	-

## III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:

[Rs. In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
<b>Fair value of plan assets as at the beginning of the period</b>	<b>738.95</b>	<b>2762.27</b>	-	-
Expected return on plan assets	58.39	223.79	-	-
Contributions	37.50	265.60	-	6.28
Benefits paid	(55.41)	(195.50)	-	(6.28)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	1.68	41.22	-	-
<b>Fair value of plan assets as at the end of the period</b>	<b>781.11</b>	<b>3097.38</b>	-	-

## IV. योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

[रु करोड में]

विवरण	उपदान	पेशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	58.39	223.79	-	-
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि )	1.68	41.22	-	-
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	60.07	265.01	-	-

## IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS

[Rs. in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Expected return on plan assets	58.39	223.79	-	-
Actuarial gain (loss) on plan assets	1.68	41.22	-	-
Actual return on plan assets	60.07	265.01	-	-

## V. बीमांकिक (लाभ) /हानि चिह्नित

[रु करोड में]

विवरण	उपदान	पेशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ /(हानि ) - दायित्व	(24.54)	(258.39)	(35.42)	25.43
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) /हानि - योजनागत	1.68	41.22	-	-
आस्तियां अवधि के लिए कुल (लाभ ) / हानि	22.86	217.17	35.42	(25.43)
<b>अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) /हानि चिह्नित</b>	<b>22.86</b>	<b>217.17</b>	<b>35.42</b>	<b>(25.43)</b>
वर्ष के अंत में बीमांकिक (लाभ)/हानि गैर चिह्नित	-	-	-	-

## V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED

[Rs. In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	(24.54)	(258.39)	(35.42)	25.43
Actuarial gain / (loss) for the period- Plan Assets	1.68	41.22	-	-
Total (gain) / loss for the period	22.86	217.17	35.42	(25.43)
<b>Actuarial (gain) / loss recognized in the period</b>	<b>22.86</b>	<b>217.17</b>	<b>35.42</b>	<b>(25.43)</b>
Unrecognized actuarial (gain) / loss at the end of the year	-	-	-	-

## VI. तुलनपत्र और संबंधित विश्लेषणों में चिह्नित राशि

[रु करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
दायित्व का वर्तमान मूल्य	843.69	3360.28	167.47	581.10
योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	781.11	3097.38	-	-
अंतर	62.58	262.90	167.47	581.10
गैर चिह्नित संक्रमणकालीन दायित्व	-	-	-	-
गैर चिह्नित विगत सेवा लागत - गैर निहित हितलाभ	-	-	-	-
<b>तुलन पत्र में चिह्नित देयता</b>	<b>62.58</b>	<b>262.90</b>	<b>167.47</b>	<b>581.10</b>

## VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSES

[Rs. In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Present value of the obligation	843.69	3360.28	167.47	581.10
Fair value of plan assets	781.11	3097.38	-	-
Difference	62.58	262.90	167.47	581.10
Unrecognized transitional liability	-	-	-	-
Unrecognized past service cost – non vested benefits	-	-	-	-
<b>Liability recognized in the balance sheet</b>	<b>62.58</b>	<b>262.90</b>	<b>167.47</b>	<b>581.10</b>

## VII. लाभ एवं हानि विवरणों में चिह्नित व्यय:

[रु करोड़ में]

विवरण	उपदान	पेंशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
मौजूदा सेवा लागत	42.70	71.26	4.94	21.67
ब्याज लागत	55.41	231.73	8.76	40.51
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(58.39)	(223.79)	-	-
वर्ष में चिन्हित निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	22.86	217.17	35.42	(25.43)
वर्ष में चिन्हित संक्रमणकालीन देयता	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - गैर निहित हितलाभ	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - निहित हितलाभ	-	-	-	-
<b>लाभ एवं हानि विवरणों में चिन्हित व्यय</b>	<b>62.58</b>	<b>296.37</b>	<b>49.12</b>	<b>36.75</b>

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:

[Rs. in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Current service cost	42.70	71.26	4.94	21.67
Interest Cost	55.41	231.73	8.76	40.51
Expected return on plan assets	(58.39)	(223.79)	-	-
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	22.86	217.17	35.42	(25.43)
Transitional Liability recognized in the year	-	-	-	-
Past service cost – non-vested benefits	-	-	-	-
Past service cost – vested benefits	-	-	-	-
<b>Expenses recognized in the statement of profit and loss</b>	<b>62.58</b>	<b>296.37</b>	<b>49.12</b>	<b>36.75</b>

VIII. तुलनपत्र में चिह्नित देयता में उतार - चढ़ाव:

[रु करोड़ में]

विवरण	उपदान	पैशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
प्रारंभिक निवल देयता	37.50	232.13	118.35	550.63
उपर्युक्त व्यय	62.58	296.37	49.12	36.75
प्रदत्त अंशदान	(37.50)	(265.60)	-	(6.28)
<b>इति निवल देयता</b>	<b>62.58</b>	<b>262.90</b>	<b>167.47</b>	<b>581.10</b>

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET

[Rs. In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Opening net liability	37.50	232.13	118.35	550.63
Expense as above	62.58	296.37	49.12	36.75
Contribution paid	(37.50)	(265.60)	-	(6.28)
<b>Closing net liability</b>	<b>62.58</b>	<b>262.90</b>	<b>167.47</b>	<b>581.10</b>

## IX. मौजूदा अवधि के लिए राशि

[रु करोड में]

विवरण	उपदान	पेंशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
दायित्व का मौजूदा मूल्य	843.69	3360.28	167.47	581.10
योजनागत आस्तियां	781.11	3097.38	-	-
अधिशेष (घाटा)	(62.58)	(262.90)	(167.47)	(581.10)
योजनागत देयताओं पर अनुभवगत समायोजन - (हानि) / लाभ	(83.52)	(205.65)	(40.77)	(10.13)
योजनागत आस्तियां पर अनुभवगत समायोजन	1.68	41.22	-	-

## IX. AMOUNT FOR THE CURRENT PERIOD

[Rs. In Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Present Value of obligation	843.69	3360.28	167.47	581.10
Plan Assets	781.11	3097.38	-	-
Surplus (Deficit)	(62.58)	(262.90)	(167.47)	(581.10)
Experience adjustments on plan liabilities -(loss)/gain	(83.52)	(205.65)	(40.77)	(10.13)
Experience adjustments on plan assets	1.68	41.22	-	-

## X. योजनागत आस्तियां की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजनागत आस्तियां के प्रतिशत के रूप में)

[रु करोड में]

विवरण	उपदान	पेंशन	बीमारी छुट्टी	साधिकार छुट्टी
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	27.70%	12.90%	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	14.60%	24.30%	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कार्पोरेट बांड	-	54.40%	-	-
सा क्षे उ बांड	32.90%	-	-	-
सूचीगत कंपनियों के इकिवटी शेयर	-	-	-	-
संपत्ति	-	-	-	-
विशेष जमा योजना	14.20%	-	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंध की गई निधि	-	8.20%	-	-
स्थुच्युल फंड	-	0.20%	-	-
बैंक जमा - चालू खाता	10.60%	-	-	100.00%
अन्य	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>

## X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)

[Rs. in Crore]

Particulars	Gratuity	Pension	Sick Leave	Privilege Leave
Government of India Securities	27.70%	12.90%	-	-
State Government Securities	14.60%	24.30%	-	-
High Quality Corporate Bonds	-	54.40%	-	-
PSU Bonds	32.90%	-	-	-
Equity shares of listed companies	-	-	-	-
Property	-	-	-	-
Special Deposit Scheme	14.20%	-	-	-
Funds managed by Insurer	-	8.20%	-	-
Mutual Fund	-	0.20%	-	-
Bank Deposits-Current Account	10.60%	-	-	100.00%
Others	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>100.00%</b>

## XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान के बारे में उद्यम का सर्वोत्तम अनुमान

## XI. ENTERPRISE'S BEST ESTIMATE OF CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR

कर्मचारियों के लिए प्रावधान तथा को अदायगी के संबंध में वर्ष के दौरान संशोधित वेतन के प्रति किये गये प्रावधान में रु 300 करोड़ शामिल। देयता संकलन के बाद पेंशन के संबंध में विचार किया जाएगा।

Payments to and Provision for Employees include Rs.300 Crore being the further provision made towards salary revision for the year. In respect of Pension, liability will be considered on crystallization.

### 5.3 लेखांकन मानदंड -17 - खंड रिपोर्टिंग :

भाग क - कारोबार खंडः

[रु करोड में]

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2010	31.03.2009
(क)	<b>खंड राजस्व</b>		
1	राजकोष परिचालन	5477.69	4725.33
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	5646.60	6263.59
3	थोक बैंकिंग परिचालन	10041.64	7315.58
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित	443.93	1125.77
	<b>कुल</b>	<b>21609.86</b>	<b>19430.27</b>
(ख)	<b>खंड परिणाम</b>		
1	राजकोष परिचालन	1346.85	797.60
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	1664.16	1470.13
3	थोक बैंकिंग परिचालन	1999.24	1623.19
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>5010.25</b>	<b>3890.92</b>
(ग)	गैर आवंटित आय / व्यय	50.56	72.85
(घ)	<b>परिचालन लाभ</b>	<b>5060.81</b>	<b>3963.77</b>
(ङ.)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	1239.38	1391.35
(च)	आय कर	800.00	500.00
(छ)	<b>निवल लाभ</b>	<b>3021.43</b>	<b>2072.42</b>
(ज)	<b>अन्य सूचना</b>		
(इ)	<b>खंड आस्तियाँ*</b>		
1	राजकोष परिचालन	87199.12	68217.66
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	51555.25	47926.35
3	थोक बैंकिंग परिचालन	121344.65	99911.62
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित आस्तियाँ	2509.39	1422.01
	<b>कुल</b>	<b>262608.41</b>	<b>217477.64</b>
(झ)	<b>खंड देयताएं</b>		
1	राजकोष परिचालन	39833.45	22694.00
2	खुदरा बैंकिंग परिचालन	123063.48	101958.13
3	थोक बैंकिंग परिचालन	76290.47	66324.99
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
5	गैर आवंटित देयताएं	10881.90	16460.91
6	पूँजी और आरक्षित निधियाँ *	12539.11	10039.61
	<b>कुल</b>	<b>262608.41</b>	<b>217477.64</b>

(\* पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर )

### 5.3 Accounting Standard-17 -Segment Reporting:

#### Part A – Business Segment:

[Rs. in Crore]

	Business Segment	Year Ended	
		31.03.2010	31.03.2009
<b>(a) Segment Revenue</b>			
1 Treasury Operations		5477.69	4725.33
2 Retail Banking Operations		5646.60	6263.59
3 Wholesale Banking Operations		10041.64	7315.58
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
5 Unallocated		443.93	1125.77
<b>Total</b>		<b>21609.86</b>	<b>19430.27</b>
<b>(b) Segment Results</b>			
1 Treasury Operations		1346.85	797.60
2 Retail Banking Operations		1664.16	1470.13
3 Wholesale Banking Operations		1999.24	1623.19
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>5010.25</b>	<b>3890.92</b>
<b>(c) Unallocated Income/Expenses</b>		50.56	72.85
<b>(d) Operating Profit</b>		<b>5060.81</b>	<b>3963.77</b>
<b>(e) Provisions and Contingencies</b>		1239.38	1391.35
<b>(f) Income Tax</b>		800.00	500.00
<b>(g) Net Profit</b>		<b>3021.43</b>	<b>2072.42</b>
<b>(h) Other Information</b>			
<b>(i) Segment Assets*</b>			
1 Treasury Operations		87199.12	68217.66
2 Retail Banking Operations		51555.25	47926.35
3 Wholesale Banking Operations		121344.65	99911.62
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
5 Unallocated Assets		2509.39	1422.01
<b>Total</b>		<b>262608.41</b>	<b>217477.64</b>
<b>(j) Segment Liabilities</b>			
1 Treasury Operations		39833.45	22694.00
2 Retail Banking Operations		123063.48	101958.13
3 Wholesale Banking Operations		76290.47	66324.99
4 Other Banking Operations		0.00	0.00
5 Unallocated Liabilities		10881.90	16460.91
6 Capital and Reserves*		12539.11	10039.61
<b>Total</b>		<b>262608.41</b>	<b>217477.64</b>

(\* Excluding Revaluation Reserve)

भाग ख: भौगोलिक खंडः

[रु करोड में]

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2010	31.03.2009
अ	<b>देशी परिचालन</b>		
	राजस्व	21299.71	19121.30
	आस्तियाँ	252609.97	210700.54
आ	<b>विदेशी परिचालन</b>		
	राजस्व	310.15	308.97
	आस्तियाँ	9998.44	6777.10
इ	<b>कुल</b>		
	राजस्व	21609.86	19430.27
	आस्तियाँ*	262608.41	217477.64

\* (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)

## Part B - Geographical Segment:

[Rs. in Crore]

	Geographical Segment	Year Ended	
		31.03.2010	31.03.2009
a	<b>Domestic Operations</b>		
	Revenue	21299.71	19121.30
	Assets	252609.97	210700.54
b	<b>International Operations</b>		
	Revenue	310.15	308.97
	Assets	9998.44	6777.10
c	<b>Total</b>		
	Revenue	21609.86	19430.27
	Assets*	262608.41	217477.64

(\* Excluding Revaluation Reserve)

### 5.4 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण - लेखांकन मानदंड -18:

संबंधित पार्टीयों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध - प्रधान - केनरा बैंक

#### 5.4.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- i) श्री एसी महाजन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- ii) श्री जगदीश पौडे एल, कार्यपालक निदेशक
- iii) श्री एच एस उपेंद्र कामत, कार्यपालक निदेशक

### 5.4 Related Party Disclosures – Accounting Standard-18:

Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent –Canara Bank

#### 5.4.1 Key Management Personnel –

- i) Shri A. C. Mahajan, Chairman & Managing Director
- ii) Shri Jagdish Pai. K. L, Executive Director
- iii) Shri H. S. Upendra Kamath, Executive Director

#### 5.4.2 मूल

- i) केनरा बैंक

#### 5.4.3 अनुषंगियाँ -

- i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.
- ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.
- iv) केनरा रोबेको आरित प्रबंधन कंपनी लि.
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसस लि.
- vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.था)
- vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्स्योरेन्स कंपनी लि.

#### 5.4.4 संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को

#### 5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) सी ए आर ई लिमिटेड
- iv) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - क) प्रगति ग्रामीण बैंक
  - ख) साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक
  - ग) श्रेयस ग्रामीण बैंक

#### 5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है :

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक - रु. 71,98,727\*  
(पिछले वर्ष : रु. 34,74,885)

\* वर्तमान और पूर्व महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त बकाया सम्मिलित है।

#### 5.4.2 Parent-

- i) Canara Bank

#### 5.4.3 Subsidiaries –

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd).
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.

#### 5.4.4 Joint Ventures

- i) Commercial Bank of India LLC, Moscow

#### 5.4.5 Associates

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) CARE Ltd.
- iv) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
  - a) Pragati Gramin Bank
  - b) South Malabar Gramin Bank
  - c) Shreyas Gramin Bank

#### 5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

Remuneration to Key Management Personnel  
Rs.71,98,727\* (Previous Year: Rs. 34,74,885)

\*including Arrears paid to Present and Ex Key Management Personnel

**5.4.7 अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों, सहबद्धों के साथ संव्यवहार  
निम्नवत् है :**

[रु करोड़ में]

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम
<b>उधार -</b> यथा वर्षात को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य) <b>शून्य</b> (शून्य)	<b>1.90</b> (11.90) <b>1.90</b> (11.90)
<b>जमाएं -</b> यथा वर्षात को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>140.33</b> (140.39) <b>143.83</b> (321.95)	<b>1604.07</b> (1099.27) <b>1604.07</b> (1115.25)
<b>जमाओं का नियोजन -</b> यथा वर्षात को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य) <b>शून्य</b> (शून्य)	<b>97.66</b> (110.32) <b>97.66</b> (110.32)
<b>अग्रिम -</b> यथा वर्षात को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>743.38</b> (482.13) <b>743.38</b> (500.00)	<b>2788.31</b> (969.06) <b>2788.31</b> (1111.27)
<b>निवेश -</b> यथा वर्षात को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>365.13</b> (309.03) <b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02) <b>99.66</b> (97.02)
<b>निधीतर वचन बद्धतायें -</b> यथा वर्षात को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य) <b>शून्य</b> (शून्य)	शून्य (शून्य) <b>शून्य</b> (शून्य)
<b>स्थिर संपत्तियों की खरीद</b>	<b>2.99</b> (शून्य)	<b>शून्य</b> (शून्य)
<b>स्थिर संपत्तियों की बिक्री</b>	<b>0.04</b> (शून्य)	<b>शून्य</b> (शून्य)
<b>प्रदत्त ब्याज</b>	<b>11.62</b> (17.52)	<b>24.56</b> (49.01)
<b>प्राप्त ब्याज</b>	<b>16.43</b> (35.33)	<b>109.49</b> (139.21)
<b>सेवा उपलब्ध कराना</b>	<b>58.91</b> (18.33)	<b>2.40</b> (0.96)
<b>सेवा प्राप्त करना</b>	<b>11.33</b> (3.84)	<b>0.01</b> (0.01)
<b>प्रबंधन संविदाएं</b>	<b>0.05</b> (4.55)	<b>शून्य</b> (3.20)

\* यथा प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा माना गया  
कोष्ठकों में दिये गये ऑकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

**5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under \*:**

[Rs. in Crore]

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures
<b>Borrowings -</b> Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	<b>NIL</b> (NIL) <b>NIL</b> (NIL)	<b>1.90</b> (11.90) <b>1.90</b> (11.90)
<b>Deposits-</b> Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	<b>140.33</b> (140.39) <b>143.83</b> (321.95)	<b>1604.07</b> (1099.27) <b>1604.07</b> (1115.25)
<b>Placement of Deposits -</b> Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	<b>NIL</b> (NIL) <b>NIL</b> (NIL)	<b>97.66</b> (110.32) <b>97.66</b> (110.32)
<b>Advances-</b> Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	<b>743.38</b> (482.13) <b>743.38</b> (500.00)	<b>2788.31</b> (969.06) <b>2788.31</b> (1111.27)
<b>Investments-</b> Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	<b>365.13</b> (309.03) <b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02) <b>99.66</b> (97.02)
<b>Non Funded Commitments-</b> Outstanding as at the year end Maximum outstanding	<b>NIL</b> (NIL) <b>NIL</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL) <b>NIL</b> (NIL)
<b>Purchase of Fixed Assets</b>	<b>2.99</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
<b>Sale of Fixed Assets</b>	<b>0.04</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
<b>Interest paid</b>	<b>11.62</b> (17.52)	<b>24.56</b> (49.01)
<b>Interest received</b>	<b>16.43</b> (35.33)	<b>109.49</b> (139.21)
<b>Rendering of Service</b>	<b>58.91</b> (18.33)	<b>2.40</b> (0.96)
<b>Receiving of Services</b>	<b>11.33</b> (3.84)	<b>0.01</b> (0.01)
<b>Management Contracts</b>	<b>0.05</b> (4.55)	<b>NIL</b> (3.20)

\* As compiled by the Management and relied upon by the Auditors.

Figures in brackets relate to previous year.

## 5.5 प्रति शेयर अर्जन - लेखा मानक - 20

मूल एवं कम किया हुआ ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20 - "प्रतिशेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

[राशि रु में]

क्रम सं.	विवरण	2009-2010	2008-2009
1	मूल एवं तरलित ई पी एस	73.69	50.55

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है :

	विवरण	2009-2010	2008-2009
क	ईविटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (रुपये करोड़ में)	3021.43	2072.42
ख	ईविटी शेयरों की संख्या	41 करोड़	41 करोड़
ग	प्रति शेयर अर्जन (क / ख)(रु)	73.69	50.55
घ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु)	10/-	10/-

## 5.6 आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएं - लेखा मानक - 22

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2010 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है :

आस्थगित कर आस्तियों व आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

## 5.5 Earnings Per Share – Accounting Standard-20:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

[Amount in Rs.]

SI No.	Particulars	2009-2010	2008-2009
1	Basic and Diluted EPS	73.69	50.55

The Computation of EPS is given below.

SI.No	Particulars	2009-2010	2008-2009
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (Rs. in Crore)	3021.43	2072.42
B	Number of Equity Shares	41 Crore	41 Crore
C	Earnings per Share (A/B) (Rs.)	73.69	50.55
D	Nominal Value per Share (Rs.)	10/-	10/-

## 5.6 Deferred Tax Assets and Liabilities – Accounting Standard-22:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets / Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2010.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

[रु करोड़ में]

विवरण	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
प्रतिभूतियों पर उपचित परतु देय न रहनेवाला ब्याज	शून्य	शून्य	319.75	327.29
छुट्टी नकदीकरण	254.44	227.38	शून्य	शून्य
स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास	30.10	28.70	शून्य	शून्य
एफ डी आर पर ब्याज हेतु प्रावधान	26.06	26.06	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	23.72	1.67
आस्थगित कर आस्तियाँ / देयताएं	310.60	282.14	343.47	328.96

[Rs. in Crore]

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	319.75	327.29
Leave Encashment	254.44	227.38	NIL	NIL
Depreciation on Fixed Assets	30.10	28.70	NIL	NIL
Provision for interest on FDR	26.06	26.06	NIL	NIL
Others	NIL	NIL	23.72	1.67
Deferred Tax Asset/ Liability	310.60	282.14	343.47	328.96

## 5.7 संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग - लेखांकन मानक - 27

निवेश में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रक्षा में निर्गमित) रु 31.53 करोड़ शामिल है (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% ईक्विटी है।

ए.एस. 27 की अपेक्षानुसार (संयुक्त नियंत्रित संस्था में बैंक के हित @ 40%) से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की समग्र राशि का प्रकटन निम्नवत किया गया है :

## 5.7 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures – Accounting Standard - 27

Investments include Rs. 31.53 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (Incorporated in Russia) wherein the Bank owns 40% of the equity.

As required by AS 27 the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses (Bank's interest @ 40% in jointly controlled entity) is disclosed as under:

### कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी - आस्तियों, देयताओं, आय- व्यय के विवरण

विवरण	31.3.2010 को समाप्त विद्यमान वर्ष	31.3.2010 को समाप्त विद्यमान वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%	31.3.2009 को समाप्त गत वर्ष	31.3.2009 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @ 40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	रुपये करोड़ों में	रुपये करोड़ों में	अमेरिकी डॉलर '000 में	रुपये करोड़ों में	रुपये करोड़ों में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	25346	113.80	45.52	18437	93.51	37.40
कुल देयताएं	45086	202.43	80.97	40011	202.94	81.18
कुल आस्तियाँ	70432	316.23	126.49	58448	296.45	118.58
कुल आय	5348	25.39	10.16	4751	21.28	8.51
कुल व्यय	3197	15.18	6.07	3744	16.77	6.71
लाभ	2151	10.21	4.08	1007	4.51	1.80

## Commercial Bank of India LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses

Particulars	Current year ended 31.03.2010	Current year ended 31.03.2010	Bank's share @ 40%	Previous year ended 31.03.2009	Previous year ended 31.03.2009	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	Rs. in Crore	Rs. in Crore	In '000 US Dollars	Rs. in Crore	Rs. in Crore
Aggregate Capital and Reserves	25346	113.80	45.52	18437	93.51	37.40
Aggregate Liabilities	45086	202.43	80.97	40011	202.94	81.18
Aggregate Assets	70432	316.23	126.49	58448	296.45	118.58
Aggregate Income	5348	25.39	10.16	4751	21.28	8.51
Aggregate Expenditure	3197	15.18	6.07	3744	16.77	6.71
Profit	2151	10.21	4.08	1007	4.51	1.80

उक्त ऑँकड़े निम्नानुसार परिवर्तित किये गये हैं :

आस्तियाँ तथा देयताएं @ हाजिर दर 31.03.2010 यू एस डी 1= रु 44.90 और 31.03.2009 यू एस डी 1=50.72

आय तथा व्यय @ औसत दर 31.03.2010 यू एस डी 1= रु 47.4725 और 31.03.2009 यू एस डी 1= रु 44.7833

उपर्युक्त ऑँकड़े 31.03.2010 तथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के उन खातों से लिया गया है जो लेखा परीक्षित नहीं हैं।

### 5.8 आस्तियों की क्षति - लेखा प्रणाली मानक 28

प्रबंधन की राय में, 31.03.2010 तक विस्तरित इसकी अचल संपत्ति की किसी भी सामग्री पर कोई क्षति नहीं है जिसकी भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा जारी लेखा प्रणाली मानक 28 के निबंधन में निर्धारण की जरूरत है।

The above figures have been translated at:

Assets and liabilities: @ spot rate: 31.03.2010 USD 1=Rs.44.90 and 31.03.2009 USD 1=Rs.50.72

Income & Expenditure: @ Average rate: 31.03.2010 USD 1=Rs.47.4725 and 31.03.2009 USD 1=Rs.44.7833

The above figures are as per unaudited accounts of the joint venture for the year ended 31.03.2010 & 31.03.2009.

### 5.8 Impairment of Assets – Accounting Standard 28

In the opinion of the Management, there is no impairment of its Fixed Asset to any material extent as at 31.03.2010 requiring recognition in terms of Accounting Standard 28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

## 6. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय के विवरण का व्योरा :

[रु करोड़ में]

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	91.82	शून्य
अशोध्य और संदिग्ध ऋण	1426.17	900.00
कराधान (आस्थगित कर का निवल)	800.00	500.00
निवेश मूल्यहास / एन पी आई प्रावधान	(328.66)	407.35
अन्य / आकस्मिक व्यय (निवल)	50.05	84.00
<b>कुल</b>	<b>2039.38</b>	<b>1891.35</b>

## 6 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

[Rs. in Crore]

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provision for Standard Assets	91.82	NIL
Bad and Doubtful Debts	1426.17	900.00
Taxation (Net of Deferred Tax)	800.00	500.00
Investment Depreciation/NPI Provision	(328.66)	407.35
Others / Contingencies (Net)	50.05	84.00
<b>TOTAL</b>	<b>2039.38</b>	<b>1891.35</b>

## 7.1 लेखांकन मानदंड 29के अनुस्त प्रावधान - आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान:

[रु करोड़ में]

विवरण	यथा 01.04.2009 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	यथा 31.03.2010 को समाप्त
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	91.42	50.00	73.81	67.61

## 7.1 Provisions in accordance with Accounting Standard 29 – Provision for Contingencies:

[Rs. in Crore]

Particulars	Opening as on 01.04.2009	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2010
Provision for Contingencies	91.42	50.00	73.81	67.61

## 7.2 चुकौती आश्वासन पत्र जारी करना

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा रु 2261.91 करोड़ के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2010 को उक्त पत्रों की संचित रिस्थिति रु 1093.36 करोड़ है। इनके अलावा बैंक द्वारा निम्नांकित विनियामकों को चुकौती आवश्वासन पत्र जारी किये गये।

- i) चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, चीन (2008-09 के दौरान)
- ii) सेंट्रल बैंक आफ यूएई (2009-10 के दौरान)
- iii) सेंट्रल बैंक आफ बहरेन (2009-10 के दौरान)

खोली गई / प्रस्तावित हमारी शाखाओं / कार्यालयों के संबंध में उपर्युक्त पत्र जारी किये गये।

## 7.2 Issuance of Letters of Comfort:

Bank has issued Letters of Comfort to the tune of Rs.2261.91 Crore during the financial year. The cumulative Positions of LOC's outstanding as on 31.03.2010 is Rs.1093.36 Crore. Apart from these, Bank has also issued Letter of Comfort to the following regulators:

- i) China Banking Regulatory Commission, China (during 2008-09)
- ii) Central Bank of the UAE (during 2009-10)
- iii) Central Bank of Bahrain (during 2009-10)

The above have been issued in respect of our Branch/Offices opened/proposed.

सेंट्रल बैंक आफ यूएई तथा सेंट्रल बैंक आफ बहरेन को जारी किये गये चुकौती आश्वासन पत्रों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है, उन प्रस्तावित केंद्रों पर हमारी शाखा / कार्यालय अभी तक नहीं खोला गया है।

शांघाई शाखा, चीन की कुल देयताएं यू एस डी 43.19 मि (रु 193.92 करोड़) जिसमें निम्नांकित शामिल हैं :

पूँजी	: यू एस डी 28.86 मि (रु 129.58 करोड़)
हमारे राजकोष से उधार	: यू एस डी 13.80 मि (रु 61.96 करोड़)
अन्य देयताएं	: यू एस डी 0.53 मि (रु 2.38 करोड़)

अन्य देयताएं यू एस डी 5,30,000 (रु 2.38 करोड़) में से शांघाई शाखा (ग्राहक जमा) द्वारा देय बाहरी देयता यू एस डी 88,798 (रु 39.87 लाख) है।

अतः संभाव्य कुल वित्तीय प्रभाव यू एस डी 88,798 (रु 39.87 लाख) होगा।

8. लेखा पर टिप्पणियों के हिस्से के रूप में बासल II मानदण्डों के अनुसार संलग्न प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों का अंश होते हैं :

9. यथा 31.03.2010 को प्रावधान प्रावरण अनुपात 77.7% है।

10. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कराधान के बाद निवेश आरक्षण लेखा और सांविधिक आरक्षण में रु 145.79 करोड़ अंतरित किया है चूँकि बैंक ने रु 294.48 करोड़ का निवेश पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन किया है।

## 11.1 नोस्ट्रो खातों का समाधान और बकाया प्रविष्टियों पर कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीबीओडी /बीपी /बीसी संख्या .133/21.04.018/2008-09 दिनांकित 11.05.2009 के अनुसार 31 मार्च 2002 को या उससे पहले की यू एस डी 2500 से कम या समतुल्य व्यष्टि मूल्यों के लिए बकाया जमा प्रविष्टियाँ रु 77,64,662.00 लाभ व हानि लेखे में जमा किया गया है और सामान्य आरक्षित निधि में उसका समायोजन किया गया है। लाभांश घोषित करने के लिए यह राशि उपलब्ध नहीं होगी।

There is no financial impact on LOCs issued favouring Central Bank of UAE and Central Bank of Bahrain, as branch/office at these proposed centres are yet to be opened.

The liability position of Shanghai Branch, China is USD 43.19 Mn (Rs.193.92 Crore) consisting of –

Capital	: USD 28.86 Mn (Rs.129.58 Crore)
Borrowings from our Treasury	: USD 13.80 Mn (Rs.61.96 Crore)
Other Liabilities	: USD 0.53 Mn (Rs.2.38 Crore)

Out of the other liabilities an amount of USD 5,30,000 (Rs.2.38 Crores), an amount of USD 88,798 (Rs.39.87 lakhs) is the "outside liability" payable by Shanghai branch (Customer Deposits).

Hence, the total likely financial impact is to the extent of USD 88,798 (Rs.39.87 lakhs).

8. Disclosures as per Basel II norms enclosed herewith will form part of the Notes on accounts.
9. Provision Coverage Ratio is 77.71% as on 31.3.2010.

10. As per Reserve Bank of India guidelines, a sum of Rs.145.79 Crore has been transferred to Investment Reserve Account after netting off of taxation and transfer to Statutory Reserve as the Bank has written back surplus provision for depreciation on investments amounting to Rs.294.48 Crore.

## 11.1 Reconciliation of Nostro Accounts and Treatment of outstanding entries.

A sum of Rs.77,64,662.00 being outstanding credit entries of individual values less than USD 2500 or its equivalent which are originated on or before 31st March 2002 in blocked accounts has been credited to Profit & Loss Account in terms of RBI Circular DBOD BP BC No.133/21.04.018/2008-09 dated 11.5.2009 and the same is appropriated to General Reserve. This amount shall not be available for declaration of Dividend.

11.2 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बैंक अश्यूरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क / मानदेय रु 67.80 करोड़ है।

12 जहाँ कहीं आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनः क्रमबद्ध / पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

एन सेल्वराजन  
सहायक महा प्रबंधक

जगदीश पै के एल  
कार्यपालक निदेशक

देवेन्द्र दास रस्तगी  
निदेशक

पी वी मर्या  
निदेशक

कृते एम आनंदम एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

ए वी सदाशिव  
साझेदार

कृते आर के कुमार एन्ड कं  
सनदी लेखाकार  
बी आर अशोक  
साझेदार

बैंगलूरू  
अप्रैल 28,2010

के मणिकम  
उप महा प्रबंधक

ए सी महाजन  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

सुनील गुप्ता  
निदेशक

#### समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन शंकरन एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

बी चन्द्रेशेखर  
साझेदार

कृते नन्दी हलदर एन्ड गांगुली  
सनदी लेखाकार

अरम हलदर  
साझेदार

डी एस आनंदमूर्ति  
महा प्रबंधक

डॉ के पी कृष्णन  
निदेशक

डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी  
निदेशक

एच एस उपेन्द्र कामत  
कार्यपालक निदेशक

वाणी जे शर्मा  
निदेशक

एस शब्दीर पाशा  
निदेशक

कृते मनुभाई एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

क्षितिज एम पटेल  
साझेदार

N SELVARAJAN  
Assistant General Manager

H S UPENDRA KAMATH  
Executive Director

DEVENDER DASS RUSTAGI  
Director

P V MAIYA  
Director

K MANICKAM  
Deputy General Manager

A C MAHAJAN  
Chairman & Managing Director

SUNIL GUPTA  
Director

D S ANANDAMURTHY  
General Manager

Dr.K P KRISHNAN  
Director

Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI  
Director

JAGDISH PAI K L  
Executive Director

VANI J SHARMA  
Director

S SHABBEER PASHA  
Director

For M ANANDAM & Co.  
Chartered Accountants

A V SADASIVA  
Partner

For R K KUMAR & Co.  
Chartered Accountants

B R ASHOK  
Partner

BANGALORE  
April 28,2010

For N SANKARAN & Co.  
Chartered Accountants

B CHANDRASEKHAR  
Partner

For NANDY HALDER & GANGULI  
Chartered Accountants

ARUP HALDER  
Partner

For S BHANDARI & Co.  
Chartered Accountants

P D BAID  
Partner

For MANUBHAI & Co.  
Chartered Accountants

KSHITIJ M PATEL  
Partner

## बासेल II (स्तंभ 3) मार्च 2010 प्रकटन

### प्रकटन प्रपत्र तालिका 1 - अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

#### गुणात्मक प्रकटन :

- क. बैंक का नाम जिसके लिए यह ढाँचा लागू है : **केनरा बैंक**
- ख. समूह के अंतर्गत निकायों के संक्षिप्त विवरण सहित लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अंतरों से संबंधित स्पष्टरेखा
- (i) जो पूर्णतः समेकित हैं । (जैसे समेकित लेखांकन में अनुषंगियां हैं, उदाहरण. ए.एस.21)
    - 1. केनबैंक वैंचर कैपिटल फंड लि. (धारण 100% - वित्तीय निकाय)
    - 2. केनरा बैंक फिनान्शियल सर्विसस लि. (धारण 100% - वित्तीय निकाय)
    - 3. केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पहले गिल्ट सिक्यूरिटीज के नाम से) (धारण 100% - स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी)
    - 4. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (70% धारण - वित्तीय निकाय)
    - 5. केनरा बैंक कंप्यूटर सर्विसस लि. (69.14% धारण - अन्य)
    - 6. केनरा रेबेक्टो आस्ट्रिट प्रबंधन कंपनी लि. (धारण 51% - स्युचुअल फंड की ए एम सी)
    - 7. केनरा एच एस बी सी ओ बी सी लाइफ इंशुरेंस कंपनी लि (धारण 51% - वित्तीय निकाय)
  - (ii) जो आनुपातिक आधार पर समेकित हैं (जैसे समेकित लेखांकन में संयुक्त उद्यम हैं, उदाहरण. ए.एस.27)
    - 1. कमरिशियल बैंक ऑफ इंडिया (धारण 40% - भारतीय रस्टेट बैंक के साथ संयुक्त उद्यम
  - (iii) जिनके संबंध में कटौती की गयी है । (असोसियेट - 30% से अधिक धारण)
    - 1. केनफिन होम्स लि. (धारण 40.31%)
    - 2. प्रगति ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा बैंक - धारण 35%)
    - 3. साऊथ मलबार ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा बैंक - धारण 35%)
    - 4. श्रेयस ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा बैंक - धारण 35%)
  - (iv) जिनका न समेकन हुआ है और न ही कटौती की गयी है (उदाहरण जहां निवेश जोखिम भारित है)

शून्य

## Pillar 3 (BASEL II) Disclosures March 2010

### TABLE DF 1 - SCOPE OF APPLICATION

#### QUALITATIVE DISCLOSURES:

- a. The name of the Bank to which the framework applies : **CANARA BANK**
  - b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group
    - (i) That are fully consolidated (viz. subsidiaries as in consolidated accounting, e.g. AS 21)
      - 1. Canbank Venture Capital Fund Ltd. (Holding 100% - Financial Entity)
      - 2. Canbank Financial Services Ltd. – (Holding 100% – Financial Entity)
      - 3. Canara Bank Securities Ltd [formerly known as Gilt Securities Trading Ltd.] (Holding 100% - Stock Broking Company)
      - 4. Canbank Factors Ltd. (70% Holding – Financial Entity)
      - 5. Canara Bank Computer Services Ltd (69.14% Holding - Others)
      - 6. Canara Robeco Asset Management Co. Ltd. (Holding 51% - AMC of Mutual Fund)
      - 7. Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd. (Holding 51% - Financial Entity)
    - (ii) That are pro-rata consolidated (viz. Joint ventures in consolidated accounting, e.g. AS 27)
      - 1. Commercial Bank of India – (Holding 40% - Joint Venture with SBI)
    - (iii) That are given a deduction treatment; (Associates – Holding above 30%)
      - 1. Canfin Homes Ltd. (Holding 42.31%)
      - 2. Pragathi Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
      - 3. South Malabar Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
      - 4. Shreyas Gramin Bank (RRB – Holding 35%)
    - (iv) That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk weighted)
- NIL

## परिमाणात्मक प्रकटन :

ग) सभी अनुषंगियों में पूँजी अपर्याप्तता की समग्र राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं की गयी है अर्थात् जिनकी कटौती हुई है और उन अनुषंगियों का नाम

शून्य

घ) बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशि (उदाहरण : चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं, उनका नाम, जहां निगमित किया गया है, उस देश का नाम या निवास, स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न हो तो इन निकायों में मतदान शक्ति का अनुपात

शून्य

## तालिका 2 डी एफ - पूँजी संरचना

### गुणात्मक प्रकटन :

हमारे बैंक की टायर 1 पूँजी में ईक्विटी शेयर, आरक्षतियां और नवोन्मेषकारी सतत बांड शामिल हैं।

बैंक द्वारा नवोन्मेषकारी बांड (टायर 1) और टायर II पूँजी में शामिल करने हेतु योग्य अन्य बांड भी जारी किये गये बांडों के विवरण निम्नानुसार हैं:

### क) नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखते (आई पी डी आई)

विवरण	स्थान	जारी तिथि विकल्प	सतत व मांग	कूपन दर	रु करोड़ों में
श्रुंखला I	भारत में	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	240.30
श्रुंखला II	भारत में	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	600.00
कुल					840.30

### A) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)

Particulars	Place	Date of Issue	Perpetual & Call Option	Coupon Rate	Rs. In Crore
Series I	In India	30.03.2009	30.03.2019	9.00%	240.30
Series II	In India	21.08.2009	21.08.2019	9.10%	600.00
Total					840.30

### ख) उच्चतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	रु करोड़ों में
श्रुंखला I	भारत में	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	500.00
श्रुंखला II	भारत में	23.03.2007	22.03.2022	10.00%	500.00
कुल					1000.00
वि मु बांड	भारत से बाहर	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250 मि.यू एस डालर

## B) Upper Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	Rs. In Crore
Series I	In India	16.09.2006	16.09.2021	9.00%	500.00
Series II	In India	23.03.2007	22.03.2022	10.00%	500.00
<b>Total</b>					<b>1000.00</b>
FC BONDS	Out side India	27.11.2006	27.11.2016	6.365%	250 mn US \$

## ग) निम्नतर टायर II बांड

विवरण	स्थान	जारी तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	रु करोड़ों में
श्रुखला IV विकल्प I	भारत में	22.03.2003	22.04.2010	6.70%	84.55
श्रुखला IV विकल्प II	भारत में	22.03.2003	22.04.2013	6.90%	75.45
श्रुखला IV क	भारत में	22.03.2003	22.04.2012	7.25%	340.00
श्रुखला V	भारत में	31.12.2003	30.04.2011	5.80%	250.00
श्रुखला VI	भारत में	30.09.2001	31.05.2014	6.75%	263.50
श्रुखला VII	भारत में	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	500.00
श्रुखला VIII	भारत में	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	500.00
श्रुखला IX	भारत में	01.03.2006	05.01.2015	8.15%	425.00
श्रुखला IX क	भारत में	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	575.00
श्रुखला X	भारत में	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	400.00
श्रुखला XI	भारत में	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	700.00
श्रुखला XII	भारत में	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	325.00

## C) Lower Tier II Bonds

Particulars	Place	Date of Issue	Date of Maturity	Coupon Rate	Rs. In Crore
Series IV Opt I	In India	22.03.2003	22.04.2010	6.70%	84.55
Series IV Opt II	In India	22.03.2003	22.04.2013	6.90%	75.45
Series IV A	In India	22.03.2003	22.04.2012	7.25%	340.00
Series V	In India	31.12.2003	30.04.2011	5.80%	250.00
Series VI	In India	30.09.2001	31.05.2014	6.75%	263.50
Series VII	In India	18.02.2005	18.05.2014	7.05%	500.00
Series VIII	In India	29.09.2005	29.04.2015	7.40%	500.00
Series IX	In India	01.03.2006	05.01.2015	8.15%	425.00
Series IX A	In India	15.09.2006	15.09.2016	8.85%	575.00
Series X	In India	30.03.2007	30.03.2017	9.90%	400.00
Series XI	In India	09.01.2008	09.01.2018	9.00%	700.00
Series XII	In India	16.01.2009	16.01.2019	8.08%	325.00

## आईपीडीआई के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं:

बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखते - श्रुंखला II जारी की है। इन ऋण लिखतों के महत्वपूर्ण लक्षण हैं :

- ये बिना किसी विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के सतत स्वभावी हैं ।
- ये लिखते, माँग वचन पत्र(बांड) की प्रकृति में गैर जमानती अपरिवर्तनीय गौण सतत बांड हैं ।
- इन लिखतों का क्रैसिल (सी आर आई एस आई एल) (ए ए ए) (नकारात्मक रूपरेखा) और "बीडब्ल्यू आरएए+" ब्रिकवर्क रेटिंग दी है।
- इन लिखतों पर सालाना मीयादी ब्याज दर संदेय है ।
- ब्याज संचित नहीं होगा ।
- जारी तारीख से 10 वर्ष बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ बैंक इन के लिए क्रय-विक्रय विकल्प दे सकता है ।
- 10 वर्ष के समाप्त होने पर बैंक स्टेप-अप विकल्प ( लिखत के पूरे जीवनकाल में एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है) कर सकता है जो 50 बेसिस पार्ईन्टस से अधिक नहीं होगा ।
- ये ऋण लिखते लॉक-इन खण्ड के अधीन होंगी जिस के अनुसार, यदि (क) बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता हो या (ख) या इस प्रकार का ब्याज अदा करने से बैंक का सी आर ए आर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता हो या कम बना रहता हों तो बैंक ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे ।
- सतत स्वभावी होने के कारण, पूँजी पर्याप्ता के लिए ये लिखते प्रगत्यात्मक बद्धे के अधीन नहीं होंगी ।
- ये पूँजी पर्याप्ता भारतीय नेशनल स्टाक एक्सचेन्ज लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं ।

## The main features of IPDI are as follows:

The Bank has issued Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) – Series II during the current financial year. The important features of these debt instruments are:

- The debt instruments are perpetual in nature without any specific maturity period.
- The instruments are Unsecured Non Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of promissory Notes (Bonds).
- The debt instruments are rated AAA (Stable) from CRISIL and BWR AAA+ from Brickwork Ratings.
- Fixed rate of interest is payable on the debt instruments annually.
- The interest shall not be cumulative.
- The Bank has the call option after 10 years from the date of issue with the prior approval of Reserve Bank of India.
- The Bank has step up option (shall be exercised only once during the whole life of the instrument) at the end of 10 years which shall not be more than 50 basis points.
- The debt instruments shall be subjected to a lock-in clause, in terms of which, the Bank shall not be liable to pay interest, if (a) the Bank's CRAR is below the minimum regulatory requirement prescribed by RBI or (b) the impact of such payment results in Bank's capital to risk assets ratios (CRAR) falling below or remaining below the minimum regulatory requirement prescribed by the RBI.
- The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of all other creditors.
- These debt instruments are not subjected to a progressive discount for capital adequacy purposes since these are perpetual in nature.
- The instrument is listed on National Stock Exchange of India Limited (NSE).

## उच्चतर टायर II बांडों के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं:

- जारी करने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ बैंक के पास मांग विकल्प है।
- 10 वर्ष की समाप्ति पर बैंक को स्टेप अप विकल्प है जो 50 आधार अंकों से अधिक नहीं होना है।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बट्टा प्राप्त है। ऐसी बट्टा प्राप्त राशियाँ पूँजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- अवधि के समाप्त हो जाने से या बैंक क्रय-विक्रय विकल्प करता है तो जारी करने के 10 वर्षों के बाद बंध पत्र का अंकित मूल्य सम मूल्य पर छुड़ाया जा सकता है। इनके छुड़ाये जाने की तारीख के बाद बाण्ड पर ब्याज या अन्यथा कोई राशि अदा नहीं की जाएगी। ये लिखतें रोधात्मक खण्डों से मुक्त हैं और धारक की पहल किये जाने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना इन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर 1 पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।

## निम्नतर टायर II बांडों के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं:

- इन बांडों की अवधि 5 से 10 वर्ष की है।
- ये लिखतें पूर्ण स्मरण से प्रदत्त, अप्रतिभूत और अन्य लेनदारों के दावों के प्रति गौण, प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त हैं और धारक के प्रस्ताव पर या भा. रि. बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं हैं।
- लिखतों को अपनी मान्यता के अंतिम 5 वर्षों के दौरान 20% प्रति वर्ष की दर पर प्रगामी बट्टा प्राप्त है। ऐसी बट्टा प्राप्त राशियाँ पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए टायर II पूँजी में सम्मिलित नहीं हैं।
- इन लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावे टायर 1 पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेशकर्ताओं के दावों के मुकाबले उच्चतर श्रेणी के और अन्य सभी लेनदारों के दावों के मुकाबले गौण माने जायेंगे।

## The main features of Upper Tier II bonds are as follows:

- The Bank has Call Option after 10 years from the date of issue with the RBI's approval.
- The Bank has step up option at the end of 10 years that shall not be more than 50 basis points.
- The instruments are subjected to a progressive discount @ 20% per year during the last 5 years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purpose.
- The face value of the Bond is redeemable at par, on expiry of the tenor or after 10 years from issue if the Bank exercises Call Option. The Bond will not carry any obligation, for interest or otherwise, after the date of redemption. The instruments are free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.

## The main features of Lower Tier II bonds are as follows:

- The Bonds have a tenor ranging from 5 to 10 years.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last 5 years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II capital for capital adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I capital and subordinate to the claims of all other creditors.

## परिमाणात्मक प्रकटन :

[रुपए करोड़ों में]

मर्दे	राशि	
	31.03.2010	31.03.2009
(क) टायर । पूँजी की राशि जिसमें निम्न प्रकटन है :		
• प्रदत्त शेयर पूँजी	410.00	410.00
• आरक्षितियाँ	11969.94	9574.30
• नवोन्मेषी लिखते	840.30	240.30
• अन्य पूँजी लिखते	-	-
<b>उप योग घटाएं</b>	<b>13220.24</b>	<b>10224.60</b>
साथ व निवेशों सहित टायर । पूँजी से कटौती की गयी राशियाँ	349.91	201.90
<b>कुल टायर । पूँजी</b>	<b>12870.33</b>	<b>10022.70</b>
(ख) टायर 2 पूँजी की कुल राशि (टायर 2 पूँजी से निवल कटौती)	7362.25	7622.61
(ग) उच्चतर टायर 2 पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र ऋण पूँजी लिखते		
• कुल बकाया राशि	2120.63	2265.54
• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	शून्य	शून्य
• पूँजी निधियों के स्तर में गणना के लिए पात्र राशि	2120.63	2265.54
(घ) निम्नतर टायर 2 पूँजी में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र गौण ऋण		
• कुल बकाया राशि	4438.50	4438.50
• इनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटायी गयी राशि	-	325.00
• पूँजी निधियों के स्तर में गणना के लिए पात्र राशि	3767.07	4069.77
(ङ) पूँजी से अन्य कटौतियाँ, अगर कोई हों	शून्य	शून्य
<b>(च) कुल पात्र पूँजी - टायर 1 + टायर 2 (क + ख - ङ)</b>	<b>20232.58</b>	<b>17645.31</b>

## QUANTITATIVE DISCLOSURES

[Rs. in Crore]

Items	Amount	
	31.03.2010	31.03.2009
(a) The amount of Tier I Capital, with separate disclosure of :		
• Paid-up share capital	410.00	410.00
• Reserves	11969.94	9574.30
• Innovative instruments	840.30	240.30
• Other capital instruments	-	-
<b>Sub -total</b>	<b>13220.24</b>	<b>10224.60</b>
Less amounts deducted from Tier I capital, including goodwill and investments.	349.91	201.90
<b>Total Tier I capital</b>	<b>12870.33</b>	<b>10022.70</b>
(b) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	<b>7362.25</b>	<b>7622.61</b>
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital		
• Total amount outstanding	2120.63	2265.54
• Of which amount raised during the current year	NIL	NIL
• Amount eligible to be reckoned as capital funds	2120.63	2265.54
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital.		
• Total amount outstanding	4438.50	4438.50
• Of which amount raised during the current year	-	325.00
• Amount eligible to be reckoned as capital funds	3767.07	4069.77
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL	NIL
(f) <b>Total eligible capital - Tier I + Tier II (a+b-e)</b>	<b>20232.58</b>	<b>17645.31</b>

## प्रकटन प्रपत्र तालिका 3 - पूँजी पर्याप्तता

### गुणात्मक प्रकटन :

पूँजी के इष्टतमीकरण पर ही नहीं बल्कि लाभ के अधिकतमीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने एक तगड़ी जोखिम प्रबंधन रचना सुरिंथर कायम की है ताकि, उपलब्ध पूँजी के सहारे अधिकतम लाभ या प्रतिफल उपलब्ध हो। बैंक बासल II ढाँचे के अनुसार, विश्व भर में स्वीकृत ठोस जोखिम प्रबंधन पद्धति का मानक मान रहा है जिससे स्रोतों का अधिक कारगर इक्विटीय एवं विवेकपूर्ण आवंटन हो।

### बैंक की पूँजी आयोजना प्रक्रिया में निम्न की समीक्षा की जाती है:

- बैंक की वर्तमान पूँजी आवश्यकता
- कारोबारी रणनीति तथा जोखिम अपेक्षा के अनुसार लक्षित तथा बनाये रखने लायक पूँजी

## TABLE DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

### QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus not only on Capital optimization, but also on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel II framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

### In Capital Planning process the Bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

पूँजी आवश्यकता और पूँजी इष्टतमीकरणों का पूँजी योजना समिति जिसके सदस्य उच्च कार्यपालकगण सदस्य हैं, अवधिकतया अनुप्रवर्तन करती है। अग्रिमों में अनुमानित वृद्धि, अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश और बासल II का प्रभाव आदि पर विचार करते हुए पूँजी पर्याप्तता अनुपात के संचलन की तिमाही संवेदनशील विश्लेषण किया जाता है। यह समिति पूँजी के इष्टतमीकरण के लिए परिदृश्य विश्लेषण को समुचित रूप से दृष्टि में रखकर ब्याज के वृद्धि और पूँजी संरचना के पुनर्नियोजन की सुर में पूँजी संग्रहण के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखना है।

आईसीएपीपी नीति में निर्धारित अनुसार, 3 वर्ष की मध्यमावधि समर्तर में बैंक के सी आर एआर को 12% से अधिक अनुमानित किया गया है।

## परिमाणात्मक प्रकटन

[रूपए करोड़ों में]

मद्दे	राशि	
	31.03.2010	31.03.2009
(क) ऋण जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	12197.58	10009.69
• प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम	शून्य	शून्य
(ख) बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकताएं		
- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		
• ब्याज दर जोखिम.	293.27	306.00
• विदेशी विनियम जोखिम (स्वर्ण सहित)	6.75	6.75
• ईकिवटी स्थिति जोखिम	222.23	177.76
(ग) परिचालनात्मक जोखिम की पूँजी आवश्यकताएं		
- आधार संकेतक दृष्टिकोण	836.27	759.77
(घ) बैंक के लिए कुल और टायर 1 सीआरएआर		
• कुल सी आर ए आर (%)	13.43	14.10
• टायर 1 सी आर ए आर (%)	8.54	8.01
(ङ) समेकित समूह के लिए कुल और टायर 1 सीआरएआर		
• कुल सी आर ए आर (%)	13.32	14.05
• टायर 1 सी आर ए आर (%)	8.47	7.98
(च) महत्वपूर्ण अनुषंगी जो समेकित समूह के तहत नहीं हैं, के लिए कुल और टायर 1 सीआरएआर		
• कुल सी आर ए आर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं
• टायर 1 सी आर ए आर (%)	लागू नहीं	लागू नहीं

## QUANTITATIVE DISCLOSURES

[Rs. in Crore]

Items	Amount	
	31.03.2010	31.03.2009
(a) Capital requirements for Credit Risk		
• Portfolios subject to Standardized Approach	12197.58	10009.69
• Securitization Exposures	NIL	NIL
(b) Capital requirements for Market Risk		
- Standardized Duration Approach		
• Interest Rate Risk	293.27	306.00
• Foreign Exchange Risk (including gold)	6.75	6.75
• Equity Position Risk	222.23	177.76
(c) Capital requirements for Operational Risk		
- Basic Indicator Approach	836.27	759.77
(d) Total and Tier I CRAR for the Bank		
• Total CRAR (%)	13.43	14.10
• Tier I CRAR (%)	8.54	8.01
(e) Total and Tier I CRAR for the Consolidated Group		
• Total CRAR (%)	13.32	14.05
• Tier I CRAR (%)	8.47	7.98
(f) Total and Tier I CRAR for the Significant Subsidiary which are not under consolidated group		
• Total CRAR (%)	NA	NA
• Tier I CRAR (%)	NA	NA

## तालिका डीएफ 4 - ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

### गुणात्मक प्रकटन

बैंक की निधियाँ जोखिम को संभालने में संयमन और जोखिम तथा प्रतिफल में होशियारी के साथ स्वरस्थ संतुलन रखती हैं। जोखिम प्रबंधन के अहम लक्ष्य है स्वीकार्य मानदंडों के अंदर एवं विनियामक प्राधिकारों, जमाकर्ताओं और अन्य स्टेक धारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शेयर धारकों के लिए मूल्य अधिकतम बनाना। बैंक के जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शक सूत्र हैं; विनियात्मक एवं विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन, जोखिम और प्रतिफल में संतुलन कायम करना, जोखिम क्रिया कलापों की आजादी सुनिश्चित करना और जोखिम प्रबंधन और व्यापारिक लक्ष्यों का मेल-मिलाप, बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

## TABLE DF 4 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

### QUALITATIVE DISCLOSURES:

The Bank's policies maintain moderation in risk appetite and a healthy balance between risk and return in a prudent manner. The primary risk management goals are to maximize value for share holders within acceptable parameters and to the requirements of regulatory authorities, depositors and other stakeholders. The guiding principles in risk management of the Bank comprise of Compliance with regulatory and legal requirements, achieving a balance between risk and return, ensuring independence of risk functions, and aligning risk management and business objectives. The Credit Risk Management process of the Bank is driven by a

शक्तिशाली संगठनात्मक संस्कृति एवं ठोस परिचालनात्मक प्रक्रियाओं के पथ पर चलती है जिस में नरम मूल्य, रख-रवैये, सक्षमतायें, व्यापारिक होनहारी उपकरणों का नियोजन, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावशाली आंतरिक प्रतिवेदन एवं प्रासंगिक योजनाओं का समावेश होता है।

- क्षेत्रवार संतुलित गुणात्मक के साथ-साथ ही परिमाणात्मक ऋण वृद्धि जिसमें जोखिमों का अधिकतम विविधिकरण हो, सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों, वर्गीकरण और संविभागों के संबंध में समय - समय पर जारी विनियामक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ऋण जोखिमों में निहित विविध प्रकार के जोखिमों का पर्याप्त रूप से मूल्यनिर्धारण।
- सभी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का एकीकृत व्यवस्था का निर्माण करना जिसके तहत ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

### **सामरिकियाँ और प्रक्रियाएँ :**

ऋण जोखिम प्रबंधन के उपर्युक्त उद्देश्यों का साकार करने के लिए बैंक ऋण जोखिम की पहचान, मापन, संवर्ग एवं समुच्चयन तकनीकियाँ, अनुप्रवतनों और रिपोर्टिंग, जोखिम नियंत्रण /प्रशमन तकनीकियाँ तथा स्पष्टात्मक ऋणों/धारों के प्रबंधन के लिए अनेकानेक पदधतियाँ निर्धारित करता है। बैंक ने पक्ष विपणियाँ, जोखिमरचीकार्यता मानक ऋण अनुमोदन प्राधिकार और ऋण मौलीकरण/अनुरक्षण प्रक्रियाओं को भी परिभाषित किया है।

इन सामरिकियों को ऋण जोखिम प्रशमन के लिए विभिन्न उपायों को दृष्टि में रखकर स्थायित किया गया है जिन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा पक्ष विपणियों की पहचान, विनियात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों और जोखिम संभालन में बैंक की क्षमता, केंद्रक जोखिम और रेटिंग के आधार पर मूल्यन का स्वीकार्य स्तर समाहित है।

बैंक समय समय पर आर्थिक माँग और क्षेत्र के कार्य निष्पादन के आधार पर उधार के लिए संभाव्य और उत्पादी क्षेत्रों की पहचान करता है। बैंकों के उद्योगों/क्षेत्रों के मूल्यांकन प्रचलित आर्थिक परिदृश्य आदि को ध्यान में रख जिन क्षेत्रों में वृद्धि संभावित नहीं है उनमें ऋण निवेश को सीमित रखता है।

ऋण से संबंधित बैंक की परिचालन प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों पर निर्मित हैं और ये आवधिक रूप से समीक्षा के अधीन हैं।

strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, employment of business intelligence tools, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning.

The overall objectives of the Bank's Credit Risk Management are to:

- Ensure credit growth, both qualitatively and quantitatively that would be sectorally balanced, diversified with optimum dispersal of risk.
- Ensure adherence to the regulatory prudential norms on exposures and portfolios.
- Adequately enable to price various risks in the credit exposure.
- Form part of an integrated system of risk management encompassing identification, measurement, monitoring and control.

### **Strategies and processes:**

In order to realize the above objectives of Credit Risk Management, the Bank prescribes various methods for Credit Risk identification, measurement, grading and aggregation techniques, monitoring and reporting, risk control / mitigation techniques and management of problem loans / credits. The Bank has also defined target markets, risk acceptance criteria, credit approval authorities, and guidelines on credit origination / maintenance procedures.

The strategies are framed keeping in view various measures for Credit Risk Mitigation, which includes identification of thrust areas and target markets, fixing of exposure ceiling based on regulatory guidelines and risk appetite of the Bank, Concentration Risk, and the acceptable level of pricing based on rating.

The Bank from time to time would identify the potential and productive sectors for lending, based on the performance of the segments and demands of the economy. The Bank restricts its exposures in sectors which do not have growth potentials, based on the Bank's evaluation of industries / sectors taking into account the prevailing economic scenario prospects etc.

The operational processes and systems of the Bank relating to credit are framed on sound Credit Risk Management Principles and are subjected to periodical review.

ऋण प्रस्तावों पर समुचित रूप से ध्यान दिये जाने की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर बैंक की व्यापक ऋण जोखिम पहचान प्रक्रिया है।

बड़े कार्पोरेटों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु बड़े-बड़े नगरों में प्राइम कार्पोरेट शाखाएँ जैसी विशेषीकृत शाखाएँ खोली गयी हैं। आगे, खुदरा उधार संविभाग पर ध्यान केंद्रित करने हेतु रीटेल हब खोले गये हैं। एसएमई ऋणदान कारोबार को बढ़ावा देने तथा उसके अनुपर्वतन हेतु एसएमई सुलभ जैसे विशेषीकृत केंद्र खोले गये हैं। इन विशेषीकृत केंद्रों द्वारा अपने संबंधित संविभागों का प्रभावी रूप से प्रबंध तथा अनुर्वतन किया जाता है।

मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से और विशेषकर उच्च मूल्य वाले ऋणों, के संबंध में ग्राहकों केलिए त्वरित कार्वाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नातेदारी मूल्यांकन कार्यों को संबंधित शाखा और अंचल कार्यालयों के कोर ऋण समूहों के बीच विभाजित कर लिया गया है। बड़े मूल्यवाले कार्पोरेट ऋण जोखिमों का विशिष्ट शाखाओं के जरिए अनुपर्वतन किया जाता है।

## ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन :

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नलिखित है -

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी)
- महा प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)
- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण समीक्षा एवं अनुपर्वतन अनुभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
- साख सांख्यिकीय अनुभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
- केवल ऋण संविभाग की गुणवत्ता का अनुपर्वतन करने, समर्थाओं को पहचानने और निवारणोपाय सुझाने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए ही साख अनुपर्वतन विभाग
- अंचल कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन और ऋण समीक्षा अनुभाग
- शाखाओं में रु 1 करोड़ और अधिक की निधि आधारित सीमाओं का अनुपर्वतन हेतु ऋण अनुपर्वतन अधिकारी

The Bank has comprehensive credit risk identification processes as part of due diligence on credit proposals.

To have focused attention to large Corporates, specialized branches viz. Prime Corporate Branches have been set up in major centres. Further, Retail Hubs have been set up for focused attention to Retail Lending Portfolio. SME Sulabhs are the category of specialized centres for promoting and monitoring SME lending business. These specialized centres are also intended to effectively manage and monitor their respective portfolios.

In order to improve the quality of appraisals and to ensure accelerated response to customers, particularly in respect of high value credits, relationship and appraisal functions are segregated between the concerned branch and the Core Credit Groups at Circle Offices. Large value corporate exposures are largely monitored through specified branches.

## The structure and organization of the Credit Risk Management Function:

Credit Risk Management Structure in the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- General Manager-Risk Management Wing, H.O (Chief Risk Management Officer)
- Credit Risk Management Department, Risk Management Wing
- Credit Statistics Section, Risk Management Wing
- Exclusive Credit Monitoring Wing for focused attention on monitoring the quality of loan portfolio, identifying the problems and suggesting corrective measures
- Risk Management & Credit Review Section at Circle Offices
- Credit Monitoring Officers at Branches for monitoring the Fund Based limits of Rs. 1 crore & above.

## जोखिम रिपोर्टिंग और / या मापन सिस्टम का कार्यक्षेत्र और प्रकृति :

बैंक की एक समुचित जोखिम मापन और अनुप्रवर्तन प्रक्रिया है। जोखिम का मापन, बैंक द्वारा स्थापित ऋण जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से संपन्न होता है। इन जोखिमों में से प्रत्येक के तहत मानदंडों की पहचान के साथ-साथ उन्हें भारित स्कोर निर्धारित करने के लिए और 8 के पैमाने में उनकी रेटिंग के लिए बैंक में सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित दिशानिर्देश है।

पूँजी परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यताप्राप्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान (ई री ए आई) द्वारा दी गई रेटिंग के प्रयोग/मापन के संबंध में जोखिम भारांक निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा नीति स्थापित की गई है।

ऋण जोखिम मापन के लिए समस्त ऋण संविभाग के लिए बैंक ने "मानकीकृत दृष्टिकोण" अपनाया है।

ऋण जोखिम की समीक्षा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से ऋण संविभाग की निगरानी, विश्लेषण करने के लिए सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली की अपेक्षाओं के लिए प्रभावी ऋण डाटा संग्रह स्थापित करने, जोखिम भारित आस्तियां (आर डब्ल्यू ए) के परिकलन, ऋण संबंधी विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने के लिए तथा सिस्टम समर्थन प्राप्त करने हेतु बैंक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अर्थात् सी डी सी आर एम (ऋण जोखिम प्रबंधन पर व्यापक डाटा एवं सिस्टम आर्किटेक्चर) का उपयोग किया गया है।

## बचाव व्यवस्था और / या जोखिम को कम करने और बचाव व्यवस्था / प्रशामक की सतत प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए रणनीति और प्रक्रियाएं :

ऋण मंजूर करते समय बैंक मुख्यतः उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण को अदा करने की क्षमता पर निर्भर रहता है। चुकौती के स्रोत के रूप में या उधारकर्ता की ऋणपात्रता के मूल्यांकन के लिए एक विकल्प के रूप में संपार्शिकों या गारंटीयों पर बैंक अत्यधिक निर्भर नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ऋण के लिए पात्र के रूप में मूल्यांकित किया गया है, को केवल इस आधार पर ही ऋण अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है कि उनके पास पर्याप्त संपार्शिक नहीं है।

अपने ऋण जोखिम निवेश का प्रबंधन करने के लिए बैंक ने ऋण मूल्यांकित और अनुमोदन नीतियाँ और प्रक्रियाएं अपनाई हैं जिनकी अन्य कामकाजी विभागों से परामर्श करते हुए प्रधान कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। ऋण मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रियां को स्थूलतः ऋण मौलिकीकरण, मूल्यांकन और अनुमोदन तथा निपटान में विभाजित किया गया है।

कार्पोरेट वित्तीयन और परियोजना वित्तीय ऋण, विशिष्ट रूप से स्थिर आस्तियां, सामान्यतया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर प्रथम

## The scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

The Bank has an appropriate credit risk measurement and monitoring processes. The measurement of risk is through a pre sanction exercise of credit risk rating and scoring models put in place by the Bank. The Bank has well laid down guidelines for identifying the parameters under each of these risks as also assigning weighted scores thereto and rating them on a scale of 8.

The Bank also has a Policy in place on usage/mapping of ratings assigned by the recognized ECAs (External Credit Assessment Institutions) for assigning risk weights for the eligible credit exposures as per the guidelines of the RBI on Standardized Approach for capital computation.

The Bank has adopted 'Standardized Approach' for credit portfolio for credit risk measurement.

The Bank has embarked upon a software solution viz. CDCRM (Comprehensive Data and System Architecture on Credit Risk Management) for establishing a robust credit data warehouse for all MIS requirements, computation of Risk Weighted Assets (RWA), generate various credit related reports for review of exposure and monitoring, and conducting analysis of credit portfolio from various angles.

## Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants:

The Bank primarily relies on the borrower's financial strength and debt servicing capacity while approving credits. The Bank does not excessively rely on collaterals or guarantees as a source of repayment or as a substitute for evaluating borrower's creditworthiness. The Bank does not deny credit facilities to those assessed as credit worthy for mere want of adequate collaterals.

In order to manage the Bank's credit risk exposure, the Bank has adopted credit appraisal and approval policies and procedures that are reviewed and updated by the Risk Management Wing at Head office in consultation with other functional Wings. The credit appraisal and approval process is broadly divided into credit origination, appraisal, assessment and approval, and dispensation.

Corporate finance and project finance loans are typically secured by a first lien on fixed assets, normally consisting

ग्रहणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत हैं। बैंक वित्तीय आस्तियों जैसे विपणनयोग्य प्रतिभूतियों की गिरवी की प्रतिभूति भी लेता है और जहाँ कहीं संगत हो कार्पोरेट गारंटियाँ और वैयक्तिक गारंटियाँ प्राप्त की जाती हैं। कार्यशील पूँजी ऋण चालू आस्तियों, जिनमें स्टॉक और प्रायः राशियाँ निहित हैं, पर विशिष्ट स्तर से प्रथम ग्रहणाधिकार के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।

संपादिकारों पर बैंक के प्रभार की कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण पर बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं।

किसी विशिष्ट उद्योग की वृद्धि और लाभप्रदता के अनुमानों के आलोक में और बैंक की जोखिम-वहन क्षमता को देखते हुए किसी विशिष्ट उद्योग / क्षेत्र में संविभाग विविधकरण को सुनिश्चित करना और कुल वित्तीयन जोखिम का मूल्यांकन करना बैंक की नीति है। बैंक अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों और विशिष्ट स्तर से विभिन्न उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के विशिष्ट जोखिमों की निगरानी करता है। औद्योगिक कार्यकलापों को ऋण जोखिम, बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं जो उस उद्योग के कार्यनिष्ठादान के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाती है, के अधीन है। बैंक के एकल और समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम साथ ही बड़े जोखिम की निगरानी की जाती है और उसे समय - समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए अनुसार विवेकपूर्ण सीमा मानदंडों के भीतर नियंत्रित किया जाता है।

ऋण मौतिकीकरण ऋण मूलस्तर से होता है जिस की शाखा तंत्र और अंचल कार्यालय भरपूर मदद करते हैं। गहरा मूल्यांकन, समुचित जागरूकता और निर्धारण के आरंभ किये जाने के पहले ही पहचान और अनुप्रयोगों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

ऋण अनुमोदन प्रक्रिया एक संविष्ट अंश होती है जो मंजूरी पूर्व अभियान के स्तर में उधारकर्ता के अधिदेशात्मक ऋण जोखिम को रेटिंग किये जाने से शुरूहोती है। उधारकर्ता के साथ लगा हुआ ऋण जोखिम का माप-तोल, उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति, - 1 नकद प्रवाह, क्रियाकलाप, वर्तमान वैयक्तिक व्यवहार, गत व्यवहार, प्रबंधन क्षमतायें, सहयोगी व्यापार निकायों के साथ अनुभव, सुविधाओं का स्वभाव आदि का मूल्यांकन करता है। अब बैंक ने चुनिंदे शहरों में आवास और व्यक्तिगत ऋणों के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसीकरण केंद्र सुरक्षाप्रित किया ताकि ऋण आसान हो जायें, कम समय लगे और विशेषीकृत ध्यान केंद्रित किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन विभाग से अलग कर दिये जाने के बाद अब बैंक में ऋण प्रबंधन की एक नितांत पृथक व्यवस्था है। इस से ऋणों की मंजूरी उपरांत अनुप्रवर्तन पर अधिक महत्व दिया जा सकता है और ऋण समीक्षा तंत्र संबंधी नीतियों में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के अनुप्रयोगों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

of property, plant and equipment. The Bank also takes security of pledge of financial assets like marketable securities and obtains corporate guarantees and personal guarantees wherever appropriate. Working Capital loans are typically secured by a first lien on current assets, which normally consist of inventory and receivables.

The Bank has laid down detailed guidelines on documentation to ensure legal certainty of Bank's charge on collaterals.

The Bank's policy is to ensure portfolio diversification and evaluate overall financing exposure in a particular industry / sector in the light of forecasts of growth and profitability for that industry, and the risk appetite of the Bank. The Bank monitors exposures to major sectors of the economy and specifically exposure to various industries and sensitive sectors. Exposure to industrial activities is subjected to the credit exposure ceilings fixed by the Bank based on the analysis on performance of the industry. The Bank's exposures to single and group borrowers as also substantial exposure is monitored and restricted within the prudential ceiling norms advised by Reserve Bank of India from time to time.

The credit origination is through the grass root level ably assisted by the branch net work and the Circle Offices. The process of identification, application is carried out before commencing an in depth appraisal, due diligence and assessment.

The credit approval process is a critical factor and commences with the mandatory credit risk rating of the borrower as a pre sanction exercise. The measurement of Credit Risk associated with the borrower evaluates indicative factors like, borrowers financial position, cash flows, activity, current market trends, past trends, management capabilities, experience with associated business entities, nature of facilities etc. The Bank has now in place centralized processing centres for Housing and personal loans at select cities to ease credit dispensation, reduce turnaround time and ensure specialized attention.

The Bank has an exclusive set up for credit monitoring functions now, after hiving off the same from Risk Management Wing. This is to have greater thrust on post sanction monitoring of loans and strengthen administering the various tools available under the Bank's policies on loan review mechanism.

ऋण की प्रभावी समीक्षा के लिए बैंक ने निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की है :

- पहचान करने, विश्लेषण करने और समय पर कार्रवाई करने और सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली ।
- प्रत्येक मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा दिए गए ऋण की समीक्षा उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाती है ।
- उधार खातों की मध्यावधि समीक्षा की जाती है ।
- निगरानी उपाय जैसे ऋण निगरानी फार्मेट, तिमाही सूचना प्रणाली, अर्ध वार्षिक परिचालन प्रणाली, स्टॉक लेखा-परीक्षा , विशेष निगरानी सूची खाते, आदि ।
- अनुप्रवर्तन कार्यों के प्रभारी ऋण अनुप्रवर्तन अधिकारी

**कालातीत और अनर्जक ऋण :** आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक निम्नलिखित ऋणों और अग्रिमों की श्रेणियों को अनर्जक आस्तियों के रूप में निर्धारित करता है, जहाँ :

- सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय ब्याज और/या मूलधन की किस्त ।
- ओवरड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी ) के संबंध में जो खाता "आउट ऑफ आर्डर" हो क्रय किये गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जो बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हों ।
- कृषि अग्रिमों, ब्याज और/या मूलधन की किस्त के मामले में जो 2 फसल मौसम (अल्पावधिं की फसल के संबंध में) और 1 फसल मौसम (दीर्घावधि की फसल के संबंध में) से अतिदेय हो ।
- अन्य खातों के संबंध में कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो ।
- किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज जो उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं गया हो ।

For effective loan review, the Bank has the following in place:

- Credit Audit System to identify, analyze instances of non-compliance and rectification.
- Review of loan sanctioned by each sanctioning authority by the next higher authority.
- Mid Term Review of borrowing accounts.
- Monitoring tools like Credit Monitoring Format, Quarterly Information Systems, Half Yearly Operation Systems, Stock Audits, Special Watch List Accounts, etc.
- Credit Monitoring Officers in charge of monitoring functions.

**Loans Past due and Impaired:** As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan.
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted.
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

परिमाणात्मक प्रकटनः

(क) कुल सकल ऋण जोखिम

[रु करोड़ में]

समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित ऋण जोखिम		गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
कुल सकल ऋण जोखिम (ऋण जोखिम नियंत्रण तकनीक के प्रभावों उदाहरणार्थ संपादित और समायोजन (नेटिंग) को ध्यानमें रखे बिना प्रयोज्यलेखांकन प्रणालीके अनुसार प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) का लेखांकन करने के बाद)	169334.63	138219.40	123672.57	151151.84

## QUANTITATIVE DISCLOSURES

### A) TOTAL GROSS CREDIT EXPOSURES

[Rs. in Crore]

Overall Credit Exposure	Fund Based Exposures		Non-fund Based Exposures	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Total Gross Credit Exposures (after accounting offsets in accordance with the applicable accounting regime and without taking into account the effects of credit risk mitigation techniques, e.g. collateral and netting)	169334.63	138219.40	123672.57	151151.84

### (ख) ऋण जोखिमों का भौगोलिक संवितरणः

[रु करोड़ में]

ऋण जोखिम	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
देशी परिचालन	162356.53	134732.14	120243.01	147423.82
विदेशी परिचालन	6978.10	3487.26	3429.55	3728.02

### (B) GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF EXPOSURES

[Rs. in Crore]

Exposures	Fund Based		Non-fund Based	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Domestic operations	162356.53	134732.14	120243.01	147423.82
Overseas operations	6978.10	3487.26	3429.55	3728.02

परिमाणात्मक प्रकटन: (क) कुल सकल ऋण जोखिम

[रु. करोड़ में]

क्र. सं.	समग्र ऋण जोखिम	निधि आधारित बकाया		एनबीएफ बकाया	
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
2.1	खनन और उत्खनन	1099	898	161	132
2.2	खाद्य प्रसंस्करण	3078	1665	187	20
2.2.1	चीनी	955	675	135	3
2.2.2	खाद्य तेल और वनस्पति	179	81	22	0
2.2.3	चाय	118	30	0	0
2.2.4	अन्य	1826	879	30	17
2.3	पेय व तंबाकू	356	283	37	44
2.4	वस्त्र	8546	6737	184	248
2.4.1	ऊनी वस्त्र	3908	2929	81	45
2.4.2	जूट वस्त्र	97	40	1	0
2.4.3	अन्य वस्त्र	4541	3768	102	203
2.5	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	642	513	18	7
2.6	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	197	272	28	10
2.7	कागज़ व कागज़ के उत्पाद	1245	836	27	10
2.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	8625	8724	722	442
2.9	रसायन और रसायन उत्पाद	1919	1368	162	131
2.9.1	उर्वरक	141	71	8	5
2.9.2	ओषधि व फार्मस्यूटिकल्स	888	790	76	57
2.9.3	पेट्रोकेमिकल्स	0	0	0	0
2.9.4	अन्य	890	507	78	69
2.10	रबड़, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	771	509	41	14
2.11	शीशा और शीशे का सामान	35	152	1	0
2.12	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	1232	1226	18	18
2.13	मूल धातु और धातु उत्पाद	10084	4262	3652	3514
2.13.1	लोहा और इस्पात	7019	3113	3511	3434
2.13.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	3065	1149	141	80
2.14	सभी इंजिनियरिंग	5221	2330	3717	3659
2.14.1	इलेक्ट्रॉनिक	437	329	292	159
2.14.2	अन्य	4784	2001	3425	3500
2.15	वाहन, वाहन के पुर्जे और यातायात के उपकरण	1441	1494	101	130
2.16	रत्न और आभूषण	1035	1039	117	670
2.17	निर्माण	2574	2144	3617	3352
2.18	मूल भूत संरचना	32741	17313	3576	3314
2.18.1	बिजली *	19099	9957	2248	2015
2.18.2	दूरसंचार	3374	965	666	682
2.18.3	सड़क व पत्तन	6737	4498	637	612
2.18.4	अन्य संरचना	3531	1893	25	5
2.19	अन्य उद्योग	6663	1940	1099	1062
	उद्योग (छोटा, लघु और बड़े पैमाने का कुल)	87504	53705	17465	16777

(C) INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

[Rs. in Crore]

Sl. No.	Industry	Fund Based Outstanding		Non-Fund Based Outstanding	
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
2.1	<b>Mining and Quarrying</b>	<b>1099</b>	<b>898</b>	<b>161</b>	<b>132</b>
2.2	<b>Food Processing</b>	<b>3078</b>	<b>1665</b>	<b>187</b>	<b>20</b>
	2.2.1 Sugar	955	675	135	3
	2.2.2 Edible Oils and Vanaspati	179	81	22	0
	2.2.3 Tea	118	30	0	0
	2.2.4 Others	1826	879	30	17
2.3	<b>Beverage &amp; Tobacco</b>	<b>356</b>	<b>283</b>	<b>37</b>	<b>44</b>
2.4	<b>Textiles</b>	<b>8546</b>	<b>6737</b>	<b>184</b>	<b>248</b>
	2.4.1 Cotton Textiles	3908	2929	81	45
	2.4.2 Jute Textiles	97	40	1	0
	2.4.3 Other Textiles	4541	3768	102	203
2.5	<b>Leather &amp; Leather Products</b>	<b>642</b>	<b>513</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
2.6	<b>Wood and Wood Products</b>	<b>197</b>	<b>272</b>	<b>28</b>	<b>10</b>
2.7	<b>Paper &amp; Paper Products</b>	<b>1245</b>	<b>836</b>	<b>27</b>	<b>10</b>
2.8	<b>Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels</b>	<b>8625</b>	<b>8724</b>	<b>722</b>	<b>442</b>
2.9	<b>Chemicals and Chemical Products</b>	<b>1919</b>	<b>1368</b>	<b>162</b>	<b>131</b>
	2.9.1 Fertilizer	141	71	8	5
	2.9.2 Drugs & Pharmaceuticals	888	790	76	57
	2.9.3 Petro Chemicals	0	0	0	0
	2.9.4 Others	890	507	78	69
2.10	<b>Rubber, Plastic &amp; their Products</b>	<b>771</b>	<b>509</b>	<b>41</b>	<b>14</b>
2.11	<b>Glass and Glassware</b>	<b>35</b>	<b>152</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
2.12	<b>Cement and Cement Products</b>	<b>1232</b>	<b>1226</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
2.13	<b>Basic Metal and Metal Products</b>	<b>10084</b>	<b>4262</b>	<b>3652</b>	<b>3514</b>
	2.13.1 Iron and Steel	7019	3113	3511	3434
	2.13.2 Other Metal and Metal Products	3065	1149	141	80
2.14	<b>All Engineering</b>	<b>5221</b>	<b>2330</b>	<b>3717</b>	<b>3659</b>
	2.14.1 Electronics	437	329	292	159
	2.14.2 Others	4784	2001	3425	3500
2.15	<b>Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments</b>	<b>1441</b>	<b>1494</b>	<b>101</b>	<b>130</b>
2.16	<b>Gems &amp; Jewellery</b>	<b>1035</b>	<b>1039</b>	<b>117</b>	<b>670</b>
2.17	<b>Construction</b>	<b>2574</b>	<b>2144</b>	<b>3617</b>	<b>3352</b>
2.18	<b>Infrastructure</b>	<b>32741</b>	<b>17313</b>	<b>3576</b>	<b>3314</b>
	2.18.1 Power	19099	9957	2248	2015
	2.18.2 Telecommunications	3374	965	666	682
	2.18.3 Roads & Ports	6737	4498	637	612
	2.18.4 Other Infrastructure	3531	1893	25	5
2.19	<b>Other Industries</b>	<b>6663</b>	<b>1940</b>	<b>1099</b>	<b>1062</b>
	INDUSTRY (Total of Small, Medium and Large Scale)	87504	53705	17465	16777

## (घ) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विभाजन

[रु करोड़ में]

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्ति
0 से 1 दिन	7684.30 (9531.95)	(0.00) (0.00)	689.30 (111.34)
2 से 7 दिन	6563.84 (2931.52)	1626.63 (980.77)	1045.95 (1883.82)
8 से 14 दिन	8296.41 (2154.75)	599.09 (1164.64)	1314.09 (5012.78)
15 से 28 दिन	4320.55 (3164.64)	1319.18 (1150.36)	279.14 (464.82)
29 दिन से 3 महीने तक	21337.66 (17281.99)	3511.73 (2318.48)	3612.56 (1265.63)
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	16226.76 (7634.07)	1550.04 (3317.83)	3893.91 (1473.88)
6 महीने से अधिक व 1 साल तक	24650.96 (21687.52)	552.98 (2151.48)	3449.49 (580.46)
1 साल से अधिक व 3 साल तक	30469.24 (28843.71)	5054.19 (7843.57)	740.58 (2043.87)
3 साल से अधिक व 5 साल तक	17713.03 (14055.60)	6050.31 (8339.30)	642.61 (525.41)
5 साल से अधिक कुल	32071.88 (30933.65)	49412.80 (30510.47)	994.98 (1061.58)
<b>जोड़</b>	<b>169334.63 (138219.40)</b>	<b>69676.95 (57776.90)</b>	<b>16662.61 (14423.59)</b>

(प्रत्येक आंकड़े के नीचे कोष्ठक में पिछले साल के आंकड़े दिये हैं)

(D) RESIDUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

[Rs. in Crore]

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
0 to 1 day	7684.30 (9531.95)	(0.00) (0.00)	689.30 (111.34)
2 to 7 days	6563.84 (2931.52)	1626.63 (980.77)	1045.95 (1883.82)
8 to 14 days	8296.41 (2154.75)	599.09 (1164.64)	1314.09 (5012.78)
15 to 28 days	4320.55 (3164.64)	1319.18 (1150.36)	279.14 (464.82)
29 days to 3 months	21337.66 (17281.99)	3511.73 (2318.48)	3612.56 (1265.63)
Over 3 months & upto 6 months	16226.76 (7634.07)	1550.04 (3317.83)	3893.91 (1473.88)
Over 6 months & upto 1 year	24650.96 (21687.52)	552.98 (2151.48)	3449.49 (580.46)
Over 1 year & upto 3 years	30469.24 (28843.71)	5054.19 (7843.57)	740.58 (2043.87)
Over 3 year & upto 5 years	17713.03 (14055.60)	6050.31 (8339.30)	642.61 (525.41)
Over 5 years	32071.88 (30933.65)	49412.80 (30510.47)	994.98 (1061.58)
<b>Total</b>	<b>169334.63 (138219.40)</b>	<b>69676.95 (57776.90)</b>	<b>16662.61 (14423.59)</b>

(The figures of the previous year disclosed in the brackets under each figure)

ड) अनर्जक आस्तियां :

[रु करोड़ में]

मर्दे	राशि	
	31.03.2010	31.03.2009
सकल एन पी ए	2590.31	2167.97
• अवमानक	1953.59	1514.59
• संदिग्ध 1	627.39	646.97
• संदिग्ध 2	--	--
• संदिग्ध 3	--	--
• हानि	9.33	6.41
निवल एन पी ए	1799.70	1507.25
एन पी ए अनुपात		
• सकल एन पी ए के प्रति सकल अग्रिम (%)	1.52	1.56
• निवल एन पी ए के प्रति निवल अग्रिम (%)	1.06	1.09
एन पी ए का उतार-चढ़ाव (सकल)		
• प्रारंभिक शेष	2167.97	1272.62
• संवर्धन	3266.33	2377.74
• कमी	2843.99	1482.39
• इति शेष	2590.31	2167.97
इति शेष एन पी ए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
• अथ शेष	657.79	373.10
• वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	1426.17	900.00
• बहु खाते में डालना	1297.16	615.31
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	--	--
• इति शेष	786.80	657.79
अनर्जक निवेश संबंधी राशि	199.79	185.72
अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान संबंधी राशि	199.47	185.72
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
• प्रारंभिक शेष	541.77	180.31
• अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	49.34	407.35
• बहु खाते में डालना	369.20	45.89
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	--	--
• इति शेष	221.91	541.77

**E) NON-PERFORMING ASSETS:**

[Rs in Crore]

Items	Amount	
	31.03.2010	31.03.2009
Gross NPAs	2590.31	2167.97
• Substandard	1953.59	1514.59
• Doubtful 1	627.39	646.97
• Doubtful 2	--	--
• Doubtful 3	--	--
• Loss	9.33	6.41
Net NPAs	1799.70	1507.25
NPA Ratios		
• Gross NPAs to Gross advances (%)	1.52	1.56
• Net NPAs to Net advances (%)	1.06	1.09
Movement of NPAs (gross)		
• Opening balance	2167.97	1272.62
• Additions	3266.33	2377.74
• Reductions	2843.99	1482.39
• Closing balance	2590.31	2167.97
Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	657.79	373.10
• Provisions made during the year	1426.17	900.00
• Write-off	1297.16	615.31
• Write back of excess provisions	--	--
• Closing balance	786.80	657.79
Amount of Non-performing investments	199.79	185.72
Amount of provisions held for Non-performing investments	199.47	185.72
Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening balance	541.77	180.31
• Provisions made during the period	49.34	407.35
• Write-off	369.20	45.89
• Write back of excess provisions	--	--
• Closing balance	221.91	541.77

## तालिका डी एफ 5 - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों का प्रकटीकरण :

गुणात्मक प्रकटीकरण:

### मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग के लिए :

- इस्तोमाल की गयी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम :** बैंक ने निम्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है। देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ - क्रिसिल, केयर, फिच इंडिया और इकरा। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ - स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, मुडीज, फिच। बैंक इनमें तीन देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नामशः इं क्रिसिल, केयर व इकरा के साथ सभी प्रकार की ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए सहमति ज्ञापन में प्रविष्ट हुआ।
- ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए एजंसियों से सहायता ली गई है:** सभी प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए सभी उपर्युक्त एजेंसियों का सहारा लिया गया है।

### बैंकिंग बहियों में सार्वजनिक निर्गम संबंधी रेटिंग को तुलनीय आसित में अंतरण करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया संबंधी विवरण:

- बैंक उन्हीं रेटिंगों का उपयोग करता है जो बाजार में मिलते हैं और जिन्हें पूछा जाता है तथा बाहरी ऋण मुल्यांकन संस्थाओं के स्तर में जाना जानेवाले मान्यता प्राप्त बाहरी ऋण मुल्यांकन एजेंसिया(ईसीएआई) जिनकी समीक्षा करती हैं।
- उधारकर्ता की ऋण जोखिम भारिता को पहचानने हेतु बैंक द्वारा, जहाँ कहीं लागू है, सुविधा रेटिंग या बैंक ऋण रेटिंग का प्रयोग करता है। जहाँ जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जबतक बैंक ऋण को विशिष्ट रूप से रेटिंग नहीं किया गया है, तबतक बैंक इस प्रकार के रेटिंग का इस्तेमाल करता है।
- बैंक द्वारा एक ही उधारकर्ता के किसी एक ऋण जोखिम के लिए एक ई सी ए आई का और दूसरे ऋण जोखिम के लिए दूसरे ई सी ए आई का प्रयोग नहीं किया जाता, जबतक कि संबंधित ऋण जोखिम का रेटिंग किसी एक चुनिंदा ई सी ए आई द्वारा ही किया गया है। आगे, किसी कार्पोरेट समूह के भीतर प्रत्येक संस्था के लिए निर्धारित रेटिंग का, उसी समूह के किसी अन्य संस्था के जोखिम भार के निर्धारण के लिए बैंक प्रयोग नहीं करता।
- नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं को दीर्घावधी ऋण जोखिम के रूप में माना जाता है और तदनुसार ऐसे ऋण जोखिमों के लिए जोखिम भार का निर्धारण के लिए दीर्घावधी रेटिंग का प्रयोग किया जाता है।
- ई सी ए आई द्वारा निर्धारित रेटिंग का मापन / लागू करते समय बैंक, विनियामक दिशानिर्देशों / बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शित होता है।

## TABLE DF 5 - DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

### QUALITATIVE DISCLOSURES

#### (A) FOR PORTFOLIOS UNDER THE STANDARDIZED APPROACH:

- Name of the credit rating agencies used:** The Bank has approved following Credit Rating Agencies. Domestic Credit Rating Agencies: CRISIL, CARE, FITCH India & ICRA. International Credit Rating Agencies: Standard & Poor, Moody's, FITCH. The Bank has also entered into Memorandum of Understanding (MOU) with the approved Domestic Credit Rating Agencies viz. CRISIL, CARE, ICRA and FITCH India for rating all types of exposures.
- Types of exposure for which each agency is used:** All the above agencies are approved for rating all types of exposures.

#### A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- The Bank uses only publicly available solicited ratings that are valid and reviewed by the recognized External Credit Rating Agencies, referred as External Credit Assessment Institutions (ECAI).
- Wherever available, the Bank uses Facility Rating or Bank Loan Rating for risk weighting the borrower's exposures. Where Issuer Rating is available, the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one ECAI for one exposure and that of another ECAI for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen ECAs. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as Cash Credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping/applying the ratings assigned by the ECAs, the Bank is guided by the regulatory guidelines/Bank's Board approved Policy.

- जहाँ ऋण जोखिम / उधारकर्ताओं का चुनिंदा ई सी ए आई से एक से अधिक रेटिंग प्राप्त हों, वहां बैंक जोखिम भारिता के परिकलन के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाता है :
  - चुनिंदा ई सी ए आई द्वारा दो रेटिंग दिये जाने पर जो विभिन्न जोखिम भार के साथ जुड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उच्च जोखिम भार को लागू किया जाता है।
  - जहाँ चुनिंदा ई सी ए आई द्वारा तीन या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है, जो विभिन्न जोखिम भार से जुड़ती है तो ऐसी स्थिति में 2 निम्नतम रेटिंग की अनुसूची रेटिंग को लिया जाता है और उनमें से उच्चतम जोखिम भार को लागू किया जाता है।

- Where exposures/ borrowers have multiple ratings from the chosen ECAs, the Bank has adopted the following procedure for risk weight calculations:
  - If there are two ratings accorded by chosen ECAs, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.
  - If there are three or more ratings accorded by the chosen ECAs which map into different risk weights, the ratings corresponding to the lowest 2 ratings are referred to and higher of those two risk weights is applied.

## परिमाणात्मक प्रकटन:

[रु करोड़ में]

विवरण	राशि			
	निधि आधारित		गैर-निधि आधारित	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
100% से कम जोखिम भार	105895.97	99290.92	85294.85	117021.36
100% जोखिम भार	45501.91	21639.79	37263.30	33723.86
100% से ज्यादा जोखिम भार	17936.75	2204.65	15661.25	406.62
कम किया गया (जोखिम प्रशामक)	22395.13	3249.32	16565.41	4755.74

**टिप्पणी:** मार्च 2009 के पहले, जोखिम प्रशामकों को (केवल संपार्शिकों की आढ़त) ऋण जोखिम से घटाया जाता था और संबंधित जोखिम समूह में केवल निवल ऋण जोखिम दर्शायी जाती थी और संपार्शिक हिस्से की घटाव को अलग से दर्शाया जाता था। जोखिम समूहों में, वर्तमान प्रकाटीकरण सकल ऋण जोखिमों के आधार पर किया जाता है (अर्थात् जोखिम प्रशामक, संपार्शिक तथा गारंटीयों की घटाई के बिना)।

## QUANTITATIVE DISCLOSURES

[Rs. in Crore]

Particulars	Amount			
	Fund Based		Non-fund Based	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Below 100% risk weight	105895.97	99290.92	85294.85	117021.36
100% risk weight	45501.91	21639.79	37263.30	33723.86
More than 100% risk weight	17936.75	2204.65	15661.25	406.62
Deducted (Risk Mitigants – Collaterals & Guarantees)	22395.13	3249.32	16565.41	4755.74

**Note:** Earlier for March 2009, Risk Mitigants (factoring only Collaterals) were deducted from the exposure and only net exposure was furnished in the respective risk buckets and collateral portion deducted was shown separately. The current disclosures in the risk buckets are made based on gross exposures (i.e. without deducting the risk mitigants Collaterals & Guarantees).

## प्रकटन प्रपत्र तालिका डी एफ 6 - ऋण जोखिम कम करना - मानकीकृत दृष्टिकोण

### गुणात्मक प्रकटन

- संपार्शिक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीति और प्रक्रिया :** सही रूप में लिये गये और प्रबंधन किये गये संपार्शिक और गारंटियाँ निम्नों के लिए सहायक होंगे:
- प्रत्याशित नकद प्रवाह में अपर्याप्ता या किसी अन्यथा ऋण सुविधा की चुकौती के संबंध में उधारकर्ता द्वारा चूक होने पर चुकौती का दूसरा स्रोत प्रदान करते हुए जोखिम को कम करना।
- चूक होने पर चुकौती के स्रोत पर नियंत्रण पाना।
- उधारकर्ता की गिरती चुकौती क्षमता पर शीघ्र चेतावनी देना और
- जोखिम भारित आस्तियों को बढ़ाना और पर्याप्त रूप से अवशिष्ट जोखिमों का निवारण करना।

बैंक की संपार्शिक प्रबंधन प्रक्रिया और आचरण में, सुरक्षा और संपार्शिक मूल्य की सुरक्षा व संरक्षण, संपार्शिक और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन/नियमित निरीक्षण सहित संपूर्ण क्रियाविधि प्रावरित हैं।

**मूल्यांकन :** बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋणों को प्रतिभूत करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियाँ बैंक द्वारा नामित बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवधिकता आदि बैंक की नीति संबंधी दिशानिर्देश में उल्लिखित की गयी है।

**बैंक द्वारा लिये गये संपार्शिकों के प्रमुख प्रकार संबंधी विवरण:** जोखिम को कम करने हेतु बैंक द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त प्रमुख संपार्शिक प्रकारों में वस्तु सूची, बही ऋण, संयंत्र और मशीनरी, भूमि और मकान, स्वर्ण आभूषण, वित्तीय संपार्शिक (अर्थात् बैंक जमाएं, डाक विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी सरकारी प्रतिभूतियां, बैंक द्वारा अनुमोदित सीमित कंपनियों के इक्विटी शेयर, जीवन बीमा पॉलिसियां, म्युचुअल फंड की इकाइयां आदि), विभिन्न प्रकार की चल व अचल संपत्तियाँ/आस्तियाँ आदि शामिल हैं।

**गारंटीकर्ता प्रतिपक्ष और उनकी ऋण-पात्रता के प्रमुख प्रकार :** बैंक सरकारी, बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय सेंट्रल बैंकर ईसीजीसी तथा सीजीटीएम एसई सहित सरकारी कंपनियों की गारंटियाँ प्राप्त/ स्वीकार करता है। इसके अलावा, ऋण जोखिम को कम करने की अतिरिक्त सुविधा के रूप में बैंक वैयक्तिक या कार्पोरेट गारंटी प्राप्त करता है

## TABLE DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION – STANDARDIZED APPROACH

### QUALITATIVE DISCLOSURES:

- Policies and processes for collateral valuation and management:** Collaterals and guarantees properly taken and managed would serve to:
- Mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not
- Gain control on the source of repayment in the event of default;
- Provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation / periodical inspection.

**Valuation:** Both the Fixed and the Current Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines.

**Description of the main types of collateral taken by the Bank:** The main types of collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of Inventories, Book debts, Plant & Machineries, Land & Building, Gold Jewellery, Financial Collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities issued directly/ by postal departments, equity shares of limited companies approved by the Bank, Life Insurance Policies, Units of Mutual Funds etc.), different categories of moveable & immoveable assets/ properties etc.

**Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:** The Bank obtains/accepts guarantees of sovereign, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Banks, ECGC and CGTMSE). Besides, the Bank also obtains Personal or Corporate guarantee having adequate net worth, as an additional comfort for mitigation of Credit Risk which can be translated into a

जिसको गारंटीकर्ता के ऊपर प्रत्यक्ष दावे के स्थ में परिवर्तित किया जा सकता है और यह शात-रहित तथा अविकल्पी है। गारंटीकर्ता की ऋण-पात्रता, सामान्यतः उधारकर्ता की आर्थिक स्थिति से संबद्ध या प्रभावित नहीं होता है। राज्य / केंद्रीय सरकार द्वारा दी गयी गारंटी को भी बैंक प्रतिभूति के स्थ में स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियां तब तक प्रभावी रहती हैं जब तक प्रावरित सुविधा की पूरी तरह से चुकौती या निपटान या उन्मोचित नहीं हो जाता है।

**नई पूँजी पर्याप्तता स्परेखा के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम प्रशमन (बासल II मानक):** नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बासल-II मानक) के अंतर्गत पूँजी अपेक्षाओं को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने नकद, बैंक की निजी जमाएं, स्वर्ण व स्वर्ण आभूषण को ऋण जोखिम प्रशमन के स्थ में मान्यता दी है।

**प्रशमन हेतु उठाये गये उपायों के अंतर्गत जोखिम केंद्रीकरण संबंधी सूचना:** ऋण जोखिम के प्रबंधन और संपारिवर्क के जोखिम केंद्रीकरण सहित संपारिवर्क प्रबंधन के प्रभावी मूल्यांकन को सुसाध्य बनाने हेतु बैंक द्वारा डाटा वेयर हाउस बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

#### परिमाणात्मक प्रकटन :

[रु करोड़ों में]

क्र. सं.	ब्योरा	राशि	
		31.03.2010	31.03.2009
1.	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये मार्जिन लागू करने के बाद, पात्र वित्तीय संपारिवर्क के द्वारा प्रावरित कुल ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रति कटौती लागू करने के पश्चात्)	15912.59	12861.92
2.	प्रत्येक अलग से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग के लिये गारंटियाँ/ऋण व्युत्पन्नियाँ से (जहाँ भारिवैं द्वारा विशिष्ट स्थ से अनुमत) प्रावरित कुल ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रति कटौती लागू करने के पश्चात्)	16536.24	11521.90

direct claim on the guarantor, and are unconditional and irrevocable. The Creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort. Such Guarantees remain continually effective until the facility covered is fully repaid or settled or released.

**Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms):** The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

**Information about risk concentration within the mitigation taken:** The Bank is in the process of putting in place a data warehouse for a robust Management Information System to facilitate management of Credit Risk and evaluation of effectiveness of collateral management including risk concentrations of collaterals.

#### QUANTITATIVE DISCLOSURES:

[Rs. in Crore]

SI No	Particulars	Amount	
		31.03.2010	31.03.2009
1.	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	15912.59	12861.92
2.	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) For each separately disclosed portfolio	16536.24	11521.90

## प्रकटन प्रपत्र तालिका - डी एफ 7 - प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण:

### गुणात्मक प्रकटन

वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान बैंक ने किसी प्रकार की ऋण जोखिम का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

### परिमाणात्मक प्रकटन

वर्ष 2004-05 के दौरान बैंक ने रु14.31 करोड़ के 6 एन पी ए खातों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी इंडिया लिमिटेड (ए आर सी आई एल) को बेच दिया और रु14.31 करोड़ रुपये हेतु एस आर प्राप्त किया। यथा 31.03.2010 को बैंक द्वारा रु7.30 करोड़ बही-मूल्य की प्रतिभूति आय का धारण करता है, जिसके लिये पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है।

## प्रकटन प्रपत्र तालिका डी एफ 8 - व्यापारिक बहीखाते में बाजार जोखिम - मानकीकृत आशोधित अवधिक दृष्टिकोण :

### गुणात्मक प्रकटीकरण :

**रणनीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ :** बाजार जोखिम प्रबंधन का व्यापक उद्देश्य बैंक की प्रतियोगी क्षमताओं को बढ़ाते हुए तथा सभी प्रकार की बाजार जोखिम घटनाओं के घाटों में कमी करते हुए बैंक के शेयराधारक के मूल्य में संवृद्धि दर्ज करना है।

- जहाँ एक और व्यापक नेतृत्व एवं जोखिम प्रबंधन तंत्र का नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, वही हमारी कारोबारी इकाईयों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे वे जोखिम उठाने और जोखिमों का संभालने के लिए रणनीतियाँ तय कर सकें।
- समर्त मुद्दों अथवा पहले से तयशुदा गंभीर किस्म के मामलों को (तथ्यात्मक, आवधिकता, प्रकृति) जोखिम प्रबंधन अनुभाग भेज दिया जाता है, वहाँ इन मामलों को समुचित रूप से निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तत्संबंधी कार्रवाई तय की जाती है। कारोबारी इकाईयों की जिम्मेदारी होती है कि वे इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य है

- बाजार जोखिम गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्रोएक्ट बाजार जोखिम प्रबंधन की कॉरपोरेट संस्कृति स्थापित करना।
- बाजार जोखिम से संबद्ध सभी संबंधित विधायी प्रावधानों एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- बाजार जोखिम को पहचानने, मापने, उसका प्रबंधन करने, उसकी देखरेख करने, नियंत्रण तथा समीक्षा करने संबंधी नीतियों एवं कार्यविधियों में गुणवत्ता का निरंतर रूप से नियमित विकास करना।

## TABLE DF 7- SECURITISATION - STANDARDIZED APPROACH

### QUALITATIVE DISCLOSURES

The Bank has not securitised any exposure during the financial year 2009-2010.

### QUANTITATIVE DISCLOSURES

During the year 2004-05, the Bank had sold 6 NPA accounts amounting to Rs.14.31 crore to Asset Reconstruction Company India Limited (ARCL) and had received SR for Rs.14.31 crore. As on 31.03.2010, the Bank holds Security Receipts at a Book Value of Rs.7.30 crore, which is fully provided for.

## TABLE DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK- STANDARDIZED MODIFIED DURATION APPROACH

### QUALITATIVE DISCLOSURES:

**Strategies and processes:** The overall objective of market risk management is to create shareholder value by improving the Bank's competitive advantage and reducing loss from all types of market risk loss events.

- While overall leadership and control of the risk management framework is provided by Risk Management Wing, the business units are empowered to set strategy for taking risks and manage the risks.
- All issues or limit violations of a pre-determined severity (materiality, frequency, nature) are escalated to the Risk Management Wing where the actions to address them are determined by the appropriate authorities. The business units are responsible for implementing the decision taken.

The process aims to

- Establish a pro-active market risk management culture to cover market risks.
- Comply with all relevant legislation and regulatory requirements relating to Market Risk
- Develop consistent qualities in evolving policies & procedures relating to identification, measurement, management, monitoring, controlling and reviewing of Market Risk.

- विभिन्न प्रकार के बाजार जोखिम कारकों के लिए ऋण सीमा का ढाँचा और संबंधित सचेतक स्थापित करना।
- मजबूत रिपोर्टिंग ढाँचा स्थापित करते हुए प्रभावी संवीक्षा मशीनरी एवं कार्यविधि तैयार करना।
- बाजार जोखिम उपायों के स्वतंत्र और नियमित मूल्यांकन की प्रक्रिया करना।

**संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन :** बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन तंत्र का ढाँचा इस प्रकार है :-

- निदेशक मंडल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आरित देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ)
- बाजार जोखिम प्रबंधन समिति
- महा प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन विभाग (मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)- प्रधान कार्यालय
- बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग प्र.का.
  - एकीकृत अंतर्मध्य कार्यालय
  - आरित देयता प्रबंधन अनुभाग

**जोखिम रिपोर्टिंग तथा/अथवा इनकी मापन पद्धति की संभावनाएँ एवं प्रकृति :**

- बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न ऋण सीमाओं का निर्धारण किया है, जैसे एक दिवसीय सीमा, अंतरदिवसीय सीमा, समग्र अंतर सीमा, स्टाप लॉस सीमा, जोखिम मूल्य सीमा, ब्रोकर टर्नओवर सीमा, पूँजी बाजार ऋण सीमा, उत्पादवार ऋण सीमा, जारीकर्तवार ऋण सीमा इत्यादि।
- बैंक के विभिन्न स्तरों पर जोखिम सीमाओं की संवीक्षा करने के लिए जोखिम रिपोर्टिंग पद्धति सुस्थापित की गई है।
- जोखिम प्रबंधन अथवा लेखांकन उद्देश्यों के लिए बाजार के लिए अंकित किये जाने वाली दरों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाता है।
- बैंक की रणनीतियों के अनुसार कार्यनिष्ठादान तथा जोखिम की जाँच करने, कारोबारी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए इन रिपोर्टों का उपयोग किया जाता है।
- यह रिपोर्टिंग पद्धति समय सीमा, स्वचालन के समय समुचित विशुद्धता, पोर्टफोलियो में जोखिम की संभावनाओं को उजागर करना सुनिश्चित करती है और इसमें तत्संबंधी लिखित विवरण भी होते हैं।
- रिपोर्ट लचीली होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाती है।

- Establish limit structure and triggers for various kinds of market risk factors
- Establish efficient monitoring mechanism by setting up a strong reporting system.
- Adopt independent and regular evaluation of the market risk measures.

**The structure and organization of the relevant risk management function:** Market Risk Management structure of the Bank is as under-

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Asset Liability Management Committee (ALCO)
- Market Risk Management Committee
- General Manager-R M Wing (Chief Risk Management officer)
- Market Risk Management Department, Risk Management Wing HO
  - Integrated Mid Office
  - Asset Liability Management Section

**The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:**

- The Bank has put in place various exposure limits for market risk management such as Overnight limit, Intraday limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit, Broker Turnover limit, Capital Market Exposure limit, Product-wise Exposure limit, Issuer-wise Exposure limit etc.
- A risk reporting system is in place for monitoring the risk limits across different levels of the Bank.
- The rates used for marking to market for risk management or accounting purposes are independently verified.
- The reports are used to monitor performance and risk, manage business activities in accordance with the Bank's strategy.
- The reporting system ensures timelines, reasonable accuracy with automation, highlight portfolio risk concentrations, and include written commentary.
- The reports are flexible and enhance decision-making process.

- डीलिंग रुम की गतिविधियाँ केन्द्रिकृत की गई हैं तथा वारस्तविक समय के आधार पर अंतरदिवसीय ऋणों की देखरेख करने की व्यवस्था स्थापित की गई है।
- रिपोर्टिंग ग्रास्मों एवं इसकी आवधिकता की सामग्रिक समीक्षा की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये उपाय जोखिम संवीक्षा, उसके मापन एवं जोखिम को हल्का करने के लिए पर्याप्त हैं।

**बचाव व्यवस्था तथा/अथवा तत्संबंधी जोखिम कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्थापकों/प्रशासकों को प्रभावी बनाए रखने संबंधी संवीक्षा की रणनीति एवं प्रक्रियाएँ :** बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित किया गया है जैसे बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, काऊंटर पार्टी बैंक जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तरलता जोखिम प्रबंधन नीति तथा आस्ति देयता प्रबंधन नीति। इन नीतियों को बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम निर्धारण, इनकी पहचान तथा उपाय व रोकथाम, जोखिम ऋण सीमाएँ एवं कारकों, जोखिम संवीक्षा एवं रिपोर्टिंग के लिए एक आधारभूत ढँचा तैयार करती है।

बैंक ने विभिन्न मापदण्डों जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति, व्यापार संतुलन इत्यादि के आधार पर देशीय जोखिम रिटिंग के लिए एक आंतरिक मॉडल विकसित किया है जिससे विभिन्न देशों को ऋण सीमा का आवंटन करते समय उनकी जोखिम श्रेणी का ध्यान रखा जा सकता है।

काऊंटरपार्टी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बैंक ने अंतराष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी तय करने के लिए एक अंक तालिका मॉडल विकसित किया है। काऊंटरपार्टीयों द्वारा अंकतालिका मॉडल में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर हासिल किए गए अंकों के मद्देनजर विभिन्न ऋण सीमा तय की जाती है।

तरलता जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि आकर्षिक निधि योजना बनाते हुए संक्रमण काल में तरलता की स्थिति को सामान्य ही रखा जा सके। प्रत्येक समय सीमा के तहत बट्टा के स्तरों को भी शामिल किया गया है तथा इसके दूरते ही यह आने वाले तरलता-संकट का संदेश देने लगता है।

## परिमाणात्मक प्रकटीकरण

[रु करोड़ों में]

क्र. सं	विवरण	पूँजी आवश्यकता की रकम	
		31.03.2010	31.03.2009
(क)	ब्याज दर जोखिम	293.27	306.00
(ख)	इक्विटी स्थिति संबंधी जोखिम	222.23	177.76
(ग)	विदेशी विनियम जोखिम	6.75	6.75

- Dealing room activities are centralized, and system is in place to monitor the intra day exposure on real time basis.
- The reporting formats & the frequency are periodically reviewed to ensure their adequacy for risk monitoring, measuring and mitigation.

**Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:** Various Board approved policies viz., Market Risk Management Policy, Country Risk Management Policy, Counterparty Bank Risk Management Policy, Investment Policy, Liquidity Risk Management Policy and ALM Policy are put in place for market risk management. Market Risk Management Policy provides the framework for risk identification, assessment and measurement and mitigation, risk limits & triggers, risk monitoring and reporting.

The Bank has developed an internal model for country risk rating based on various parameters like GDP growth, inflation, trade balance etc for risk categorization of the countries to allocate limit for taking exposure to various countries.

The Bank has in place a scoring model for categorization of foreign banks under Counterparty Risk Management Policy. The various exposure limits are set based on the points secured by the counterparties as per the scoring matrix.

Liquidity Risk Management Policy lays down various guidelines to ensure that the liquidity position is comfortable at times of stress by formulating contingency funding plan. Tolerance levels are incorporated under each time frame and any breach of it would signal a forthcoming liquidity constraint.

## QUANTITATIVE DISCLOSURES

[Rs. in Crore]

SL NO	PARTICULARS	AMOUNT OF CAPITAL REQUIREMENT	
		31.03.2010	31.03.2009
(a)	Interest Rate Risk	293.27	306.00
(b)	Equity Position Risk	222.23	177.76
(c)	Foreign Exchange Risk	6.75	6.75

## प्रकटन प्रपत्र तालिका डी एफ 09

### - परिचालनात्मक जोखिम :

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

**रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :** बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के पीछे एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और सृदृढ़ परिचालनात्मक कार्यविधियाँ हैं जिनमें कार्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण, सक्षमतायें, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आक्रिमकता आयोजना शामिल हैं। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये नितियाँ निर्धारित हैं।

#### उपयुक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठनात्मक ढांचा :

बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नवत् है।

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक,(मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी)
- प्र का के कार्यात्मक विभागों में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) विशेषज्ञ
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन विभाग (ओआरएमडी) प्र का
- जोखिम अधिकारी -अंचलों/राजकोष व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन विभाग में नामित कार्यपालक
- अंचलों/अं प्र में जोखिम प्रबंधन और साख समीक्षा अनुभाग
- शाखाओं/कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन अधिकारी (आरएमओ)

#### जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र और प्रकृति और/या मापन पद्धतियाँ :

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखाओं/कार्यालयों में व्यक्ति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी से संबंधित परिचालनात्मक जोखिम हानि संभावनायें/घटनायें और बाहरी घटनायें शामिल हैं। विभिन्न रूपों से एकत्रित आंकड़े का उपयोग, भा. रि. बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त 7 हानि घटना प्रकार और 8 कारोबार प्रकार की जोखिम मैट्रिक्स की तैयारी के लिये किया जाता है।

**बचाव व्यवस्था और/या जोखिम को कम करने की नीतियाँ और बचाव व्यवस्था/ प्रशासक के निरंतर स्तर से प्रभावी होने पर निगरानी की रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :** बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन से संबंधित निम्नांकित नितियाँ लागू की हैं।

## TABLE DF 9 - OPERATIONAL RISK

### QUALITATIVE DISCLOSURES:

**Strategies and processes:** The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

### The structure and organization of the relevant risk management function:

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- GM of Risk Management Wing, HO (Chief Risk Management Officer)
- ORM Specialists in functional Wings, HO
- Operational Risk Management Department (ORMD), HO
- Risk Officers – The nominated Executive at Circles/Treasury Wing
- Risk Management and Credit Review Sections at Circles
- Risk Management Officers (R.M.O) at Branches/ Offices.

**The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems:** The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events. The data collected from different sources are used for preparation of Risk Matrix consisting of 7 loss event types and 8 business lines recognized by the RBI.

**Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:** The Bank has put in place the following policies pertaining to Operational Risk Management.

- **परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति:** इस नीति में परिचालनात्मक जोखिम की शर्तें, परिचालनात्मक जोखिम संरचना, परिचालनात्मक जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, मापन और निगरानी शामिल हैं।
- **आउटसोर्सिंग नीति:** इस नीति में भारत में या अन्य किसी स्थान में स्थित सेवा प्रदानकर्ता के साथ बैंक द्वारा ली गयी वित्तीय सेवाओं सहित सभी प्रकार की आउटसोर्सिंग व्यवस्थायें शामिल हैं। इस नीति में ऐसे क्रियाकलाप भी शामिल हैं जो प्रबंधन के मूल कार्य हैं जिनकों आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं है।
- **परिचालनात्मक जोखिमों के लिये बीमा प्रावरण की नीति :** इस नीति में एक निवारक उपाय के रूप में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन में बीमा की भूमिका, बीमा पालिसी नीति के लक्ष्य और लाभ, बीमा पालिसियां लेते समय मूल्यांकन आदि शामिल हैं।
- **कारोबार प्रकार नीति:** भा.रि. बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार कारोबार प्रकार नीति निर्धारित की गयी है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
- **विधिक जोखिम प्रबंधन नीति:** बैंक ने विधिक जोखिम नीति निर्धारित की है जिसमें लक्ष्य, मूल्यांकन, प्रकृति, विधिक जोखिम का नियंत्रण करना आदि शामिल हैं।
- **समुद्रपारीय शाखाओं के लिये कारोबार निरंतरता योजना की नीति:** बैंक ने लंदन, हाँगकाँग, शांघाई शाखाओं के लिये कारोबार निरंतरता योजना की नीति निर्धारित की है।
- **अनुपालन नीति :** बैंक ने व्यापक अनुपालन नीति निर्धारित की है। बैंक द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार विभिन्न विभागों के अनुपालन अधिकारियों, विभागों, अनुषंगियों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, अन्य परिचालन इकाइयों, भारत और विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के साथ-साथ भारत से बाहर के विनियम गृहों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुये उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्धारित की गयी है ताकि समूह व्यापी और बहु कार्यक्षेत्रीय जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। बैंक व्यापी अनुपालन नीति के प्रभावी कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त रिपोर्टिंग पद्धति लागू की गयी है।

**परिचालनात्मक जोखिम पूँजी मूल्यांकन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अनुसार परिचालनात्मक जोखिम के लिये पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक ने मूल संकेतम दृष्टिकोण अपनाया है।

- **Operational Risk Management Policy:** The Policy covers the terms of Operational Risk, risk management structure, identification, assessment, measurement and monitoring of Operational Risk.
- **Outsourcing Policy:** The Policy covers all types of outsourcing arrangements including financial services entered into by the Bank with a service provider located in India or elsewhere. The Policy also covers the activities, which are part of core function of the management and are not permitted to be outsourced.
- **Policy on Insurance Cover for Operational Risks:** The Policy covers role of insurance in operational risk management as a mitigation measure, objectives and advantages of insurance policy, evaluation while taking insurance policies etc.
- **Business line Policy:** Based on RBI guidelines, Business line Policy is put in place, which is being reviewed annually.
- **Legal Risk Management Policy:** The Bank has put in place Legal Risk Management Policy, which covers objectives, assessment, nature, mitigation of Legal Risk etc.
- **Policy on Business Continuity Plan for Overseas Branches:** The Bank has put in place policies for Business Continuity Plan which covers London, Hong Kong, Shanghai Branches.
- **Compliance Policy:** The Bank has in place a Comprehensive Compliance Policy. As per the Policy adopted by the Bank, suitable organizational structure has been laid down defining the roles and responsibilities for Compliance Officers of various Wings, Departments, Subsidiaries, Circle Offices, other operating units, branches both in India and abroad as also Exchange Houses abroad, so as to address group wide and multi jurisdictional Compliance Risk. Suitable reporting system is also put in place to ensure effective implementation of Compliance Policy Bank wide.

**Operational Risk capital assessment:** The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk, as stipulated by the Reserve Bank of India.

## तालिका डी एफ 10- बैंकिंग बही में व्याज दर जोखिम

### गुणात्मक प्रकटीकरण:

व्याज दरों का अवविनियमन, विनिमय दर पद्धति का उदारीकरण, बांडों के लिये गौण बाजार का विकास, वित्तीय व्यवस्था का और गहरा और व्यापक बनाया जाने के साथ बैंकों को व्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, विनिमय दर जोखिम आदि का सामना करना पड़ रहा है। आस्ति देयता प्रबंधन विभिन्न जोखिमों के मापन, निगरानी और प्रबंधन हेतु एक व्यापक और सक्रिय स्प्ररेखा प्रदर्शित करता है। आ दे प्रा का मूल उद्देश्य बैंक की समूची जोखिम-वहन क्षमता के अन्दर अधिकतम निवल व्याज आय हासिल करना होता है।

लचीलापन और या प्रभाव को अनुमानित करने के लिये तरलता और व्याज दर संरचना में परिवर्तन करते हुये विभिन्न दबाव परीक्षण किये जाते हैं। आस्तियां और देयतायें संबंधी व्याज दरों और मूल जोखिम में समानान्तर अंतरण के द्वारा वह जोखिम पर उपार्जन का मूल्यांकन करता है। व्याज दरों में परिवर्तन और इकियटी के साथ उसके समनुरूपी सह संबंध के द्वारा अवधि अंतरण विश्लेषण और परिवर्तित अवधि के जरिये ईलक्वटी का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है।

तरलता पर दबाव स्तरों की जाँच हेतु व्यावहारिक अध्ययनों के प्रकटीकरणों से काफी बढ़कर दबाव परिस्थितियों के अनुमान के द्वारा दबाव परीक्षण किये जाते हैं जिन में ऋणों के पूर्व भूगतान और जमा की परिपक्वतापूर्व समालप्त जैसे अंतःस्थापित विकल्प शामिल हैं। निरंतर और मौसमी झुकाव के अध्ययन के लिये विभिन्न मापदण्डों के आधार पर व्यवहारात्मक अध्ययन भी किये जाते हैं ताकि और सही प्रवाहों का परिकलन किया जा सके।

लागत-लाभ, नये कारोबार, वित्तीय समावेशन जैसे व्याप्तिगत पहलुओं और दोनों वैश्विक और देशी-समण्टि आर्थिक दृष्टिकोण पर और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद दोनों आस्तियों और देयताओं की व्याज दरों के निर्धारण पर आस्ति देयता प्रबंधन समिति निर्णय लेती है।

**रण नीतियाँ और प्रक्रियायें :** विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण करते हुये पहले ही दबाव परीक्षण करने के द्वारा जोखिम को कम करने की रण नीति अपनायी जाती है ताकि सत्य-प्रतीयमान घटना के लिये और यदि संभव हो तो उसे कम किये जाने हेतु तैयार जोखिम को कम करने की प्रक्रिया आस्ति देयता संरचना के मिश्रण में परिवर्तन, अवधि अंतरण को इकाई के नजदीक लाना, व्याज दरों में परिवर्तन आदि के द्वारा शुरू की जाती है।

**उपयुक्त जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणाली की संरचना और संगठन:** आस्ति देयता प्रबंधन अनुभाग, महा प्रबंधक जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है और संरचनागत तरलता और व्याज दर संवेदनशीलता विवरण और अल्पावधि गतिक तरलता विवरण के साथ विभिन्न

## TABLE DF 10 - INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

### QUALITATIVE DISCLOSURES:

With the deregulation of interest rates, liberalization of exchange rate system, development of secondary markets for bonds and deepening and widening of financial system, Banks are exposed to Interest Rates Risk, Liquidity Risk, Exchange Rate Risk etc., Asset Liability Management outlays a comprehensive and dynamic framework for measuring, monitoring and managing various risks. Primary objective of ALM is maximizing the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank.

Various Stress Tests are conducted by varying the liquidity and interest rate structure to estimate the resilience and or the impact. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities as also basis risk. The Market Value of Equity is determined by means of Duration Gap Analysis and Modified Duration by varying interest rates and its corresponding correlation to equity.

The Stress Tests on liquidity are carried out by assuming stress conditions wherein Embedded Options are exercised like prepayment of loans and premature closure of deposits much above the revelations of the Behavioral Studies to test the stress levels. Behavioral Studies are also being conducted on various parameters to study the secular and seasonal trends to arrive at more accurate flows.

The ALCO decides on the fixation of interest rates on both assets and liabilities after considering the macro economic outlook – both global and domestic, as also the micro aspects like cost-benefit, spin offs, financial inclusion and a host of other factors.

**Strategies and processes:** The strategy adopted for mitigating the risk is by conducting Stress Tests before hand by simulating various scenarios so as to be in preparedness for the plausible event and if possible in mitigating it. The process for mitigating the risk is initiated by altering the mix of asset and liability composition; bringing the duration gap closer to unity, change in interest rates etc.

**The structure and organization of the relevant risk management function:** The ALM section reports to the General Manager of RM Wing and ALM reports on various subjects/ topics along with the Structural Liquidity and Interest Rate Sensitivity Statement and short term

वषयों/शीर्षकों पर आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर आस्ति देयता प्रबंधन समिति को और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मण्डल को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और कार्यपालक निदेशक और प्रक्रियात्मक विभागों के महा प्रबंधक उसके सदस्य होते हैं।

**जोखिम रिपोर्टिंग का कार्यक्षेत्र और प्रकृति और/या मापन पद्धतियाँ:** तरलता और व्याज दर संवेदनशीलता विवरण बैंक की तरलता स्थिति और व्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करते हैं निदेशक मण्डल के अनुमोदन सहित बट्टा स्तर निर्धारित किया जाता है जिसके अन्दर बैंक को अपना परिचालन सीमित रखना पड़ सकता है। सीमाओं में होने वाले किसी भंग की रिपोर्ट आस्ति देयता प्रबंधन समिति को की जाती है जो बदले में किये जाने वाले अपेक्षित सुधारात्मक उपायों के बारे में निर्देश देती है।

**बचाव व्यवस्था और/या जोखिम को कम करने के लिये नीतियाँ और बचाव व्यवस्था उपशामक के निरंतर स्तर से प्रभावी होने पर निगरानी के लियेरणनीतियाँ और प्रक्रियायें:** तरलता जोखिम और व्याज दर जोखिम को नियंत्रित करने पर आस्ति देयता प्रबंधन समिति की बैठक में उपशामक उपाय शूरू किये जाते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति को प्रस्तुत पाक्षिक विवरण अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर तरलता और व्याज दर संरचना प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न समय अंतरालों के अंतर्गत अंतर स्थिति तरलता जोखिम और व्याज दर जोखिम को अंकित करता है। विस्तार से अंतरण स्थिति के अध्ययन के बाद आस्ति देयता प्रबंधन समिति तरलता और व्याज दर जोखिमों को कम करने के लिये असंतुलनों को कम करने की रणनीतियाँ तय करती है।

#### प्रमाणात्मक प्रकटन :

यथा 31.03.2010 को आनुमानिक व्याज दर के आधारों के संबंध में आय-अर्जन व ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव।

#### ऋण जोखिम पर अर्जन

[रु करोड़ों में]

व्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए पुनर्मूल्यनिर्धारण	
	31.03.2010	31.03.2009
0.25%	15.99	12.36
0.50%	31.97	24.71
0.75%	47.96	37.07
1.00%	63.94	49.42

dynamic liquidity statement is presented to the ALCO on fortnightly basis, and to the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors on a quarterly basis. The statement of Structural Liquidity is prepared on a daily basis. The structural liquidity statements as on the first and third Wednesday of every month is submitted to the Reserve Bank of India and also placed to the ALCO. The ALCO is chaired by the Chairman & Managing Director of the Bank/Executive Directors and has GMs of functional Wings as its members.

**The scope and nature of risk reporting and /or measurement systems:** The liquidity and interest rate sensitivity statements reveal the liquidity position and the Interest Rate Risk of the Bank. With the approval of the Board, tolerance level is stipulated, within which the Bank is to operate. Any breach in the limits is reported to the ALCO, which in turn directs remedial measures to be initiated.

**Policies for hedging and or/mitigating risk and strategies and process for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:** Mitigating measures are initiated in the ALCO on how to contain the Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The fortnightly statements presented to the ALCO reveal the liquidity and interest rate structure based on residual maturity. The gap position under various time buckets denotes the Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The ALCO on studying the gap position in detail evolves the strategies to reduce the mismatches in order to reduce the Liquidity and Interest Rate Risks.

#### QUANTITATIVE DISCLOSURES:

The impact on earnings and Economic Value of Equity for notional interest rate shocks, as at 31-03-2010.

#### EARNINGS AT RISK

[Rs. in Crore]

Change in interest rate	Repricing at 1 year	
	31.03.2010	31.03.2009
0.25%	15.99	12.36
0.50%	31.97	24.71
0.75%	47.96	37.07
1.00%	63.94	49.42

## ईक्विटी के आर्थिक मूल्य

	31.03.2010	31.03.2009
200 आधार अंक (बीपीएस) दर संबंधी आघात हेतु ईक्विटी मूल्य में गिरावट।	19.27%	18.63%

## न्यूनतम पूँजी आवश्यकता की विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा

भा रि बैंक द्वारा जारी पूँजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन दिशानिर्देश में यथा 31.03.2010 बैंक द्वारा रखरखाव किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम पूँजी के रस्ते में निम्न राशियों में से अधिकतम राशि निर्धारित की गयी है।

क. ऋण, बाजार व परिचालन जोखिमों के लिए बासल II के अनुसार न्यूनतम पूँजी।

ख. ऋण व बाजार संबंधी जोखिमों के लिए बासल I के अनुसार न्यूनतम 80% पूँजी।

बासल I मानक के अनुसार यथा 31.03.2010 को बैंक द्वारा रखरखाव किये जाने के लिए अपेक्षित 80% पूँजी आवश्यकता रु12756.93 करोड या बासल II मानक के अनुसार रु13556.10 करोड है - दोनों में से जो भी अधिक है।

तथापि, बैंक द्वारा यथा 31.03.2010 को रखरखाव की गयी वास्तविक पूँजी (टायर I व टायर II) रु20232.58 करोड़ है, जो विवेकसम्मत न्यूनतम सहमति सीमा से अधिक है।

## ECONOMIC VALUE OF EQUITY

	31.03.2010	31.03.2009
For a 200 bps rate shock, the drop in equity value	19.27%	18.63%

### Prudential Floor limit for minimum capital requirement:

The guidelines for implementation of the New Capital Adequacy framework issued by RBL, stipulates higher of the following amounts as minimum capital required to be maintained by the Bank as on 31.03.2010.

- a. Minimum capital as per Basel II norms for Credit, Market and Operational risks.
- b. 80% of Minimum capital as per Basel I norms for Credit and Market risks.

The minimum capital required to be maintained by the Bank as on 31-03-2010 is 80% of the capital requirement under Basel I Norms i.e. Rs.12756.93 Crore or capital requirement as per Basel II Norms i.e. Rs.13556.10 crore, whichever is higher.

However, the actual capital (Tier I and Tier II) maintained by the Bank as on 31-03-2010 is Rs. 20232.58 crore which is above the prudential floor limit.

**यथा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण**  
**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

(₹ Rs '000)

	31.03.2010	31.03.2009
<b>I) परिचालन गतिविधियाँ / OPERATING ACTIVITIES</b>		
प्राप्त व्याज व कमीशन / INTEREST & COMMISSION RECEIVED	204,927,136	178,281,676
प्राप्त व्याज व कमीशन / INTEREST & COMMISSION PAID	(124,638,122)	(120,160,372)
अन्य राजस्व / OTHER REVENUES	2,599,314	9,590,690
सामान्य व प्रशासनिक व्यय / GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES	(33,184,107)	(28,856,346)
आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन लागू करने से पहले परिचालन आस्तियों से निवल नकद प्रवाह		
<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS PRIOR TO THE EFFECT OF CHANGES IN ASSETS AND LIABILITIES</b>	<b>49,704,221</b>	<b>38,855,648</b>
<b>II) परिचालन आस्तियों में निवल (वृद्धि) / कमी / NET (INCREASE) / DECREASE IN OPERATING ASSETS</b>		
ग्राहकों को दी गई निधियाँ / FUNDS ADVANCED TO CUSTOMERS	(324,713,942)	(318,821,921)
निवेश / INVESTMENTS	(106,743,040)	(76,980,534)
अन्य परिचालन आस्तियाँ / OTHER OPERATING ASSETS	10,562,443	(13,656,350)
	<b>(420,894,539)</b>	<b>(409,458,805)</b>
<b>III) परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि/ (कमी)</b>		
<b>NET INCREASE / (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES</b>		
ग्राहकों से जमाराशियाँ / DEPOSITS FROM CUSTOMERS	477,589,359	328,200,851
बैंकतथा क्रितीय संस्थाओं से उधार / BORROWINGS FROM BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS	(55,603,925)	45,393,799
अन्य परिचालन देयताएं / OTHER OPERATING LIABILITIES	6,524,316	(7,667,562)
	<b>428,509,750</b>	<b>365,927,088</b>
कराधान से पहले परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE TAXATION</b>	<b>7,615,211</b>	<b>(43,531,717)</b>
प्रदत्त कर / TAXES PAID	10,549,103	5,224,189
<b>परिचालन क्रियाकलाप से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>(2,933,892)</b>	<b>(48,755,906)</b>
<b>IV) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह / INVESTING ACTIVITIES</b>		
स्थिर आस्तियों की खरीद / (PURCHASE) OF FIXED ASSETS	(1,177,457)	(2,221,018)
अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश / INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES	(587,486)	-
अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		
DIVIDEND RECEIVED FROM SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES	96,341	-
<b>निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>	<b>(1,668,602)</b>	<b>(2,221,018)</b>

<b>V) वित्तीयन क्रियाकालप / FINANCING ACTIVITIES</b>			
सरकार को पूँजी की वापसी / RETURN OF CAPITAL TO GOVERNMENT	-	-	-
प्राप्त शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM RECEIVED	-	-	-
प्रदत्त लाभांश / DIVIDEND PAID	(3,833,655)	(3,840,000)	
गैण ऋण / SUBORDINATED DEBTS	(6,655,377)	8,290,807	
टायर II बाण्डों पर प्रदत्त व्याज / INTEREST PAID ON TIER II BONDS	(4,678,416)	(4,512,100)	
विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES	-	-	
<b>वित्तीयन क्रियाकलापों से नकद / CASH FROM FINANCING ACTIVITIES</b>	<b>(15,167,448)</b>	<b>(61,293)</b>	
 <b>नकद व नकद के समतुल्यों में वृद्धि / INCREASE IN CASH &amp; CASH EQUIVALENTS</b>	 <b>29,934,280</b>	 <b>(12,182,569)</b>	
<b>वर्ष के आरंभ में नकदी व नकद के समतुल्य</b>			
<b>CASH &amp; CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>	<b>166,597,820</b>	<b>178,780,389</b>	
<b>वर्ष के अंत में नकदी व नकद के समतुल्य</b>			
<b>CASH &amp; CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>	<b>196,532,100</b>	<b>166,597,820</b>	

एन सेल्वराजन सहायक महा प्रबंधक	के माणिकम उप महा प्रबंधक	डॉ एस आनंदमृति महा प्रबंधक	एच एस उपेन्द्र कामत कार्यपालक निदेशक
जगदीश पै के एल कार्यपालक निदेशक	ए सी महाजन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	डॉ के पी कृष्णन निदेशक	वाणी जे शर्मा निदेशक
देवेन्द्र दास रस्तगी निदेशक	सुनील गुप्ता निदेशक	डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी निदेशक	एस शब्दीर पाशा निदेशक
पी वी मय्या निदेशक			

बैंगलूरु  
अप्रैल 28,2010

<b>N SELVARAJAN</b> Assistant General Manger	<b>K MANICKAM</b> Deputy General Manager	<b>D S ANANDAMURTHY</b> General Manager	<b>H S UPENDRA KAMATH</b> Executive Director
<b>JAGDISH PAI K L</b> Executive Director	<b>A C MAHAJAN</b> Chairman & Managing Director	<b>Dr. K P KRISHNAN</b> Director	<b>VANI J SHARMA</b> Director
<b>DEVENDER DASS RUSTAGI</b> Director	<b>SUNIL GUPTA</b> Director	<b>Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI</b> Director	<b>S SHABBEER PASHA</b> Director
<b>P V MAIYA</b> Director			

BANGALORE  
APRIL 28, 2010



समेकित  
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा  
तथा नकद प्रवाह विवरण

2009-2010

CONSOLIDATED  
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT  
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

## समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

### निदेशक मंडल केनरा बैंक

हमने केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (**समूह**) के यथा 31 मार्च 2010 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ जोड़े गये उस तारीख को समाप्त वर्ष की समेकित लाभ व हानि लेखा और समेकित नकद प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है।

ये वित्तीय विवरण **समूह** के प्रबंधन का दायित्व है और उन्हें अलग वित्तीय विवरणों और घटकों से संबंधित अन्य वित्त सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। हमारी लेखा परीक्षा आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। इन मानकों की अपेक्षा यह है कि हम इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजना तैयार करके लेखा परीक्षा आयोजित करें कि ये वित्तीय विवरण विषयपरक गलत वक्तव्यों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में निहित राशियों और प्रकटनों को समर्थक साक्ष्य, परीक्षण के तौर पर परखना शामिल होता है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मंतव्य का उचित आधार उपलब्ध कराती है।

हमने 7 अनुषंगियों और 5 सहयोगियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2010 को 18218.67 करोड़ रु की कुल आस्तियाँ, 1535.96 करोड़ रु के कुल राजस्वों और तब समाप्त वर्ष के लिए 18.75 करोड़ रु के निवल नकद प्रवाह प्रतिविवित करते हैं। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्त सूचना की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत किये गये हैं और अन्य निकायों के मामले में शामिल की गई राशियों से जहाँ तक संबंध है हमारा विचार है कि वे अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर नितांत निर्भर हैं।

हमने संयुक्त उद्यम निकाय के अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है, जिनके वित्तीय विवरणों ने यथा 31 मार्च 2010 को 316.24 करोड़ रुकी कुल आस्तियाँ, 25.39 करोड़ रुके कुल राजस्व और तब समाप्त वर्ष के लिए 16.39 करोड़ रु के निवल नकद प्रवाह प्रतिविवित करते हैं।

## AUDITORS' REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

**The Board of Directors**  
**Canara Bank**

We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates, and Joint Venture (**the Group**) as at 31st March 2010, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto.

These financial statements are the responsibility of the management of **the Group** and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We did not audit the financial statements of 7 Subsidiaries and 5 Associates whose financial statements reflect total assets of Rs.18218.67 crore as at 31st March 2010, total revenues of Rs.1535.96 crore and net cash flows of Rs.18.75 crore for the year then ended. These financial statements and other financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of other entities, are based solely on the report of the other auditors.

We have also relied on the un-audited financial statements of the joint venture entity, whose financial statements reflect total assets of Rs.316.24 crore as at 31st March 2010, total revenues of Rs.25.39 crore and net cash flows of Rs.(16.39) crore for the year then ended.

हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21, "समेकित वित्त विवरण", लेखा मानक (ले मा) 23, "समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेशों का लेखा" और लेखा मानक (ले मा) 27, "संयुक्त उद्यमों में हितों का वित्त रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किये गये हैं।

केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण व्यष्टि लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करके लेखा नीतियों व लेखा टिप्पणियों के साथ पठित, हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुस्त्रिय निम्नों का सही और उचित आभास देते हैं:

- i. यथा 31 मार्च 2010 **समूह** के व्यवहारों का समेकित तुलन पत्र;
- ii. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **समूह** के समेकित लाभ का समेकित लाभ हानि लेखा; और
- iii. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **समूह** के नकद प्रवाह का समेकित नकद प्रवाह विवरण।

**कृते एम आनंदम & कं.**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.000125एस

ए वी सदाशिव  
साझेदार  
सदस्यता सं.18404

**कृते एस भंडारी & कं.**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.000560सी

एस सी मेहता  
साझेदार  
सदस्यता सं.13344

**कृते आर के कुमार & कं.**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.001595एस

बी आर अशोक  
साझेदार  
सदस्यता सं.023313

बैंगलूरु  
मई 24, 2010

**कृते एन शंकरन & कं.**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.003590एस

एल पद्मगिरामन  
साझेदार  
सदस्यता सं.22023

**कृते मनुभाई & कं.**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.106041डब्ल्यू

हितेश एम पोमल  
साझेदार  
सदस्यता सं.106137

**कृते नंदी हल्दर व गांगुली**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.302017ई

अरुप हल्दर  
साझेदार  
सदस्यता सं.7144

We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the management of the Group in accordance with the requirements of the Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.

On the basis of the information and explanations given to us and on the consideration of the audit reports on individual audited financial statements of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates and Joint Venture, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of **the Group** as at 31st March, 2010;
- (ii) In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the consolidated Profit of **the Group** for the year ended on that date; and
- (iii) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of **the Group** for the year ended on that date.

**For M Anandam & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.000125

**A V Sadasiva**  
Partner  
Membership No.18404

**For S Bhandari & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.000560C

**S C Mehta**  
Partner  
Membership No.013344

**For R K Kumar & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.001595S

**B R Ashok**  
Partner  
Membership No.023313

**For N Sankaran & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.003590S

**L Pattabhiraman**  
Partner  
Membership No. 22023

**For Manubhai & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.106041W

**Hitesh M Pomial**  
Partner  
Membership No. 106137

**For Nandy Halder & Ganguli**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.302017E

**Arup Halder**  
Partner  
Membership No.7144

Bangalore  
May 24, 2010

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र  
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹/Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹/Rs. '000)
<b>पूँजी और देयताएं/CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
पूँजी / CAPITAL	1	410,00,00	410,00,00
आरक्षितयाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	14612,37,68	12171,10,72
गौण व्याज / MINORITY INTEREST	2A	136,36,49	181,57,07
जमा/DEPOSITS	3	234517,77,48	186756,46,67
उधार / BORROWINGS	4	8473,78,33	13965,19,22
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	8374,37,20	6968,10,83
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>266524,67,18</b>	<b>220452,44,51</b>
<b>आस्तियाँ/ ASSETS</b>			
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष			
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	15732,59,07	10047,01,19
बैंकों में शेष और माँग तथा अत्य सूचना पर धन			
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	3990,33,77	6680,12,61
निवेश / INVESTMENTS	8	71120,47,61	58425,40,30
अग्रिम / LOANS AND ADVANCES	9	169463,86,16	138360,52,59
स्थिर आस्तियाँ/ FIXED ASSETS	10	2931,58,54	2998,28,66
अन्य आस्तियाँ/ OTHER ASSETS	11	3285,82,03	3941,09,16
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>266524,67,18</b>	<b>220452,44,51</b>
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	124344,55,22	151812,07,97
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18	7491,57,53	10522,22,53
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/ NOTES ON ACCOUNTS	19		

एन सेल्वराजन  
सहायक महा प्रबंधक

के माणिकम  
उप महा प्रबंधक

डी एस आनंदमूर्ति  
महा प्रबंधक

एच एस उपेन्द्र कामत  
कार्यपालक निदेशक

जगदीश पै के एल  
कार्यपालक निदेशक

ए सी महाजन  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

वाणी जे शर्मा  
निदेशक

देवेन्द्र दास रुस्तगी  
निदेशक

सुनील गुप्ता  
निदेशक

डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी  
निदेशक

एस शब्दीर पाशा  
निदेशक

पंकज गोपाल जी ठक्कर  
निदेशक

पी वी मय्या  
निदेशक

कृते एम आनंदम एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते एन शंकरन एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते मनुभाई एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते आर के कुमार एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते नन्दी हलदर एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

ए वी सदाशिव  
साझेदार

एल पट्टमिरामन  
साझेदार

एस सी मेहता  
साझेदार

हीतेश एम पोमल  
साझेदार

बी आर अशोक  
साझेदार

अरम हलदर  
साझेदार

बैंगलूर  
मई 24,2010

समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता

**CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹/Rs. '000)	यथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009 (₹/Rs. '000)
<b>I. आय / I. INCOME</b>			
अर्जित व्याज / INTEREST EARNED	13	18755,84,03	17128,56,25
अन्य आय / OTHER INCOME	14	2932,05,31	2352,95,96
<b>जोड़ / TOTAL</b>		<b>21687,89,34</b>	<b>19481,52,21</b>
<b>II. व्यय / II. EXPENDITURE</b>			
व्यय किया गया व्याज / INTEREST EXPENDED	15	13080,79,88	12417,96,28
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	3726,40,87	3260,50,15
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		2066,72,56	1910,64,35
PROVISIONS AND CONTINGENCIES		<b>18873,93,31</b>	<b>17589,10,78</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>		74,98,58	48,43,97
सहबद्धों की आय में शेयर / SHARE OF EARNING IN ASSOCIATES		2888,94,61	1940,85,40
गौण व्याज घटाने से पहले वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ / CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES INTEREST		(110,75,62)	(101,15,12)
घटाएः: गौण व्याज / LESS: MINORITY INTEREST			
समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ / CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		<b>2999,70,23</b>	<b>2042,00,52</b>
<b>III. विनियोजन / III. APPROPRIATIONS</b>			
को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षिती / STATUTORY RESERVE		760,07,50	520,08,50
पैंजी आरक्षिति / CAPITAL RESERVE		70,55,76	588,64,00
निवेश आरक्षिति / INVESTMENT RESERVE		145,78,76	
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		410,00,00	328,00,00
लाभांश कर / DIVIDEND TAX		71,24,50	55,89,62
समेकित तुलन पत्र तक आगे ले जाया गया शेष / BALANCE CARRIED OVER TO CONSOLIDATED BALANCE SHEET		1542,03,71	549,38,40
<b>जोड़ / Total</b>		<b>2999,70,23</b>	<b>2042,00,52</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (आधार व तरलित) (रु में) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (IN RS.)		73.16	49.80

N SELVARAJAN  
Assistant General Manager

K MANICKAM  
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY  
General Manager

H S UPENDRA KAMATH  
Executive Director

JAGDISH PAI K L  
Executive Director

A C MAHAJAN  
Chairman & Managing Director

VANI J SHARMA  
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI  
Director

SUNIL GUPTA  
Director

Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI  
Director

S SHABBEER PASHA  
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER  
Director

P V MAIYA  
Director

SUNIL GUPTA  
Director

Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI  
Director

**AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE**

For M ANANDAM & Co.  
Chartered Accountants

For N SANKARAN & Co.  
Chartered Accountants

For S BHANDARI & Co.  
Chartered Accountants

For MANUBHAI & Co.  
Chartered Accountants

For R K KUMAR & Co.  
Chartered Accountants

For NANDY HALDER & GANGULI  
Chartered Accountants

A V SADASIVA  
Partner

L PATTABHIRAMAN  
Partner

S C MEHTA  
Partner

HITESH M POMAL  
Partner

B R ASHOK  
Partner

ARUP HALDER  
Partner

BANGALORE  
MAY 24,2010

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 1- पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL</b> प्राधिकृत पूँजी / AUTHORISED CAPITAL (चालू वर्ष में प्रति शेयर ₹10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर, पिछले वर्ष में प्रति शेयर ₹10/- के 150,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (300,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH IN CURRENT YEAR, 150,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH IN PREVIOUS YEAR) निर्गमित, अभिदृत और प्रदत्त ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP: i) केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रति शेयर ₹. 10/- के 30,00,00,000 ईक्विटी शेयर ii) 30,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS 10/- EACH HELD BY CENTRAL GOVERNMENT iii) अन्यों द्वारा धारित प्रति शेयर ₹ 10/- के 11,00,00,000 ईक्विटी शेयर iv) 11,00,00,000 EQUITY SHARES OF RS.10/- EACH HELD BY OTHERS	3000,00,00	3000,00,00
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>410,00,00</b>	<b>410,00,00</b>
<b>अनुसूची 2- आरक्षितियाँ तथा अधिशेष</b> <b>SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS</b>		
I. सांविधिक आरक्षितियाँ / STATUTORY RESERVE पूँजी आरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVES समेकन पर पूँजी अरक्षितियाँ / CAPITAL RESERVES ON CONSOLIDATION शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM अन्य आरक्षितियाँ / OTHERS RESERVES विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिति / FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति / REVALUATION RESERVE निवेश आरक्षिति / INVESTMENT RESERVE विशेष आरक्षिति / SPECIAL RESERVE आयकर अधिनियम 1961 की धान 36 (1) (viii) के सबध में (IN TERMS OF SEC 36 (1) (VIII) OF THE INCOME TAX ACT 1961) राजस्व व अन्य आरक्षिति / REVENUE AND OTHER RESERVES	4121,21,00 1175,43,47 1,76,04 277,13,51 12,71,95 2131,40,26 147,22,08 1400,00,00 3691,34,29 5345,49,37 14612,37,68	3356,21,00 1104,78,94 1,76,04 275,00,00 55,30,77 2159,74,48 (1,93,34) 700,00,00 2913,11,91 4520,22,83 <b>12171,10,72</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>		
<b>अनुसूची 2क- गौण ब्याज</b> <b>SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST</b> उस दिन का गौण ब्याज जब मूल-अनुषंगी संबंध अस्तित्व में आया MINORITY INTEREST AT THE DATE ON WHICH THE PARENT SUBSIDIARY RELATIONSHIP CAME INTO EXISTENCE उत्तरवर्ती वृद्धि / (कमी) SUBSEQUENT INCREASE/(DECREASE) तुलन पत्र की तिथि को गौण ब्याज MINORITY INTEREST ON THE DATE OF BALANCE SHEET	110,15,12 26,21,37 <b>136,36,49</b>	110,15,12 71,41,95 <b>181,57,07</b>

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 3- जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>		
<b>क. I. माँग जमा / A.I. DEMAND DEPOSITS</b>		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	540,93,80	70,54,33
ii. अन्य से / ii. FROM OTHERS	17710,68,11	14277,65,94
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>18251,61,91</b>	<b>14348,20,27</b>
<b>II. बचत बैंक जमा / II. SAVINGS BANK DEPOSITS</b>		
बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	49875,42,14	41810,93,91
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>49875,42,14</b>	<b>41810,93,91</b>
<b>III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS</b>		
i. बैंकों से / i. FROM BANKS	5800,28,66	3607,35,32
ii. अन्य से / ii. FROM OTHERS	160590,44,77	126989,97,17
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>166390,73,43</b>	<b>130597,32,49</b>
<b>जोड़ (I, II और III) TOTAL (I, II and III)</b>	<b>234517,77,48</b>	<b>186756,46,67</b>
<b>ख./B. i. भारत में जमा / i. DEPOSITS IN INDIA</b>		
ii. भारत के बाहर / ii. DEPOSITS OUTSIDE INDIA	228302,72,45	182980,63,04
<b>जोड़ (I और II) / TOTAL (I AND II)</b>	<b>6215,05,03</b>	<b>3775,83,63</b>
<b>234517,77,48</b>	<b>234517,77,48</b>	<b>186756,46,67</b>
<b>अनुसूची 4- उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS</b>		
<b>I. भारत में उधार / I. BORROWINGS IN INDIA</b>		
i. भारतीय रिजर्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	--	3930,00,00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	--	--
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	666,14,41	2986,87,85
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बौण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और अधीनस्थ ऋण / IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	6278,80,00	5678,80,00
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>6944,94,41</b>	<b>12595,67,85</b>
<b>II. भारत से बाहर उधार / II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	408,20,92	103,97,60
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बौण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (अधीनस्थ ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	1120,63,00	1265,53,77
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>1528,83,92</b>	<b>1369,51,37</b>
<b>जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)</b>	<b>8473,78,33</b>	<b>13965,19,22</b>
प्रतिभूत उधार उक्त (I) और (II) में सम्मिलित SECURED BORROWINGS INCLUDED IN (I) AND (II) ABOVE	NIL	NIL

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>		
I. देय बिल / I. BILLS PAYABLE	1171,80,87	1277,28,15
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / II. INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	67,73,33	33,02,97
III. उपचित ब्याज / III. INTEREST ACCRUED	66,19,21	74,39,18
IV. आस्थगित कर देयताएं (निवल) / IV. DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	26,81,18	43,99,50
V. अन्य (प्रावधान सहित) / V. OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	7041,82,61	5539,41,03
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>8374,37,20</b>	<b>6968,10,83</b>
<b>अनुसूची 6-भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष / SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
I. उपलब्ध नकद / I. CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा करेंसी नोट के साथ / INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	630,72,48	503,41,50
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष / II. BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
i. चालू खाते में / i. IN CURRENT ACCOUNT	15101,86,59	9543,59,69
ii. अन्य खातों में / ii. IN OTHER ACCOUNTS	--	--
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>15101,86,59</b>	<b>9543,59,69</b>
<b>जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)</b>	<b>15732,59,07</b>	<b>10047,01,19</b>
<b>अनुसूची 7- बैंक में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर धन</b> <b>SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE</b>		
<b>I. भारत में / I. IN INDIA</b>		
i. बैंकों में शेष / i. BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खाते में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	439,96,14	255,63,84
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	123,99,01	92,67,34
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>563,95,15</b>	<b>348,31,18</b>
ii. माँग और अल्प सूचना पर धन / ii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	600,00,00	200,00,00
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	350,00,00	--
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>950,00,00</b>	<b>200,00,00</b>
<b>जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)</b>	<b>1513,95,15</b>	<b>548,31,18</b>
<b>II. भारत से बाहर / II. OUTSIDE INDIA</b>		
i. चालू खाते में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	230,03,59	3535,72,18
ii. अन्य जमा खातों में / ii. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	2245,12,72	2595,01,92
iii. माँग और अल्प सूचना पर धन / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	1,22,31	1,07,32
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>2476,38,62</b>	<b>6131,81,42</b>
<b>जोड़ (I और II) TOTAL (I AND II)</b>	<b>3990,33,77</b>	<b>6680,12,61</b>

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 8- निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS</b>		
I भारत में निवेश / INVESTMENTS IN INDIA IN		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES	64100,23,06	51158,52,02
ii. अनुमोदित अन्य प्रतिभूतियाँ / OTHER APPROVED SECURITIES	349,77,15	488,41,11
iii. शेयर / SHARES	1185,03,11	962,62,25
iv. डिबेंचर्स और बाण्ड / DEBENTURES AND BONDS	2069,52,73	2202,86,89
v. सहबद्धों में निवेश / INVESTMENT IN ASSOCIATES	501,98,30	429,83,13
vi. अन्य / OTHERS	2325,66,13	2499,93,83
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>70532,20,48</b>	<b>57742,19,23</b>
II भारत से बाहर निवेश / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA IN		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / GOVERNMENT SECURITIES (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	32,71,59	29,77,06
ii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	555,55,54	653,44,01
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>588,27,13</b>	<b>683,21,07</b>
<b>महा जोड़ (I और II) GRAND TOTAL (I AND II)</b>	<b>71120,47,61</b>	<b>58425,40,30</b>
III भारत में निवेश / INVESTMENTS IN INDIA		
i. निवेश का सकल मूल्य / GROSS VALUE OF INVESTMENTS	<b>70660,27,27</b>	<b>58117,82,27</b>
ii. मूल्यहास के लिए प्रावधान / AGGREGATE OF PROVISIONS FOR DEPRECIATION	128,06,79	375,63,04
iii. निवल निवेश / NET INVESTMENT	<b>70532,20,48</b>	<b>57742,19,23</b>
IV भारत से बाहर निवेश / INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i. निवेश का सकल मूल्य / GROSS VALUE OF INVESTMENTS	697,16,66	865,97,25
ii. मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान / AGGREGATE OF PROVISIONS FOR DEPRECIATION	108,89,53	182,76,18
iii. निवल निवेश / NET INVESTMENT	<b>588,27,13</b>	<b>683,21,07</b>

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 9- अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>		
क. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल / A. i. BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	7213,96,42	6895,39,52
ii. नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और माँग के प्रति देय उधार / ii. CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	79109,82,94	63659,90,84
iii. सावधि ऋण / iii. TERM LOANS	83140,06,80	67805,22,23
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>169463,86,16</b>	<b>138360,52,59</b>
ख. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ( / बही ऋणों के प्रति अग्रिम शामिल हैं ) / B. i. SECURED BY TANGIBLE ASSETS ( / INCLUDES ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	104673,75,56	99784,36,62
ii. बैंक/ सरकारी गारंटीयों द्वारा प्रावरित / ii. COVERED BY BANK/ GOVT. GUARANTEES	7908,89,67	5427,48,98
iii. अप्रतिभूत / iii. UNSECURED	56881,20,93	33148,66,98
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>169463,86,16</b>	<b>138360,52,59</b>
<b>ग. I. भारत में अग्रिम / C.I. ADVANCES IN INDIA</b>		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / i. PRIORITY SECTOR	56690,92,90	45991,11,63
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / ii. PUBLIC SECTOR	18462,48,18	20251,75,77
iii. बैंक / iii. BANKS	3014,04,66	38,39,74
iv. अन्य / iv. OTHERS	84330,77,84	68580,44,65
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>162498,23,58</b>	<b>134861,71,79</b>
<b>II. भारत से बाहर अग्रिम / II. ADVANCES OUTSIDE INDIA</b>		
i. खरीदे तथा भुनाए गये बिल / i. BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	233,57,34	182,50,98
ii. समूहन ऋण / ii. SYNDICATED LOANS	2661,74,97	2239,65,38
iii. अन्य / iii. OTHERS	4070,30,27	1076,64,44
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>6965,62,58</b>	<b>3498,80,80</b>
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>169463,86,16</b>	<b>138360,52,59</b>

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>स्थिरआस्तियाँ SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS</b>		
I परिसर / PREMISES		
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत के अनुसार / AT COST AS ON 31ST MARCH OF THE PRECEDING YEAR	2832,98,37	2794,37,55
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	19,36,81	38,71,68
	2852,35,18	2833,09,23
वर्ष के दौरान कटौतियाँ /DEDUCTIONS DURING THE YEAR	38,58,16	10,86
	2813,77,02	2832,98,37
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	289,87,56	282,75,94
	2523,89,46	2550,22,43
IA क. निर्माणधीन परिसर / PREMISES UNDER CONSTRUCTION	--	--
II अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार सहित) / OTHER FIXED ASSETS (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
(पिछले वर्ष के 31 मार्च को) लागत के अनुसार/AT COST (AS ON 31ST MARCH OF THE PRECEDING YEAR)	1607,62,69	1399,68,91
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	122,30,04	246,54,10
	1729,92,73	1646,23,01
वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	46,51,86	38,60,31
	1683,40,87	1607,62,69
अद्यतन मूल्यहास DEPRECIATION TO DATE	1294,58,14	1168,55,78
	388,82,73	439,06,91
II/A पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत के अनुसार / AT COST AS ON 31ST MARCH OF THE PRECEDING YEAR	109,99,35	109,99,35
वर्ष के दौरान समायोजन सहित परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR INCLUDING ADJUSTMENTS	--	--
	109,99,35	109,99,35
वर्ष के दौरान प्रावधानों सहित कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR INCLUDING PROVISIONS	--	--
	109,99,35	109,99,35
अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	97,63,86	95,79,44
	12,35,49	14,19,91
घटाएः-पट्टादायी अंतिम समायोजन / LESS:- LEASE TERMINAL ADJUSTMENT	10,16,49	12,00,91
	2,19,00	2,19,00
III. पूँजी कार्य प्रगति में / III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	16,67,35	6,80,32
जोड़ (I, IA, II, IIa और III) / TOTAL (I, IA, II, IIa AND III)	2931,58,54	2998,28,66

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2010

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2010 As at 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31 मार्च 2009 As at 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>		
I. उपचित व्याज / I. INTEREST ACCURED	974,37,15	1015,02,15
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल)		
II. TAX PAID IN ADVANCE/ TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	429,40,88	176,09,83
III. लेखन सामग्री व रस्ट्रैम्स / III. STATIONERY AND STAMPS	7,12,72	3,58,35
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ		
IV. NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	33,09	33,09
V. अन्य / V. OTHERS	1874,58,19	2746,05,74
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>3285,82,03</b>	<b>3941,09,16</b>
<b>अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं</b>		
<b>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	669,97,55	653,07,51
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयता	--	--
II. LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	86670,13,77	113058,69,00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ /IV. GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	22945,03,59	22826,47,06
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	27,72,54	31,18,21
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	22972,76,13	22857,65,27
V. ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		
VI. अन्य मद्दें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	13716,07,08	14953,53,43
VI. OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	315,60,69	289,12,76
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>124344,55,22</b>	<b>151812,07,97</b>

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

विवरण Particulars	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 13- अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / बट्टे / I. INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES/BILLS	13931,70,94	12780,25,26
II. निवेशों पर आय / II. INCOME ON INVESTMENTS	4594,61,09	4126,29,11
III. भारतीय रिजर्व बैंक में शेषराशि और अंतर बैंक निधियों पर ब्याज / III. INTEREST ON BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA AND OTHER INTER BANK FUNDS	210,86,91	210,30,62
IV. अन्य / IV. OTHERS	18,65,09	11,71,25
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>18755,84,03</b>	<b>17128,56,25</b>
<b>अनुसूची 14- अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली / I. COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	813,19,31	722,86,50
II. भूमि/ भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) / II. PROFIT ON SALE OF LAND/ BUILDINGS AND OTHER ASSETS (NET)	3,42,62	79,44
III. विनिमय लेन-देन पर लाभ- (निवल) / III. PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS (NET)	215,74,73	173,71,33
IV. निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल)/ IV. PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS (NET)	877,76,73	677,67,49
V. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / V. PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	(142,92,67)	(115,89,08)
VI. लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय / VI. INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC.	98,34,63	39,35,20
VII. विविध आय / VII. MISCELLANEOUS INCOME	1066,49,96	854,45,08
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>2932,05,31</b>	<b>2352,95,96</b>
<b>अनुसूची 15- व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमा पर ब्याज / I. INTEREST ON DEPOSITS	12272,25,72	11446,79,35
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज / II. INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	173,13,51	393,08,69
III. अन्य / III. OTHERS	635,40,65	578,08,24
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>13080,79,88</b>	<b>12417,96,28</b>

यथा 31 मार्च 2010 को समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ

**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

विवरण Particulars	यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹ /Rs. '000)	यथा 31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2009 (₹ /Rs. '000)
<b>अनुसूची 16- परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / PAYMENTS TO AND PROVISION FOR EMPLOYEES	2282,49,31	1972,26,36
II. किराया, कर, रोशनी / II. RENT, TAXES, LIGHTING	349,25,19	324,78,07
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / III. PRINTING AND STATIONERY	40,58,39	35,62,15
IV. विज्ञापन व प्रचार / IV. ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	49,42,15	38,94,87
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / V. DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण के बाद का निवल) (NET OF TRANSFER FROM REVALUATION RESERVE)	180,68,41	189,76,39
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय / VI. DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	98,95	91,09
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	29,09,05	23,31,57
VIII. विधि प्रभार / VIII. LAW CHARGES	23,59,60	19,11,29
IX. डाक, तार टेलिफोन आदि / IX. POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	32,38,50	32,22,26
X. मरम्मत और अनुरक्षण / X. REPAIRS AND MAINTENANCE	149,20,66	93,73,46
XI. बीमा / XI. INSURANCE	190,20,15	157,83,98
XII. अन्य व्यय / XII. OTHER EXPENDITURE	398,50,51	371,98,67
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>3726,40,87</b>	<b>3260,50,15</b>
<b>अनुसूची 17- आय का शेयर / सहबद्वां में हानि</b>		
<b>SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / LOSS IN ASSOCIATES</b>		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / I. CANFIN HOMES LTD	16,58,12	5,95,12
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इण्डिया लिमिटेड / II. COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD	--	--
III. केयर लिमिटेड / III. C A R E LTD	20,60,20	13,33,09
IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / IV. REGIONAL RURAL BANKS		
क) प्रगति बैंक / a. PRAGATHI GRAMIN BANK	19,23,42	12,59,31
ख) साउथ मलबार ग्रामीण बैंक / b. SOUTH MALABAR GRAMIN BANK	5,16,97	9,96,98
ग) श्रेयस ग्रामीण बैंक / c. SHREYAS GRAMIN BANK	13,39,87	37,80,26
<b>जोड़ / TOTAL</b>	<b>74,98,58</b>	<b>6,59,47</b>
		<b>29,15,76</b>
		<b>48,43,97</b>

## अनुसूची-18

### यथा 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

#### 1. लेखा तैयार करने का आधार

लेखा ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर संबंधित सांविधिक/नियामक अपेक्षाओं, लेखा मानकों और साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्षों के अनुसर है।

#### 2. समेकन प्रक्रिया

2.1 केनरा बैंक, उसकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं और संयुक्त उद्यम (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 21- "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुरूप प तैयार किये गये हैं। बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक साथ जोड़कर अंतरासामूहिक लेन देनों और उगाहे नहीं गये लाभ/हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़े गये। अनुषंगियों के वित्त विवरण प्रधान संस्था की रिपोर्टिंग तारीख को ही तैयार किये गये हैं।

2.2 अनुषंगी निकायों (सम्पूर्ण स्वामित्व वाले निकायों को छोड़कर) में उसके निवेशों के साथ प्रधान संस्था की लागत और अधिग्रहण तारीख के परिप्रेक्ष्य में ऐसी अनुषंगियों में इक्विटी के प्रधान के अंश के बीच के अंतर को साख/यूंजी आरक्षिति के रूप में मान्यता दी गई। अनुषंगियों के अधिग्रहणोंतर लाभ/हानि में प्रधान के हिस्से को राजस्व आरक्षिति में समायोजित किया गया है।

2.3 अनुषंगियों के परिचालनों के निवल परिणामों और अस्तियों में गौण हित प्रधान के स्वामित्व में नहीं रहने वाले लाभ/हानि और निवल आस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.4 संयुक्त उद्यम निकाय के मामले में समनुपातिक समेकन पद्धति में परिकलित बैंक के हित को आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये ले मा 27 "संयुक्त उद्यमों में हित की रिपोर्टिंग" के अनुसार समूह से संबंध रखने तक अंतरासमूह शेषों/लेन देनों को हटाने के बाद पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़ा गया है।

## SCHEDULE-18

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

#### 1. Basis of Preparation of Accounts

The accounts are prepared under the Historical cost convention and conform in all material respects to the related statutory/regulatory requirements, Accounting standards and generally accepted accounting principles and prevailing practices, except as otherwise stated.

#### 2. Consolidation procedure

- 2.1 Consolidated financial statements of Canara Bank, its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (**the Group**) have been prepared on the basis of their financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) - 21- "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements of the bank and its subsidiaries have been combined on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / loss, and making necessary adjustments wherever practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date as that of the parent.
- 2.2 The difference between the cost to the Parent of its investment in the subsidiary entities (other than wholly owned) and the parent's portion of the equity in such subsidiaries with reference to the date of acquisition is recognized in the financial statements as Goodwill / Capital Reserve. The parent's share of post acquisition profits/losses of the subsidiaries is adjusted in revenue reserves.
- 2.3 Minority interests in the net results of operations and the net assets of the subsidiaries, represent that part of the Profit/Loss and the net assets not owned by the parent.
- 2.4 In respect of Joint Venture Entity, the share of the Bank's Interest computed under Proportionate Consolidation Method is combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra group balances/transactions to the extent it pertains to **the Group** as per AS27- "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2.5 यथा समेकन तिथि को सहबद्ध संस्थाओं में दीर्घावधि निवेश को इकिवटी पद्धति को मूल्यांकित किया गया है और निवेश की वहन राशि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा) 23 सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों का लेखा के अनुरूप सहबद्ध संस्थाओं की निवल आस्तियों में केनरा बैंक (निवेशक) में अधिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए तदुपरांत समायोजित किया गया है। सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को लाभ व हानि समेकित विवरण में अलग से दर्शाया गया है।

### 3. विदेशी मुद्रा अंतरण /विदेशी मुद्रा परिवर्तन

- 3.1 विदेशी शाखा के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, 'फेडाई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अंतरण किया जाता है और विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ को, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में लिया जाएगा और निवल प्रारक्षितियों में हानि को, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखा में लिया गया।
- 3.2 देशी शाखाओं के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और बाध्यताओं सहित विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, अंतिम हाजिर दर/संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के लिए वायदा दर पर किया जाता है।  
लेनदेनों की तरीख को विद्यमान विनिमय दरों पर आय व व्यय मदों को हिसाब में लिया गया है।  
बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के मूल्यांकन पर होनेवाले लाभ या हानि को राजस्व में लिया गया है।

### 4. व्युत्पन्न संविदाएं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर

- क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाजार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यहास की पहचान की गई है जबकि मूल्यवृद्धि की उपेक्षा की गई है।
- ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां इस प्रकार हैं
- i. बाजार के लिए अंकित की जाती है, जहां आधारभूत आस्तियां/देयताएं बाजार के लिए अंकित की गयी हैं।
  - ii. प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए आय / व्यय का उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

2.5 Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post acquisition change in the Canara Bank's (Investor) share of net assets of the Associate in accordance with Accounting Standard (AS) 23 'Accounting for Investments in Associates' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated statement of Profit & Loss.

### 3. Foreign Currency Translation /Conversion of Foreign currencies

3.1. In respect of Foreign Branches, Assets and Liabilities are translated at the closing spot rate of exchange announced by FEDAI and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average closing rate published by FEDAI, in accordance with Accounting Standard 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the guidelines of Reserve Bank of India. The resultant exchange gains, if any, are taken to Foreign Currency Translation Reserve and loss, if any, net of reserves, is taken to Profit & Loss Account.

3.2. In respect of Domestic Branches, Assets and Liabilities in foreign currency, Forward Exchange Contracts, Guarantees, Acceptances, Endorsements and Obligations are evaluated at the closing spot rate / forward rate for the residual maturity of the contract in accordance with Accounting Standard 11 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and as per the guidelines of Reserve Bank of India.

Income and Expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transactions.

The gain or loss on such evaluation of outstanding Forward Exchange Contracts is taken to Profit & Loss Account.

### 4. Derivative Contracts

Based on Reserve Bank of India guidelines

- a. Derivatives used for trading are marked to market and net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b. Derivatives used for hedging are
  - i. Marked to market in case where the underlying Assets / Liabilities are marked to market.
  - ii. Income / Expenditure is accounted on accrual basis for Hedging swaps.

## 5. निवेश

निवेशों को सांविधिक/ नियंत्रक मानकों के अनुरूप वर्गीकृत और मूल्यांकित किया गया है।

## 6. अग्रिम

फैक्टर क्रेडिट सहित अग्रिम नियंत्रक प्राधिकार द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार प्रावधानों का निवल है।

## 7. स्थिर परिसंपत्तियाँ

जहाँ पुनर्मूल्यांकन किया गया है उन्हें छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों में पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

## 8. मूल्यहास

8.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यहासित मूल्य पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर प्राकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटरों पर मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% प्रभारित करते हुए किया गया है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, पूँजी वसूली को समायोजित करने के बाद मूल्यहास मूल्य पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है। स्थिर/पट्टेदारी परिसंपत्तियों के जुड़ने पर मूल्यहास को अधिग्रहण तारीख का लिहाज किये विना पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है। विक्रय/ निष्टान के वर्ष में किसी प्रकार के मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया।

8.2 घरेलु अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर किया गया। पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक/द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी निकायों स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यहास स्थानिक कानून के अनुसार किया गया है।

## 9. राजस्व मान्यता

9.1. आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है। नियंत्रक प्राधिकार के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अनर्जक परिसंपत्तियों के मामले में आय का निर्धारण उगाही की हड तक किया गया है।

9.2 कमीशन, विनिमय, दलाली, लाभांश तथा लॉकर किराया, प्रेसेसीकरण प्रभार और अन्य सेवा प्रभारों का लेखा प्राप्ति आधार पर आय के स्तर में किया गया हैं। यताओं " के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं।

## 5. Investments

Investments are classified and valued as per applicable statutory/regulatory norms.

## 6. Advances

Advances including factored debts are net of provisions made in accordance with the prudential norms prescribed by the regulatory authorities.

## 7. Fixed Assets

Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except wherever revalued. Fixed assets include assets given on lease.

## 8. Depreciation

8.1 Fixed Assets of the Parent excluding computer are depreciated under Written Down Value method as per the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets. As per the guidelines of Reserve Bank of India, depreciation is charged on computer at 33.33% on straight-line method. Depreciation on Assets given on Lease is charged on Written Down Value method as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956 after adjusting Capital recovery. Depreciation on addition to fixed/leased assets is charged for the full year irrespective of the date of acquisition. No depreciation is provided in the year of sale/disposal.

8.2 Fixed assets of the domestic subsidiaries are depreciated as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 1956. In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 1956 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary/secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 Depreciation on Fixed assets of the foreign entities is charged as per the local laws.

## 9. Revenue Recognition

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis. In the case of Non-performing assets including investments, income is recognized to the extent of realization in accordance with norms prescribed by regulatory authorities.

9.2 Commission, Exchange, Brokerage, Dividends, locker rents, processing charges and other service charges are accounted for as income on receipt basis.

## 10. कर्मचारी हित

पेशन, उपदान, साधिकार छुट्टी तथा चिकित्सा अवकाश के लिये प्रावधान इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार वर्षात पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। निवल बीमांकक लाभ व हानि का परिकलन वर्ष के दौरान किया जाता है।

## 11. कराधान

न्यायिक निर्णयों और कानूनी सलाह पर विधिवत् विचार करने के बाद आय कर हेतु प्रावधान किया जाता है। अप्रावधानित विवादग्रस्त कर' आकस्मिक द

## 10. Employee Benefits

Provision for Pension, Gratuity, Privilege Leave and Sick Leave is made based on the actuarial valuation at the year-end as per the Accounting Standard -15(Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Net Actuarial gains and losses are recognized during the year.

## 11. Taxation

Provision for Income tax is made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion. Disputed taxes, not provided for are included under "Contingent Liabilities".

## अनुसूची - 19 / SCHEDULE 19

यथा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियां

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED  
31ST MARCH 2010

1. मूल लेखा के साथ समेकित किए गए अनुबंधियों के लेखा विवरण निम्नांकित हैं :

अनुषंगी का नाम	निगमित देश	स्वामित्व हित की प्रतिशतता (%)
केनबैंक वैंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	100 %
केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेज लि.	भारत	100 %
गिल्ट सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.	भारत	100 %
केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	70 %
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि.	भारत	69.14 %
केनरा रोबेको आस्टिं प्रबंधन कं. लि.	भारत	51%
केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इन्श्यूरेन्स कं. लि.	भारत	51%

1. The subsidiaries whose audited accounts have been consolidated along with the Parent are as under:

Name of the Subsidiary	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%)
Canbank Venture Capital Fund Ltd	India	100%
Canbank Financial Services Ltd	India	100%
Canara Bank Securities Ltd	India	100%
Canbank Factors Ltd	India	70%
Canbank Computer Services Ltd	India	69.14%
Canara Robeco Asset Management Company Ltd	India	51%
Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Insurance Company India Ltd	India	51%

2. ईकिवटी पद्धति के अधीन निवेश के मूल्यांकन हेतु निम्नांकित सहबद्ध संस्थाओं पर विचार किया गया :

सहबद्ध संस्थाओं के नाम	निगमिति देश	स्वामित्व हित की प्रतिशतता (%)
केनफिन होम्स लि	भारत	42.31%
साख विश्लेषण व अनुसंधान लि	भारत	23.67%
प्रगति ग्रामीण बैंक	भारत	35%
साउथ मलबार ग्रामीण बैंक	भारत	35%
श्रेयस ग्रामीण बैंक	भारत	35%

हमारे सहबद्ध कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लि जिसमें केनरा बैंक का 30% धारण है, के संबंध में ईकिवटी पद्धति नहीं अपनायी गयी क्योंकि कंपनी निष्क्रिय है और उसके वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

2. Associates considered for valuation of Investments under the Equity Method are as under:

Name of the Associates	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%)
Canfin Homes Ltd.	India	42.31%
Credit Analysis & Research Ltd	India	23.67%
Pragathi Gramin Bank	India	35%
South Malabar Gramin Bank	India	35%
Shreyas Gramin Bank	India	35%

Equity Method is not adopted in respect of Commonwealth Trust (India) Ltd, an associate, in which Canara bank has 30% holding, as the company is defunct and financial statements are not available.

3. (क) रक्स में निगमित कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित लेखों के आधार पर समनुपातिक पद्धति के अनुसार किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

(ख) एएस 27 की आवश्यकता के अनुसार भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एल एल सी, संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में साझेदारों के 40% हित के लिए आस्तियों की राशि, देयताएं, आय व व्यय निम्नवत हैं:-

3. (a) In respect of Commercial Bank of India LLC., a Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on unaudited accounts for the year ended March 31, 2010. The accounting year for the joint venture ends on December 31.

(b) As required by AS 27 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses related to the Parent's interest of 40% in Commercial Bank of India LLC, a Joint Venture entity is as under:-

(क) तुलन पत्र

विवरण	31 मार्च 2010	(रु '000)
<b>पूँजी व देयताएं</b>		
पूँजी	लागू नहीं	
आरक्षितियाँ तथा अधिशेष	9,60,14	
गैण व्याज	लागू नहीं	
जमा	8,25,62	
उधार	72,28,90	
अन्य देयताएं व प्रावधान	42,92	
<b>आस्तियाँ</b>		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद व शेष	11,49	
बैंकों में शेष तथा माँग व अत्यसूचना पर धन	36,82,70	
निवेश	62,10,57	
अग्रिम	26,58,62	
स्थिर आस्तियाँ	20,29	
अन्य आस्तियाँ	65,91	
<b>आकस्मिक देयताएं</b>	<b>2,01,33</b>	

(ख) लाभ और हानि खाता

विवरण	2009-10	(रु '000)
<b>आय</b>		
अर्जित आय	9,59,13	
अन्य आय	56,40	
<b>व्यय</b>		
व्यय किया गया व्याज	1,82,48	
परिचालन व्यय	2,74,96	
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,49,63	
<b>समेकित लाभ</b>	<b>4,08,45</b>	

4. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूँजी आरक्षितियाँ / साख का अलग विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी का नाम	पूँजी आरक्षितियाँ / (साख)	(रु करोड़ों में)
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	1.52	
गिल्ट सेक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.	0.24	
निवल पूँजी आरक्षितियाँ	1.76	

## A. Balance Sheet

Particulars	31st March 2010	(Rs. '000)
<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
Capital		NA
Reserve & Surplus		9,60,14
Minority Interest		NA
Deposits		8,25,62
Borrowings		72,28,90
Other Liabilities and Provisions		42,92
<b>Assets</b>		
Cash & Balance with RBI		11,49
Balance with banks & money at Call and Short Notice		36,82,70
Investments		62,10,57
Advances		26,58,62
Fixed Assets		20,29
Other Assets		65,91
<b>Contingent Liabilities</b>		<b>2,01,33</b>

## B. Profit & Loss Account

Particulars	2009-10	(Rs. '000)
<b>Income</b>		
Interest Earned		9,59,13
Other Income		56,40
<b>Expenditure</b>		
Interest Expended		1,82,48
Operating Expenses		2,74,96
Provision and Contingencies		1,49,63
<b>Consolidated Profits</b>		<b>4,08,45</b>

4. The breakup of Capital Reserve / Goodwill arising on the acquisition of various subsidiaries is as under:

Name of the Subsidiary	Capital Reserve/ (Goodwill)	(Rs. in Crore)
Canbank Factors Limited		1.52
Canbank Computer Services Ltd		0.24
Net Capital Reserve		1.76

## 5. अंतरशाखा लेनदेन और शेषों का पुष्टिकरण

31.03.2010 तक अंतर शाखा लेनदेनों के अधीन समाधान के उद्देश्य से केनारा बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान किया गया है। बैंक ने शेष बकाया प्रविष्टियों के समाधान, निकासी और उन्हें कम करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टिकरण किया जाना है।

## 6. स्थिर आस्तियाँ

मूल बैंक की कुछ संपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर निर्धारित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि रु 2310.91 करोड़ तथा पुनर्मूल्यांकन राशि में निवल ह्रास रु 2131.40 करोड़ है ( पिछले वर्ष रु 2159.74 करोड़ )।

## 7. कैनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना):

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनफिना पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल कीमत खर्च हो गई है वह किसी भी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीयन कंपनी में नहीं लगी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए और गैर बैंकिंग गैर वित्तीयन संस्थान में परिवर्तित करने के लिए समय को 31.01.2011 तक बढ़ा दिया है। उपक्रम को समेकन के उद्देश्य के लिये क्रियाशील इकाई के रूप में माना गया है।

8. वेतन में आशोधन के संबंध में अनुमानित देयता का प्रावधान किया गया है। पेंशन के संबंध में देयता का विचार क्रिस्टलाइजेशन पर किया जाएगा।

## 9 संबद्ध पार्टी का प्रकटन

### 9.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध-मूल-केनारा बैंक

#### क) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -

- i. श्री एसी महाजन, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- ii. श्री जगदीश पौ के एल, कार्यपालक निदेशक
- iii. श्री एच एस उपेन्द्र कामत, कार्यपालक निदेशक

## 5. Inter Branch transactions and confirmation of balances:

The initial matching of entries received at the Head Office of Canara Bank for the purpose of reconciliation under Inter-Branch transactions up to 31.03.2010 has been done. Bank is continuing its efforts to reconcile and reduce the remaining outstanding entries.

In some of the subsidiaries, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc are subject to confirmation.

## 6. Fixed Assets

Certain properties of the Parent Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of revaluation is Rs.2310.91 Crore and Net of Depreciation the revaluation amounts to Rs.2131.40 Crore (Previous Year Rs.2159.74 Crore).

## 7. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, CANFINA, a wholly owned subsidiary whose net worth is totally eroded is no longer engaged in any of the activities of a Non Banking Financial Company. Reserve Bank of India has further extended the time till 31.01.2011 to comply with their instructions to dispose off all the financial assets of CANFINA and to convert the same into Non Banking Non Financial Company or to wind up the Company. The entity is treated as a going concern for the purpose of consolidation.

8. The estimated liability in respect of salary revision has been provided. In respect of Pension, liability will be considered on crystallization.

## 9. Related Party Disclosure:

### 9.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent – Canara Bank

#### a) Key Management Personnel –

- i. Shri A. C. Mahajan, Chairman & Managing Director
- ii. Shri Jagdish Pai K.L, Executive Director
- iii. Shri H.S.Upendra Kamath, Executive Director

## ख) मूल-

- i) केनारा बैंक

## ग) अनुषंगियाँ-

- i) केनबैंक फाइनैशिल सर्विसेज लिमिटेड
- ii) केनबैंक वैचर कैपीटल फण्ड लिमिटेड
- iii) केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- iv) केनारा रोबेको आस्ति मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- vi) केनारा बैंक सिक्यूरिटीज लिमिटेड (पूर्व की गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पॉ. लिमिटेड)
- vii) केनारा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

## घ) संयुक्त उद्यम

- i) कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एल एल सी, मास्को

## ङ) सहबद्ध संस्थाएं

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड
- iii) केरय लिमिटेड
- iv) केनारा बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - क) प्रगति ग्रामीण बैंक
  - ख) साउथ मलबार ग्रामीण बैंक
  - ग) श्रेयस ग्रामीण बैंक

9.2 अ) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक रु 71,98,727\*  
(पिछला वर्ष रु 34,74,885)

\* मौजूदा और पूर्व महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन को प्रदत्त बकाया राशि सहित

## b) Parent-

- i) Canara Bank

## c) Subsidiaries –

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn.Ltd)
- vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

## d) Joint Ventures

- i) Commercial Bank of India LLC., Moscow

## e) Associates –

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Commonwealth Trust (India) Ltd.
- iii) CARE Ltd
- iv) Regional Rural Banks sponsored by the Bank
  - a) Pragati Gramin Bank
  - b) South Malabar Gramin Bank
  - c) Shreyas Gramin Bank

9.2 a) Remuneration to Key Management Personnel  
Rs.71,98,727\* (Previous Year: Rs.34,74,885)

\*including Arrears paid to Present and Ex Key Management Personnel

**9.3 अनुषंगियों, सहबद्ध तथा संयुक्त उद्यमों के साथ लेन देन निम्नवत हैं:**

[रु करोड़ में]

विवरण	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम
<b>उधार -</b>		
यथा वर्षात को बकाया	<b>शून्य</b> (शून्य)	<b>1.90</b> (11.90)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>शून्य</b> (शून्य)	<b>1.90</b> (11.90)
<b>जमाएं -</b>		
यथा वर्षात को बकाया	<b>140.33</b> (140.39)	<b>1604.07</b> (1099.27)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>143.83</b> (321.95)	<b>1604.07</b> (1115.25)
<b>जमाओं का नियोजन -</b>		
यथा वर्षात को बकाया	<b>शून्य</b> (शून्य)	<b>97.66</b> (110.32)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>शून्य</b> (शून्य)	<b>97.66</b> (110.32)
<b>अग्रिम -</b>		
यथा वर्षात को बकाया	<b>743.38</b> (482.13)	<b>2788.31</b> (969.06)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>743.38</b> (500.00)	<b>2788.31</b> (1111.27)
<b>निवेश -</b>		
यथा वर्षात को बकाया	<b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02)
<b>निधीतर आधारित प्रतिबद्धताएं -</b>		
यथा वर्षात को बकाया	<b>शून्य</b> (शून्य)	<b>शून्य</b> (शून्य)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	<b>शून्य</b> (शून्य)	<b>शून्य</b> (शून्य)
<b>स्थिर आस्ति की खरीद</b>	<b>2.99</b> (शून्य)	<b>शून्य</b> (शून्य)
<b>स्थिर आस्ति की बिक्री</b>	<b>0.04</b> (शून्य)	<b>शून्य</b> (शून्य)
<b>प्रदत्त ब्याज</b>	<b>11.62</b> (17.52)	<b>24.56</b> (49.01)
<b>प्राप्त ब्याज</b>	<b>16.43</b> (35.33)	<b>109.49</b> (139.21)
<b>सेवा उपलब्ध कराना</b>	<b>58.91</b> (18.33)	<b>2.40</b> (0.96)
<b>सेवा प्राप्त करना</b>	<b>11.33</b> (3.84)	<b>0.01</b> (0.01)
<b>प्रबंधन संविदाएं</b>	<b>0.05</b> (4.55)	<b>शून्य</b> (3.20)

कोष्ठकों में दिये गये औँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित।

**9.3 Transactions with Subsidiaries, Associates & Joint Venture are as under:**

[Rs. in Crore]

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures
<b>Borrowings -</b>	<b>NIL</b> (NIL)	<b>1.90</b> (11.90)
Outstanding as at the year end	<b>NIL</b> (NIL)	<b>1.90</b> (11.90)
Maximum outstanding during the year	<b>NIL</b> (NIL)	<b>1.90</b> (11.90)
<b>Deposits-</b>	<b>140.33</b> (140.39)	<b>1604.07</b> (1099.27)
Outstanding as at the year end	<b>140.33</b> (140.39)	<b>1604.07</b> (1099.27)
Maximum outstanding during the year	<b>143.83</b> (321.95)	<b>1604.07</b> (1115.25)
<b>Placement of Deposits -</b>	<b>NIL</b> (NIL)	<b>97.66</b> (110.32)
Outstanding as at the year end	<b>NIL</b> (NIL)	<b>97.66</b> (110.32)
Maximum outstanding during the year	<b>NIL</b> (NIL)	<b>97.66</b> (110.32)
<b>Advances-</b>	<b>743.38</b> (482.13)	<b>2788.31</b> (969.06)
Outstanding as at the year end	<b>743.38</b> (482.13)	<b>2788.31</b> (969.06)
Maximum outstanding during the year	<b>743.38</b> (500.00)	<b>2788.31</b> (1111.27)
<b>Investments-</b>	<b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02)
Outstanding as at the year end	<b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02)
Maximum outstanding during the year	<b>365.13</b> (309.03)	<b>99.66</b> (97.02)
<b>Non Funded Commitments-</b>	<b>NIL</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
Outstanding as at the year end	<b>NIL</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
Maximum outstanding during the year	<b>NIL</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
<b>Purchase of Fixed Assets</b>	<b>2.99</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
<b>Sale of Fixed Assets</b>	<b>0.04</b> (NIL)	<b>NIL</b> (NIL)
<b>Interest paid</b>	<b>11.62</b> (17.52)	<b>24.56</b> (49.01)
<b>Interest received</b>	<b>16.43</b> (35.33)	<b>109.49</b> (139.21)
<b>Rendering of Service</b>	<b>58.91</b> (18.33)	<b>2.40</b> (0.96)
<b>Receiving of Services</b>	<b>11.33</b> (3.84)	<b>0.01</b> (0.01)
<b>Management Contracts</b>	<b>0.05</b> (4.55)	<b>NIL</b> (3.20)

Figures in brackets relate to previous year.

## 10. प्रति शेयर अर्जन :

क्रसं	विवरण	2009-10	2008-2009
1	मूल और तरलित ईपी एस (रु)	73.16	49.80

## प्रति शेयर अर्जन का परिकलन :

क्रसं	विवरण	2009-10	2008-2009
क	ईक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ (रु)	2999 करोड़	2042 करोड़
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (रु)	41 करोड़	41 करोड़
ग	प्रति शेयर मूल तरलित अर्जन (क/ख) (रु)	73.16	49.80
घ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु)	10/-	10/-

## 10. Earnings Per Share:

S.N.	Particulars	2009-2010	2008-2009
1	Basic and Diluted EPS (Rs.)	73.16	49.80

## Computation of EPS:

S.N.	Particulars	2009-2010	2008-2009
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (Rs.)	2999 Crore	2042 Crore
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Rs.)	41 Crore	41 Crore
C	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (Rs.)	73.16	49.80
D	Nominal Value per Share (Rs.)	10/-	10/-

## 11. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं :

यथा 31.03.2010 को निवल आस्थगित कर देयता रु 26.81 करोड़ थी। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :  
[रु करोड़ों में]

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
उपचित ब्याज परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	319.75	327.29
छुट्टी नकदीकरण/उपादान	254.48	227.38	शून्य	शून्य
स्थिर आस्तियों पर मूल्य हास	30.14	28.71	0.23	शून्य
एफडीआर पर ब्याज का प्रावधान	26.06	26.06	--	--
अन्य	6.25	--	23.76	1.97
<b>आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं</b>	<b>316.93</b>	<b>282.15</b>	<b>343.74</b>	<b>329.26</b>

## 11. Deferred Tax Assets and Liabilities:

Net DTL computed as on 31.03.2010 amounted to Rs. 26.81 Crore. The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:-  
[Rs. in Crore]

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
Interest accrued but not due on securities	NIL	NIL	319.75	327.29
Leave Encashment /Gratuity	254.48	227.38	NIL	NIL
Depreciation on Fixed Assets	30.14	28.71	0.23	NIL
Provision for Interest on FDR	26.06	26.06	--	--
Others	6.25	--	23.76	1.97
<b>Deferred Tax Asset/Liability</b>	<b>316.93</b>	<b>282.15</b>	<b>343.74</b>	<b>329.26</b>

## 12. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग भाग- क कारोबार खण्ड

[रु करोड़ में]

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2010	31.03.2009
<b>I खण्ड राजस्व</b>		
क राजकोषीय परिचालन	5477.69	4725.33
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	5646.60	6263.59
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	9947.23	7195.46
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ड गैर आबंटित	616.37	1297.14
<b>कुल</b>	<b>21687.89</b>	<b>19481.52</b>
<b>II खण्ड परिणाम</b>		
क राजकोषीय परिचालन	1346.85	797.60
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	1664.16	1470.13
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	1992.06	1623.19
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ड गैर आबंटित	(172.95)	(160.72)
<b>कुल</b>	<b>4830.12</b>	<b>3730.20</b>
<b>III गैर आबंटित आय/व्यय</b>	<b>50.56</b>	<b>72.85</b>
<b>IV परिचालन लाभ</b>	<b>4880.68</b>	<b>3803.05</b>
V प्रावधान और आवश्यकताएं	1249.40	1410.64
VI आय कर	817.32	500.00
VII असाधारण मद	0.00	0.00
<b>VIII अवधि के लिए निवल लाभ</b>	<b>2813.96</b>	<b>1892.41</b>
IX सहबद्धों में अर्जन का हिस्सा	74.98	48.44
X गौण ब्याज	(110.76)	(101.15)
<b>XI समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ</b>	<b>2999.70</b>	<b>2042.00</b>
अन्य सूचना		
<b>XII खण्ड आरित्याँ</b>		
क राजकोषीय परिचालन	86797.42	67911.36
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	51555.25	47926.35
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	120562.20	99249.95
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ड गैर आबंटित आरित्याँ	5478.40	3205.04
<b>कुल</b>	<b>264393.27</b>	<b>218292.70</b>
<b>XIII खण्ड देयताएं</b>		
क राजकोषीय परिचालन	39833.45	22694.00
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	123063.48	101958.13
ग संपूर्ण बैंकिंग परिचालन	76147.96	66185.79
घ अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ड गैर आबंटित	12457.41	17033.42
च पूँजी और आरक्षितियाँ*	12890.97	10421.36
<b>कुल</b>	<b>264393.27</b>	<b>218292.70</b>

(\* पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को छोड़कर।)

## 12. Consolidated Segment Reporting Part A-Business Segment

[Rs. in Crore]

Business Segment	Year Ended	
	31.03.2010	31.03.2009
<b>I Segment Revenue</b>		
a Treasury Operations	5477.69	4725.33
b Retail Banking Operations	5646.60	6263.59
c Wholesale Banking Operations	9947.23	7195.46
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated	616.37	1297.14
<b>Total</b>	<b>21687.89</b>	<b>19481.52</b>
<b>II Segment Results</b>		
a Treasury Operations	1346.85	797.60
b Retail Banking Operations	1664.16	1470.13
c Wholesale Banking Operations	1992.06	1623.19
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated	(172.95)	(160.72)
<b>Total</b>	<b>4830.12</b>	<b>3730.20</b>
III Unallocated Income/Expenses	50.56	72.85
<b>IV Operating Profit</b>	<b>4880.68</b>	<b>3803.05</b>
V Provisions and Contingencies	1249.40	1410.64
VI Income Tax	817.32	500.00
VII Extraordinary Items	0.00	0.00
<b>VIII Net Profit for the period</b>	<b>2813.96</b>	<b>1892.41</b>
IX Add: Share of Earning in Associates	74.98	48.44
X Less: Minority Interest	(110.76)	(101.15)
<b>XI Consolidated Profit for the Year attributable to the Group</b>	<b>2999.70</b>	<b>2042.00</b>
<b>Other Information</b>		
<b>XII SEGMENT ASSETS*</b>		
a Treasury Operations	86797.42	67911.36
b Retail Banking Operations	51555.25	47926.35
c Wholesale Banking Operations	120562.20	99249.95
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated Assets	5478.40	3205.04
<b>Total</b>	<b>264393.27</b>	<b>218292.70</b>
<b>XIII SEGMENT LIABILITIES</b>		
a Treasury Operations	39833.45	22694.00
b Retail Banking Operations	123063.48	101958.13
c Wholesale Banking Operations	76147.96	66185.79
d Other Banking Operations	0.00	0.00
e Unallocated Liabilities	12457.41	17033.42
f Capital & Reserves*	12890.97	10421.36
<b>Total</b>	<b>264393.27</b>	<b>218292.70</b>

(\* Excluding Revaluation Reserve)

## भाग- ख भौगोलिक खण्डः

[रु करोड़ में]

भौगोलिक खण्ड	समाप्त वर्ष	
	31.03.2010	31.03.2009
<b>क घरेलू परिचालन</b>		
राजस्व	21367.58	19163.81
आस्तियां	254266.29	211388.61
<b>ख अंतर्राष्ट्रीय परिचालन</b>		
राजस्व	320.31	317.71
आस्तियां	10126.98	6904.09
<b>ग कुल</b>		
राजस्व	21687.89	19481.52
आस्तियां*	264393.27	218292.70

(\* पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)

13. अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम, विद्यमान कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार लेखांकन नीतियों का अविरत पालन कर रहा है, जो तत्संबंधी कारोबार आवश्यकताओं के कारण कुछ मामलों में मूल बैंक से भिन्न होती हैं। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों में इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

14. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहबद्ध संरथाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संरथा का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षितियां रु 14612.38 करोड़ जिनमें से 14261.78 करोड़ मूल संरथा के हैं और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संरथाओं के शेष रु 350.60 करोड़ हैं। (पिछले वर्ष 12171.11 करोड़ जिसमें से 11797.77 करोड़ मूल तथा शेष 373.34 करोड़ व अनुषंगियों संयुक्त उद्यम व सहबद्ध संरथाओं के)

15. मूल संरथा और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरण में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरण का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है।

## Part B – Geographical Segment:

[Rs. in Crore]

Geographical Segment	Year Ended	
	31.03.2010	31.03.2009
<b>a Domestic Operations</b>		
Revenue	21367.58	19163.81
Assets	254266.29	211388.61
<b>b International Operations</b>		
Revenue	320.31	317.71
Assets	10126.98	6904.09
<b>c Total</b>		
Revenue	21687.89	19481.52
Assets*	264393.27	218292.70

(\* Excluding Revaluation Reserve)

13. The Subsidiaries and Joint Venture are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent Bank in a few cases because of respective business requirements. However, it will not have any material impact on the Consolidated Financial Statements.

14. The consolidated Reserves of the group after reckoning parent's share of accumulated profit / loss of subsidiaries, joint venture and associates amount to Rs.14612.38 Crore of which Rs.14261.78 Crore relate to the parent and the balance Rs.350.60 crore relates to the Subsidiaries, Joint Venture and Associates (Previous year Rs.12171.11 Crore of which Rs.11797.77 Crore relate to the parent and the balance Rs.373.34 crore relates to the Subsidiaries, Joint Venture and Associates)

15. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the parent and subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

16. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्सूचित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

16. Previous Year's figures have been regrouped, rearranged and restated, wherever considered necessary.

एन सेल्वराजन  
सहायक महा प्रबंधक

के माणिक्कम  
उप महा प्रबंधक

डी एस आनंदमूर्ति  
महा प्रबंधक

एच एस उपेन्द्र कामत  
कार्यपालक निदेशक

जगदीश पै के एल  
कार्यपालक निदेशक

ए सी महाजन  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

वाणी जे शर्मा  
निदेशक

देवेन्द्र दास रस्तगी  
निदेशक

सुनील गुप्ता  
निदेशक

डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी  
निदेशक

एस शब्दीर पाशा  
निदेशक

पंकज गोपाल जी ठाकर  
निदेशक

पी वी मय्या  
निदेशक

### समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम आनंदम एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते एन शंकरन एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते एस भण्डारी एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते मनुभाई एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते आर के कुमार एन्ड कं  
सनदी लेखाकार

कृते नन्दी हलदर एण्ड कं  
सनदी लेखाकार

ए वी सदाशिव  
साझेदार

एल पट्टाभिरामन  
साझेदार

एस सी मेहता  
साझेदार

हीतेश एम पोमल  
साझेदार

बी आर अशोक  
साझेदार

अरम्भ हलदर  
साझेदार

बैंगलूरु  
मई 24, 2010

N SELVARAJAN  
Assistant General Manager

K MANICKAM  
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY  
General Manager

H S UPENDRA KAMATH  
Executive Director

JAGDISH PAI K L  
Executive Director

A C MAHAJAN  
Chairman & Managing Director

VANI J SHARMA  
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI  
Director

SUNIL GUPTA  
Director

Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI  
Director

S SHABBEER PASHA  
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER  
Director

P V MAIYA  
Director

### AS PER REPORT OF EVEN DATE

FOR M ANANDAM & CO  
Chartered Accountants

FOR N SANKARAN & CO  
Chartered Accountants

FOR S BHANDARI & CO.  
Chartered Accountants

FOR MANUBHAI & CO.  
Chartered Accountants

FOR R K KUMAR & CO.  
Chartered Accountants

FOR NANDY HALDER & GANGULI  
Chartered Accountants

A V SADASIVA  
Partner

L PATTABHIRAMAN  
Partner

S C MEHTA  
Partner

HITESH M POMAL  
Partner

B R ASHOK  
Partner

ARUP HALDER  
Partner

Bangalore  
May 24, 2010

**नकद प्रवाह विवरण 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये**  
**CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010**

(रु. Rs '000)

	31.03.2010	31.03.2009
<b>I) परिचालन गतिविधियाँ / OPERATING ACTIVITIES</b>		
प्रदत्त ब्याज व कमीशन / INTEREST & COMMISSION RECEIVED	19868,69,74	18069,82,11
प्रदत्त ब्याज व कमीशन / INTEREST & COMMISSION PAID	(12453,52,10)	(12017,54,79)
अन्य राजस्व / OTHER REVENUES	1139,32,03	912,27,33
सामान्य व प्रशासनिक व्यय / GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES	(3541,64,41)	(3064,76,67)
आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन लागू करने से पहले परिचालन आस्तियों से निवल नकद प्रवाह		
<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS PRIOR TO THE EFFECT OF CHANGES IN ASSETS AND LIABILITIES</b>	<b>5012,85,26</b>	<b>3899,77,98</b>
<b>II) परिचालन आस्तियों में निवल (वृद्धि) / कमी / NET (INCREASE) / DECREASE IN OPERATING ASSETS</b>		
ग्राहकों को दी गई निधियाँ / FUNDS ADVANCED TO CUSTOMERS	(31238,94,98)	(31644,27,09)
/ GOVERNMENT AND APPROVED SECURITIES	(11525,57,09)	(8188,00,47)
अन्य परिचालन आस्तियों / OTHER OPERATING ASSETS	863,78,03	(1453,20,52)
	<b>(41900,74,04)</b>	<b>(41285,48,08)</b>
<b>III) परिचालन देयताओं में निवल वृद्धि/ (कमी) NET INCREASE / (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES</b>		
ग्राहकों से जमाराशियाँ / DEPOSITS FROM CUSTOMERS	47761,30,81	33027,76,57
बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार / BORROWINGS FROM BANKS & FINANCIAL INSTITUTIONS	(5491,40,89)	4243,07,74
अन्य परिचालन देयताएं / OTHER OPERATING LIABILITIES	(782,77,09)	(442,89,28)
	<b>41487,12,83</b>	<b>36827,95,03</b>
कराधान से पहले परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE TAXATION</b>	<b>4599,24,05</b>	<b>(557,75,07)</b>
प्रदत्त कर / TAXES PAID	(1070,63,47)	(549,55,62)
<b>परिचालन क्रियाकलाप से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>(3528,60,58)</b>	<b>(1107,30,69)</b>
<b>IV) निवेश क्रियाकलाप / INVESTING ACTIVITIES</b>		
स्थिर आस्तियों की (खरीद) / (PURCHASE) OF FIXED ASSETS	(128,92,08)	(264,14,07)
निवेश की (खरीद) / बिक्री / (PURCHASE) / SALE OF INVESTMENTS	(7,93)	(5,03,52)
प्राप्त लाभांश / DIVIDEND RECEIVED	9,63,41	1,44,23
निवेश आय / INVESTMENT INCOME	5,28,56	3,04,24
<b>निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>	<b>(114,08,04)</b>	<b>(264,69,12)</b>

V) वित्तीयन क्रियाकालप / FINANCING ACTIVITIES			
प्राप्त लाभांश / DIVIDEND PAID		(383,89,62)	(387,53,11)
गौण ऋण / ऋणों का पुनर्भुगतान / SUBORDINATED DEBTS / REPAYMENT OF LOANS	टायर    बांडों को शामिल करके उधारों पर प्रदत्त व्याज /	455,09,22	829,08,07
INTEREST PAID ON BORROWINGS INCLUDING TIER II BONDS		(489,93,10)	(465,96,53)
वित्तीयन क्रियाकलाप से नकद / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		(418,73,50)	(24,41,57)
नकद व नकद के समतुल्य में वृद्धि / INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS		2995,79,04	(1396,41,38)
वर्ष के प्रारंभ में नकती व नकद के समतुल्य / CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		16727,13,80	18123,55,18
वर्ष के अंत में नकदी व नकद के समतुल्य / CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		19722,92,84	16727,13,80

एन सेल्वराजन सहायक महा प्रबंधक	के माणिकम उप महा प्रबंधक	डी एस आनंदमूर्ति महा प्रबंधक	एच एस उपेन्द्र कामत कार्यपालक निदेशक	जगदीश पै के एल कार्यपालक निदेशक	ए सी महाजन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
वाणी जे शर्मा निदेशक	देवेन्द्र दास रस्तगी निदेशक	सुनील गुप्ता निदेशक	डॉ योगेन्द्र पति त्रिपाठी निदेशक	एस शब्दीर पाशा निदेशक	पंकज गोपाल जी ठक्कर निदेशक
पी वी मय्या निदेशक					

### समसंख्यक तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एम आनंदम एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते एन शंकरन एन्ड कं सनदी लेखाकार	कृते एस भण्डारी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते मनुभाई एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते आर के कुमार एन्ड कं सनदी लेखाकार	कृते नन्दी हलदर एण्ड कं सनदी लेखाकार
ए वी सदाशिव साझेदार	एल पट्टाभिरामन साझेदार	एस सी मेहता साझेदार	हीतेश ए म पोमाल साझेदार	बी आर अशोक साझेदार	अरम हलदर साझेदार

बैंगलूरु  
मई 24,2010

N SELVARAJAN  
Assistant General Manger

K MANICKAM  
Deputy General Manager

D S ANANDAMURTHY  
General Manager

H S UPENDRA KAMATH  
Executive Director

JAGDISH PAI K L  
Executive Director

A C MAHAJAN  
Chairman & Managing Director

VANI J SHARMA  
Director

DEVENDER DASS RUSTAGI  
Director

SUNIL GUPTA  
Director

Dr. YOGENDRA PATI TRIPATHI  
Director

S SHABBEER PASHA  
Director

PANKAJ GOPALJI THACKER  
Director

P V MAIYA  
Director

### AS PER REPORT OF EVEN DATE

FOR M ANANDAM & CO Chartered Accountants	FOR N SANKARAN & CO Chartered Accountants	FOR S BHANDARI & CO. Chartered Accountants	FOR MANUBHAI & CO. Chartered Accountants	FOR R K KUMAR & CO. Chartered Accountants	FOR NANDY HALDER & GANGULI Chartered Accountants
A V SADASIVA Partner	L PATTABHIRAMAN Partner	S C MEHTA Partner	HITESH M POMAL Partner	B R ASHOK Partner	ARUP HALDER Partner

Bangalore  
May 24, 2010

## नामांकन पत्र

सेवा में,  
 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,  
 केनरा बैंक  
 प्रधान कार्यालय: बैंगलूर

प्रिय महोदय,

### निदेशकों का निर्वाचन

आपके नोटिस दिनांक 03.06.2010 के संदर्भ में चुनाव में भाग लेने के लिए यथा मंगलवार, 15 जून 2010 को यानि अभिलेख तिथि को केनरा बैंक के प्रत्येक के रु10/- के \_\_\_\_\_ ईक्विटी शेयरधारक में \_\_\_\_\_ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में 19.07.2010 को बैंक शेयरधारकों की 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चुने जाने के लिए \_\_\_\_\_ के निवारी श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी \_\_\_\_\_ को एतदद्वारा नामित करता हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकीकृत हो तो)	
डीपीआईडी व ग्राहक आई डी सं (भौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

### टिप्पणियाँ :

- नैगम निकाय का नामांकन है तो नामांकन के साथ जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए।
- प्रत्याशी का नामांकन करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षरों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षरों के साथ मेल खाना चाहिए।
- उपर्युक्त में सेकिसी कॉलम को रिक्त छोड़ दिए जाने से या व्योरे को गलत पाये जाने से नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## NOMINATION FORM

To

The Chairman & Managing Director,

CANARA BANK

Head office: Bangalore.

Dear Sir,

### ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your notice dated 03.06.2010, I, \_\_\_\_\_ a shareholder of Canara Bank holding \_\_\_\_\_ equity shares of Rs.10/- each as on Tuesday, the 15th June 2010 (i.e.,) the Record date for participating in the Election do hereby nominate Sri/ Smt. \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_ for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)Act, 1970 at the 8th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 19.07.2010.

Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DPID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

#### Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

## घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी  
 \_\_\_\_\_ एतदद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि

- (क) मैं निर्वाचन में भाग लेने के लिए यथा मंगलवार, 15 जून 2010 यानि अभिलेख तिथि को बैंक के \_\_\_\_\_ इक्विटी शेयरों का धारक हूँ।
- (ख) \*मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकार (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या (आरतीय रिजर्व बैंक के विचार में बैंक को उपयोगी होनेवाला विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3क के अनुसार जमाकर्ताओं व किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में मैं एतदद्वारा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता / करती हूँ और
- (ग) मैं \_\_\_\_\_ संख्यक नामांकनों को स्वीकृत करता / करती हूँ और :
- (घ) मैं केनरा बैंक के निदेश के लिए चुनाव में भाग लेना चाहूँगा / चाहूँगी और
- (ङ) मुझे बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध) योजना 1970 और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने से अयोग्य नहीं बनाया गया।
- (च) मैं न तो किसी लाभदायक पद में हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 3(1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 द्वारा परिभाषित अनुषंगी बैंक का / की कर्मचारी हूँ।
- (छ) मैं अपना व्यक्तिगत व्योरा संलग्न करता / करती हूँ जो मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के मुताबिक सही और संपूर्ण है; और
- (ज) मैं इस घोषणा के बाद घटनाओं घटी है तो उन के बारे में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को पूर्णतया सूचित रखने और बैंक के निदेश के रूप में निर्वाचित किए जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ कि मैंने निदेशकों के निर्वाचन के लिए दिनांक 03.06.2010 की नोटिस की विषयवस्तु को पढ़ा है।

हस्ताक्षर	
नाम	
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकीकृत हो तो)	
डीपीआईडी व ग्राहक आई डी सं (भौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए।

न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, एश्यूरेस स रजिस्ट्रार / उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर

\* जो लागू न हो उसे काट दें।



## DECLARATION

I \_\_\_\_\_ son / daughter / wife of Sri / Smt \_\_\_\_\_ a resident of \_\_\_\_\_ hereby confirm that

- (A) I am a Shareholder holding \_\_\_\_\_ equity Shares of the Bank as on Tuesday, the 15th June 2010 i.e, the record date for participating in the Election.
- (B) \*I have special knowledge or practical experience in [i] agriculture and rural economy, [ii] banking [iii] co-operation [iv] economics [v] finance [vi] law, [vii] small scale industry, or \_\_\_\_\_ [Special knowledge and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- (C) I accept the nominations numbering \_\_\_\_\_ and
- (D) I am willing to contest the election for Director of Canara Bank, and
- (E) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act ,1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 as amended and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000.
- (F) I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks)Act, 1959.
- (G) I enclose my personal details which are to be the best of my knowledge and belief true and complete; and
- (H) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

I here by confirm having gone through the contents of the Notice, dated 03.06.2010 for election of directors.

Signature	
Name	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DPID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of the Judge, Magistrate, Registrar/ Sub-Registrar of Assurances or any other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India, Canara Bank or any Nationalised Bank.

\*Delete whichever is not applicable.

## प्रत्याशी के जीवनवृत्त का प्रारूप

क्रम सं	ब्यौरा
I.	<b>प्रत्याशी का व्यक्तिगत ब्यौरा</b>
1.	प्रत्याशी का पूरा नाम
2.	पिता का नाम
3.	जन्म तिथि
4.	स्थायी पता
5.	वर्तमान पता
6.	टेलीफोन व फैक्स संख्या, ई-मेल आई डी
7.	स्थायी लेखा संख्या और आयकर अंचल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियाँ दर्ज की जाती हैं (पैन की प्रति और दर्ज अंतिम आयकर विवरणी की प्राप्ति स्वीकृत प्रति संलग्न करें)
8.	शिक्षा योग्यताएँ (योग्यता के साक्षाकंन में स्व-अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें)
9.	संबद्ध पृष्ठभूमि और अनुभव ज्ञान/और अनुभव के साक्षाकंन में स्व-अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें
10.	संबद्ध ज्ञान और अनुभव ढैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए)ज्ज का हवाला लें। ज्ञान/और अनुभव के साक्षाकंन में स्व-अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें
11.	प्रत्याशी कोई अन्यसूचना प्रस्तुत करना चाहता हो
II.	<b>प्रत्याशी के संबंधित रिश्तेदार</b>
12.	प्रत्याशी के रिश्तेदारों की सूची जो बैंक से संबंध रखते हैं। (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 ए के अनुसार)
13.	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को हितैषी माना जाता है (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए); धारा 300 और बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 20 देखें)
14.	ऐसे निकायों की सूची जिनमें प्रत्याशी को बैंकिंग विनियम 1949 की धारा 5(एन ई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित धारक माना जाता है
15.	बैंक का नाम जिसमें प्रत्याशी बोर्ड का सदस्य हो या रहा हो (पदधारण की अवधि का ब्यौरा दें)
16.	प्रत्याशी या उपर्युक्त 12 और 13 में सूचीबद्ध निकायों में से संप्रति उपभुक्त निधि और निधित्तर सुविधाएं

## FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

Sl. No.	Particulars
I.	<b>Personal Details of the Candidate</b>
1	Full Name of the Candidate
2	Father's Name in Full
3	Date of Birth
4	Permanent Address
5	Present Address
6	Telephone & Fax Number, Email - ID
7	Permanent Account Number (PAN) and name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to be attached)
8	Educational Qualifications (please attach self attested certificates evidencing the qualification)
9	Relevant background and Experience (Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience)
10	Relevant Knowledge and Experience ( Please refer section 9(3-A) of the Banking Companies ( Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1970 Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience)
11	Any other information which the candidate desires to furnish
II	<b>Relevant Relationships of the Candidate</b>
12	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)
13	List of entities in which the candidate is considered as being interested {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949}
14	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act 1949
15	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)
16	Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank

17.	बैंक या किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में प्रत्याशी या उपर्युक्त 12 और 13 में सूचीबद्ध निकाय चूककर्ता हों या पहले रहें हो	
III.	व्यवसायिक उपलब्धियों के कीर्तिमान:	
18.	प्रत्याशियों के व्यवसायिक उपलब्धियों के कीर्तिमान हैं तो	
IV.	प्रत्याशी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई हो तो	
19.	प्रत्याशी किसी व्यवसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरूकी गई या पूर्व में दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय/पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है	
20.	आर्थिक विधियों और विनियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रत्याशी या/और उपर्युक्त 12 और 13 में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध विलंबित या शुरूर्या पूर्व में दोषी ठहराया गया है तो उनका व्यौरा	
21.	निदेशक के विरुद्ध विलंबित या शुरूर्या पूर्व में दोषी ठहराये गये आपराधिक मामलों का व्यौरा।	
22.	प्रत्याशी कंपनी अधिनियम 1966 की धारा 274 में स्नायित अनुसार अयोग्य ठहराया जा सकता है	
23.	सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर प्रत्याशी या उपर्युक्त 12 और 13 में सूचीबद्ध निकायों के विरुद्ध कोई जाँच पड़ताल की गई ?	
24.	प्रत्याशी को सीमा शुल्क/उत्पाद कर/आयकर/विदेश विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारों द्वारा प्रत्याशी को नियमों / विनियमों / विधाई अपेक्षाओं का उल्लंघन का दोषी पाया गया ? हाँ तो व्यौरा दें।	
25.	प्रत्याशी या उपर्युक्त 12 और 13 में सूचीबद्ध निकायों पर कभी भी सेवी, भारतीय रिजर्व बैंक, आई आर डी ए, एम सी ए, फेमा आदि जैसे नियंत्रकों का प्रतिपद्धति हुआ ?	
V.	उपर्युक्त I से III तक की मर्दों से संबंधित कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और योग्य और उचित मानी संबंध अन्य सूचना	

17	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	
<b>III</b>	<b>Records of professional achievements</b>	
18	Professional achievements of the candidate, if any	
<b>IV</b>	<b>Proceedings, if any, against the Candidate</b>	
19	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
20	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
21	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past against the Director.	
22	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956	
23	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
24	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
25	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at anytime come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, MCA FEMA etc.,	
<b>V</b>	<b>Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper</b>	

# वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2009-2010

कनारा बँक  
Canara Bank

कनारा बँक  Canara Bank

प्रधान कार्यालय, बैंगलूरु-560 002

उपस्थिति पर्ची

आठवें वार्षिक सामान्य बैठक - 19.07.2010

(प्रवेश करने पर अभ्यर्पित कर दी जाए)

दिनांक :	समय :		
स्थान : बैंगलूरु			
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकीकृत हो तो)	डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी. (भौतिकीकृत हो तो)		
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

--- यहाँ से फार्ड ---

कनारा बँक  Canara Bank

प्रधान कार्यालय, बैंगलूरु - 560 002

प्रवेश पास

(पूरी बैठक के दौरान पास रखना है)

शेयरधारक का नाम								
शेयरों की संख्या								
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकीकृत हो तो)	डीपीआईडी सं							
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम	ग्राहक आई.डी. सं							
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर								

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुस्मान उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि वे बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पॉन कार्ड / पार पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस, आदि अपने साथ रखें। किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

--- यहाँ से फार्ड ---

कनारा बँक  Canara Bank

प्रधान कार्यालय, बैंगलूरु - 560 002

(मतदान पत्र जारी करने के लिए मतदान काउंटरों पर अभ्यर्पित किया जाना है)

शेयरधारक के हस्ताक्षर			
प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि			
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकीकृत हो तो)	डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी. (भौतिकीकृत हो तो)		
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

कनारा बँक  Canara Bank

Head Office, Bangalore- 560 002

**ATTENDANCE SLIP**

**8<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 19.07.2010**

(to be surrendered at the time of entry)

Date:	Time :		
Place: Bangalore			
<b>Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present</b>			
Regd. Folio (If not dematerialised)	DPID & Client ID (If dematerialised)		
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

-----Cut here-----

कनारा बँक  Canara Bank

Head Office, Bangalore- 560 002

**ENTRY PASS**

(to be retained throughout the meeting)

Name of the Shareholder								
Number of shares								
Regd. Folio (if not dematerialised)	DPID No.							
Name of the Proxy/Representative present	Client ID No.							
<b>Signature of Shareholder / Proxy / Authorised representative</b>								

Shareholders/Proxy or representative of Shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. **UNDER NO CIRCUMSTANCES, ANY DUPLICATE ATTENDANCE SLIP WILL BE ISSUED AT THE VENUE.**

-----Cut here-----

कनारा बँक  Canara Bank

Head Office, Bangalore- 560 002

(to be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

<b>Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present</b>			
Regd. Folio (If not dematerialized)	DPID & Client ID (If dematerialised)		
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

## केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, 112, जे बैंगलूर-560 002

आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक - 19.07.2010

फॉर्म "ख"

### प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम

निवासी

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

को, अथवा इनके न होने पर, श्री / श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को सोमवार, 19 जुलाई को प्रातः 10.00 बजे ज्ञानज्योति सभागृह, सेन्ट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बैंगलूर -560 001 में होने वाले केनरा बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं ।

आज वर्ष 2010 \_\_\_\_\_ माह के \_\_\_\_\_ दिन को हस्ताक्षरित

रजिस्टर्ड फॉलियो सं/ \_\_\_\_\_

ग्राहक आई डी शेयरों की सं \_\_\_\_\_

कृपया 15 पैसे  
का राजस्व  
स्टाम्प चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम और पता : \_\_\_\_\_

प्रथम नामित / एकल धारक के हस्ताक्षर

### प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखित तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
  - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित मैं विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
  - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित मैं विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
  - एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित मैं विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखित मैं उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिग्राहण किसी जज, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
  - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
  - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ द्वितीय वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् बुधवार, 14 जुलाई 2010 के समाप्त समय के पहले महा प्रबंधक, केनरा बैंक के सचिवालय प्रभाग, आवि विभाग, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बैंगलूर में जमा किया जाए ।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का विनांक सूजित करना होगा ।
- कोई भी प्रॉक्सी पत्र अथवा किसी अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी पत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
- यदि कोई प्रॉक्सी पत्र, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता ।
- एक प्रॉक्सी पत्र का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण आम सभा में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसा पत्र संबंधित है ।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो ।



(A Government of India Undertaking)  
HO : # 112, J C ROAD BANGALORE - 560 002

**Eighth Annual General Meeting – 19.07.2010**

FORM 'B'

**FORM OF PROXY**

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ or failing him/her, Shri/Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Monday the 19th July 2010 at 10.00 a.m. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore-560 001 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2010

Regd. Folio No./Client ID: \_\_\_\_\_

No. of Shares \_\_\_\_\_

Please affix  
15 Paise  
Revenue Stamp

.....  
Signature of Proxy

Name & Address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
Signature of the first named / sole shareholder

**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
  - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
3. The proxy together with
  - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Canara Bank, Secretarial Department, 1st Floor, Head Office, 112, J C Road Bangalore – 560 002** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Wednesday, the 14th July 2010.
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

# *Classic Creations*

from Canara Bank Institute for Artisans  
Karkala, Karnataka



ಕರ್ನಾಟಕ  
 Canara Bank  
Together We Can

Head Office: 112, J C Road, Bangalore-560 002 [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com)